खण्ड-372, अंक-10
शनिवार, 2 भाद्रपद, शक संवत् 1907
(24 अगस्त, 1985 ई0)

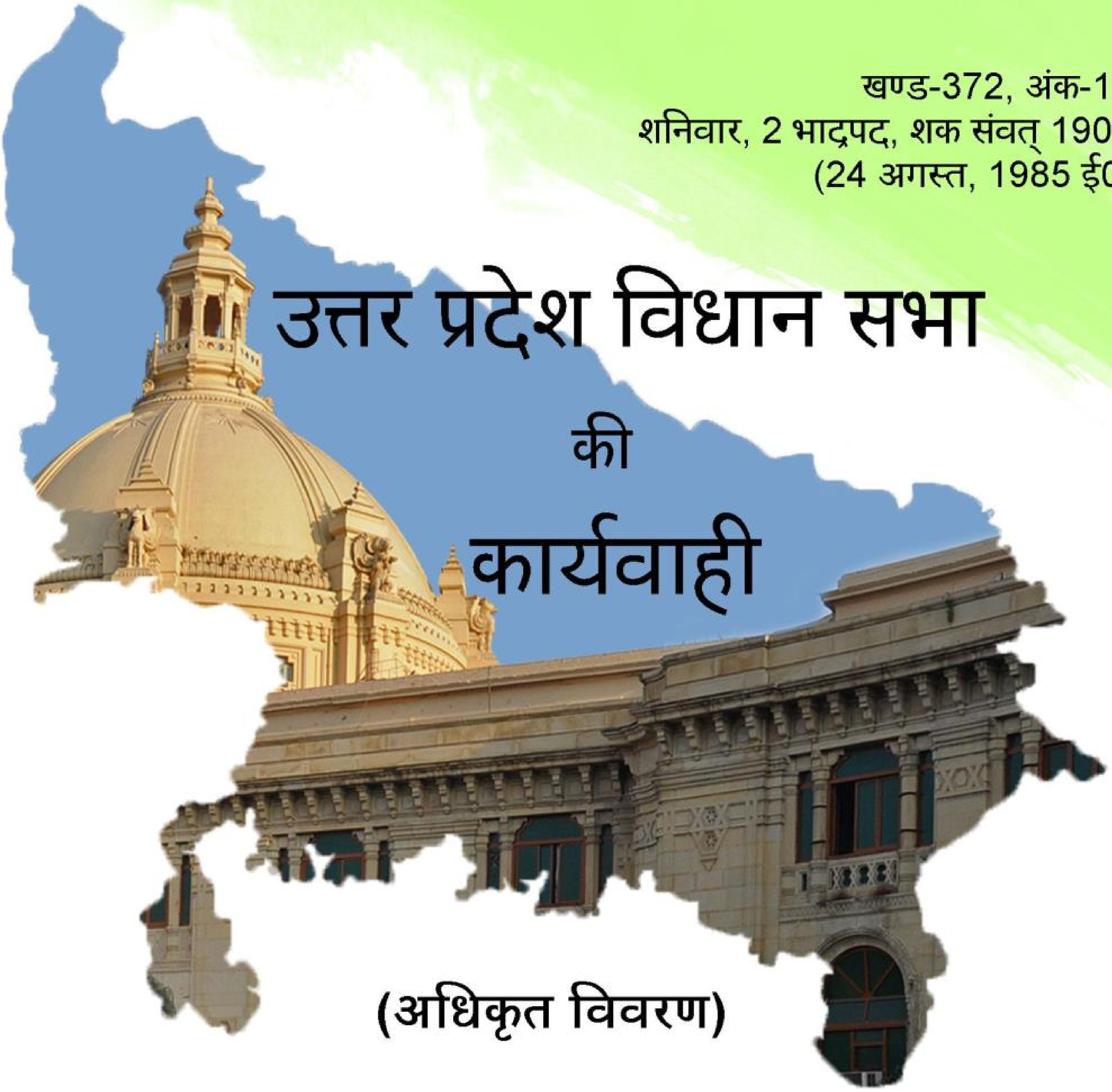

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 372 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	i
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, 1985-86 का बाइसवां प्रतिवेदन... (प्रस्तुत किया गया)	1
जनपद बांदा के नरैनी नगर में राजकीय बालिका हाई स्कूल को खोलने, चीनी मिल स्थापित करने, करतल कस्बे में राजकीय हाई स्कूल खोलने तथा कालिंजर किले को पर्यटक स्थल घोषित किये जाने एवं पर्यटक विश्राम गृह बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिकाएं... (उपस्थित की गयीं)	1
जनपद लखनऊ में फतेहगंज नारायनपुर रोड को पेन्ट कराये जाने तथा इसी रोड पर खुर्दमपुर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका.. (उपस्थित की गयी) ..	1
सैनिक स्कूल, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के लिये सदन के सदस्यों की समिति बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष के निर्देश का शासन द्वारा क्रियान्वयन न कर अधिकारियों की समिति बनाये जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना..	1-2
तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री ब्रह्म दत्त के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय..	3
रामपुर रजा लायब्रेरी में चोरी होने के सम्बन्ध में दिये गये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	4
1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 8-कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15-गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 17-गोपन विभाग, अनुदान संख्या 25-नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36-प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 45-लोक सेवा आयोग, अनुदान संख्या 64-सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65-सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69-सामान्य प्रशासन विभाग तथा अनुदान संख्या 70-सार्वजनिक उद्यम विभाग (जारी).. ..	4-72
उत्तर प्रदेश विधान सभा, उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि की जानकारी की मांग..	73
1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 8-कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15-गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 17-गोपन विभाग, अनुदान संख्या 25-नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36-प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 45-लोक सेवा आयोग, अनुदान संख्या 64-सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65-सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69-सामान्य प्रशासन विभाग, तथा अनुदान संख्या 70-सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत) ..	73-97
अनदान संख्या 23-नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत)..	89

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 28–निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	98
अनुदान संख्या 29–न्याय विभाग (स्वीकृत)	98
अनुदान संख्या 37–प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	98
अनुदान संख्या 44–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत)	99
अनुदान संख्या 47–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ..	99
अनुदान संख्या 48–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत) ..	99
अनुदान संख्या 49–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत) ..	100
अनुदान संख्या 50–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत) ..	100
अनुदान संख्या 51–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) (स्वीकृत)	100
अनुदान संख्या 52–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत) ..	100
अनुदान संख्या 68–सांस्कृतिक कार्य विभाग (स्वीकृत) ..	101
अनुदान संख्या 70–स्पोर्ट्स विभाग (स्वीकृत)	101
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1985 (पारित)	103
जनपद बस्ती में सिकन्दर बाजार से मसकनवा बाजार तक मार्ग तथा मनोरमा नदी पर पक्के पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	112
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के सदस्यों के नाम-निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	112
बांदा जनपद में मसौली पम्प कैनाल योजना के अधूरे निर्माण से सैकड़ों एकड़ भूमि बर्बाद होने के सम्बन्ध में रायबरेली जिले के एक सम्भ्रान्त परिवार के सदस्यों तथा अन्य निर्दोष नागरिकों को पुलिस द्वारा जेल में बन्द किये जाने के सम्बन्ध में तथा नाका पुलिस, लखनऊ द्वारा फर्जी मुठभेड़ दिखा कर श्री अजीत सिंह उर्फ मुन्ना की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में दिये जाने वाले वक्तव्यों को स्थगित किये जाने की सूचना	112

विधानसभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 24 अगस्त, 1985 ई0

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 10 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :

अकबर हुसैन बावर, श्री (फैजाबाद)
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री (मेरठ)
अमिताभ लवानियां, श्री (आगरा)
कुदेसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री (सीतापुर)
जगदीश नरायन, श्री (हमीरपुर)
जय नरायण शर्मा, श्री (मेरठ)
तिलक सिंह, श्री (अलीगढ़)
दीपक कुमार , श्री (मुजफ्फरनगर)
नरेन्द्र सिंह, कुंवर (सहारनपुर)
नरेन्द्र सिंह, चौधरी (कानपुर)
नारायण हरि शर्मा, श्री (अलीगढ़)
फसीउर्रहमान, (उर्फ मुन्नन खां), श्री (गोंडा)
बालेश्वर, श्री (देवरिया)
भगवती प्रसाद, चौधरी (मिर्जापुर)
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
महाबीर सिंह राणा, श्री (सहारनपुर)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मुस्तमन्द अली खां, श्री (मथुरा)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री (मुरादाबाद)
रजनीकान्त, श्री (वाराणसी)
राजीव कुमार सिंह, श्री (बाराबंकी)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
रीना कुमारी, श्रीमती (मुरादाबाद)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राणा, श्री (आगरा)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री (गोरखपुर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
संजय सिंह, राजकुमार (सुल्तानपुर)
सखावत हुसैन, श्री (गाजियाबाद)
समरपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गढ़वाल)
हर नारायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)

नोट:--श्री अरुण कुमार सिंह, सहकारिता मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति 1985–86 का बाइसवां प्रतिवेदन†

*श्री गोपाल राम दास––

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से तथा सभापति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (1985–86) का बाइसवां प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश शासन के कतिपय विभागों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित समिति के षष्टम् प्रतिवदन में की गयी संस्तुतियों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं ।

जनपद बांदा के नरैनी नगर में राजकीय बालिका हाई स्कूल को खोलने, चीनी मिल स्थापित करने, करतल कस्बे में राजकीय हाई स्कूल खोलने तथा कालिंजर किले को पर्यटक-स्थल घोषित किये जाने एवं पर्यटक विश्राम गृह बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिकायें‡

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा––

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से जनपद बांदा के नरैनी नगर में राजकीय बालिका हाई स्कूल खोलने विषयक श्री राम किशोर आदि, निवासीगण, जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से जनपद बांदा के नरैनी नगर में चीनी मिल स्थापित करने विषयक श्री सूर्यपाल सिंह आदि, निवासीगण, जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से जनपद बांदा के करतल कस्बे में राजकीय हाई स्कूल खोलने विषयक श्री बृज गोपाल पटेल आदि, निवासीगण, करतल, जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से जनपद बांदा स्थित कालिन्जर किले को पर्यटक-स्थल घोषित किये जाने एवं पर्यटक विश्राम-गृह बनाये जाने विषयक श्री बद्री प्रसाद प्रधान एवं श्री सुलेमान खां, निवासीगण, जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद लखनऊ में फतेहगंज––नारायनपुर रोड को पेन्ट कराये जाने तथा इसी रोड पर खुर्दमपुर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका†

श्री शारदा प्रताप––

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ में फतेहगंज-नारायनपुर रोड को पेन्ट कराये जाने तथा इसी रोड पर खुर्दमपुर पुल बनाये जाने विषयक श्री लड्डन खां तथा श्री पाचू लाल चौधरी, निवासीगण, जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

सैनिक स्कूल, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के लिये सदन के सदस्यों की समिति बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष के निर्देश का शासन द्वारा क्रियान्वयन न कर अधिकारियों की समिति बनाये जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न की सूचना

†छापा नहीं गया ।

‡छापी नहीं गयी ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†छापी नहीं गयी

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । आदरणीय सदन में इसके पहले भी सैनिक स्कूल के सम्बन्ध में नियम 51 में बात आई थी, माननीय गुप्ता जी ने भी कहा था । उसमें 3 आदमियों की समिति बनायी गयी थी, सदन के तीन सदस्यों की समिति बनाने का निर्देश था, लकिन सरकार ने 3 अधिकारियों की समिति बना दी । इस मामले की 2 आई0 ए0 एस0 अधिकारी जांच कर चुके हैं और जांच करने के बाद इसे आदरणीय सदन में लाना पड़ा । मान्यवर, कल आपने कहा, माननीय गुप्ता जी ने फिर विशेषाधिकार की नोटिस दी, आपने कहा हम विचार कर रहे हैं, बड़ी कृपा आपकी है । लेकिन 3 अधिकारियों की समिति है, वहां पर कार्य कर रही है, वह जांच कर रही है । एक तरफ तो आपने आश्वासन दिया कि हम परीक्षण कर रहे हैं, दूसरी तरफ जांच भी शुरू है तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । जब तक आप अपनी व्यवस्था न दें, माननीय गुप्ता जी के विशेषाधिकार की, तब तक जांच को रुकवा दें ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैंने विशेषाधिकार की सूचना आपको दी थी । जैसा कि माननीय ओझा जी ने संदर्भित किया कि सैनिक स्कूल में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में पूर्व अध्यक्ष जी ने 3 आदरणीय सदस्यों की एक समिति बनाने के निर्देश दिये थे । और इस नयी विधान सभा में औचित्य का प्रश्न उठाया था । आपने कृपा पूर्वक पूर्व अध्यक्षों द्वारा दिये गये निर्णयों के आधार पर तीन विधान सभा सदस्यों के नाम निर्देशित कर दिये । मुझे खेद है कि शासन ने माननीय अध्यक्ष के निर्देशों का पालन नहीं किया, पिछली सरकार ने पालन नहीं किया और वर्तमान सरकार ने भी उसका पालन नहीं किया । उस समय के अध्यक्ष श्री धर्म सिंह जी ने निर्देशित किया था, लेकिन राज्य मंत्री श्रीमती सुनीता चौहान ने पत्रावली पर लिख दिया कि इस पर सदस्यों की समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है । मान्यवर, यह सदन के अधिकारों पर अतिक्रमण है और माननीय अध्यक्ष के निर्देशों की अवहेलना है । आपने इस को निर्देशित किया, श्री सिब्ते रजी ने तीन अधिकारियों की समिति बना दी, उनके विशेष सचिव ने मुझ गवाह के रूप में बुलाया, तब मुझे इसकी जानकारी हुई कि कमेटी बना दी गयी है और मैंने वहां पर जाने से मना कर दिया । कल मैंने आपको विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है । मान्यवर, आपके निर्देश सदन के निर्देश हैं आपके निर्देशों की अवहेलना सदन की अवहेलना है, अवमानना है ।

मान्यवर, संविधान में विशेषाधिकार डिफाइन नहीं है, इसलिये हाउस आफ कामन्स में जो परम्परा है, उसी को आधार मान कर चलते हैं । वहां पर इस प्रकार के विशेषाधिकार सदन को प्राप्त हैं, अगर कोई सदन के निर्देशों का पालन नहीं करता है, अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो सदन की अवमानना होती है और विशेषाधिकार बन जाता है । मान्यवर, मैंने सूचना दी थी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी इस पर व्यवस्था दें और इस प्रश्न को, इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दें, मैंने शिक्षा मंत्री जी को भी उसकी एक प्रति दी है, अगर शिक्षा मंत्री जी को कुछ कहना होता तो वह कहते और उनका जवाब आ जाता । मैंने मान्यवर, इसको कल भी उठाने का प्रयास किया था, शिक्षा मंत्री जी को यह सूचना मिल गयी होगी, आपके टोकने के बावजूद भी कुछ अंश कार्यवाही में आ गया था । शिक्षा मंत्री जी उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो आपके निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं, इसलिये मैंने विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी, आप इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष--

आपने विशेषाधिकार की सूचना दी है, उस पर मैं अपना निर्णय दूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, जब आप उसका परीक्षण करा रहे हैं, तब तक उस समिति की कार्यवाही को रोक दें। यह आपके आदेशों की अवहेलना है, इसलिये आप इसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दें लेकिन इस बीच उसने कार्य करना शुरू कर दिया है, तो जब तक आपके निर्देश न प्राप्त हो जाय, तब तक जो तीन आदमियों की कमेटी बनी है, उसके कार्य को रोक दें।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, जो शासन के प्रभारी हैं, जो इस जांच से प्रभावित होंगे, वही इस समिति के सदस्य बनाये गये हैं, तो उस जांच समिति से न्याय की आशा करना मुमकिन नहीं है। मैं जानता हूं कि शासन आपकी बात को नहीं मानेगा, हम आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिये पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। आप निर्देशित करें कि उस कमेटी द्वारा जांच बन्द कर दी जाये। कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी उस समय आपके निर्णय का कोई प्रभाव नहीं होगा। 16 तारीख को बुलाया था और मैंने वहां पर जाना उचित नहीं समझा। इसकी आयुक्त और विशेष सचिव जांच कर चुके हैं और उन्होंने यहां पर भ्रष्टाचार पाया है। यह प्रदेश का सैनिक स्कूल है, और यहां पर बच्चों को सैनिक परीक्षाओं में जाने की तैयारी करायी जाती है, आप इस विद्यालय को बरबाद होने से बचा दें।

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आपको भी इसी विषय पर कहना है?

श्री मैनेजर सिंह—

जी हां। श्रीमन, मैं यह नहीं कहना चाहता कि वहां पर भ्रष्टाचार है या सदाचार है लेकिन मैं यह कहना अवश्य चाहता हूं कि जब आपकी आदरणीय पीठ से कोई घोषणा होती है तो उसका अनुपालन शासन को करना चाहिए और शासन से आपको अनुपालन कराना चाहिए। यदि अनुपालन नहीं होता तो उससे इस आदरणीय सदन की अवमानना होती है और आपकी भी अवमानना होती है। इसलिए आप जागरूक हो जायं और शासन को निर्देशित करें कि सदन में आपके द्वारा जो घोषणाएं होंगी उनको शासन क्रियान्वित करे। अन्यथा इससे सदन में असन्तोष फैलता है। यहां पर जो कुछ भी आपकी पीठ से कहा जाता है, जो कुछ भी मन्त्री आश्वासन देते हैं उसका कोई असर नहीं होता है और अधिकारी उसे क्रियान्वित नहीं होने देते हैं। इससे आपकी भी और सरकार की भी प्रतिष्ठा गिरती है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इस सिलसिले में एक बैठक की थी जिसमें माननीय शिक्षा मन्त्री और माननीय राजेन्द्र गुप्त जी भी थे। दुर्भाग्य से उस दिन ओझा जी नहीं थे। अब चूंकि विशेषाधिकार की सूचना माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने दी है मैं शीघ्र ही इस पर निर्णय दे दूंगा।

तत्कालीन उर्जा मन्त्री श्री ब्रह्मदत्त के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री सत्यपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा ने वर्ष 1984 के प्रथम सत्र के पांचवें मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 77 का गलत उत्तर देने के सम्बन्ध में तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री श्री ब्रह्मदत्त के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमान के प्रश्न की सूचना 25 जुलाई, 1985 को दी है। विचारोपरान्त मैंने इस सूचना को निम्नलिखित कारणों से अग्राह्य कर दिया है—

(1) विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 65 (1) के अन्तर्गत प्रश्न हाल में ही घटित किसी निश्चित विषय तक निर्बद्ध होना चाहिए जब कि माननीय श्री सत्यपाल सिंह द्वारा अभिसूचित प्रश्न की सूचना प्रश्नोत्तर के दिनांक से लगभग 16 माह बाद दी गई है, अतः यह अत्यधिक विलम्बित है।

(2) अपनी सूचना में माननीय सदस्य ने स्वीकार किया है कि उक्त प्रश्न के उत्तर की तिथि को संदर्भित अभियन्ता अटैच पोस्ट पर थे और इस सूचना में उक्त अधिकारी की पोस्टिंग के बारे में जो उद्धरण अंग्रेजी भाषा में दिया गया है उसमें शब्द "मैं" का प्रयोग किया गया है, शब्द "शेल" का नहीं। अतः सदन में दिया गया उत्तर जानबूझकर सदन को गुमराह करने के आशय से दिया गया प्रतीत नहीं होता है।

(3) विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना माननीय श्री ब्रह्म दत्त, तत्कालीन उर्जा मन्त्री के विरुद्ध है जिन्होंने उक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 77 का उत्तर दिनांक 13 मार्च, 1984 को दिया था। विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दिए जाने के दिन अर्थात दिनांक 25 जुलाई, 1985 को श्री ब्रह्म दत्त इस सदन के सदस्य नहीं थ, वरन वे लोक सभा के सदस्य हैं। यह मामला इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इसे उक्त नियमावली के नियम 79 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को निर्दिष्ट किया जाय।

रामपुर रजा लाइब्रेरी में चोरी होने के सम्बन्ध में दिए गए कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

एक प्रश्न कल माननीय आजम खां साहब ने उठाया था। कल दिनांक 23 अगस्त, 1985 को श्री मुहम्मद आजम खां ने नियम 56 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी, जो रामपुर रजा लाइब्रेरी के सम्बन्ध में थी। इस सम्बन्ध में पार्लियामेन्ट द्वारा पारित "रामपुर रजा लाइब्रेरी अधिनियम, 1975" मने देखा है, जिससे निम्नलिखित बातें स्पष्ट हैं :—

(1) अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत इसे राष्ट्रीय संस्था घोषित किया गया है।

(2) यह केन्द्रीय कानून द्वारा संचालित है तथा केन्द्र सरकार ही उसे अनुदान देती है।

(3) श्री राज्यपाल इस संस्था के चेयरमैन हैं और उनके आचरण पर इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती। उपरोक्त परिस्थितियों में नियम 56 की उपरोक्त सूचना अग्राह्य करता हूं।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, आपने उपाध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में आदेश किया था उसकी घोषणा नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि 2 तारीख को घोषणा हो जायगी।

1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या 17—गोपन विभाग, अनुदान संख्या 25—नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36—प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 45—लोक सेवा आयोग, अनुदान संख्या 64—सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69—सामान्य प्रशासन विभाग तथा अनुदान संख्या 70—सार्वजनिक उद्यम विभाग (क्रमागत)†

श्रीमती शशि शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट का भरपूर समर्थन करती हूं और विपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं। मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी को बधाई देती हूं कि बड़ी सतर्कता और सावधानी से इस विभाग को चला रहे हैं। आज हमारे

† दिनांक 23 अगस्त, 1985 की कार्यवाही से।

यहां कोई ला-ऐंड आर्डर की समस्या नहीं है। पिछले एक, डेढ़ साल में काफी शान्ति रही और कोई ऐसी घटना नहीं घटी है और प्रदेश में सारे काम सुचारु रूप से हो रहे हैं। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी को बधाई देना चाहती हूं। आज सारे संसार में क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए इस विषम प्रदेश में जिस तत्परता और ईमानदारी से अधिकारियों ने काम किया है उसके लिए भी मैं उनको बधाई देती हूं। उन्होंने एक अच्छी परम्परा मेनटेन करने की कोशिश की है और आशा है आगे भी बनाए रखेंगे। जो थोड़ी कमियां हैं उनके लिए सुझाव देना चाहती हूं।

मैं फाजिलनगर, देवरिया से आती हूं और हमारा क्षेत्र बिहार के बार्डर में पड़ता है। वहां पर कुछ जंगल पार्टी का आतंक पड़ता है। हमारे प्रदेश में पी0 ए0 सी0 और पुलिस के सारे ट्रेनिंग सेन्टर पश्चिम में हैं, मुरादाबाद या सीतापुर में हैं। मेरा अनुरोध है कि यह जो पी0 टी0 सी0 और ए0 टी0 सी0 सेन्टर हैं सीतापुर और मुरादाबाद में हैं इसी तरह के सेन्टर हमारे यहां भी खोले जायं। हमारे यहां के लिए कोई फैक्ट्री भी नहीं दी गई है। इसलिए मैं अनुरोध करुंगी माननीय मुख्यमन्त्री जी से कि पी0 ए0 सी0 ट्रेनिंग सेन्टर हमारे यहां खोलने की कृपा करें।

एक और अनुरोध करुंगी कि जो सी0 आई0 डी0 की जांच होती है उसमें अधिकतर मामले पुलिस विभाग के बारे में होते हैं। 90 परसेन्ट मामले पुलिस विभाग के बारे में होते हैं। मैं चाहूंगी कि अन्य विभागों के जैसे सिंचाई और नगरमहापालिका या दूसरे विभागों में जो गड़बड़ियां होती हैं उनकी भी जांच हो। इसके अलावा जो भी जांच हो उसकी रिपोर्ट जल्दी हो क्योंकि जब कार्यवाही में देरी होती है तो अशान्ति बढ़ती है और उससे भ्रष्टाचार पनपता है। आपको भगवान ने पूरी क्षमता दी है। अगर किसी अधिकारी के अधिकार ले लिए जाते हैं तो उनको भय बना रहता है इसलिए कार्यवाही जल्दी हो ताकि भ्रष्टाचार कम हो और जनता की सच्ची सेवा हो सके। जो जिले की समस्यायें हैं उनका निराकरण जिला स्तर पर हो जाय तो लोगों को यहां आने की जरुरत न पड़े। पुलिस को वेल-इक्यूप्ड किया जाय, उसको वायरलेस और कम्प्यूटर सेट मिलें और पुलिस दल को आधुनिक अस्त्र दिए जांय। माननीय मुख्यमन्त्री जी ने एश्योर किया है कि पुलिस जनों को आधुनिक टेक्निक पर ट्रेन्ड कर रहे हैं। आपने इस विभाग में प्रमोशन भी काफी किए हैं लेकिन सबको तो सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता है। जितने प्रमोशन इस समय हुए हैं उतने किसी सरकार ने नहीं किए हैं।

मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे क्षेत्र में कभी-कभी ऐसा होता है कि जो छोटे कर्मचारी होते हैं वे पथभ्रष्ट हो जाते हैं और उनसे जनता की सेवा सुचारु रूप से नहीं हो पाती है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसान एक या दो बोरा गेहूं लेकर भी जाता है तो उसे पकड़ लिया जाता है और जब हम इसकी शिकायत करते हैं तो कहीं उनको रिलीफ मिलता है।

श्री फजलुजबारी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्या इतने अच्छे अच्छे सुझाव दे रही हैं लेकिन माननीय मुख्यमन्त्री, जिनसे यह विभाग ताल्लुक रखता है सामान्य प्रशासन, वे नहीं हैं उनको यहां होना चाहिए। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप जारी रखें।

श्रीमती शशि शर्मा—

मैं यही अनुरोध करुंगी कि जो निर्णय लिया जाय, जल्दी लिया जाय और कार्यवाही भी जल्दी की जाए। इस विभाग में बहुत देर होती है कार्यवाही होने में। इसके साथ उनको स्वतन्त्र निर्णय लेना चाहिए, ताकि लाल फीताशाही, जो करप्शन का एक बहुत बड़ा कारण है, में कमी आए। लालफीताशाही ही करप्शन बढ़ने की एक बड़ी वजह है। जिससे जनता की परेशानियां दूर नहीं होती

है। मैं इसके साथ पुनः धन्यवाद देती हूं आपको और इसका भरपूर मैं समर्थन करती हूं और आप बधाई के पात्र हैं कि इतने बड़े प्रदेश की बागडोर इनके हाथ में है और वह उसे इतनी खूबी से चला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्यगण के लिए 5 मिनट और...

श्री मैनेजर सिंह--

5 नहीं 10 मिनट का समय रखिए।

श्री अध्यक्ष--

नेतागण और मन्त्रिगण के लिए 20 मिनट का समय निर्धारित है, और नेता सदन और नेता विरोधी दल के लिए समय की कोई पाबन्दी नहीं है। बस आप लोग समय का ध्यान रखिए:....

(व्यवधान)

सब तरफ मेरी नजर है, आप बैठें....

(व्यवधान)

चार बजे तक यह आज खत्म होना है, इसका मतलब है कि नेता विरोधी दल 2 बजे शुरू करें।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, कल मुख्यमन्त्री जी ने विभिन्न विभागों के बजट रखे और उनको रखते समय उन्होंने कुछ नीतिगत बातें भी कहीं। मैंने बड़ी शान्ति के साथ, बड़े धीरज के साथ और बड़ी तन्मयता के साथ उनका भाषण सुना। मुख्यमन्त्री जी को तकलीफ है कि आज हमारे समाज में सहिष्णुता का अभाव हो गया है, लोग अपनी बात मनवाने के लिए जोर-जबरदस्ती और आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं और भ्रष्ट आचरण भी हो रहा है। इन प्रवृत्तियों के बढ़ते रहने से हमारे प्रशासन पर हमारी व्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है, इसमें मान्यवर, कोई सन्देह नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमन्त्री जी ने जिन समस्याओं की ओर इशारा किया, उनको उन्होंने सिर्फ स्पर्श भर किया। आवश्यकता तो इस बात की है कि हम उन सभी बातों पर जो इस प्रकार की प्रवृत्तियां हमारे समाज में बढ़ रही हैं, उनको बुनियादी तौर पर हम देंगे। अगर बुनियादी तौर पर हम सोचना चाहेंगे और अगर उन पर अमल हम करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि उन समस्याओं का तभी निराकरण होगा। जिन समस्याओं की ओर मुख्यमन्त्री जी ने इशारा किया है, उनसे ऐसा लगता है कि वह उनकी केवल चिकित्सीय व्यवस्था करना चाहते हैं, यानि रोग हो जाए, तो उसके उपचार की व्यवस्था कर दें। लेकिन सही मामले में हमें सोचना यह है कि रोग होने ही न पाए। यदि हम इस स्तर पर सोचेंगे और बुनियादी तौर पर इन बातों पर विचार करेंगे, तो इन समस्याओं का निराकरण हो सकता है। उसके सन्दर्भ में मुझे निवेदन यह करना है कि जो आज हमने व्यवस्था बना रखी है एक उपभोगवाद की संस्कृति की शुरुआत जो आपने कर दी है उसने सारी व्यवस्था को तोड़ कर रख दिया है। हमारे जो सारे मूल्य हैं उनको तोड़ कर रख दिया है। आज चारों तरफ उपभोगवाद जो हमारी व्यवस्था में मौजूद है उसने समाज के सारे स्तर को नीचे गिरा दिया है, हर मूल्य को नीचे गिरा दिया है। इस वक्त हम इसको नियंत्रित करने की बात सोचें, अपने समाज को अच्छी दिशा दे सकें, अपने सामान्य प्रशासन को अच्छी दिशा दे सकें यह सम्भव नहीं है। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो यह कहें कि आपकी मौजूदा व्यवस्था में देश या प्रदेश ने तरक्की नहीं की है। तरक्की की है। तरक्की के मामले में आपने चंद लोगों को इतना ऊंचा उठा दिया है कि वे किसी भी विकसित देश के बड़े से बड़े आदमी का मुकाबला कर सकने में सक्षम हैं, धन दौलत के मामले में, रहन-सहन के मामले में, खान-पान के मामले में, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

मान्यवर, मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि आपके मौजूदा नियोजन ने, मौजूदा प्लानिंग ने हमारा जो मध्यम वर्ग है उसके आकार को बढ़ा दिया है इसमें भी कोई सन्देह नहीं है। लेकिन मान्यवर, जहां यह दोनों बातें सच हैं वहीं पर यह भी सच है कि आपके नियोजन से, आपकी उपभोगवाद की

संस्कृति से हर आदमी के मन में भ्रष्ट आचरण के जरिये ही क्यों न सही आगे बढ़ने की भूख को बढ़ा दिया है। कलर टी० वी० की भूख को बढ़ा दिया है, विलासिता की सामग्री को इकठ्ठा करने की भूख को बढ़ा दिया है। जिसका नतीजा यह है कि आज हर स्तर पर जहां भी हम मौजूद हैं, अपने समाज में जिस स्तर पर हम हैं, उस उपभोगवाद की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं किसी भी ढंग से, चाहे भ्रष्ट आचरण के जरिये, रिश्वतखोरी के जरिये ही क्यों न हो हम इन सारी विलासिता की चीजों को इकट्ठा करना चाहते हैं। तो हमको सोचना पड़ेगा कि आपका नियोजन ही गलत है। आज जो उपभोगवाद की संस्कृति को चलाना चाहते हैं उससे यह स्थिति पैदा हो गयी है कि आज हमारे समाज में हर व्यक्ति इस दौड़ में किसी न किसी रास्ते से जाने के लिये तैयार हो गया है। दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि प्रदेश में दरिद्रता की जो अन्तिम सीढ़ी है, जो उसका घिनौना स्तर है उस स्तर पर भी आदमी जीने के लिये मजबूर हो गया है। इन बातों से आप इंकार नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीजों के बारे में सोचते हैं तो आपको सबसे पहले नियोजन को बदलना पड़ेगा और विलासिता और उपभोगवाद की संस्कृति जो आपने दी है अपने प्रदेश में और देश में उसको आपको खत्म करना पड़ेगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी संदर्भ में कहा था कि हम विकेन्द्रीकरण के जरिये से शासन को चुस्त बनाना चाहते हैं, मैं भी मानता हूं कि विकेन्द्रीकरण के जरिये शासन को चुस्त बनाया जा सकता है इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसीलिये मैं मांग करता हूं कि आप जिला परिषदों का गठन कीजिये। आप जिला परिषदों को सक्षम बनायें। खाली नाम के लिये नहीं बल्कि उनको अधिकार दीजिये ताकि वह अपने संसाधन बढ़ायें और अपने काम कर सकें तभी आपकी विकेन्द्रीकरण की नीति चल सकती है। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि आपने जो जिला स्तर पर नियोजन का कार्यक्रम चलाया है वह चित है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है इसका और विस्तार करना चाहिये और जिला परिषदों को सुसंगठित करना चाहिये ताकि वह अपने सारे मामलों में स्वतंत्र हो सकें और ऐसी व्यवस्था कर सकें कि जो समस्यायें उनके सामने आयें उनका वह निराकरण कर सकें। आप कहते हैं कि लाखों की तादाद में हमारे यहां दरख्वास्तें आती हैं, आप उनको जहां-तहां आवश्यक होता है, भेज देते हैं, लेकिन उस पर होता क्या है ? तो जिले पर अगर हमारी ऐसी व्यवस्था हो, जिले की जितनी समस्यायें हैं, उनका जिले पर ही निराकरण हो सके, तो अच्छा है। लेकिन आपके विकेन्द्रीकरण वाले मामले में हमें आशा नहीं है, क्योंकि 25–30 वर्ष का जो इतिहास है, वह बताता है, आप मानते भले ही रहें, लेकिन आपकी शक्ति नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है, चूंकि दिन प्रति दिन आप देखिये, जहां हम विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं, वहां पर आप यह देखें कि दिल्ली के रिस्ते हमारे कैसे हो गये ? 1952 में देखिये, उत्तर प्रदेश की सरकार चलती थी, उत्तर प्रदेश की विधान सभा चलती थी, कितनी बार चीफ मिनिस्टर दिल्ली जाते थे ? पन्त जी कितनी बार दिल्ली जाते थे ? सम्पूर्णानन्द जी कितनी बार दिल्ली जाते थे ? मैं समझता हूं कि आप उसका कारण यह कहेंगे कि आज समस्यायें इतनी बढ़ गयी हैं, आर्थिक नियोजन के सम्बन्ध इतने बढ़ गये हैं कि हमारी मजबूरियां हैं, लेकिन ये मजबूरियां किसने पैदा की ? अब माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं, तो सारी चीजों को ठीक करने के लिये, सामान्य प्रशासन को ठीक करने के लिये यह आवश्यक है कि वे देखें कि ये सारी व्यवस्थायें दिल्ली से क्यों चलें ?

आप बहुत शोर मचाते हैं, आप सभी लोग कहते हैं कि स्थायी सरकार का होना सामान्य प्रशासन के लिये बहुत जरूरी है। हम भी चाहते हैं कि हमारे संविधान में प्राविधान है कि 5 वर्ष तक एक स्थायी सरकार चले, ताकि हमारी व्यवस्था, हमारा सामान्य प्रशासन ठीक ढंग से चलता रहा। आप इस पर आरोप भी लगाते हो कि आपको

जनता पार्टी को मौका जनता ने 5 साल के लिये दिया था, ढाई साल में टूट गये, ठीक कहते हैं आप, लेकिन जहां आपको इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि जनता ने हमको 5 साल का मौका दिया था किन्तु हम ढाई साल में टूट गये, अपनी कमियों के कारण टूट गये, किन्हीं नीतियों के कारण टूट गये, लेकिन आप देखें कि पिछले पांच सालों में, बल्कि 4 साल 9 महीने में आपकी कांग्रेस सरकार तीन बार टूट गयी, कैसे टूट गयी ? इसका असर सामान्य प्रशासन पर पड़ता है । हमें इससे लेना-देना कुछ नहीं है, आप रोज टूटें, लेकिन जब आप आलोचना करके इस बात को कहते हैं तो आप अपने गिरेबान में भी जरा मुंह डाल कर देखो, देखो इस बात को कि आखिर क्यों ऐसा होता है ? जब से हम लोग यहां आये हैं, तब से यह चर्चा जोरों पर है, आज भी यह चर्चा जारी है, हम यह भी मानते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वे कानूनों में बंधे हैं । कोई अधिकारी हो, वह अपनी मर्यादाओं से बंधा होता है, लेकिन हर आदमी मनुष्य तो है, इसलिये उस पर इन बातों का भी असर होगा ।

सामान्य प्रशासन पर जो सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, इसमें जरा आप अपनी शिक्षा का स्तर देखिये ? आपकी शिक्षा का स्तर क्या हो गया ? मैं माननीय मुख्य मुख्य मंत्री से कहना चाहूंगा कि आप इस बात को स्वीकार करें कि आज कक्षा 8 का विद्यार्थी जो बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूल से पढ़ कर आता है वह सिवाए अपने दस्तखत करने के और कुछ नहीं जानता है । इन्हीं में से आपको लोगों को निकालना है, जो प्रशासन में रहेंगे, जो पुलिस में रहेंगे, तो आप अपने स्तर को सुधारिए, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि यह स्तर सुधर नहीं सकता है, जब तक आप सुनिश्चित नीति नहीं बनाते, क्योंकि देश में, जब तक यह नहीं होगा कि बड़े लोगों के और आम लोगों के बच्चे एक ही स्कूल में, एक जैसे स्कूल में पढ़ें, तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता है । आज बच्चे अलग-अलग स्कूलों में पढ़ते हैं । बड़े-बड़े लोगों के बच्चे नैनीताल और देहरादून में पढ़ते हैं, पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं और आम आदमी के बच्चे वहां पढ़ते हैं जहां टाट-पट्टी भी नहीं होती है, तो कैसे सुधार हो सकता है । इस संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगा कि आज से सदियों पूर्व हमारे बुजुर्गों ने एक गल्ती की जिस गल्ती का खामियाजा हम भुगत रहे हैं और हम भुगतने के लिये तैयार हैं । हमारे बुजुर्गों ने गल्ती की कि हिन्दुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को शिक्षा से काट दिया । नतीजा यह हुआ कि वह समुदाय लगातार पिछड़ते गए और आज फिर हम वही काम करने जा रहे हैं ।

मैं आपसे कहना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि आज से 10 साल बाद अपने प्रदेश और देश में सिर्फ अनुसूचित जाति और पिछड़े लोगों को ही नहीं बल्कि ब्राह्मण और क्षत्रियों को भी 90 फीसदी आरक्षण देना होगा, क्योंकि 90 फीसदी लोग जो पब्लिक स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं वह पिछड़ते जायेंगे, जो पब्लिक स्कूलों में बच्चे पढ़ कर आते हैं उनके साथ कम्पटीशन में वह नहीं टिक पायेंगे फिर यह सवाल पैदा होगा कि 90 फीसदी लोग जो पिछड़े हुए हैं इनको, आरक्षण दो । अगर आप सुधार करना चाहते हैं, प्रशासन सही रखना चाहते हैं, तो आपको निश्चित करना होगा कि प्रदेश में ऐसे स्कूल हों जिनमें सबके बच्चे एक साथ पढ़ें । मैं नहीं कहता, आप बहुत आगे बढ़िए, लेकिन आप चलिए तो सही, आप प्राथमिक पाठशालाओं से ही शुरू कीजिए । आप कमरे के एक कोने से झाड़ू लगाना शुरू करिए । प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ बातें और कहना चाहता हूं ।

आरक्षण के मामले में हम लोग जिन लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हों, उनको फायदा नहीं मिल रहा है, आप पाबन्दी लगा दीजिए कि अनुसूचित जातियों में जो एक बार गजटेड अफसर हो गया, जो इनकम टैक्स देता है, पांच साल से इनकम टैक्स देता है या पांच साल से असेम्बली का मेम्बर है, पांच साल से पार्लियामेन्ट का मेम्बर है या पांच साल से मंत्री है, इन लोगों के परिवारों को

कोई आरक्षण न मिले। मैं कोटा कम करने का बात नहीं कहना चाहता हूं। आप 18 से 20 प्रतिशत कर दीजिए, मैं तो यह इसलिये कहना चाहता हूं कि उस वर्ग में भी एसा वर्ग पैदा हो गया है जो आरक्षण की सारी सुविधायें अपने में समेट कर रखना चाहता है

मान्यवर, लोक सेवा आयोग की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने की। मैं इसका स्वागत करता हूं, उन्होंने कहा कि सबार्डिनेट सर्विसेज के लिये अलग आयोग का गठन करने का फैसला किया है, बड़ा बोझ था, बोझ हल्का होगा। लेकिन मान्यवर, इसी सन्दर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो उन्होंने परिवर्तन किया है, परीक्षा नियंत्रक की उत्पत्ति की है, पद का सृजन किया है। परीक्षा नियंत्रक आयोग में स्थायी होगा। प्रश्न कौन बनाये, परीक्षा कौन ले, कापियां कौन जांचे इसका फैसला परीक्षा नियंत्रक करेगा। माननीय मुख्य-मंत्री जी ने बताया कि हम जो संशोधन ले आये हैं, उससे लोक सेवा आयोग की समस्या हल होगी, मेरा कहना है कि उससे लोक सेवा आयोग की समस्या बढ़ेगी। आपने ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया इस संशोधन अधिनियम के जरिये से जो परीक्षा पर पूरी तरह से नियंत्रण करेगा और सारी शक्तियां उसके हाथ में केन्द्रित रहेंगी। इस पर आप विचार करें, इस प्रकार से यह बात नहीं होनी चाहिये। इसी के साथ में जो और बातें यहां होती हैं, उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आरक्षण के बारे में माननीय मुख्य-मंत्री जी देखने की कृपा करें, वार्षिक प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन को, इसके पेज 5 पर नम्बर 13 में। शासनादेश संख्या 22/39/82-का० 2, दिनांक 17 मई, 1984 द्वारा यह स्पष्ट किया कि (क) यदि अनुसूचित जाति/जनजाति की कोई महिला किसी सवर्ण पुरुष से विवाह करती है तो उसे विवाह के पश्चात् भी आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा, (ख) यदि कोई सवर्ण महिला अनुसूचित जाति/जनजाति के पुरुष से विवाह करती है तो उसे आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। जरा विचार करें।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री कौशिक रमा शंकर—

हमको केवल 12 मिनट हुए हैं। 10.25 पर मैंने बोलना शुरू किया।

श्री अध्यक्ष—

अब आप घड़ी देखें।

श्री कौशिक रमा शंकर—

सदस्यगण भी सुनना चाहते हैं। इनका भी लाभ है। मैं कहना चाहता हूं कि कार्मिक विभाग के इस शासनादेश को देखने की कृपा करें। किस मानसिकता का यह परिचायक है। अगर अनुसूचित जाति की लड़की शादी सवर्ण से करेगी तो आरक्षण सुविधायें अनुमन्य होंगी और यदि सवर्ण लड़की अनुसूचित जाति से शादी करेगी तो सुविधायें अनुमन्य न होंगी। मुझे इसमें एतराज नहीं है कि हरिजन लड़की जब सवर्ण से शादी करती है तो उसको आरक्षण का लाभ मिलता है, उसे मिले। एतराज इस बात का है कि सवर्ण लड़की जब अनुसूचित जाति से शादी करती है, जाति के बन्धन को तोड़कर, सारे कष्टों को उठाकर अनुसूचित जाति से शादी करती है, तो उसे अनुमन्य नहीं है। मेरा निवेदन है कि इन सारी बातों को कृपा करके देखिये। इन विसंगतियों को दूर करें। वैसे तो उसे और अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिये, लेकिन यदि और न दें तो जो सुविधायें हैं, उतनी भी उसको मिले तो चलेगा। एक बात मैं तदर्थ नियुक्तियों के सम्बन्ध में जो धांधली हो रही है उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। कार्मिक अनुभाग का शासनादेश है कि कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं की जायेगी लेकिन मैं कहना चाहता हूं तदर्थ नियुक्तियां धड़ल्ले से हो रही हैं। जो इस सम्बन्ध में नियम हैं, जो धारायें हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। कल बिजली विभाग का एक सवाल आया था, सिंचाई के मामले में एक सवाल आया था। तदर्थ नियुक्ति के जरिये से ऐसा आचरण हो रहा है कि शासनादेश को ताक पर रख दिया जाता है। मान्यवर, मैं उनमें से नहीं हूं जो यह कहते हैं कि हर आदमी भ्रष्टाचारी है, मैं यह नहीं कहता हूं, लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं·····

श्री अध्यक्ष--

श्री कौशिक जी आप अब बैठें, काफी वक्त हो गया है आपको बोलते हुए, कृपया बैठें।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, दो मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी पुलिस प्रशिक्षण के सम्बन्ध में सिंघल कमेटी बनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं सिंघल साहब को भी अच्छी तरह से जानता हूं, वह बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन मान्यवर पुलिस प्रशासन में जो प्रशिक्षण का काम हो रहा है, वह ठीक नहीं है। यह कैसे सम्भव हो सकता है कि 9-10 माह की ट्रेनिंग में या डेढ़ साल की ट्रेनिंग में आप एक अच्छा नागरिक बना लेंगे और अपने कर्त्तव्यों का सही रूप में पालन करने वाला बना लेंगे, यह संभव नहीं है। आप सिंघल कमेटी बनायें, इसका बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन आपने जो यह धारणा बना ली है कि पी0 टी0 सी0 में उस अधिकारी का ही ट्रांसफर किया जाता है, जिसे अयोग्य समझा जाता है या जिनसे आप नाराज होते हैं, मान्यवर, इस दृष्टिकोण को आपको बदलना होगा और इसके लिए मैं यह मांग करता हूं जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस विभाग में प्रशिक्षण की बहुत कमी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कैडर अलग बना दिया जाए। सी0 आई0 डी0 कैडर अलग बना दिया जाए वरना होता यह है कि जिनसे आप नाराज हैं, उनको पी0 टी0 सी0 में भेज देते हैं या सी0 आई0 डी0 में।

श्री अध्यक्ष--

माननीय कौशिक जी, अब आप कृपया बैठें, बहुत समय हो गया।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, आप कृपया अपनी इस खतरे की घंटी को बंद कर दें, मैं कुछ आंकड़े देकर अपनी बात को एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, वर्ष, 1974-75 के बजट का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर 13.19 परसेंट खर्च हुआ था। वर्ष 1977-78 में (जब हमारी सरकार थी, जनता पार्टी) बजट का 11.08 परसेंट, 1980-81 में 13 परसेंट 1982-83 में 14 परसेंट और वर्ष 1985-86 में 18 परसेंट। इस तरह मान्यवर, सामान्य प्रशासन पर हमारे प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर 100 रु0 प्रति वर्ष खर्च हो रहा है इस प्रकार से एक हजार करोड़ रुपया इस पर खर्च हो रहा है, ऐसे प्रदेश में जहां के लोगों को सही तौर पर रोजी रोटी न मिलती हो और जहां के 50 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हों, वहां पर इस प्रकार इतना रुपया सामान्य प्रशासन पर खर्च हो, यह उचित नहीं है।

*श्री सैयद अली अशरफ--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बजट चर्चा पर बोलने का अवसर दिया और मान्यवर, जहां तक बजट का सवाल है, नीतियों का सवाल है और योजनाओं का सवाल है तथा जहां तक हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं का सवाल है, इस सिलसिले में मान्यवर, अभी तक कोई ऐसे सुझाव नहीं आए, यदि कोई ऐसे रचनात्मक सुधार के सुझाव आते, तो उनका अवश्य स्वागत किया जाता। मान्यवर, आज जो मेन मुद्दा है वह यह है कि हम अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे प्रभावी बनाएं। मान्यवर, कोई भी योजना या किसी भी प्रकार के कदम को हम उठाएं उसमें बराबर इस बात को देखना जरूरी है कि इस योजना का सही रूप में क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, अगर क्रियान्वयन सही होगा तो रेजल्ट सही आयेगा और ऐसा कर पाना तभी संभव हो सकता है जब प्रदेश में हर जगह शान्ति हो और इसको कायम करने की जिम्मेदारी किसकी है चाहे इधर के बैठने वाले माननीय विधायक हों या उधर के, हम सबका दायित्व है। एक नेशनल कैरेक्टर को बनायें ताकि हम सही तरीके से अपनी नीतियों का कार्यान्वयन करवा सकें। एक अच्छे प्रशासन के लिए कोई राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कोई जाति का आधार नहीं होना चाहिए, क्योंकि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि जाति के आधार पर होना चाहिए अगर प्रशासन में हम जाति के आधार पर कोई प्रशासनिक व्यवस्था को बनाते हैं तो क्या वह प्रशासनिक व्यवस्था सही तौर पर अपने उस उत्तरदायित्व को पूरा कर सकती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था को अगर राजनीति से मुक्त रखने का सवाल हो तो उसे जाति के आधार पर नहीं रखना चाहिए ।

इस देश की आजादी के बाद जनता ने सारी शक्ति अपने जन-प्रतिनिधियों के हाथ में दे दी और इसे ठीक तरह से चलानेके लिए सिविल सर्विस की स्थापना की थी ताकि मेरिट और दक्षता के हिसाब से लोग प्रशासनिक व्यवस्था के अन्दर आ सकें लेकिन उसके साथ देश की स्वतंत्रता के बाद जनता ने जन प्रतिनिधियों को सारी शक्ति उनके हाथ में दे दी और वहीं एक स्थाई सर्विस की स्थापना की, सिविल सर्विस की स्थापना की, पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की । प्रशासनिक व्यवस्था के जो अंग हैं वह अपने हिसाब से काम करते हैं । हम यह जानते हैं कि कोई प्रशासन गलत नहीं है, हमने कहीं से आयात नहीं किया है । यह हमारे अपने देश का प्रशासन है । कमी है हममें, आपमें, सब में और हम जो भी हैं उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी है । प्रशासनिक व्यवस्था का बैरोमीटर जातिगत आधार पर, दलगत आधार पर नहीं हो सकता । प्रशासनिक व्यवस्था का बैरोमीटर देश की जनता के हाथ में है, प्रदेश की जनता के हाथ में है और वह देखना चाहती है कि कोई भी कार्यक्रम आप सफल बनायें । जनता उसका नतीजा देखना चाहती है और यही बैरोमीटर है प्रशासन का । हमें आशा है कि हमारा प्रशासन चल भी रहा है ठीक ढंग से । इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात है डिले, विलम्ब । अगर हम इस डिले को, विलम्ब को जो हमारे भ्रष्टाचार की जड़ बन जाया करती है, इसको हमें दूर करना है और हम अपने प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहेंगे कि आज ऐसे कार्यक्रम बनाये जायें जो निश्चित समय के भीतर एक निश्चित कार्यक्रम तैयार करें जिसके लिए हम उन्हें बधाई के पात्र समझेंगे । इस देश के युवा प्रधानमंत्री ने एक आवाहन किया है देश को स्वच्छ प्रशासन देने के लिए, उस स्वच्छ प्रशासन के लिए जरूरी है कि हम इस बात का दृढ़ निश्चय करें कि हम हर तरह की अनियमितताओं को दूर करें । इसके लिए आप डिटरमिनेशन कीजिये, दृढ़ निश्चय कीजिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश का प्रशासन लुंज-पुंज हो गया है । प्रशासन और मंत्रि-परिषद् की कोई पकड़ आज प्रशासन पर नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी आज नहीं हैं उन्होंने अपने पास दर्जनों विभाग रख छोड़े हैं । मैं उनकी निष्ठा, कर्त्तव्यपरायणता पर कोई शंका नहीं करता लेकिन आखिर वह भी मानव हैं और यह संभव नहीं है कि वे 20-20 विभागों का संचालन कर सकें इसलिए उत्तर प्रदेश शासन का प्रशासन से अंकुश उठ गया है ।

श्रीमन्, आज कुछ ऐसे सचिव हैं जो विभाग अच्छे माने जाते हैं, रुपये-पैसे की दृष्टि से, रिश्वत की दृष्टि से, उन्हीं विभागों में घूम फिर करके चले जाते हैं । कोई न कोई तिकड़म करके चले जाते हैं, ऐसे सचिवों को हटाया जाय । यदि सरकार उन्हें काबिल समझती है तो उन्हें दिल्ली भेज दे । वहां वे अपनी काबिलियत दिखलावें । मंत्रियों की मांगों के अनुसार सचिव और उप सचिव नहीं रखे जाते हैं । मंत्री असहाय की स्थिति में हैं । इस लिये भी प्रशासन लुंज-पुंज हो गया है । श्रीमन्, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है । आपके 75 प्रतिशत आई0 ए0एस0 अधिकारी भ्रष्ट हैं । सुब्रहमण्यम का धान घोटाला इसका प्रमाण है । वह बहुत बड़ा भ्रष्ट अधिकारी है । श्रीमन्, सुब्रहमण्यम ने धान (चावल) की रिकवरी को घटाया बिना मंत्रि-मण्डल से पूछे और वित्त विभाग से पूछे । कुल छः करोड़ का घाटा कर दिया । उस बात को सरकार स्वीकार नहीं करती है । मुझे खेद है कि प्रोफेसर वासुदेव सिंह जैसे ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति के रहते इस तरह के भ्रष्ट काम को छिपाया जा रहा है । आपके यहां जो भूरे लाल सचिव थे, उन्होंने भी इस बेईमानी में हिस्सा लिया है, और मामले पर लीपा-पोती कर दी । आपके यहां ज्यादातर आई0 ए0एस0 भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आप

पी०सी०एस० के बारे में तो कहना ही क्या है। समझते हैं कि बेइमानी उनका हक है। श्रीमन्, धुधली मिल के रिसीवर वी०बी० चतुर्वेदी रात को ट्रक में चोरी से लोहा ले जा रहे थे। उनको पकड़ा गया और थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। लेकिन कलेक्टर ने उन्हें छुड़वा दिया, बाद में जब यह मिल निगम के नियंत्रण में आयी तो फिर एक रात को ट्रक से लोहा चुरा कर ले जाते पकड़े गये। उनको पकड़कर थाने में दिया गया, लेकिन कलेक्टर ने पुनः छुड़वा दिया और पकड़ने वाले हमारे कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमा दायर करवा दिया। मान्यवर, पुलिस के बारे में हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने काफी कुछ कहा। उन्होंने डायरेक्टर जनरल श्री जे०एन० चतुर्वेदी की तारीफ की। हमने भी इसी सदन में जब वे एस०पी० और डी०आई०जी० थे उनकी प्रशंसा की थी। वह आये तो उन्हें सरकार का विश्वासपात्र नहीं माना जाता था, लेकिन कहा जाता है कि उनकी नाकाबन्दी करके उन्हें उत्तर प्रदेश महानिदेशक के महत्वपूर्ण पद पर भेजा गया है। वे कुछ करने लायक नहीं रह गये हैं। उनकी स्थिति गांधी जी के तीन बन्दरों जैसी है। महात्मा गांधी जी के आश्रम में तीन बन्दरों की मूर्ति के नीचे लिखा होता था कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। वैसे ही चतुर्वेदी जी न बुरा सुनते हैं, न देखते हैं और न बोलते हैं। चतुर्वेदी जी न डकैती के बारे में सुनना चाहते हैं, न कतल के बारे में और न बलात्कार के बारे में, न रिपोर्ट दर्ज किये जाने के बारे में सुनना चाहते हैं। वे आंख, नाक और कान बन्द करके डायरेक्टर-जनरल के पद पर विराजमान हैं।

राजनीतिक हस्तक्षेप की बात कही जाती है। शासक दल के लोग बदनाम थानेदार को राजनीतिक संरक्षण देते हैं। यदि पुलिस के अधिकारी बेईमानी का काम करते हैं तो राजनीतिक कार्यकर्ता का हक है कि उनका विरोध करें। उन्हें गलत काम से विरत रखें। मान्यवर, अधीनस्थ कर्मचारियों से अफसरों का व्यवहार ठीक नहीं है। इसी सदन में मैंने तत्कालीन मुख्य मंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी से कहा कि प्रदेश के अधिकारियों के व्यवहार से सिपाही प्रसन्न नहीं हैं। यदि व्यवहार नहीं बदला तो क्रांति होगी। इसके बाद घटित पुलिस काण्ड के कारण पंडित जी चले गये। अफसरों का व्यवहार नीचे के लोगों से ठीक नहीं है। वे सिपाही को अपना गुलाम समझते हैं। एस० एस० पी०, लखनऊ ने यहां के 200-250 सिपाहियों को आर्म्ड फोर्स में भेज दिया है, लेकिन छः महीने से अधिक उनको आर्म्ड गार्ड में नहीं रखा जा सकता है। 8-9 महीने हो गये उनको नहीं हटाया गया। वे हाई कोर्ट में चले गये। उच्च न्यायालय ने कहा कि एस० एस० पी० को 6 माह से अधिक रखने का अधिकार नहीं है।

(इस समय 10 बज कर 59 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री प्रमोद कुमार पीठासीन हुए।)

उनको वापस सिविल पुलिस में किया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि आज तक उन सिपाहियों को वापस नहीं किया गया है। यह मनमानी है, पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों की। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस के लोगों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। आज 80 प्रतिशत पुलिस अधीक्षक बेईमान हैं। इन लोगों में से चुन चुनकर बेईमान और राजनीति लड़ाने वालों को जिलों में भेजा जाता है। हमारे जिले में आर० डी० त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक हैं। पहले वाराणसी में सिटी एस० पी० थे। वहां वाराणसी शहर में शराब में सिटी एस० पी० का हिस्सा नहीं लगता था। जब उन्होंने यह कहा कि जब कोतवाल, एस० एस० पी० सबका हिस्सा लग रहा है तो सिटी एस० पी० का हिस्सा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक हिस्सा नहीं लगेगा, शराब नहीं बिकेगी। जब उनको 40 हजार दिया गया, तब शराब बिकी। अब सिटी एस० पी० वाराणसी के यहां, जिसका पहले हिस्सा नहीं लगता था, 40 हजार रुपये चला जाता है। श्री चतुर्वेदी जी इसका पता लगवायें। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी को अगर पता न हो, तो वे भी इसकी जानकारी कर लें। यही आर० डी० त्रिपाठी जब बहराइच में था, तो वहां हिन्दू मुस्लिम दंगा हुआ था, दंगे में उनकी

भूमिका बतायी गयी थी । इसी आर0 डी0 त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक ने उनसे 4 साल पहले जो दरोगा बहराइच में किन्हीं थानों में थे, उनकी चरित्र-पंजिका में पैसा लेकर प्रविष्टि अंकित कर दिया था । उन्होंने ऐसे कार्य किया है । जब ये हमारे जिले में पंहुचे, तो मुझसे श्री चतुर्वेदी जी ने कहा था कि अच्छे अधिकारी हैं । जरा अतिवादी हैं, लेकिन अच्छे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री मैनेजर सिंह--

उन्होंने कहा कि अच्छे अधिकारी हैं, चतुर्वेदी जी पर मेरा विश्वास था, इसलिये मैंने कहा ठीक है । 3-4 महीने उन्होंने काम अच्छा किया । सारी नाजायज बसों पर प्रतिबन्ध लगा दिया । पुलिस प्रशासन में काफी सख्ती की । यह 4 महीने का जो नाटक हुआ, इसमें उन्होंने सबसे प्रशंसा प्राप्त की कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन, 4 महीने बाद ही जहां 10-12 बसें कलकत्ता बंगाल जाती थीं अब 50 बसें बंगाल में जाती हैं । एक हजार रुपये प्रति बस आर0 डी0 त्रिपाठी के पास चला जाता है । उसी आर0 डी0 त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक के सम्बन्ध में कहा जाता है कि जान-बूझकर चुनाव में कांग्रेस को वोट दिलाने के लिये बलिया भेजा गया था । अब वह काम तो चुनाव में हो गया, फिर भी वह वहां पर बना हुआ है । क्या उसे अगले चुनाव तक रखा जायेगा, रखकर भी देख लीजियेगा, नतीजा सामने ही आयेगा, जैसा कि विधान सभा के चुनाव में नतीजा आया है इसी आर0 डी0 त्रिपाठी के जमाने में मान्यवर, हमारे यहां दो कत्ल पुलिस द्वारा हुये । एक कत्ल विद्युत विभाग के एक खजांची का एक दरोगा ने बुरी तरह मारपीट कर दिया था, वह दरोगा मुअत्तल हुआ । लेकिन, फिर वह बाद में पैसा लेकर बहाल हो गया । इसी तरह से एक फौजी नायक वीरेन्द्र सिंह का कत्ल 15 जून को हुआ, जिस दरोगा ने कत्ल किया उसके विरुद्ध 302 का मुकदमा दर्ज हुआ । फिर उसमें कार्यवाही बंद की गयी । जब इसकी बाबत बलिया में असन्तोष व्याप्त हुआ, जिला बंद की नोटिस दी गयी, कलेक्टर ने मुझसे काफी अनुनय विनय किया, उस हड़ताल को वापस किया गया । एस0 पी0 ने भी लिख कर दिया कि पुलिस हिरासत में जो दरोगा लिया गया है, उस दरोगा के विरुद्ध कार्यवाही होगी, लेकिन, पैसा लेकर फिर उसे बहाल कर दिया है । यह पुलिस की हालत है । चतुर्वेदी जी के रहने न रहने से कोई लाभ नहीं है । गांधी जी के जिस तरह से तीन बन्दर थे, आज वही हालत चतुर्वेदी जी की हो गयी है । नसबंदी करके उन्हें यहां भेजा गया है । अगर न्याय करेंगे तो सत्ता पक्ष के खिलाफ जायेगा । इसलिये मूर्तिवत आकर पद पर बैठे हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य प्रशासन और अन्य बजट जो प्रस्तुत किये गये हैं, उस पर बोलने का अवसर दिया । जब सामान्य प्रशासन का जिक्र करता हूं, तो पहला विचार मेरे मन में यह आता है कि सामान्य प्रशासन का क्या कार्य है । मेरे विचार से सामान्य प्रशासन का कार्य जो परिस्थितियां अगर थोड़ी भी असामान्य हैं, तो उनको कितनी जल्दी से सामान्य बनाया जाय । यही सामान्य प्रशासन की कसौटी है कि जल्दी ही असामान्य परिस्थितियों को सामान्य में ले आये । दूसरी तरफ अपराधी भी हैं । समाज में उनका प्रयास हमेशा रहता है कि सामान्य परिस्थितियां ज्यादा देर सामान्य न रहे, जल्दी से जल्दी लाभ उठाने के लिये परिस्थितियों को असामान्य बनाया जाय ।

श्रीमन्, मैं कल माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को सुन रहा था । नेता सदन के भाषण को सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जहां पिछले दिनों हमारे सामान्य प्रशासन ने असामान्य परिस्थितियों को सामान्य बनाने का प्रयास किया है, वहीं पर दूसरी ओर भविष्य में होने वाली असामान्य सम्भावित घटनाओं की कल्पना भी की है । जिसका एक कुशल प्रशासक की तरह हमारे मुख्य मंत्री जी

ने आंकलन किया है और उनसे निबटने के लिये नक्शा खींचा है । दूसरी तरफ माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को मैं जब सुन रहा था तो मुझे यही बात ध्यान में आई कि वे सामान्य हालत को असामान्य बनाने का बराबर प्रयास कर रहे थे । इस प्रदेश की हालत जितनी असामान्य हो जाय, तो उन्हें कोई लाभ होगा, ऐसा उनके भाषण से लग रहा था ।

मान्यवर, अपराधों की संख्या कितनी है और कितनी नहीं, इसके बारे में भी इस आदरणीय सदन में कितनी बार चर्चा हो गयी है । अगर कोई पुलिस प्रशासक ऐसा आ जाता है जो यह कहता है कि हर अपराध की रिपोर्टिंग होनी चाहिये चाहे वह झूठ ही क्यों न हो, तो उधर के बेंच से यह आवाज आयेगी की अपराधों की संख्या कितनी बढ़ गयी है । अगर अपराध के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास किया जायेगा तो उधर की बेंच से यह कहा जायेगा कि अपराधों को छिपाया गया है । मान्यवर, मैं भी इस सम्बन्ध में 1979 से आंकड़े रखना चाहता हूं कि प्रति लाख जनसंख्या पर कितनी आपराधिक घटनायें हुईं 1979 में 210 और अखिल भारतीय औसत 199, 1980 में 187, अखिल भारतीय औसत 202, 1981 में 161, अखिल भारतीय औसत 204 और 1982 में 149 प्रदेश में और अखिल भारतीय औसत 198 अपराधों का रहा है । शनैः शनैः अपराधों की संख्या घटी है । 1984 में हमारे जो डाइरेक्टर, जनरल आये उन्होंने एक बात कही, जिसे हम सब लोग स्वीकार करते हैं, कि हर अपराध की रिपोर्टिंग होनी चाहिये । न जाने कितने पुलिस इन्सपेक्टर माननीय सदस्यों के पास भी आये होंगे कि साहब हमको मुअत्तल कर दिया गया है, क्योंकि हमने टेस्ट रिपोर्ट नहीं लिखी थी ।

श्री मनेजर सिंह—

मान्यवर, माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य, कहते हैं कि विरोधी पक्ष के लोग जब रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो शिकायत करते हैं कि अपराधों की संख्या कम दिखाने के लिये रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और जब लिखी जाती है तो कहते हैं कि अपराधों की संख्या बढ़ गई है । यदि यह सही नहीं है तो मैं इन्हें आमंत्रित करता हूं ।

आज भी नहीं लिखी जाती है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप सदन में आमंत्रित नहीं कर सकते हैं, केवल व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने भी डकैती, लूट, दंगा और नकबजनी के आंकड़े दिये । मैं भी 1985 के आंकड़े दे रहा हूं कि प्रत्येक अपराध में कितनी कमी हुई है । डकैती, 9.35 प्रतिशत, लूट 3.86 प्रतिशत, दंगा 3.96 प्रतिशत और नकबजनी 11 प्रतिशत । विशेषतौर से डकैती और नकबजनी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । ये दोनों अपराध ऐसे हैं जो संगठित गिरोह द्वारा कराये जाते हैं । जो प्रोफेशनल होते हैं । इस पर नियंत्रण करना अधिक कठिन और प्रशंसनीय है । हत्या की बात कही गई । नेता विरोधी दल ने भी कहा कि हत्या एक ऐसा अपराध है, जिसे छिपाना काफी कठिन है, लेकिन हत्यायें बढ़ती जा रही हैं । इसकी तरफ भी मैं माननीय नेता विरोधी दल का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि हत्या एक ऐसा अपराध है, इसके जो कारण हैं, पुलिस प्रशासन से सम्बन्ध नहीं रखते हैं । बहुत-सी श्रीमन्, जायदाद के सम्बन्ध में होती हैं, बहुत-सी ऐसी समस्यायें होती हैं, जिसमें हत्यायें होती हैं तो श्रीमान्, मैं आखिर में एक बात कहना चाहूंगा कि सामान्य प्रशासन में इस समय हम सबसे ज्यादा चिन्तित हैं, आग्नेयास्त्रों से । इसका दुरुपयोग बढ़ता चला गया है और इसको रोकना बहुत जरूरी है । इस पर नियंत्रण कैसे किया जाय, आने वाले समय में जो उपलब्ध तकनीक है और जिसमें मुख्य मंत्री जी ने ट्राइसेम योजना में भी जिनको ट्रेनिंग देने की बात कही, वह भी ग्राम में अवैध अस्त्र बनाने में सक्षम हो जायगे तो अवैध अस्त्रों पर जो नियंत्रण करना है उसके साथ-साथ जो लाइसेन्स हैं, वैध शस्त्र हैं, वह वैध शस्त्रधारी पुलिस की सहायता करना चाहते हैं, जो उनको पुलिस

द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, लाइसेन्स के ऊपर दबाव दे कर कार्यवाही की जाती है, उसको समाप्त करना होगा ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

*श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, यह सामान्य प्रशासन का बजट है और मैं सुझाव देने के लिये खड़ा हुआ हूं । सामान्य प्रशासन वह विभाग है जिसके द्वारा इस प्रदेश का शासन संचालित होता है और सब विभागों की जड़ है । जहां से प्रशासन चलता है वह सामान्य प्रशासन है जिसमें पुलिस विभाग और तमाम उच्च अधिकारी, छोटे अधिकारी, कर्मचारी सभी सम्मिलित हैं, जिसमें चाहे विद्युत परिषद् हो या रेवेन्यू परिषद् हो, चाहे कोई निगम हो, सभी सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत आते हैं । मैं कोई ऐसी बात कहने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं । कल मैं माननीय तिवारी जी का भाषण सुन रहा था, जोश बहुत था, उन्हें गुस्सा भी कुछ आ रहा था, यह गुस्से का मैदान नहीं, यहां कोई बात सोच-समझ कर सुझाव देना चाहिये । असेम्बली में हम लोग चुन कर आते हैं अपने विचारों से शासन को प्रशस्त भाग देने के लिये, कमियों की तरफ ध्यान आकृष्ट करें और अपोजीशन की तरफ से कोई त्रुटि रहती हो तो उनकी तरफ भी ध्यान आकृष्ट करने का अधिकार शासन पक्ष का है, लेकिन कोई बटवारा जमीन-जायदाद का नहीं है । यहां जिसके लिये कुछ कहें, यह विचार देने, सुझाव देने के लिये मंच है ।

मैं आप का ध्यान एक समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं । जो कल माननीय नेता विरोधी दल ने भी ध्यान आकृष्ट किया था, जो हमारे प्रशासन की मशीनरी है, हम लोगों को छोड़ दिया जाय, राजनीतिक लोग हैं, हमारे में कमियां हो सकती हैं, शर्तें हैं, एक मर्यादा होती है कि हम लोगों के वोटर्स, सपोर्टर्स के दबाव में आ कर कुछ कह सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस प्रदेश के शासन और सरकार को चलाने के शासन-तंत्र पर है लेकिन अब कुछ दिनों से, मुझे भी थोड़ा इस प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला, मैं जानता हूं, जो हालत प्रशासन की है वैसी कभी नहीं रही । एक विभाग से दूसरे विभागों का सामंजस्य नहीं है । उसके कारण कुछ हो सकते हैं, जिनकी तरफ माननीय नेता, विरोधी दल ने भी इशारा किया । क्योंकि आप जानते हैं, मैं जिले से लेकर प्रदेश तक की बात करता हूं तथा जिलों में जिस तरीके का माहौल है, मैं कहता हूं कि पब्लिक का कुछ भी भला होने वाला नहीं है । एक माहौल बना हुआ है आई० ए० एस० अधिकारी आफिसर्स का, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, दूसरा इंजीनियर्स का है, तीसरा डाक्टर्स का है, चौथा और सर्विसेज का है, लेकिन हमारे अन्दर जिले के स्तर पर भी और ऊपर स्तर पर भी यह सामंजस्य टूटता जा रहा है कि जो आई० ए० एस० अधिकारी हैं, अधिकारी सब बराबर हैं, वे भी प्रदेश की सेवा करते हैं, इंजीनियर भी सेवा करता है, डाक्टर भी सेवा करता है और दूसरे लोग भी करते हैं, लेकिन मन ऐसा बनता जा रहा है कि इंजीनियर, आई० ए० एस० और दूसरे डाक्टर लोग अपने आपको यह समझते हैं कि हमारा क्लास अलग है । हमारी सरकार के छोटे अधिकारियों की अगर ऐसी भावना पैदा हो गयी, तो हम उसको दूर नहीं कर सकेंगे ।

हमारा समाज वर्गों में और जातियों में बटा हुआ है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लेकिन एक कारण यह बाकी रह जाता है कि अगर प्रशासन की मशीनरी का सामंजस्य ठीक हो गया तो प्रदेश को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर लोगों में यह भावना पैदा होने लगी तो इस प्रदेश को, देश को कोई बचा नहीं पायगा । सबसे बड़ी जिम्मेदारी अधिकारियों पर है । यह भावना अगर पैदा हो गयी तो आज एसेम्बली में बैठे हैं, गलती कर सकते हैं, हम पब्लिक के नुमाइन्दे हैं, हमारे ऊपर बहुत से दबाव रहते हैं, लेकिन किसी अधिकारी को तो वोट मांगने के लिये, चुनाव के लिये जाने की बात नहीं है, अगर हमारी भी गलती हो उनको बतानी चाहिये । लेकिन यहां उल्टा होता जा रहा है, प्रशासक वर्ग बंटता जा रहा है । एक बात कह कर बात समाप्त करूंगा कि पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा दायित्व

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है क्योंकि यह एक ऐसा मुहकमा है, जिसका नीचे से लेकर ऊपर तक सबसे सम्बन्ध है। पुलिस का यकीन हम जानते हैं, जब हम छोटे-छोटे थे, तो आदमी डरता था, वह समझता था कि हमारा रक्षक आ गया, लेकिन वह भावना धीरे-धीरे कम होती जा रही है, मुझे मालूम नहीं क्यों। इस प्रदेश के होम सेक्रेटरी, डी0 जी0 साहब और दूसरे आदमियों को सोचना चाहिये कि आज पुलिस के पास जाने में छोटे आदमी को, भले आदमी को डर महसूस होता है, ऐसा नहीं होना चाहिये, पुलिस हमारी रक्षक है, उस पर यकीन होना चाहिये। लोग आज भी यकीन करते हैं पुलिस प्रशासन पर लेकिन यह मनोभावना जरूर पैदा होती जा रही है कि भला आदमी थाने में जाने से कतराता है।

अभी फिरोजाबाद की शिकायतें मिलीं, पता चला डी0 जी0 साहब और कोतवाल साहब पर भी एक नागरिक ने मुकदमा दायर कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण है कि एक आदमी डी0 जी0 साहब को, कोतवाल साहब को पार्टी बनाने पर मजबूर हुआ? बात बहुत छोटी है लेकिन अगर जनता का विश्वास पुलिस प्रशासन से हटेगा और पुलिस प्रशासन अक्षम पाया जायगा तो प्रदेश बचने वाला नहीं है। रात में, दिन में डकैतों से मोर्चा लेते हैं और पब्लिक का भला करते हैं लेकिन विश्वास में कमी नहीं आनी चाहिये, जहां कोई गलती होती है, उनको अपने लोगों को समझाना चाहिये। बनिस्बत सजा देने से कभी काम नहीं चल पाता है। यह पंचायती राज है, यह राज्य न हमारा है, न मुख्य मंत्री का है, यहां पंचायत बैठी हुई है और उसी को यहां सुझाव देने का काम है। ऐसा सोचना चाहिये कि आपस में मनमुटाव न पैदा हो कि हम इंजीनियर हैं, हम डाक्टर हैं, हम आई0 ए0 एस0 हैं, हम पी0 सी0 एस0 हैं हम पुलिस के अधिकारी हैं तो अलग कौम है, हमारी, ऐसा नहीं सोचना चाहिये। हम सब एक हैं और हम सब मिल कर प्रदेश की बहबूदी के लिये लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, किसी एक कौम को बना कर अलग से राज्य नहीं कर रहे हैं, ऐसा सोचना ही हमारे प्रदेश के हित में होगा।

*श्री मुईद अहमद—

अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपने सामान्य प्रशासन पर और पुलिस प्रशासन पर मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में और नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके विरोध में बोलने का मौका दिया है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं नेता विरोधी दल का विरोध इसलिये नहीं कर रहा हूं कि मैं सत्ता पक्ष में हूं बल्कि इस लिये कर रहा हूं कि उनके पूरे कटौती के प्रस्ताव के भाषण में कहीं पर कोई नीति और सुझाव नहीं थे, उसमें केवल आलोचनायें भरी हुई थीं। आलोचना भी व्यक्तिगत लोगों की थीं, कहीं उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों की आलोचना की और कहीं उनकी तारीफ भी की थी और नेता विरोधी दल होने के नाते सार्टीफिकेट भी बांट दिये। इतना ही नहीं बल्कि अपने एक-एक विभाग का गूढ़ अध्ययन भी किया था कि किस विभाग में कितने हरिजन, कितने पिछड़ी जाति के, कितने ठाकुर, कितने ब्राह्मण और कितने अन्य जातियों के लोग कार्यरत हैं। मुझे यह कहना था कि जातियों के आधार पर प्रशासन नहीं चल सकता है हम जातियों के आधार पर किसी ऊंची कुर्सी पर किसी आदमी को नहीं बैठायेंगे, यदि ऐसा नहीं किया गया तो हम जनता को कभी स्वच्छ प्रशासन नहीं दे पायेंगे, हम मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, उसकी सक्षमता के आधार पर उसे ऊंची कुर्सी देंगे। यदि हमारे अधिकारी उस कुर्सी के लिए फिट होते हैं तभी हम उनको वह कुर्सी देंगे। इस सम्बन्ध में मुझे एक शेर याद आ रहा है:—

"महफिल में बैठ कर न करो तंग हमको तुम,
मुमकिन है तुम फिर भी कोई कीचड़ उछालोगे।"

आज सामाजिक परिस्थितियां बदल रही हैं, राजनीतिक पृष्ठ-भूमि के तहत जो जिम्मेदारी इस प्रदेश की है जिसमें कि अनेकों समस्याएं हैं उसके बावजूद हमारे मुख्य मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं, मैं उनको बधाई देता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं, प्रशासन को बधाई देता हूं कि किस तरह से यहां पर क्राइम को कन्ट्रोल किया गया है। यह उस परिस्थिति में कन्ट्रोल किया गया है जब आपने उसे बढ़ा दिया था। 1977 से लेकर 1980 तक के बीच में आपने जरायम पेशा लोगों को ऊंचा उठाया। इटावा में 1977--80के बीच कितने लाइसेन्स आपने क्रिमिनल लोगों को दिलाए हैं इसके आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए। उन अराजक-तत्वों को दबाने के लिए हमारे प्रशासन को कितनी कठिनाई उठानी पड़ी। प्रशासन ने उनके लाइसेन्सों पर रोक लगाई। माफिया ग्रुप को आपने पनपाया है, उस पर आज हमने कन्ट्रोल किया है। माफिया ग्रुप को आपने ठेके में, राजनीति में, तरह-तरह के कामों में पनपाया और लाइसेन्स दिए। क्या आप उसी के द्वारा प्रदेश का और देश का विकास करना चाहते थे?

मान्यवर, जहां तक कन्ट्रोल की बात है, जिस तरह से डकैतों के उन्मूलन का अभियान श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के समय में चलाया गया....

श्री अधिष्ठाता--

एक मिनट। एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री राम सरन--

आप कृपया सबको समान रूप से समय दीजिए।

श्री अधिष्ठाता--

आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री राम सरन--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, व्यवस्था से चलिए, टाइम में एक मिनट भी गड़बड़ न होने पाए।

श्री अधिष्ठाता--

आप निश्चित रहें, समय में गड़बड़ी नहीं होगी, घड़ी में देखते रहें।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में सारे डकैत मारे गए। एक बात मैं और कहूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपनी बात समाप्त करें।

(श्री मित्रसेन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मुईद अहमद--

जहां तक शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा है कि नए आयाम नहीं किए गए हैं, नई टेक्नोलोजी दी गई और डिवीजन वाइस उनका सुधार किया गया है। मैं इन शब्दों के साथ माननीय मन्त्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और एक शेर सुनाना चाहता हूं--

"मिटाकर मजहब व मिल्लत के सारे तफर के वहम,
हमें अब एक नया हिन्दोस्तां तामीर करना है।"

श्री मित्रसेन--

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मुख्य मन्त्री और माननीय नेता विरोधी दल का भाषण और अपने माननीय कौशिक जी का भाषण जो बड़ा सारगर्भित था उसको मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में कुछ बात कही, कुछ बातें तो बहुत अच्छी थी लेकिन जो उनकी नीति है वह इस बात की द्योतक नहीं है कि जो अपेक्षा वह करते हैं उसका निराकरण हो सकेगा। हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारी नीति क्या है, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षणिक जगत में हमारी न्यायिक प्रक्रिया कितनी सुस्त है, कितनी गलत है। इसमें बुनियादी परिवर्तन की जरूरत है, जब तक इसमें बुनियादी परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। अधिकारियों और नेताओं से देश नहीं बना करता है। नीतियों से देश बनता है यहां पर चाहे राजीव गांधी को लाकर बैठा दीजिए

लेकिन तभी इस देश का कल्याण हो सकता है, जो हमारा आर्थिक ढांचा है जो हमारे शैक्षणिक जगत में दोहरी नीतियां हैं इसमें जब तक बुनियादी परिवर्तन नहीं होगा तब तक अधिकारियों के बदलने से, टोपी और चेहरे बदलने से देश नहीं बदल सकता है। मुख्य मन्त्री जी ने सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में कह दिया। हम उन्हें यह याद दिलाना चाहते हैं कि उनका जो मन्त्रिमण्डल है उसकी अक्षमता को भी वह देखें, अपनी गिरेबान में भी वह निगाह डालकर देखें। कितने ऐसे मन्त्री हैं जो माननीय सदस्यों के पत्रों का जवाब नहीं देते हैं और विशेषकर हमारे लोकपति त्रिपाठी जी हैं, जो आज विधायक उनको पत्र लिखते हैं उनको इनके हस्ताक्षर से पत्र नहीं मिलता है। जब 425 विधायकों का जवाब नहीं मिल सकता है तो पूरे 12 करोड़ जनता का क्या करेंगे? माननीय मुख्य मन्त्री जी के अन्तर्गत जो उनका प्रशासन है, आज आई0 ए0 एस0 और आई0 पी0, एस0 अधिकारियों के बीच कितना तनाव है और कितना शीतयुद्ध चल रहा है कि कौन जूनियर है, कौन सीनियर है, डेट आफ एण्ट्रा-इन्टमेन्ट से सीनियारिटी मानी जायगी या कब से मानी जायगी, इसका भी झगड़ा हो रहा है। जो हमारे अधिकारी हैं जो हमारे मेरूदण्ड हैं जो हमारे नेता हैं उनमें अगर टीम वर्क नहीं होगा तब तक शासन और प्रशासन दुरुस्त नहीं हो सकता है।

हमारा आर्थिक विकासवादी दृष्टिकोण जो है व्यक्तिगत क्षेत्रों में ही है जब तक समाज के उत्पादन का सिद्धान्त व्यक्तिगत क्षेत्र में रहेगा समाज को उसका लाभ नहीं मिलेगा उसका लाभ समाज के उत्पादक को नहीं मिलेगा देश की सम्पत्ति पर आज के उत्पादन के सिद्धांतों के आधार पर व्यक्तियों का अधिकार रहेगा तो न देश का विकास हो सकता है न प्रदेश का विकास हो सकता है और न विषमता की खाई पट सकती है। उन्होंने कहा कि हम सर्वोन्मुखी विकास चाहते हैं और देश की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 38 वर्षों के अन्दर अभी भी 51 फीसदी जनता प्रदेश की गरीबी की रेखा से नीचे है। और 38 सालों में अभी भी देश की जनता का या गरीबी का कोई हल नहीं निकला है। उनकी नीति से किसी प्रदेश की गरीब जनता को लाभ नहीं मिला। यह गरीबी की रेखा से कब ऊपर आयेंगे। यह सोचने की बात है उन्हें विचार करना चाहिए।

जो बेरोजगारी, महंगाई और अपराध बढ़ रहे हैं, मैं उनके आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं और अधिकारियों की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, इस समय क्या हो रहा है, जुर्म हो रहे हैं, भाई-भाई का कत्ल कर रहा है। अभी तक सामानों की चोरी होती थी, परन्तु अब इन्सान की भी चोरी होती है, इन्सान को लोग उठा ले जाते हैं। लल्लू सिंह को उठा ले गए और उनका पता नहीं चला। मान्यवर, इस देश के अन्दर क्या हो रहा है, इसको जानने की कोशिश करें। मान्यवर, मान्यतायें टूट रही हैं, न्याय का स्तर आपका कहां पर चला गया, सच्चाई कहां पर चली गई? लोग सम्पत्ति का अर्जन कर रहे हैं लोग गरीबों का शोषण कर रहे हैं। आपकी प्रवृत्ति शोषण की ओर जा रही है, जैसा कि माननीय कौशिक जी ने कहा।

माननीय मुख्य मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं, अगर आप विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं, आप विकेन्द्रीकरण की नीति पर अटल हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि विकेन्द्रीकरण एकांगी न हो। आप जन प्रतिनिधियों को भी अधिकार दें। आप देखें कि ग्राम प्रधान की दुर्दशा है, उसका लेखपाल पर कोई अधिकार नहीं है, आपरेटर पर कोई अधिकार नहीं है, क्षेत्र समितियों का कोई अधिकार नहीं है, उनका कोई अंकुश नहीं है, एम0 पी0 और एम0 एल0 ए0 का कोई अंकुश अधिकारियों पर नहीं होता है। मान्यवर, उनका कोई अधिकार नहीं है, एक दरोगा आज सबसे बड़ा अफसर है जब वह चाहता है और जिसको चाहता है उसकी इज्जत ले लेता है और बरबाद कर देता है। यह हमारे शासन की कमजोरी है। जब तक आपका सामान्य प्रशासन ठीक नहीं होगा, जनता की जो परेशानियां हैं उनको दूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरा निवेदन

है कि आप जन प्रतिनिधियों के अधिकारों पर पाबन्दी न लगायें। कम से कम एक सिपाही जो गलत काम करता है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकें।

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने माफिया गिरोह की बात की और कहा कि उन्होंने माफिया गिरोह का सफाया कर दिया है और शान्ति व्यवस्था का जिक्र किया है। मान्यवर, 1977 में, माननीय मुख्य मन्त्री जी, स्वरूप कुमारी बख्शी और दूसरे लोग जो आज इधर बैठे हैं, वह उस समय उधर बैठते थे और जब एक सवाल आया कि बनारस में हवाई जहाज का अपहरण किसने किया, तो राम नरेश जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग हैं, जिन्होंने किया है तो उस समय श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने कह दिया कि मुझे नहीं मालूम है और जब नाम बताया गया तो कह दिया कि वह हमारे दल के नहीं हैं। मोहसिना किदवई ने भी कह दिया कि वह हमारे दल के नहीं हैं, लेकिन संजय गांधी ने कहा कि अगर भोला पांडेय हैं तो वह हमारे दल के हैं, जिन लोगों ने अन्तर्राष्ट्रीय अपराध किया है, उनको आपने यहां सदन में लाकर बैठा दिया और इस तरह के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो जो अपराध हो रहे हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं तो कहता हूं कि उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आप ही अपराधों की जड़ में पानी डाल रहे हैं, इसलिए मैं आप से पूछना चाहता हूं कि.....

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, हमारा तो 20 मिनट का समय है। मान्यवर, पुलिस प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है, मैं तो पुलिस का स्वयं भी भुक्त भोगी हूं, शायद कोई दूसरा भी पुलिस का भुक्त भोगी हो, अगर मैं पुलिस का कच्चा-चिट्ठा खोल दूं तो हम लोग भी काउन्टर के कटघरे में आ जायेंगे....

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं उन्होंने कहा कि मेरा 20 मिनट का समय है। व शायद इस आधार पर कह रहे हैं कि पार्टी के नेता के रूप में वे हैं। लेकिन पार्टी के नेता तो रामचन्द्र बख्श सिंह हैं। एक नेता के स्थान पर दूसरा नेता स्थान ग्रहण नहीं कर सकता बोलने के लिये।

श्री अधिष्ठाता--

उनकी पार्टी के नेता ने लिखित रूप में दिया है कि माननीय सदस्य मेरे स्थान पर बोलेंगे इसलिये उनको समय दिया जाय। पार्टी की तरफ से वे बोल रहे हैं। मुझे इसका ध्यान है। 20 मिनट का समय तो नहीं लेकिन मैं आपको 10 मिनट का समय देता हूं।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे यहां एक रहनाई थाना है वहां पर 20 मार्च को शरीफ नाम के एक पुलिस सिपाही ने बेकारू नाम की हरिजन लड़की के साथ बलात्कार किया। (व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता--

15 मिनट हो गये। अब आप समाप्त करें। 11.25 पर आपने शुरू किया था और 11.40 हो गये हैं। 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री मित्रसेन--

पांच मिनट का समय और दे दें।

श्री अधिष्ठाता--

दो मिनट में आप समाप्त करें।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, 20 मार्च की यह घटना है। एक पुलिस कर्मचारी ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया। फिर जब गांव के लोग आ गये वे उसे पकड़कर थाने में ले गये तो दूसरे दिन 21 मार्च को एडिशनल एस0 पी0 और ज्वाइन्ट एस0 पी0 श्री सक्सेना जी थाने पर पहुंच जाते हैं और जिसके घर में यह वारदात हुई थी सारे गांव के लोगों को मारापीटा और उन्हें जेल में बन्द कर दिया। मान्यवर, उसके बाद 6 अप्रैल को गांव के लोगों के घर फूंक दिये गये, ट्रैक्टर जला दिये गये और कार फूंक दी गई। उसके बाद एक लम्बे अर्से तक इस सम्बन्ध में दरख्वास्तें वे लोग देते रहे लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। 16 जून को वहां पर तीन आदमियों की नृशंस हत्या इन पुलिस कर्मियों ने इस वारदात के बाद कर दी। इस तरह से पूरे फैजाबाद जिले में पुलिस के कारनामे हो रहे हैं। (व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता--

दो मिनट हो चुके हैं। कृपया बैठें।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, एक मिनट। दूसरा निवेदन मेरे अपने क्षेत्र से सम्बन्धित है। मान्यवर, 26-10-82 को मनीसपुर गांव में गांव समाज की एक जमीन है, वह कामर्शियल जमीन है उसमें गांव के प्रधान ने अपना अवध कब्जा कर लिया है .....(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

अब कृपया आप बैठें।

श्री मित्रसेन--

उसमें झगड़ यादव का एक मकान बना था उसे गिरा दिया और जब रिपोर्ट की गई तो उसमें मेरा नाम भी शामिल करके .....।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करें।

श्री मित्रसेन--

इसके अलावा इनायत नगर थाने में 3 अप्रैल 1984 को पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया जिसकी सूचना डी0 एम0 को और कमिश्नर को भी दी गई। कोई वहां पर धारा 144 नहीं लगी थी, लेकिन पुलिस ने वहां पर लोगों के ऊपर लाठी-गोली चार्ज की और उससे दर्जनों लोग घायल हो गये। आज भी वह दरोगा उस थाने में बना हुआ है। जुडीशियल इन्क्वायरी बैठी हुई है। डेढ़ साल बाद भी..।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा। कृपया बैठें।

मित्र सेन--

[* * * *]

(श्री शिव नारायण मिश्र का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता--

आप जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायगा।

श्री मित्रसेन--

मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण मिश्र--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे गृह विभाग और सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन का बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रांत में 11 करोड़ 80,6000 जनता को 1350 थानों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करने की बात कही है वह प्रशंसा की बात है। मैं उसका स्वागत करता हूं। मान्यवर, वर्ष 1984-85 में अपने सूक्ष्म साधन और सीमित दायरे के अंदर व्यवस्था होते हुए भी जो बड़ी सफलता प्राप्त की है वह पुलिस प्रशासन के लिए प्रशंसनीय है। 31 अक्तूबर, 1984 को भारतरत्न श्रीमती इंदिरा गांधी की जिस समय हत्या की गयी उस समय पूरे प्रदेश में अशांति का वातावरण पैदा हुआ लेकिन पुलिस ने शालीनता के साथ, निष्ठा के साथ निर्भीकता के साथ काम किया जो सराहनीय है। 1984 के अंदर दशहरा, मुहर्रम और दुर्गापूजा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार एक ही दिन हुए उसमें भी पुलिस ने निष्ठा के साथ अपना कर्त्तव्य पालन किया उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस समय कुछ अराजक तत्वों द्वारा अराजकता फलाई जा रही है जिससे कुछ वर्ग के लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। उसकी तरफ मैं आपका ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि यथाशीघ्र वहां की स्थिति पर नियंत्रण करें वर्ना कभी भी कोई भीषण दुर्घटना हो सकती है। हमारे ग्राम शाहपुर में एक पुलिस चौकी बनायी जाय। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि वहां के लोग अराजक तत्वों

नोट--(***) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

से बहुत पीड़ित हैं और लोग अपने घरों को छोड़ कर चले आये हैं और मेरे यहां पड़े हुए हैं इसलिए मैं उनकी सुरक्षा की मांग करता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में थाना चांदा की तरफ विशेष ध्यान दें वर्ना वहां भी भीषण दुर्घटना हो सकती है। धन्यवाद।

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सामान्य प्रशासन के महत्वपूर्ण अनुदानों पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आंकड़ों के जंजाल में तो नहीं जाना चाहूंगा। आंकड़ों के संबंध में बड़ी योग्यतापूर्वक माननीय नेता विरोधी दल ने सारी बातें प्रस्तुत कर दी हैं। उनके साथ मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और इसके साथ ही कुछ बुनियादी बातें, कुछ नीति सम्बंधी बात आपके माध्यम से सदन के सम्मुख रखना चाहूंगा और शासन से अपेक्षा है कि उन पर गंभीरता पूर्वक चिंतन करे। मान्यवर, यह पांचवां अवसर है इस सदन में आने का। मैंने चर्चा सुनी है इस सदन में और वाद-विवादों में बोलने के अवसर भी मिले हैं। एक बात का मुझे वाकई आश्चर्य होता रहा है कि जब कभी किसी अनुदान पर चर्चा हुई है, वाद-विवाद हुआ है तो कुर्सियों का कुछ ऐसा असर देखने को मिलता है कि जो कोई सदन में उधर बैठ जाते हैं, तो उनको हर चीज अच्छी नजर आती है और जो इधर बैठते हैं उनको हर चीज खराब नजर आती है। मैं यह नहीं कहता हूं कि हर चीज गलत है या हर चीज सही है। कुछ काम ठीक भी चल रहे होंगे और कुछ गलत भी चल रहे होंगे।

मेरी मान्यता है कि सदन सर्वोच्च सत्ता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, दो महत्वपूर्ण अंग हैं। दोनों के दायित्व एक दूसरे से कम नहीं हैं। जनता के प्रति दोनों की जवाबदेही है। सदन का यह दायित्व है कि इस का उपाय योजना बनावें और विचार करे कि जो बुराई है उसे अच्छाई में कैसे बदला जाये, आज जो ठीक नहीं चल रहा है, उसे ठीक कैसे किया जाये। यह दायित्व हम सब का है। लेकिन जब तक उन सारी चीजों पर निष्पक्षता पूर्वक चिन्तन नहीं किया जायेगा तब तक समस्याओं का सही निदान और उनका सही समाधान नहीं किया जा सकता।

मान्यवर, हमने मुख्य मंत्री जी के भाषण को ध्यानपूर्वक सुना, उन्होंने कुछ अच्छी घोषणायें कीं जो स्वागत योग्य हैं। पहली घोषणा की कि अधीनस्थ लोक सेवा आयोग का गठन किया जायेगा दूसरी सतर्कता विभाग को और अधिक चुस्त बनाया जायेगा, तीसरी घोषणा स्थानीय और जिला प्रशासन को चुस्त करने की थी तथा चौथी घोषणा नियोजन प्रणाली का विकेन्द्रीकरण किया जायेगा। ये स्वागत करने योग्य बातें हैं। मान्यवर, मैं हर उनकी अच्छी बात का स्वागत करता हूं अभिनन्दन करता हूं। मैं व्यक्तिगत आलोचना करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं, विभाग की भी केवल आलोचना के लिए आलोचना करने नहीं खड़ा हुआ हूं, लेकिन जो मूल समस्यायें हैं, जहां त्रुटियां हो रही हैं उनकी ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, इसमें दो मत नहीं हैं कि मुख्य मंत्री जी संसदीय प्रणाली के ज्ञाता हैं लच्छेदार भाषा बोलना अच्छी तरह से जानते हैं और तालियां बजवाने में माहिर हैं। कल बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें कदाचित् अनायास ऐसी भी उनके मुंह से निकल गयीं जो असलियत को अपने नग्न रूप में उजागर कर गई और शासन और प्रशासन की तस्वीर निखर कर आ गयी है।

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी की चौथी बात के सम्बंध में पहले कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि नियोजन प्रणाली का हम विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं, तो अभी तक उनको कौन रोक रहा था विकेन्द्रीकरण करने से? क्या ईमानदारी से आज भी विकेन्द्रीकरण करने का संकल्प लिया है? यदि लिया है तो ग्राम, सभाओं की हालत आज कैसी है, क्षेत्र-समितियों, जिला परिषदों को लुंज-पुंज आज भी क्यों बना रखा है और जिला प्रशासन बेलगाम क्यों हैं? तो मान्यवर, विकेन्द्रीकरण के जो ये चार स्तम्भ हैं उनकी हालत क्यों खराब है। इसलिये नियोजन की प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण की जो घोषणा किया है उसको ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिये। मैं मानता हूं कि लखनऊ में बैठकर प्रदेश के नियोजन बनाने की बात से प्रदेश का विकास करना सम्भव नहीं है। इसके लिए जिला स्तर तहसील स्तर और ब्लाक स्तर पर जाना होगा और जनता का सक्रिय योगदान प्राप्त

करना होगा। नियोजन और क्रियान्वयन में जनता की सक्रिय साझेदारी और भागीदारी के बिना कोई योजना न तो सफल हो सकती है और न वह जनहितकारी सिद्ध हो सकती है। अफसरशाही पर लोकशाही को प्राथमिकता तथा प्रमुखता देनी होगी। यही लोकतंत्र का मूल भी है।

मान्यवर, दूसरी बात उन्होंने कही कि 1984 में सचिवालय में 2,32,610 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह किस बात का प्रतीक है? यह बात शासन की कौन सी तस्वीर पेश कर रही है? तहसील स्तर, जिला स्तर और ब्लाक स्तर के अधिकारी नीचे वालों की बातें नहीं सुनते। इसीलिये लेखपाल तक की बातें राज्यपाल, सदन और शासन तक आ रही हैं। एक वर्ष में इतनी शिकायतें नीचे से आना, यह इस बात का प्रतीक है कि नीचे प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है। जिला अधिकारी, तहसील अधिकारी और ब्लाक स्तर के अधिकारियों को नीचे वालों को कोई फिक्र नहीं है और ऊपर वालों का कोई डर नहीं है, इसलिये शिकायतें आ रही हैं। प्रशासन पर पकड़ की शिथिलता का इससे अधिक और जीता-जागता प्रमाण और क्या हो सकता है?

मान्यवर, तीसरी बात उन्होंने कही कि पुलिस अंग्रेजों के समय से ही साम्राज्यवादी व्यवस्था के अन्तर्गत चल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि 1947 में अंग्रेज चले गये तो वह व्यवस्था भी चली जानी चाहिए थी और यदि वह नहीं गयी तो क्यों? इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं? 1947 से आज तक केवल बीच के 1977–78 के जनता शासन के 20 महीने का समय आप निकाल दें, तो लगभग 38 साल तक इनके दल का शासन रहा है। मुख्य मंत्री तो आते-जाते रहते हैं, प्रश्न व्यक्ति का नहीं है शासन-व्यवस्था का है। शासन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया का नाम है और 1947 से एक ही दल की इनकी सरकार रही है। पुलिस का जो साम्राज्यवादी स्वरूप है उसके लिये कौन जिम्मेदार है? इसलिये उन्होंने अपने एक वाक्य में ही अपनी अक्षमता और मौलिकता के अभाव का प्रदर्शन कर दिया है और कहा कि पुलिस साम्राज्यवादी व्यवस्था के अन्तर्गत चल रही है। मान्यवर, 38 सालों का समय कम नहीं होता है। इस लम्बे समय में पुलिस व्यवस्था को आप समाजोन्मुखी समाजवादी बना सकते थे अ जनता के भक्षक के स्थान पर उसको रक्षो बना सकते थे। ऐसा करने से आपक किसने रोका?

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वह पुलिस में मानवीय व्यवहार के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि उन्होंने कम से कम इतना तो स्वीकार कर लिया कि पुलिस में मानवीय व्यवहार का अभाव है। इसका अर्थ यही है कि माननीय व्यवहार से शून्य पुलिस जनता पर राज कर रही है। जहां तक हमारे दल का प्रश्न है हम यह मानकर नहीं चलते हैं कि समस्त पुलिस प्रशासन निकम्मा है, शत प्रतिशत लोग बेईमान और भ्रष्ट हैं। उनमें अच्छे लोग भी हैं। कल चर्चा आयी थी शांति-व्यवस्था कायम करने के लिये पुलिस के कुछ जवानों के बलिदान की तो मैं कहना चाहता हूं कि जितने लोगों ने अपनी जानें दी, जितने जवान बलिदान हो गये, ऐसे जवानों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके प्रति नमन करते हैं। उनमें अच्छे लोग भी हैं। लेकिन मुख्य मंत्री जी महसूस कर रहे हैं कि पुलिस का मानवीय व्यवहार ठीक नहीं है इसलिये उनको इसकी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पड़ी। तो मान्यवर, 38 वर्षों में पुलिस प्रशासन में जिन गुणों का विकास करना चाहिये था उनको अनदेखा किया गया या जान-बूझकर या अनजाने में विकास नहीं किया गया। इसलिये मान्यवर, एक ओर जहां मैंने उनकी चारों बातों का स्वागत किया है वहीं दूसरी ओर मुख्य मंत्री जी के ही शब्दों को उद्धृत करके शासन और प्रशासन की विकृत छवि को भी प्रकट किया था और उस बारे में मैंने संकेत किया है।

मान्यवर, कल के प्रश्न में भी एक बात कहना चाहता हूं माननीय सदस्य प्रतापगढ़, श्री प्रमोद कुमार तिवारी ने इस सदन में कल अलीगढ़ दंगे की बात कही और कहा कि यह दंगा जनता पार्टी ने कराया था और उसमें उनके कार्यकर्ताओं का हाथ बताया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि उस समय में भी

शासन में था और मुख्य मंत्री जी से कहा था कि इसकी जुडीशियल इंक्वायरी की जाये ताकि दंगा कराने में किन ताकतों, किन तत्वों और किस दल का षडयंत्र था, हाथ था, वह जनता के सामने बेनकाब हो जाय ।

जांच के आदेश हुये और जांच बैठी, गवाहियां होने लगीं लगभग 1/3 जांच पूरी हो गयी । लेकिन उसके बाद राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, मुख्य मंत्री बने और उन्होंने आते ही सबसे पहले यह घोषणा सदन में किया कि अलीगढ़ दंगे की जांच जो कमीशन कर रहा है उसको मैं समाप्त करता हूं । सवाल हुआ क्यों समाप्त करते हैं, तो उत्तर दिया गया कि इसमें पैसा बहुत खर्च हो रहा था तथा समय बहुत लगता, इसलिये जांच कमीशन को समाप्त कर रहा हूं । काश, यह सच्चाई होती । मान्यवर, मैं अलीगढ़ से आता हूं और बताना चाहता हूं कि जो गवाहियां हो रही थीं आयोग के समक्ष उनका निष्कर्ष था कि कांग्रेस पार्टी के लोग दंगे कराने के लिये उत्तरदायी ठहरते । अलीगढ़ दंगे में कांग्रेस के लोगों का हाथ था । जनता पार्टी के शासन को बदनाम करने के लिये उन्होंने यह षड्यंत्र रचा था, इसलिये जब कांग्रेस ने देखा कि फांसी का फंदा हमारे गले में आ जावेगा, तो जांच को समाप्त कर दिया ।

मान्यवर, मैं आज भी मांग करता हूं कि यदि इनमें नैतिकता है और चाहते हैं तो उस कमीशन की जांच को फिर से चालू करें जिससे सच्चाई सामने आ सके । मैं यह भी चाहता हूं कि जितनी गवाहियां आयीं थीं कमीशन के समक्ष उनको समाचार-पत्रों में प्रकाशित करें । यदि हम कसूरवार होंगे तो हम बेनकाब होंगे और हमारा मुंह काला होगा और यदि आपका शासन, कांग्रेस शासन जिम्मेदार होगा तो उसका मुंह काला होगा और आप बेनकाब होंगे । जनता को जानने दो कि असली दोषी कौन है । खून की होली किसने खेली थी ।

मान्यवर, जहां तक सामान्य प्रशासन की बात है तो यह महत्वपूर्ण बजट है । सामान्य प्रशासन, का रक्त समाज के जीवन की हर-धमनी में बहता है ।

जैसा हमारे सामान्य प्रशासन का रक्त होगा, वैसा रक्त हमारे शासन में प्रवाहित होगा । अच्छा रक्त होगा तो शासन अच्छा होगा और स्वस्थ होगा, लेकिन यदि उसका रक्त दोषपूर्ण होगा अशुद्ध होगा, विकृत होगा तो पूरा शासन अक्षमता, अयोग्यता और भ्रष्टाचार से डूबा रहेगा । यदि सामान्य प्रशासन ठीक नहीं होगा तो हमारे शासन की उपलब्धियां नहीं होंगी । इसलिये यदि सामान्य प्रशासन चुस्त है तो सारे विभाग चुस्त रहेंगे । सामान्य प्रशासन चुस्त है, अच्छा है तो सारी योजनायें सफल हो जायेंगी, जन जीवन भी सुरक्षित रह पायेगा । इस संदर्भ में कोई भी प्रशासन कैसा है, इसको जानने की कुछ कसौटियां हैं । उन पर मैं इस शासन और प्रशासन को कसना चाहता हूं जैसे किसी शासन ने चुनौतियों का सामना किस सीमा तक किया है । यदि उन चुनौतियों का सामना करने में सफल रहे तो शासन बहुत अच्छा है, और असफल सिद्ध हो गये तो वह शासन और प्रशासन बहुत निकम्मा है ।

आज इस शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के काले नाग एक बहुत बड़ी चुनौती है । हमारे समाज में आज परमात्मा की सर्वव्यापकता तो शायद संदिग्ध हो सकती है, लेकिन इस हिन्दुस्तान की धरती पर भ्रष्टाचार जो कांग्रेस शासन की देन है उस भ्रष्टाचार की सर्व व्यापकता पर आज कोई प्रश्न-चिन्ह नहीं लगा सकता और तो और, अब तो मुख्य मंत्री जी भी, भले ही दबी जबान से ही, क्यों न सही इसे मान गये हैं कि भ्रष्टाचार है और इसको हटाने में, मिटाने में, शासन विफल हो चुका है । लाल फीताशाही के चलते योजनायें महीनों नहीं अपितु वर्षों पड़ी सड़ती रहती हैं । इस मामले में सरकार फेल हो चुकी है और उससे सम्बन्धित चुनौतियों से निपटने के लिये कांग्रेस का पूरा नेतृत्व फेल हो चुका है । बेरोजगारी से निपटने के लिये शासन पूरी तरह फल हो चुका है । आज दो करोड़ नौजवान हाथ जो काम के लिय लालायित ह, रोजगार के लिये तरस रहें हैं, उनको कोई काम मिल नहीं पा रहा जब व विवशता में, जीवन-संघर्ष से ऊबकर रोजगार पान के लिये आन्दोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं या धरना देते हैं

और उसमें कोई टूट-फूट हो जाती है तो कहा यह जाता है कि हमारा नौजवान अनुशासन-हीन हो गया है यदि आप उसको रचना का कार्य नहीं देंगे, तो वह विध्वंस के काम में लग सकता है। यह शासन की गलत नीतियों, गलत नियोजन, गलत सोच और गलत प्राथमिकताओं का ही दुरुपयोग है कि बेरोजगारी घटने के बजाय प्रतिवर्ष बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है। खेत को पानी देना तो बहुत दूर की चीज है, सूखे नलों को भी यह शासन पानी नहीं दे पा रहा है। इस कसौटी पर भी असफल रहा है यह शासन कानून व्यवस्था की हालत का जहां तक सवाल है, इस पर जितना कहा जाये थोड़ा है। मैं इस सम्बन्ध में आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हत्या, बलात्कार और डकैती की घटनायें कुछ घट सकती हैं, कुछ बढ़ सकती हैं। इतने बड़े समाज में ऐसे वारदातें कभी कम होंगी कभी बढ़ जायेंगी। किन्तु यह सोच लेना कि वारदातें घट गई हैं तो अफसर अच्छा है, शासन अच्छा है, सब कुछ ठीक है और यदि कुछ बढ़ गई हैं तो अफसर खराब है और शासन खराब है—ऐसा मैं नहीं मानता हूं। इसको जांचने की मेरी कसौटी यह है कि पूरा वातावरण कैसा है, समाज कैसा महसूस करता है, आंकड़ों के अंकगणित में हो सकता है कि 10 अपराधों की घटनायें कम हो गई हों, लेकिन समाज क्या अनुभव करता है? क्या आज समाज अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है, क्या उसके अन्दर आतंक नहीं है, क्या समाज के लोग चैन से सो पा रहे हैं, क्या लोग निर्भीकतापूर्वक मार्गों पर चलने पा रहे हैं? क्या लोगों के मन में शासन और प्रशासन के प्रति आज अविश्वसनीयता नहीं पैदा हो गई है, क्या शासन और प्रशासन की कार्य कुशलता घट नहीं गई है, क्या भ्रष्टाचार घटने के बजाय बढ़ा नहीं है? भले ही 10 अपराधिक वारदातें बढ़ जायें, लेकिन सामान्य जनता यदि यह महसूस कर कि हम सुरक्षित हैं तो समझा यह जायगा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। लेकिन 10 घटनायें घट जायें और समाज में आतंक, भय, अनिश्चय, असुरक्षा, अविश्वास घर कर जाये तो कहा यह जायगा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। आज समाज का कोई भी व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। आज मैं जिन्दा हूं तो इसलिये नहीं कि आपकी विधि व्यवस्था ठीक है। आज मैं जिन्दा हूं तो केवल इसलिये कि किसी बदमाश ने अभी यह तय नहीं किया है कि कल्याण सिंह को गोली मार दी जाय। आज मुख्य मंत्री आप सुरक्षित हैं तो इसलिये नही कि आपकी विधि व्यवस्था बहुत अच्छी है। आज आप यदि जिन्दा हैं तो केवल इसलिये कि किसी बदमाश ने अभी यह निश्चय नहीं किया है कि नारायण दत्त तिवारी को गोली मार दी जाये, जिस दिन वह तय कर लेंगे, फैसला ले लेंगे, उस दिन न मैं बचूंगा न नारायण दत्त तिवारी बचेंगे, बचेंगी केवल दो बातें—अस्पताल में पोस्ट-मार्टम और इस सदन में शोक प्रस्ताव। इसके अलावा कुछ नहीं। आपकी व्यवस्था और पुलिस प्रशासन हम किसी की भी रक्षा नहीं कर पायेगा, चाहे जितना प्रयास किया जाये। जब जन जीवन में अपनी सुरक्षा के प्रति इतना अविश्वास हो जाये तो घटनायें घटती हैं या बढ़ती हैं यह बहुत ज्यादा अन्तर डालने वाली बातें नहीं है।

आज समाज का मनोविज्ञान अराजकतापूर्ण बना हुआ है। हमें इसके मूल में जाना पड़ेगा विचार करना होगा कि इस अराजकतापूर्ण वातावरण के मनोविज्ञान को कैसे बदलें? मान्यवर, कानून और व्यवस्था की बात कही गयी, बेहमई, देहुली, साढ़ूपुर से चल कर सलबई तक पंहुची है, सामूहिक हत्याकांडों की लम्बी श्रृंखला चालू है यह किसी से छिपा नहीं है। और अभी इस श्रृंखला का कोई अंत नहीं। कल फिर सुनेंगे कि सामूहिक हत्याकांड हो गया। फर्जी मुठभेंडे हो रही हैं यह किसी से छिपा नहीं है। आज जो अपहरणों का दौर है वह किसी से छिपा नहीं है। अपहरण हो रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी अपहरण ऐसा नहीं हुआ जहां पर पुलिस प्रशासन ने उस

अपहृत व्यक्ति को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाने में सफलता पायी हो । हर घटना में 50-60 हजार और एक लाख की फिरौती देकर ही अपहृत व्यक्ति छुड़ाया गया है । अतरौली थाना जिला अलीगढ़ में अपहरण की 10 वारदातें हुयीं । दसों में फिरौती देकर लोग छूट कर आये । आपकी पुलिस कहानी गढ़ लती है कि हमने फलां जगह गोली चलायी, फलां जगह बंदूक चलायी । सब फर्जी चल रहा है जिसकी कहीं जांच पड़ताल नहीं है ।

सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं । मैं पूरे प्रशासन पर लांछन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यदि 2-4 घटनायें ऐसी हो जाती हैं तो पूरा पुलिस प्रशासन बदनाम हो जाता है मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज थानों में बलात्कार हो रहे हैं, यह कैसा शासन है । यह कैसा प्रशासन है ? थाने हमारे पूजा के स्थल बनने चाहिये । जैसे मन्दिर में हम माथा टेकते हैं, मस्जिद के सामने और गुरुद्वारे के सामने सर झुकाते हैं, माथा टेकते हैं, उसी तरह से थाने जनजीवन की सुरक्षा के स्थान होने चाहिये थे । कोई नागरिक इन थानों के सामने से निकले तो उसका सर श्रृद्धा से झुक जाय ऐसे हमारे थाने होने चाहिये थे । लेकिन आज अगर किसी भले आदमी से कह दो कि 2 जगहों पर चलने के विकल्प तुम्हारे सामने हैं, बोलो किस स्थान पर जाना पसन्द करोगे । थाने जाना पसन्द करोगे या बूचड़खाने जाना पसन्द करोगे तो आदमी कहेगा कि थाने न ले जाओं वहां पर सता सता कर भूखों मारेंगे, भिगो-भिगो कर डन्डे मारेंगे, बेलन चढावेंगे और नारकीय यातनायें देकर प्राण ले लेंगे । इससे तो अच्छा बूचड़खाना है । हमें बूचड़खाने ले चलो वहां एक झटका करेंगे और खेल खत्म हो जायगा। श्रीमन्, आज थानों की यह हालत हो गई हो तो आप कैसे कहेंगे कि समाज के अन्दर सुरक्षा की भावना है ?

मैं कहना चाहूंगा, मुझे क्षमा करेंगे इस बात को कहने के लिए, आज प्रशासन के अन्दर तीन ताकतों की तिकड़ी काम कर रही है। तीन तिकड़ी इकटठी हो गई है । एक तो सत्तारुढ़ पार्टी, दूसरे पुलिस के अधिकांश लोग, तीसरे समाज विरोधी तत्व। आज यह तीनों एक दूसरे को संरक्षण दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं और एक दूसरे को बचा रहे हैं। इन तीनों की तिकड़ी का शिकार हमारा निरीह व्यक्ति बनाया जा रहा है । इनका शिकार पत्रकार बनाए जा रहे हैं, और इन तीनों तिकड़ी का शिकार विपक्ष के कार्यकर्त्ता और विपक्ष के विधायक बनाए जा रहे हैं। रोज चर्चायें आती हैं इस सदन में, और आप दावा करते हैं अच्छे प्रशासन का। मेरा आरोप है कि यह अनजाने में नहीं हो रहा है। यह जानबूझकर हो रहा है। जब सत्ता की गद्दी तक कोई भी पार्टी एक ओर समाज विरोधी तत्वों के डंडे दूसरी ओर पुलिस के डंडे, इन दोनों के डंडों की नसेनी बनाकर चढ़ेगी तो उस नसेनी के डंडों को तोड़ने का नैतिक साहस किसी भी दल को नहीं होगा। चाहे वह हमारा दल हो या आप का दल हो। किसी को नैतिक साहस नहीं हो सकता कि जिनका सहारा लिया है चुनावों में उनका कोई विरोध करें या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही कर सकें। जब तक पुलिस और समाज विरोधी तत्वों का उपयोग राजनीति के लिए किया जाता रहेगा शान्ति और व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। यही एक प्रमुख कारण है कि यह सरकार शान्ति और व्यवस्था कायम करने में बुरी तरह विफल हो चुकी है ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करुंगा कि 20 मिनट पूरे हो चुके हैं।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, मैंने तो अभी शुरु किया है । आधा टाइम तो इनकी तारीफ में ही निकल गया है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपसे अनुरोध करुंगा कि 20 मिनट शुरु करने में लगे हैं तो 2 मिनट समाप्त करने में ले लीजिए।

श्री कल्यान सिंह—

आज इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतीकरण हो गया है। यह जो अपराध का राजनीतीकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, हमें इस दुष्प्रवृत्ति को रोकना है। इसके लिए मैं मांग करता हूं कि एक आचार संहिता बनाई जाय। कोड आफ कंडक्ट बनाया जाय और वह सभी पार्टियों पर लागू हो कि कोई भी समाजविरोधी तत्वों को प्रश्रय न देगा, संरक्षण न देगा और राजनीति में उनका सहयोग न लेगा, टिकट न देगा। और राजनीति में उनका उपयोग नहीं करेगा। जब तक यह नहीं बनाते हैं तब तक यहां आलोचना करने से समस्या का समाधान नहीं निकल सकता।

(व्यवधान)

श्री चैतराम गंगवार—

यह बात नेता विरोधी दल को तो समझाइए।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय गंगवार जी, बीच में व्यवधान उपस्थित न करें, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी बोल रहे हैं, कृपया शान्ति बनाए रखें।

(व्यवधान)

श्री कल्यान सिंह—

मैं सभी के लिए कह रहा हूं, अपने लिए भी, उनके लिए भी और आपके लिए भी।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य शान्त रहें। बीच में व्यवधान न उत्पन्न करें।

श्री कल्यान सिंह—

लोग तो आरोप लगाते हैं कि पुलिस में राजनीति का हस्तक्षेप हो रहा है और मेरा कहना यह है कि अब राजनीति में पुलिस का हस्तक्षेप बढ़ रहा है और ये दोनों साथ-साथ चल रहे हैं और दोनों ही प्रक्रियाओं से सत्ताधारी पार्टी को लाभ मिल रहा है और सर्व सामान्य जनता के हितों का हनन हो रहा है। मैं 2-3 सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। सिविल पुलिस, विजिलेन्स और सी0आई0डी0 इन तीनों को, तीन स्वतंत्र इकाइयों के रूप में विकसित किया जाय और इन तीनों में से कोई एक दूसरे की आश्रित न हों। जो सिविल पुलिस है, उसको दो खण्डों में बांटा जाय। एक खण्ड का काम इन्वेस्टीगेशन करना, दूसरे खण्ड का काम शान्ति व्यवस्था को कायम रखना, तब जनता का विश्वास प्रशासन में पैदा होगा। भ्रष्टाचार की बात मैंने प्रारम्भ की थी, एक बात उसमें मैं और जोड़ना चाहूंगा। आप कैसे प्रशासन ठीक चला पायेंगे और कोई भी प्रशासन कैसे ठीक चल पायेगा, जब नियुक्तियों में घोर रिश्वतखोरी का बोलबाला हो। जो व्यक्ति आज 20 हजार, 30 हजार, 50 हजार रुपए की रिश्वत देगा, वही नियुक्ति प्राप्त कर पाएगा। वह व्यक्ति जब कर्मचारी अथवा अधिकारी बन कर काम करेगा, तो आप उससे यह अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वह हरिश्चन्द्र बन कर काम करेगा, जिसकी नियुक्ति के मूल में रिश्वत है, क्या अधिकारी अथवा कर्मचारी बनने पर उसकी कृति में ईमानदारी बनी रहेगी? आप इसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं? इसी सदन में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार की चर्चा हुई है। इसी सदन में मण्डी परिषद् में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार की चर्चा हुई है, स्वायत्त शासन विभाग की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार की चर्चा हुई है, स्वास्थ्य विभाग की नियुक्तियों में रिश्वत की चर्चा चली है, विद्युत् विभाग में नियुक्तियों में रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग में इसी प्रकार नियुक्तियों में खुले आम पैसा लिया जा रहा है, तब यह कैसे सोचा जा सकता है कि यही व्यक्ति आगे चल कर अच्छे सेवक अथवा अच्छे अधिकारी बन पायेंगे? यह है मूल समस्या, जिस पर चिन्तन होना चाहिए, जिसका निदान होना चाहिए। और जिसका समाधान होना चाहिए। इसी का कुपरिणाम है कि आज हर 100 पैसे में से केवल 35 पैसे अथवा 40 पैसे ही ईमानदारी से लगाए जा रहे हैं, शेष पैसे भ्रष्टाचार के माध्यम से लोगों की जेब में जा

रहा है। कल माननीय मुख्यमन्त्री जी ने लोक आयुक्त की चर्चा की, मैं लोक आयुक्त की प्रणाली का स्वागत करता हूं। परन्तु आज शासन ने लोक आयुक्त को अपने निजी स्वार्थों के कारण पूरी तरह शक्तिहीन, निष्प्रभावी और मेज का गुलदस्ता बना कर रख दिया। लोक आयुक्त की रिपोर्ट वर्षों तक दबी पड़ी रहती है, उन पर कोई कार्यवाही नहीं और इन रिपोर्टस के अन्दर मन्त्रियों तथा उच्च अधिकारियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं। मेरी मान्यता है कि सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाए और इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को नहीं मिटाया जा सकता। भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर आया है, इसकी गति ठीक पानी की तरह से है। गंगा यदि अपने उद्गम स्थल गंगोतरी पर ही अपवित्र हो जायगी, तो मैदान में केमिकल्स मिला कर उसे शुद्ध किया जाना कठिन है।

आज तो मान्यवर, हालत यह हो गई है कि गाड़ी चल रही है, पहिए पर और सरकारी फाइल चल रही है रुपए पर, प्रशासन की क्षमता दिनों दिन घट रही है, फिर विकास और प्रगति कैसे सम्भव है। मान्यवर, प्रगति एक उस नाजुक सुन्दरी के समान है, जो न कच्चे पर चलना पसन्द करती है, न अंधियारे में चलना पसन्द करती है और न गिरे चरित्र व्यक्ति के साथ चलना पसन्द करती है। प्रगति को चलाने के लिए नीचे चाहिए पक्की सड़कें और ऊपर चाहिए बिजली की रोशनी और साथ चलने वाला चाहिए सच्चरित्र व्यक्ति। परन्तु यह शासन प्रगति-सुन्दरी की तीनों में किसी शर्त को पूरी नहीं कर सका। न पक्की सड़कें हैं, न बिजली है और शासन में न सच्चरित्र व्यक्ति शेष रह गए हैं, तब प्रगति चले कैसे?

मान्यवर, जब हर क्षेत्र में घुटन, तनाव, बिखराव और टकराव व्याप्त हो, आपस में किसी प्रकार का सामंजस्य न हो, तो कहां विकास सम्भव है और कैसे प्रगति सम्भव है और कैसे प्रशासन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। आज आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 में टकराव है, ब्यूरोक्रैट्स और टेक्नोक्रैट्स के बीच टकराव है। मन्त्री और सचिव के बीच टकराव है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच टकराव है, विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव है, न्याय-पालिका और राजनीति के बीच टकराव है, शासन और प्रशासन के बीच टकराव है और एक विभाग का दूसरे विभाग के साथ टकराव है, तब ऐसे टकराव की स्थिति में सार्वजनिक कार्यों का हो पाना कैसे सम्भव हो सकेगा? मान्यवर, आज के ही समाचार-पत्रों में मैंने पढ़ा है, आपने भी अवश्य पढ़ा होगा कि प्रदेश के 7 लाख कर्म-चारियों ने चेतावनी दिवस मना कर सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें एक निश्चित अवधि में न मानी गई, तो वह हड़ताल पर चले जायेंगे। यह हड़तालों की नौबत क्यों आती है? सरकार किसी भी वर्ग अथवा कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को भी मानने के लिए हड़ताल का इन्तजार क्यों करती है? यदि मांगें उचित हैं, तो उन्हें बिना हड़ताल के पहले ही स्वीकार क्यों नहीं कर लिया जाता? आज हालत यह हो गई है कि मांग कितनी ही उचित क्यों न हों, उसे यह शासन नजरन्दाज करता चला जाता है। शान्तिपूर्ण ढंग से जब मांग उठाई जाती है, तो शासन कान नहीं देता। जब कुछ होने लग जाता है, तो कुछ-कुछ कान देता है, कुछ आन्दोलन उग्र होता है, तो कुछ अधिक कान देता है और जब तोड़-फोड़ तथा मारकाट प्रारम्भ हो जाती है, तब सरकार कहती है कि आओ वार्ता की टेबुल पर बैठो और कोई बीच का रास्ता निकालो। यह प्रक्रिया गलत है। मांग यदि उचित है, तो पहले ही मानो और यदि मांग उचित नहीं है, तो किसी भी आन्दोलन के सामने झुको मत। फिर उस आन्दोलन से सख्ती से निपटो, ताकि व्यापक जनहित का हनन न होने पावे।

मान्यवर, मैं विकास के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। हर विकास के लिए समूचे समाज की साझेदारी और हर भारतीय की भागीदारी का विकास करना पहली आवश्यकता है। आज 80 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं, परन्तु उनमें उसे प्रशासनिक सेवा में केवल 9 प्रतिशत हैं, अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनका गांव के जीवन से, गांव की समस्याओं से और गांव की आवश्यकताओं

से कोई सरोकार नहीं है। इसी प्रकार 66 प्रतिशत से भी अधिक लोग पिछड़े वर्गों में आते हैं, परन्तु प्रशासनिक सेवा में भागीदारी मात्र 6 प्रतिशत है। यह ऐसी स्थिति है जिससे न केवल सामाजिक समीकरण में ही असंतुलन पैदा हो गया है, बल्कि क्षेत्रीय समीकरण में भी भारी विषमता पैदा हो गई है। आरक्षण की नीति इन्हीं जातीय समीकरण के असन्तुलन और क्षेत्रीय समीकरण के असन्तुलन के दूर करने का एक मार्ग है, एक उपाय है और सभी की प्रशासन में साझेदारी विकसित करने का रास्ता है। आरक्षण जातिवाद को प्रोत्साहन नहीं देता, बल्कि युगों से चले आ रहे जन्मजात जातिवाद की विकृतियों और विसंगतियों को नष्ट करने का एक प्रबल और तर्कसंगत साधन है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण नीति की प्रबल समर्थक है और हमारी मांग है कि मण्डल कमीशन की सिफारिशों को अविलम्ब लागू किया जाय। हम समाज के पिछड़े उपेक्षित और निर्बल वर्गों के लिए "विशेष सुविधा" "विशेष अवसर" के सिद्धांत के आधार पर आरक्षण के पक्षपाती हैं। आरक्षण के कोटा को पूरा क्यों नहीं किया गया? क्या इसके लिए शासन जिम्मेदार नहीं है? क्या यह तर्कसंगत और नैतिक है कि किन्हीं एक-दो वर्गों के चन्द मुट्ठी भर लोग शासक और प्रशासक बने रहें? आरक्षण का सिद्धान्त, विशेष अवसर का सिद्धान्त और विशेष सुविधा प्रदान करने वाला सिद्धान्त जातिवाद को मिटाने के लिये है। जब तक देश में सामाजिक असंतुलन रहेगा, तब तक इस प्रदेश और देश का विकास होना सम्भव नहीं है। यह कुछ बातें मैंने शासन के सामने प्रस्तुत की हैं, मुख्य मंत्री जी इन बातों का उत्तर देने का कष्ट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं।

(समय 12 बजकर 12 मिनट)

श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

मान्यवर, मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि पुलिस विभाग जो है, यह एक विभाग ही नहीं है पुलिस फोर्स है, यह हमारी सेना है, लेकिन यह खेद का विषय है कि हमारी विरोधी दल के मित्रों ने, वह सेना जो हमारे समाज की रक्षा करती है, उसकी भर्त्सना करते रहे। उसकी उपलब्धि की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रदेश की पुलिस ने राष्ट्रीय स्तर पर सेवायें की हैं और प्रशंसा अर्जित की है। पुलिसजनों ने अपना जीवन दान किया है। नागालैण्ड, असम, मिजोरम आदि प्रदेशों में जो इस प्रदेश के पुलिसजनों ने बलिदान दिये हैं उनका उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे एक मित्र श्री घमन्डी सिंह आर्य मिजोरम में गये थे महा पुलिस निरीक्षक होकर वहां उनकी हत्या कर दी गई। यह सब बलिदान हमें नहीं भूलना चाहिये। म माननीय सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि सन् 1960 में जब चीन का आक्रमण हुआ एवं जब तेजपुर, वामडिला एवं तवांग का पतन हुआ तो चीनी आसाम तक पहुंच गये। तेजपुर का जन-जीवन छिन्न-भिन्न हो गया था तथा स्थानीय आसाम के अधिकारी भी वहां से चले गये। उस समय माननीया इन्दिरा गांधी केन्द्रीय नागरिक परिषद् की अध्यक्ष थीं। वह वहां गईं। हमारे प्रदेश की पी0 ए0 सी0 की टुकड़ी जो वहां तैनात थी ने वहां के नागरिकों को इकट्ठा किया और इन्दिरा गांधी जी ने उनको सम्बोधित किया तथा उनके मनोबल को ऊंचा किया। मेरी प्रार्थना है कि इन तथ्यों को स्वीकार करें। इस प्रदेश की पुलिस अनेकों समय पर बलिदान करती रही है। आप देखें कि पुलिस के कितने लोग मारे गये हैं। अभी कुछ दिन पूर्व कानपुर में एक पुलिस के दरोगा ने, एक ट्रक ड्राइवर के कागजात चेक करने का प्रयास किया तो उसको जान से मार दिया गया। जो कमियां हैं, उनको दूर करने के लिये

शासन प्रयत्नशील है । विभिन्न स्थानों में जो भ्रष्टाचार है वह समाज के गिरते हुए मूल्य एवं मान्यताओं का द्योतक है। इसको दूर करने की जिम्मेदारी आपकी भी है हमारी भी है ।

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह हितकर बजट है । आप देख रहे हैं जो बजट मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसम कहा ह कि पुलिस विभाग में ट्रेनिंग देने के लिये वैज्ञानिक ढंग अपनाये जायेंगे । अनुसंधान कार्यों के लिये लेबोरेटरी हैं और कई चीजें हैं । मान्यवर, हमारे वरिष्ठ मित्र मनेजर सिंह ने एक शब्द "लुंज-पुंज" कहा । लुंज-पुंज सुन कर 1967 एवं 1977 की याद आ गई । प्रदेश का यह दुर्भाग्य रहा कि जब काली टोपी, नीली टोपी और लाल टोपी वाले चुन कर आये तो यह प्रशासन लुंज-पुंज हो गया । कल हमारे मित्र शतरुद्र प्रकाश जी झंडे की बात कह रहे थ, तो उस बारे में कहना चाहूंगा कि जब इनकी सरकार थी तो उनके दल के व इनकी तरफ के एक राष्ट्रीय स्तर के नेता, जो प्रधान मंत्री भी रह चुके हैं और गृह मंत्री भी रह चुके हैं उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के रंग के परिवर्तन करने की पहल की थी । उस पर बहुत बड़ा आन्दोलन हम लोगों ने 1977 में किया था· · · ·उस झण्डे के रंग की रक्षा हम सभी ने माननीय नारायन दत्त तिवारी के नेतृत्व में झण्डा आन्दोलन चला कर की थी तथा कानपुर इसमें अग्रणी रहा था। यह दुख का विषय है कि आपका दल जिस झण्ड के नीच महात्मा गांधी के नतृत्व म लाखों लोगों न आजादी की लड़ाई लड़ी सकड़ों हजारों लोगों की जान गई, उस झण्डे के रंग को बदलना चाहता था ।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

चौधरी साहब ने कांग्रेस के झण्डे के बारे में कहा था ।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित--

मान्यवर, इनको कांग्रेस के रंग से तथा उसकी उपलब्धि से एलरजी है । नेता विरोधी दल भ्रष्टाचार की बात कहते हैं । राजनीति में आपके दल ने जो भ्रष्टाचार किया है वह शर्म की बात है । मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं, पिछले 25 वर्षों से इस प्रदेश की राजनैतिक जीवन का । राजनीतिक मूल्यों को टोकरी में डाल कर पद के लिये भागना विरोधी दल का कार्य रहा है । हम सत्य बात कहेंगे तो यह नहीं मानेंगे । विरोधी दल हमारी उपलब्धियों को स्वीकार नहीं करता है । राजनीति में स्थायित्व रहे यह हमारा नारा रहा है । जंगे आजादी में ब्राह्मण, ठाकुर, हरिजन, मुसलमान सब साथ थे, हम जातिवाद की बात कर ही नहीं सकते हैं । राजनीतिक जीवन में जातिवाद का विष बोने का काम आपके नेता न किया । आज भी जातिवाद का विष बोने का काम आपके नेता कर रहे हैं, आने वाला समय कभी आपको माफ नहीं करेगा । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं । और कटौती के प्रस्ताव का जोरों से विरोध करता हूं ।

*श्री सत्य पाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, परम्परा को निभाने के लिये नेता विरोधी दल ने बड़ी शालीनता और गम्भीरता से कटौती का प्रस्ताव रखा । इसके बाद कल से सुन रहा हूं हमारे जो कनिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने नेता विरोधी दल की हैसियत को आंकने का प्रयास किया । नेता विरोधी दल ने आपकी आंखें खोलने का प्रयास किया, आपको उनका आभार प्रकट करना चाहिये था । बेहतर होता कि नता विरोधी दल की हैसियत को आंकने का प्रयास मुख्य मंत्री करते और मुख्य मंत्री की हैसियत आंकने का प्रयास नता विरोधी दल करते, न कि कनिष्ठ और हम आप जैसे सदस्य । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई मंत्री भ्रष्टाचार करता है तो उसको उजागर करने के लिय सारी धज्जियां उड़ा दी जाती हैं । अगर कोई मुख्य मंत्री बेइमान होगा तो मंत्री बेइमान होंगे, अगर किसी प्रदेश का मुख्य सचिव बेइमान होगा तो अधिकारी बइमान होंगे। मुख्य मंत्री और मंत्रियों के ऊपर सारी बातें कही जाती हैं लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नौकरशाही के ऊपर कोई कुछ कहने की कोशिश नहीं करता है।

मैं कहना चाहता हूं कि इस समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, उनसे मिलने जाइये तो इस हिकारत और हिनाकत से बात करता है, जैसे वह आजाद देश का मालिक हो और हम जैसे जन प्रतिनिधि उनके गुलाम की हैसियत से जाते हैं। मुख्य सचिव के परम्परा को निभाने वाले हमारे देश के जो आई0 सी0 एस0 और अन्य मुख्य सचिव रहे हैं, जैसे भूतपूर्व केन्द्रीय कैबिनेट सचिव श्री एस0 एस0 खेरा, सी0 एस0 देशमुख भूतपूर्व मुख्य सचिव, श्री नरोरा, भूतपूर्व मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश, पंजाब के भूतपूर्व मुख्य सचिव संगतराम। इन्होंने 4 बातें प्रशासनिक अधिकारियों के लिये बताई हैं। पहली—राजनीतिज्ञों का स्वामित्व सिविल सर्विसेज के लोगों को बिना हिचक स्वीकार करना चाहिये, दूसरी—राजनीति के ऊपर जनता का दबाव होता है तथा सिविल सर्विसेज पर नियमों, कानूनों, पुरानी परम्पराओं, पुराने निर्णयों का दबाव होता है। तीसरा—प्रत्येक सिविल सर्विसेज का अधिकार है कि वह ईमानदारी से अपनी राय राजनीतिज्ञों के सामने व्यक्त करें, लेकिन राजनीतिज्ञों के निर्णय के बाद उसका बिना हिचक निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। चौथा—सिविल सर्विसेज को यह नहीं सोचना चाहिये कि सारे राजनीतिज्ञ बुरे हैं और हम दूध के धुले हैं।

मान्यवर कल मा0 नेता विरोधी दल ने गृह सचिव एवं पुलिस महानिरीक्षक की निष्पक्षता एवं ईमानदारी के विषय में जो विचार रक्खे, उससे मैं भी सहमत हूं, उन्होंने सबसे पहले एक अच्छा काम यह किया जो पुलिस निरीक्षक काफी अर्से से सी0 आई0 डी0 में पड़े हुए थे, उन्हें समयबद्ध तरीके से सिविल पुलिस में भेजा और सिविल पुलिस को सी0 आई0 डी0 में भेजा। साथ ही मान्यवर, कुछ बातें मैं और कहूंगा कि जिस समय इन्दिरा गांधी की हत्या हुई थी, उस समय पुलिस अधीक्षक, खीरी ने सिख समुदाय के एक व्यक्ति की भी हत्या नहीं होने दी और तीन उग्रवादियों को वहां की पुलिस ने मौत की घाट उतारा तथा गोला थाने में जो बैंक डकती हुई थी, उसके दो व्यक्तियों को मौके पर पकड़ा तथा लूटा हुआ धन भी तुरन्त बरामद करा दिया, परन्तु इस पुलिस अधीक्षक को पारितोषिक दिलाने के बजाए उन्हें आई0 जी0, पी0 ए0 सी0 के कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया, जब कि उन्हें राष्ट्रीय पदक मिलना चाहिये था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जब लाल बत्ती जल जाती है और माननीय सदस्यों को बैठने के लिए कह दिया जाता है तब भी माननीय सदस्य बोलते चले जाते हैं। यह अनुशासनहीनता है।

श्री अधिष्ठाता—

समय के बाद बहुत से माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त नहीं कर पाते हैं और उसे समाप्त करने के लिए निवेदन करते हैं। यह परम्परा रही है, उन्हें थोड़ा समय दिया जाता रहा है।

श्री सुरेन्द्र नाथ—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज आपने गृह के महत्वपूर्ण बजट पर जो बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आज उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के महत्वपूर्ण बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। गृह का सबसे महत्वपूर्ण अंग है शान्ति और व्यवस्था को स्थापित करने वाली पुलिस। हमारे सम्मानित नेता विरोधी दल ने और अन्य दल के सम्मानित नेताओं ने तथा आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने बहुत सारे विचार रखे। शायद आप सहमत होंगे कि स्वाधीनता के पूर्व सन् 1857 में पहला पुलिस आयोग गठित हुआ था और 1902 में दूसरा पुलिस आयोग तथा स्वाधीनता के बाद, 1978 में तीसरा पुलिस आयोग गठित हुआ परन्तु इस प्रदेश को पुलिस रिफार्म के रूप में कुछ दे नहीं सके।

आज आवश्यकता है कि एक ऐसा आयोग गठन किया जाय जो यह देख सके कि क्या-क्या आवश्यक अपरिहार्य परिवर्तन आवश्यक हैं। उनके बारे में सोचा जाय। हमारे नेता विरोधी दल ने भी कहा, अन्य माननीय सदस्यों ने भी काफी कुछ कहा लेकिन सर्वहारा पुलिस मैन की बात किसी ने नहीं सोची, जो 16 से 20 घंटे काम करते हैं उनके

वेतन के बारे में नहीं सोचा, उसके रहन-सहन के बारे में नहीं सोचा जो पुलिस की सबसे बड़ी जरुरत है, पुलिस के रूप में सबसे छोटी कड़ी है, पुलिस दल का सिपाही जो 20 घंटे तक काम करता है और 24 घंटे का वह सरकारी मुलाजिम है। मैं कहना चाहूंगा माननीय मुख्य मन्त्री जी से और सरकार से कि उसके वेतनमान को और सुविधाओं को अधिक बढ़ाने का प्रयास करें ताकि एक बहुत बड़ा अन्तर दूसरों में और शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने वालों में न रहे। हम इनकी आलोचना करते हैं, समालोचना करते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं, उनको दण्डित करते हैं अगर वह कहीं किसी व्यक्ति विशेष को समाज के किसी निरीह वर्ग को प्रताड़ित करते हैं। यह पुरस्कार और दण्ड देने की प्रक्रिया अच्छी है। अभी मेरे जनपद बाराबंकी में साढ़े चार क्विंटल अफीम पकड़ी गई। मैं आप के माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि उन लोगों को जिन्होंने यह कार्य किया है तथा बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक को राष्ट्रपति पुरस्कार दिलाने हेतु कार्यवाही करें।

इसी प्रकार लखनऊ प्रदेश की राजधानी में माफिया सरगनों का सफाया हो रहा है, गोरखपुर के इलाके में भी माफिया सरगनों को गिरफ्तार किया गया है और वहां पर कोई माफिया सरगना सरवाइव नहीं कर रहा है। इसके लिए बधाई देता हूं। वहां के पुलिस अधीक्षकों को, पुलिस प्रशासन को और माननीय मुख्य मन्त्री जी को। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं वह सम्मानित सदस्य विपक्ष के सन् 1972 में जेल से इस शर्त के साथ छोड़े गए थे कि वे 7 वर्षों तक अपनी चरित्र-पंजिका में कोई भी गलत प्रविष्टि नहीं करवायेंगे परन्तु उनके ऊपर इस समय 147, 148, 149, 211, 309 तथा 427 आदि अनेक भारतीय दण्ड विधान की धारा इनायतनगर, फैजाबाद में दर्ज है तो पहले राजनैतिक नेताओं को भी अपना दामन साफ करना होगा। क्योंकि हमारे सत्ता पक्ष तथा विपक्ष दोनों पक्षों के राजनेताओं को एक स्वच्छ समाज और सामाजिक प्रशासन के बारे में गम्भीरता से सोच कर निर्णयात्मक कदम उठाना होगा। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हैं तो अपने दामन में भी झांक कर देखें। हमारे अन्दर कुछ कमियां हैं, हम चाहें सत्ता में हों या विरोध में, हमारी जो कमियां हैं, उनको हमें दूर करना चाहिए।

हमें कुछ रिफार्म्स के बारे में सोचना होगा। जापान में एक सेन्ट्रल पुलिस कमीशन है, जिसका अध्यक्ष प्रधान मन्त्री होता है। मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक प्रयोग करें उत्तर प्रदेश में और एक ऐसा आयोग बनावें, जिसका अध्यक्ष, जापान के पैट्रर्न पर मुख्य मन्त्री जी हों और उनके साथ जन-प्रतिनिधि के रूप में तीन सदस्य हों तथा पुलिस बल के तीन सदस्य हों, जिनके माध्यम से तमाम पुलिस प्रशासन को मजबूत किया जाय, जिससे देश को, समाज को बल मिल सके। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहला यह कि पुलिस बल में अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित करने पर जोर देना होगा। दूसरा यह कि हम राजनीतिज्ञों को नयी कार्य पद्धति पुलिस के साथ अपनानी होगी। तीसरे पुलिस को जन-विश्वास प्राप्त करना चाहिए और चौथी बात एक ऐसा रेगुलर एसेसमेन्ट पुलिस का करें, जिसके माध्यम से समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन होते रहें। इसके साथ ही मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे राज्य में फायर बिग्रेड और नदी पुलिस की व्यवस्था कम है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नदी पुलिस और फायर बिग्रेड की व्यवस्था अधिक तादाद में करने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही हमारे नेता, विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूं और मुख्य मन्त्री जी द्वारा रखे गए बजट का समर्थन करता हूं।

श्रीमती सरोज वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता जी, सबसे पहले मैं आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे गृह-विभाग के बजट के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह जो गृह-

विभाग और सामान्य प्रशासन का बजट है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा सम्बन्ध जनता से है, समाज से है और देश से है। अगर सामान्य प्रशासन देश का ठीक नहीं रहेगा तो देश की स्थिति कभी सुधर नहीं सकती। माननीय मुख्य मन्त्री जी का भाषण बहुत ही गौर से मैंने सुना। बहुत अच्छा और विद्वतापूर्ण भाषण था, लेकिन कोई ऐसा सुझाव दिया गया हो जिससे पता लगे कि ये सामान्य प्रशासन और पुलिस की कार्य प्रणाली को सुधारेंगे, तो ऐसा नहीं है। एक सुझाव दिया था उन्होंने दफ्तरों में कम्प्यूटर लगाने का। इसी तरह से सितम्बर 1983 में इंदिरा गांधीजी ने कहा था कि टलीवीजन से देश प्रेम की भावना उत्पन्न होगी और राष्ट्रीयता गढ़ी जा सकेगी। इसी तरह से हमारे प्रधान मन्त्री जी कम्प्यूटर को इस देश की प्रगति का सहारा बनाना चाहते हैं और इसी भावना के तहत माननीय मुख्य मन्त्री जी शासन में कम्प्यूटर लाने की बात करते हैं। देश के हजारों करोड़ों हाथ बेकार घूम रहे हैं, और ये कम्प्यूटर से काम ले रहे हैं। क्या शासन की कार्य क्षमता कम्प्यटर से बढ़ेगी। इससे दफ्तरों की और प्रशासन की क्षमता नहीं बढ़ेगी। इसके लिए जरूरी है कि अनुशासनहीन और भ्रष्ट अधिकारियों को कड़ा से कड़ा दण्ड दिया जाय, न कि कम्प्यूटर की स्थापना करने की जरूरत है।

आज जिस तरह से कानून व्यवस्था देश में है, उससे जनसाधारण के हर आदमी का विश्वास उससे उठ गया है। उसे नहीं विश्वास है कि उसे इस देश में कहीं से न्याय मिल सकेगा, चाहे अदालत हो, चाहे छोटा दफ्तर हो, चाहे तहसील का दफ्तर हो और चाहे उच्च अधिकारी का दफ्तर हो। इस लिए सर्वविदित तथ्य है कि सत्ता पक्ष के लोग चाहे स्वीकार न करें, कि आज हमारे देश में प्रशासन की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मान्यवर, व्यवस्था कहीं रही ही नहीं गई है। आज प्रदेश की जनता डाकुओं से इतनी भयभीत नहीं है जितनी पुलिस से है। गांव का सीधा साधा आदमी पुलिस को देख कर कांप जाता है। थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है तो सही नहीं लिखी जाती है। उसकी पिटाई होती है। इसलिए हर गांव का आदमी, सही आदमी गरीब आदमी पुलिस वालों से डरता है। यह है हमारे स्वतन्त्र देश की पुलिस व्यवस्था, कानन व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था। मैं अपने क्षत्र का एक उदाहरण देना चाहती हूं। मेरठ का एक गांव है हैवा वहां पर 9 मार्च को झगड़ा हुआ। झगड़े में 3 आदमियों को चोटें आयीं। 9 मार्च को थाना छपरौली में सत्यपाल सिंह ने रिपोर्ट लिखवाई। उस रिपोर्ट को आई0 पी0 सी0 की धारा 147, 148, 149, 324, 307 के अन्तर्गत दर्ज कराया गया। लेकिन फिर भी कार्यवाही न होने पर मैं इस सम्बन्ध में एस0 एस0 पी0 से मिली उनसे फोन से सम्पर्क स्थापित किया, लेकिन बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मार्च से आज अगस्त आ गया, लेकिन कोई भी कार्यव ही नहीं की गई। जबकि धारदार हथियार की चोटें हैं और उसकी मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है। सत्यपाल को जो 19 चोटें आईं, उसमें 9 चोटें धारदार हथियार से हैं। उनकी पत्नी को 5 चोटें आयीं और एक आदमी को एक चोट आई। 5 महीने बीत गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे तमाम मामले हैं, जिनके बारे में कहा जा सकता है। मान्यवर, जब एक विधायक के कहने पर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते, तो साधारण जन के कहन पर क्या ध्यान देंगे। बड़े अधिकारी अगर मौके पर जांय और जांच करें तो इस व्यवस्था में काफी सुधार हो सकता है। लेकिन वे तो तब ही दफ्तरों से निकलते हैं, जब कहीं कोई कत्ल हो जाता है।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप समाप्त करें।

श्रीमती सरोज वर्मा---

मान्यवर, इस बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं पहला सुझाव है कि जिन मामलों में विधायक बेगुनाहों को फंसाने के सम्बन्ध से अवगत करायें उसमें तुरन्त जुर्म की गम्भीरता को देखते हुए उप पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक को मौके पर जाना चाहिए क्योंकि मौके पर जाने से बहुत कुछ सही

जानकारी हो जाती है। दूसरे, यदि जान-बूझकर बेगुनाह को फंसाने या गुनहगार को छोड़ने की बात सामने आए तो कैरेक्टर रोल में प्रतिकूल प्रविष्टि अवश्य दी जाय। तीसरे, प्रतिकूल प्रविष्टि वालों को थाना न दिया जाय। अगर आप यह बात कर लेंगे तो कार्य में अवश्य सुधार आएगा। मैं यह भी कहती हूं कि अगर किसी आई0 ए0 एस0 अधिकारी, आई0 पी0 एस0 अधिकारी या किसी मन्त्री पर कोई आरोप लगे और वह आरोप सिद्ध हो जाय तो निश्चित् रूप से माननीय मुख्य मन्त्री जी उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें, मिसाल कायम करें। अगर प्रशासन को चुस्त करना चाहते हैं। किसी मन्त्री के विरुद्ध यदि कोई आरोप सिद्ध हो जाता है, तो उसे तुरन्त ही शासन से अलग कर देना चाहिए। तब ही आप जनता को विश्वास दिला पायेंगे कि इस देश प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी चलेगी, प्रशासन अच्छा चलेगा। मैं यहीं अपनी बात समाप्त करते हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देती हूं और फिर कहती हूं कि अगर इस प्रदेश में प्रशासन इसी तरह से चलाना है तो आज इन थानों को ही बन्द कर दिया जाय, तब जनता जय-जयकार ज्यादा करेगी। धन्यवाद।

*श्रीमती कमला साहनी--

मान्यवर, आपकी मैं आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत गृह, सामान्य प्रशासन एवं अन्य विभागों के प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले कोई बात कहने के पहले मैं उधर के बन्धुओं का स्वागत अपने एक शेर से करना चाहती हूं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीया कमला जी जो भी स्वागत करें सभी के लिए करें।

श्रीमती कमला साहनी--

हमें उन्हीं से कुछ कहना है। माननीय राम सरन जी और जो लोग बैठे हुए हैं--

"कल जिन्हें बैठने का सलीका न था,
आज वे महफिल से हमको उठाने लगे।"

जनता ने भी आपको 5 साल के लिए भेजा था लेकिन सलीका नहीं था, इसलिए 3 साल में ही वापस चले गए। जो 3 साल आप लोग इधर बैठे, आपने क्या किया? हमने जिन अराजक तत्वों को जेल में डाल कर रखा था, उन्हें आपने मुक्त किया, जिस माफिया गैंग को हमने जेल में डाल रखा था, उसे आपने पुनः बनाया। आपने कहा कि जनता के दिल से हम डर भगायेंगे। जनता के दिल से तो आप डर नहीं भगा पाए, हां आपने डर भगाया माफिया गैंग के लोगों का और अराजक तत्वों का और जिनको आप गलत मसलाह सप्लाई कर रहे थे। आज उसी का नतीजा है कि क्राइम चरम सीमा पर है। मान्यवर, यह हमारे शासन की देन है कि हमने तमाम डकैतों को जेल भेजा और जितने माफिया गैंग थे, उनको जेल भेजा। आज आप लखनऊ को ही देख लें, जो ऐसे गिरोह थे वे आज सब जेल के अन्दर हैं और हर जगह अमन-चैन का वातावरण है। अब आप ही सोचिए कि यदि ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाय तो समाज की क्या व्यवस्था हो जायगी। मान्यवर, हमारे बस्ती जिले में एक मखन दरोगा ने एक डकैत से लड़ते हुए कुर्बानी दे दी, जो एक मिसाल है। छुट-पुट घटनायें तो होती रहती हैं और होती रहेंगी।

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहती हूं कि बस्ती जनपद में नौगढ़ क्षेत्र को जिला बना दिया जाय। इसकी मांग भी बहुत पहले से चलती आ रही है, यदि किसी आदमी को अपने मुकदमें की पैरवी करने के लिए आना पड़ता है या फिर और कोई काम के लिए आना पड़ता है, तो उसे 100 किलोमीटर दूर बस्ती आना पड़ता है।

मान्यवर, जनपद स्तर पर एक फायर ब्रिगेड होनी चाहिए। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने ट्रेप के बारे में कहा, बड़ी खुशी हुई। ट्रेप की कायदे से व्यवस्था हो जाय। पुलिस विभाग में और अन्य विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है और जो अधिकारी लापरवाही करता है, उसको चुस्त करने के लिए चुस्त दण्ड प्रक्रिया बनाई जाय। इन्हीं बातों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथ में अपनी बात समाप्त करती हुई माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आज चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, सब की आम शिकायत यह है कि सारे प्रशासन में भ्रष्टाचार है। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि भ्रष्टाचार मिटाना है तो सत्तादल और शासन को भ्रष्टाचार के बारे में अपना दृष्टिकोण बदलना होगा और उसमें आमूल-चूल परिवर्तन लाना होगा। आज देश का प्रधान मन्त्री कहता है कि भ्रष्टाचार ऊपर नहीं है, भ्रष्टाचार नीचे है। ऊपर तो भ्रष्टाचार मामूली है। हो सकता है प्रधान मन्त्री को इस देश की ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि और ऐतिहासिक संस्कृति की जानकारी न हो। माननीय मुख्य मन्त्री जी, जो बहुत विद्वान हैं, से मैं कहना चाहता हूं कि यदि उनमें आत्मबल है तो वह प्रधान मन्त्री से कहें कि वह देश के इतिहास से कुछ सीखें।

मान्यवर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जो इतिहास के विद्यार्थी रहे होंगे वह जानते होंगे। राजा नन्द के जमाने को डार्केस्ट एरा आफ इंडियन हिस्ट्री कहते थे और चन्द्रगुप्त मौर्य के जमाने को स्वर्णिम युग का आरम्भ माना जाता है। ऐसा नहीं था कि राजा नन्द के बाद चन्द्रगुप्त मौर्य के जमाने में सारी जनरेशन समाप्त हो गई हो बल्कि सत्ता के सर्वोच्च आसन पर बैठे हुए व्यक्ति का आचरण बदला और वह परिलक्षित हुआ सारे देश और समाज में और अन्धकार के युग से स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई।

मान्यवर, गांधी जी की कल्पना कीजिए, उनके जमाने में इस देश को निर्धनों और बुजदिलों का देश कहते थे। गांधी जी फकीर की शक्ल में आए और सारी निष्क्रियता को छोड़ कर लोग उनकी एक आवाज पर गांधी के पीछे खड़े हो गए। उनकी मदद से गांधी जी के नेतृत्व में देश आजाद हुआ और उसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल भुला दिया लोगों ने गांधी को। फिर एक बार जय प्रकाश जी आए, सारा देश फिर उठ खड़ा हुआ लोक नायक के पीछे। हम व्यक्ति-पूजक तथा वीर-पूजक रहे हैं, आदर्श हमारी प्रेरणा रही है। आज भ्रष्टाचार सत्ता के सर्वोच्च स्थानों पर विराजमान है, इसलिए सारे समाज में है अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है तो प्रधान मन्त्री को अपने दृष्टिकोण में तब्दीली लानी होगी। भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर है, जब आपकी यह समझ बनेगी तभी आप उससे निबट पायेंगे। मन्त्री, ईमानदार अफसरों की तारीफ न करें, यह मैं नहीं कहता, उन्हें पुरस्कृत करें लेकिन कंस न बनाए। पुलिस को कंस न बनाइए जिसने देवकी और वासुदेव को कारागार में बन्द कर दिया था। पुलिस को हनुमान बनाइए जिसने अहिरावण के दरबार से राम और लक्ष्मण को निकाल कर उनका उद्धार किया था।

मैं अपने जिले का एक उदाहरण देना चाहता हूं। फैजाबाद में लाल बहादुर वर्मा नामक व्यक्ति को मालीपुर थाने में जिन्दा जलाया गया था और शासन ने उस बात को स्वीकार नहीं किया और कहा कि अपने आप आग लगा ली। एक राधा नाम की औरत थी, बिहार से तीर्थ यात्रा पर अयोध्या जा रही थी। अकबरपुर और फैजाबाद के बीच में, उसके साथ उसका 18 साल का एक लड़का भी था, उस 18 साल के लड़के को शिव बाबा नामक पवित्र स्थान पर गाड़ी से घसीट कर लड़के को एक पेड़ से बांध दिया गया और उस औरत के साथ बलात्कार किया गया बाद में कुछ लोगों ने थाने में अकबरपुर इत्तिला की और थाने के दरोगा ने उस को स्वयं छुड़वाया था, पुलिस में रिपोर्ट लिखी गई, कार्यवाही शुरू हुई, मुल्जिमानों की शिनाख्त होने लगी और चूंकि वह सत्तारूढ़ दल के थे, उन सफेदपोश लोगों के नाम थे, उस मामले को समाप्त कर दिया, मामला ही समाप्त नहीं हुआ बल्कि यहां तक हुआ कि उस लड़के को उन्हीं क्रिमिनल्स को सौंप दिया, लड़के की हत्या कर दी गई और बाद में यह कह कर कि बिहार में, जो पता उस लड़के ने रिपोर्ट में लिखाया था, उस पते पर उस नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं।

मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। तब मैंने प्रधान मन्त्री को लिखा। स्वर्गीय प्रधान मन्त्री ने कृपया करके होम सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश को लेटर लिखा था....

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं न तो कहानी दोहरा रहा हूं, मैं न तो रिपीट कर रहा हूं और न कोई इर्रिलेवेन्ट बात कह रहा हूं। प्रधान मन्त्री ने गोपनीय डी0 ओ0 लिखा कि होम सेक्रेटरी इसमें गुप्तचर जांच करायेंगे और नतीजा क्या हुआ? वह मामला पहुंच गया फैजाबाद के कलेक्टर के पास। कलेक्टर ने दे दिया एस0 एस0 पी0 को और उसने उसी थाने को सौंप दिया। यह स्थिति है, इसमें मेरा आरोप है कि बलात्कार की घटना पर इसलिए परदा डाला गया क्योंकि अपराधी राजनैतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति थ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

आज सारी मान्यतायें, सारे मापदण्ड, बदल गए हैं, सारी मान्यताओं को, संस्कृति को, धारणाओं को तिरोहित करने पर आमादा हैं यह सरकार, इसीलिए यह सब हो रहा है। यदि आप चाहते हैं कि लोकतंत्र पुष्पित और पल्लवित हो तो कुछ एजेंसियां हैं जिनकी विश्वसनीयता को बनाए रखना होगा। यदि राजनीतिक कारणों से इस प्रकार की एजेंसियों से लोगों का विश्वास उठेगा, खुफिया एजेंसियों से, चुनाव आयोग से विश्वास उठ जायगा, तो लोकतंत्र मर जायगा इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि हम चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों राजनीतिक धरातल से ऊपर उठकर कुछ जो मूल्य हैं उनको अक्षुण्य रखने के लिए बनाए रखने के लिए सामूहिक रूप से राष्ट्रीय सहमति बनाकर काम करना पड़ेगा, तब शासन को ठीक से चला सकेंगे, प्रदेश और देश को बना सकेंगे। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री प्रदीप माथुर--

आज आपने मुझे गृह विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि वे प्रयत्नशील हैं, प्रदेश में, प्रशासन में चुस्ती लाने के लिए। उन्होंने बहुत सारे जिला स्तर पर कार्य कराए हैं, प्रभारी मन्त्रियों की नियुक्ति इसी दिशा में एक काम है ताकि समस्त निर्णय तुरन्त लिए जा सकें और जनता को राहत मिल सके। इसमें पुलिस की प्रमुख भूमिका है। कौन कहता है कि इस प्रदेश की पुलिस इस काबिल नहीं है कि प्रशासन में चुस्ती न ला सके। 31 अक्तूबर, 1984 को होने वाली घटनायें सामने आ जाती हैं। उस समय भगोड़े सैनिक, जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं को पार करके आए थे उनको पुलिस ने ही कण्ट्रोल किया था। यह पुलिस की ही चुस्ती है, जो कानून व्यवस्था ठीक है। मेरा समस्त माननीय विधायकों से अनुरोध है कि हमें पुलिस में इण्टरफियरेन्स नहीं करना चाहिए। हम उनसे कहते हैं कि फलां को छोड़ दीजिए और फलां को पकड़ लीजिए। हमें इस काम को छोड़ना होगा। पुलिस के एस0 पी0, दरोगा यह कहते हैं कि माननीय विधायकगण दबाव डालते हैं गुण्डों को छुड़वाने के लिए तस्करों को छुड़वाने के लिए। हमको राजनीतिक शरण देनी बन्द करनी होगी तब यह हो सकता है कि गलत लोगों को बढ़ावा न मिले।

इसके साथ ही मैं अपने क्षेत्र मथुरा-वृन्दावन के बारे में कहना चाहता हूं। वहां पर एक माफिया गिरोह सक्रिय है, तस्करी होती है, चोरी होती है, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इस पर पुलिस प्रशासन और माननीय मुख्य मन्त्री जी ध्यान दें। कम्प्यूटर व्यवस्था और तमाम तरह की व्यवस्थाएं जिससे पुलिस प्रशासन में चुस्ती लाई जा रही है, इसके लिए माननीय मुख्य

मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बहुत ही निम्न स्तर की हैं, वे समय से नहीं पहुंच पाती हैं। जब आग लग जाती है सब कुछ जल जाता है, तब पहुंचती हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि इनकी स्थिति में सुधार के लिए शासन प्रयत्नशील है।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, आपने सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने के लिए मौका दिया, आभारी हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने भाषण में कुछ मुद्दे उठाए थे, जिला नियोजन को बढ़ा देने के बारे में। जिला नियोजन के बारे में बताना चाहता हूं कि इस शासन काल में कहने के लिए जरूर चल रहा है नियोजन प्रणाली चलाई जा रही है, लेकिन इसका अनुश्रवण नहीं हो रहा है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि प्रदेश के प्रभारी मन्त्री अपना समय देंगे प्रदेश की जनता से मिलने के लिए और जिलाधिकारी भी जनता से मिलने के लिए समय देंगे और हर नियोजन जिला स्तर पर किया जायगा। इस सिलसिले में मैं जिला बस्ती में पी० डब्ल्यू० डी० और सिंचाई विभाग की जिला नियोजन से जो भी स्वीकृतियां होती हैं, ऊपर आ कर उनको काट दिया जाता है। जब वित्तीय स्वीकृति हो जाती है विभागवार, तो जो कार्य जिला नियोजन की कमेटियों द्वारा तय किया जाता है, उसे लखनऊ से क्यों काटा जाता है? क्या यह जिला नियोजन प्रणाली के चलाने का तरीका है?

मान्यवर, हमारे यहां के जो प्रभारी मंत्री हैं वह बस्ती जिले में कभी भी मीटिंग नहीं करते हैं। वर्ष में शायद एक बार वह मीटिंग हुई है लेकिन वह भी वहां के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई है। आप कहते हैं कि प्रभारी मंत्री जनता को मिलते रहेंगे लेकिन आपके मंत्रियों के पास समय ही कहां है वहां जाने के लिये। वह कैसे जनता की समस्याओं को सुनेंगे!

मंत्री जी ने कहा कि अहमद नगर प्रणाली का वे प्रयोग करने जा रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने निर्देश दिये हैं प्रत्येक प्रदेश के मुख्य मंत्रियों को कि अहमद नगर प्रणाली को हर जिले में लागू किया जाय। अहमद नगर प्रणाली पर जो आर्टिकिल निकला है "लिंक" में जिसे श्री अनिल कुमार लखोटा ने लिखा है, उसको चला पाना आपके लिये सम्भव नहीं है। कैसे यह सम्भव हो पायेगा जबकि कोई भी पत्रावली बिना पैसा लिये, बिना सिफारिश के आगे नहीं बढ़ती है! आपके पास इतने विभाग हैं और उसमें न जाने कितने क्लर्क कार्यरत हैं उन क्लर्कों की अपने अधिकारियों से इतनी दूरी रहती है तो फिर समस्याओं का समाधान कैसे हो पायेगा? आपके यहां एक-एक क्लर्क है जिसकी तीन-तीन और चार-चार मंजिली कोठियां शहरों में खड़ी हुई हैं, यह कहां से खड़ी हैं? क्या वह अपने अस्तित्व की बात को बतायेगा?

सबसे पहले जो आपके यहां की कार्य शैली है उसमें परिवर्तन करिये, जब तक आप उनकी विचारधारा में परिवर्तन नहीं लायेंगे तब तक यह सम्भव नहीं हो पायेगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में बार-बार कहा है कि पुलिस का मनोबल नीचा नहीं करना चाहिये, मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन क्या पुलिस का मनोबल इस स्थिति तक बढ़ा दिया जाय कि इस प्रदेश की जनता का मनोबल नीचा हो जाय और उसकी सुरक्षा न मिल सके? क्या यह उचित होगा? पुलिस का मनोबल उस स्तर तक बढ़ाना चाहिये जहां तक जनता की कोई हानि न हो, जनता को सुरक्षा मिले।

हमारे क्षेत्र में चार डकैतियां पड़ी थीं उस क्षेत्र में जहां केवल हरिजन, मल्लाह आदि जाति के लोग रहते थे। उन्हें खेसरहा थाने के अन्तर्गत लूटा गया था। वहां पर उस समय एक हरिजन दरोगा तैनात थे उन्होंने अपराधियों को पकड़ने में बड़ी तत्परता दिखायी थी और उनको पकड़ा भी। उसी दरोगा के खिलाफ पुलिस अधीक्षक बांसी ने कार्यवाही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की और मामले को दबा दिया। क्या इससे ही पुलिस का मनोबल ऊंचा होगा ? पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिये, उसको सही काम करने के लिये, आप उसे सही संरक्षण नहीं देते हैं, उनको राजनैतिक प्रभाव में लाकर उनकी अयोग्यता को आप संरक्षण देते हैं। इसी के साथ में अपने को माननीय सुरेन्द्र अवस्थी के विचारों से सम्बद्ध करता हूं और साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि केवल डी0आई0जी0 या आई0जी0 को ही नहीं, कांस्टेबिलों पर भी आपको ध्यान देना चाहिये, जब तक आप इनकी ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन द पाना मुश्किल है।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी एक खामोश दरिया एवं शान्त सागर हैं। वह एक वट वृक्ष हैं जिसके नीचे हमारे वैद्य रूपी संसदीय कार्य मंत्री, श्री हुकुम सिंह जी हैं जो कि विपक्ष की नब्ज को अच्छी तरह से पहचानते हैं कि थर्मामीटर का पारा कब ऊपर चढ़ता है और कब गिरता है, इसका इलाज वह अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

वो तो इधर ही की देन है।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

··खूब करते हैं, उसका इलाज अच्छी तरह से जानते हैं। मान्यवर, आप एक नारंगी और संतरे की शक्ल में हैं। जनता यह जानती है कि कितना बड़ा जनता को आप धोखा देते हैं। हम एक खरबूजे की शक्ल में हैं, हमारे ऊपर तमाम लकीरें बनी हुई हैं। हमारे माननीय सदस्य अभी तमाम बलात्कार लूट और इसकी चर्चायें कर रहे थे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब सन् 1980 में आपने शासन छोड़ा था तो बलात्कार और लूट के साथ शासन हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सम्भाला था।

अभी हमारे एक सदस्य ने हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह पर आरोप लगाया था। मैं जानता हूं कि यह किसी से छिपा नहीं है कि वह कितने ईमानदार और कितनी योग्यता से शासन को चलाते थे। जब आपने हुकूमत दी थी तो उस समय 93 बलात्कार थे, जो श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के डेढ़ माह के शासन काल में घटकर 33 बलात्कार रह गया इस प्रकार से घटकर मात्र 14 प्रतिशत बलात्कार रह गया। मान्यवर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं जो आपके आंकड़े हैं जो कार्यवाही को देखने से मिलते हैं यह तो आप जानते हैं। अभी हमारी बहन सरोज वर्मा बोल रही थी महिलाओं के साथ बलात्कार लूट-पाट हो रहा है, बलात्कार और लूटपाट का मेरठ जिले का किस्सा है जिसको माननीय सदस्य ने रखा है जो कार्यवाही देखने को मिलती है मैं पूरी कार्यवाही के अन्दर यही पाता हूं। मेरठ जिले में ग्राम मलकपुर में दो लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया और यह बलात्कार सुरेश, ओमवीर सिंह, जो जाट वर्ग के हैं के थे उन्होंने बलात्कार किया। आपके माननीय सदस्य कह रहे थे। यही नहीं 28 सितम्बर सन् 1980 को कुमारी माया के साथ 15 वर्ष की बाबू हरिजन की पुत्री की अस्मत लूटी गयी। यह मैं एक इक्जाम्पिल दे रहा था इस अस्मत लूटने के साथ व्यभिचारियों ने उनकी दोनों आंखें फोड़ दी और दाहिनी छाती काट लिया। यह सन् 1980 का है, आपके आंकड़े जो हैं, उनको दे रहा हूं। हमारे क्षेत्र में मंझनपुर महेवाघाट में एक रिपोर्टिंग चौकी व वायरलेस की स्वीकृति दी गई थी। जिसमें से वायरलेस सेट अभी तक नहीं लगाया गया। मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो वायरलेस की स्वीकृति दी गयी है उसको शीघ्र लगा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री शारदा प्रताप--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने माननीय नेता विरोधी दल के इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं उसके लिये आपका

बहुत आभारी हूं । मान्यवर, बड़े लम्बे, चौड़े इतिहास और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर न पड़कर मैं अपने जनपद की कुछ बातें रखना चाहता हूं । मान्यवर, हमारा लखनऊ जिला 3 तहसीलो में बंटा हुआ है । 77 व 80 के बीच में एक चौथी तहसील की प्रस्तावना हुई थी, जिसको कार्यरूप दिया गया, काफी चर्चा चली, परन्तु पता नहीं कि किन कारणों से वह चौथी तहसील का सृजन नहीं किया गया। मान्यवर, चौथी तहसील चिनहट ब्लाक और बख्शी का तालाब को मिलाकर बनाई गयी थी क्योंकि बख्शी का तालाब का तमाम हिस्सा मलिहाबाद में लगता है और बीच में गोमती नदी होने से बख्शी का तालाब के लोगों को मलिहाबाद, लखनऊ होकर जाना पड़ता है । इसलिये मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को पता नहीं क्यों दबा दिया गया है, रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है । मैं चाहता हूं, और माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह लखनऊ जिले में एक चौथी तहसील का सृजन कर क्योंकि लखनऊ तहसील में मुकदमें लम्बित पड़े हैं हजारों-हजार की संख्या में । तहसीलदार किसी भी दिन अदालत में बैठते नहीं हैं ।

मान्यवर, उनका सारा समय या तो सरकारी अधिकारियों की सेवा में, मंत्रि परिषद् के सदस्यों की सेवा में या हवाई अड्डे पर गुजरता है । काश्तकारों को न्याय देने के लिये या उनकी कठिनाइयों को सुनने का समय नहीं मिलता है ।

मान्यवर, अब मैं पुलिस प्रशासन की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इनकाउन्टर के नाम पर तमाम निर्दोष लोगों को मारा जाता है । एक इन्सपेक्टर हैं, नागर साहेब, मैं उनसे मिलने गया था, उन्होंने कहा, शुक्ला जी जिस तरह से आप लोग अपने नेताओं के लिये गेट व द्वार बनवाते हैं, उसी तरह से हम नौकरी बचाने के लिये, अपने अधिकारियों को खुश करने के लिये 399 और 402 में गिरफ्तार करते हैं और इनकाउन्टर करते हैं, तो मान्यवर इस तरह से निर्दोष लोगों को घर से पकड़ कर मारा जाता है । दूसरे मैं ऐसे लोगों की चर्चा करना चाहता हूं की कुछ ऐसे सब इन्सपेक्टर हैं, जिन्होंने प्राइमरी से लेकर ऊंचे दर्जे तक की तालीम यहीं पर हासिल की है, उनके पिता इन्सपेक्टर और डिप्टी एस0पी0 रहे, यहीं लखनऊ में ही वकालत किया और यहीं पर पोस्ट हैं, क्या इस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलता है । मान्यवर, उनका ट्रांसफर हो गया, सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों के रिश्तेदार हैं, देवर भाभी का रिश्ता है, इसलिये उनका ट्रांसफर रुक गया और उस सब-इन्सपेक्टर के स्थान पर किसी दूसरे सब-इन्सपेक्टर का ट्रांसफर किया गया । उस सब इन्सपेक्टर के खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार के मामले हैं, मैं उन सबको यहां पर नहीं कहना चाहता हूं, एक घोटाला हुआ था, जिसमें प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनके भाई भी वकालत करते हैं, उनकी सांठ-गांठ से ऐसे भ्रष्ट सब इन्सपेक्टर का ट्रांसफर रोका गया । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम प्रकाश--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं यह जानना चाहता हूं कि किस आधार पर बुलवाते हैं, मेरा आप पर आक्षेप है, जो इशारा कर के ऊंगली उठा देते हैं, उनको आप खड़ा कर देते हैं, आप इस पर व्यवस्था दें ।

श्री अधिष्ठाता--

जो परम्परा रही है उसके अनुसार-विभिन्न दलों के नेतागण बोलने वालों की सूची दे देते हैं, उसी आधार पर मैं बुलवाता हूं । सूची में जिसका नाम ऊपर होता है, उसको समय दिया जाता है पहले, आप अपने नेता या संसदीय कार्य मंत्री से अपना नाम भिजवा दें, आपको भी समय मिल जायेगा ।

आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(समय 1 बजकर 10 मिनट)

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे जो सामान्य बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । किसी भी देश एवं प्रदेश की प्रगति एवं विकास के लिये शांति एवं सुरक्षा आवश्यक है इसीलिये सामान्य प्रशासन और गृह विभागन

का सर्वाधिक महत्व है, यह जिन्दगी के प्रत्येक पन्नों को छूता है । आज जब देश व प्रदेश के ऊपर बादल मंडरा रहे हैं)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री राम प्रकाश—

अगर आप कहें तो मैं सदन के बाहर चला जाऊं ।

श्री त्रिभुवी नारायण मिश्र—

मान्यवर, साम्राज्यवादी शक्तियां सर उठाने लगी हैं, हमारे मुख्य मंत्री जी हैं और प्रधान मंत्री जी हैं माफिया गिरोहों को कारागार में डाल दिया है और शांति और व्यवस्था में अंकुश लगाना चाहा है । मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश की गंगा और नंगा की समस्यायें हैं, गंगा मैंने इसलिये कहा कि वहां पर गंगा जैसी भीषण बाढ़ आती है और नंगा इसलिये कहा कि क्योंकि वहां पर अराजक तत्वों की भरमार है ।

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आतंकवाद और अराजकता इस तरह से होने लगी है जैसा कि ईस्ट इंडिया कम्पनी ने हिन्दुस्तान को तबाह करने का प्रयास किया था । आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में गुण्डों का साम्राज्य फैला हुआ है । हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने माफिया गैंग को समाप्त करने के लिये उन्हें रासुका में बन्द किया ताकि इस देश और प्रदेश में शांति–व्यवस्था कायम हो सके । राष्ट्रीय एकता के लिये, देश की सुरक्षा के लिये, जनता के धन–जन की सुरक्षा के लिये यहां पर पुलिस का गठन किया गया और राष्ट्रीय पुलिसिया के रूप में इसको सुसज्जित किया गया । मान्यवर, केवल आंकड़ों के बल पर डकुओं का उन्मूलन और कानून व्यवस्था का समाधान सम्भव नहीं है । इसके लिये 1972 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें चम्बल को समतल बनाने की योजना रखी गई थी । वह योजना अभी अधूरी है । इसके लिये मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, इसलिये मेरी पुरजोर मांग है कि इस योजना को तुरन्त लागू किया जाय और चम्बल के बीहड़ इलाकों का विकास हो सके । जब तक वह योजना लागू नहीं की जायेगी तब तक उस दस्यु ग्रस्त इलाके का विकास सम्भव नहीं है ।

दूसरी चीज मैं इस परिप्रेक्ष में निवेदन करना चाहता हूं कि जितने 12 अपराध-मूलक जिले हैं उनके लिये जौहरी मल्ल जैन के नेतृत्व में एक समिति बनी थी । उसने जो रिपोर्ट दी थी उसका अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है । इसी तरह से राज्य सरकार द्वारा गठित 1976 में एक सदस्यीय समिति का गठन हुआ था उसने भी अपनी रिपोर्ट दी थी किन्तु वह भी आज तक लागू नहीं हुई । इसलिये मेरी मांग है कि उन सारी रिपोर्टों का क्रियान्वयन हो । तभी वहां पर शांति-व्यवस्था कायम हो सकेगी । मुख्य मंत्री जी इस ओर गम्भीरता से विचार करें ।

मान्यवर, आपराधिक तत्वों पर सरकार को कड़ाई से अंकुश लगाना चाहिये । आज आपराधिक तत्व उच्च पदों पर आसीन हैं । ये आपराधिक तत्व सरकार के संरक्षण में रहते हैं, राजनीतिक संरक्षण में रहते हैं । इस भयावह स्थिति से हमारा प्रदेश गुजर रहा है । इस ओर हमारे प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री जी ने ध्यान दिया है और उस पर अंकुश लगाने की कार्यवाही की है । हमारा पुलिस प्रशासन इस दिशा में कार्यरत है ।

मान्यवर, अब मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा । पहली बात यह है कि सरकार अक्षम और अयोग्य व्यक्तियों को प्रमोशन न दे और भले और ईमानदार आदमियों को उच्च पदों पर सुशोभित किया जाय और उन्हीं के हाथ में प्रशासन दिया जाय । इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग में जो वेतन सम्बन्धी विसंगतियां हैं, उन्हें दूर किया जाय । हिल एलाउन्स दिया जाय । जो हिल एलाउन्स दिया जाता है वह बहुत कम है । उसे बढ़ाया जाय । इसके अतिरिक्त बी० एस० एफ० को वर्दी का प्रबन्ध किया जाय ताकि वे लोग अपनी ड्यूटी ठीक से कर सकें ।

इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिये पुलिस में एक अलग विंग बनाया जाय जहां पर राष्ट्रीय एकता के सम्बन्ध में उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके । मान्यवर, हमारी इंटेलीजेंस आज पूरी तरह से असफल रही है । इसी परिप्रेक्ष्य में आज भूतपूर्व प्रधान मंत्री तथा लोंगोवाल की हत्या हुई है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खुफिया विभाग को सुदृढ़ बनायें । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के इस बजट की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इस दिशा में काफी कुछ किया है फिर मैं चाहूंगा कि कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये, प्रदेश के चुस्त और व्यवस्थित विकास के लिये, राष्ट्रीय एकता और सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिये इस तरह के अराजक तत्वों के साथ सख्ती से बर्ताव किया जाय । अन्त में मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बस्ती आदि जनपदों के लिये जो योजनायें घोषित की गई हैं, उनको लागू करें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

कुंवर रेवतीरमण सिंह—

यहां पर न गृह सचिव हैं और न डी0जी0 पी0 हैं और न ही कोई कैबिनेट मंत्री हैं ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । क्या यह आवश्यक है कि जिस विभाग का बजट हो उसके अधिकारी जरूर रहें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

यह संसदीय परिपाटी है, यह आवश्यक है कि जिस विभाग का बजट हो उसके सबसे बड़े अधिकारी यहां मौजूद रहें ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

आवश्यक नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, जाहिदी साहब को व्यवस्था समझा दीजिये (व्यवधान) खैर रहने दीजिये मैं जाहिदी साहब की बात मान लेता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि कितनी गम्भीरता से अधिकारी इस सरकार को लेते हैं । मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण सुना । सामान्य प्रशासन की चर्चा करते हुये जब वह बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इस 20वीं सदी में 21वीं सदी की चर्चा कर रहे हों । माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा कि मैं मुख्य सेवक हूं, प्रमुख सेवक हूं । मैं मानता हूं कि उनके काम करने के दृष्टिकोण अपने हैं और हमारे भी काम करने के दृष्टिकोण हैं, वह भी प्रदेश की तरक्की चाहते हैं, हम भी प्रदेश की तरक्की चाहते हैं । लेकिन केवल दृष्टिकोण का फर्क है । लेकिन उस दृष्टिकोण ने आज हमें कहां पंहुचा दिया है । 38 साल की आजादी में इस देश में 51 फीसदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जो दो जून भोजन नहीं पा रहे हैं तो यह हमारे देश और प्रदेश का शासन है कि 38 साल की आजादी के बाद हम लोगों को खाना नहीं दे पाये ।

आज हमारा प्रदेश पूरे देश में सबसे पिछड़े हुये प्रदेशों में दूसरे और तीसरे नम्बर पर आता है । यह 38 साल के नियोजन में, हमारे प्रदेश की तरक्की हुई है जो सरकार जो 38 साल में कभी टूटी नहीं केवल मुख्य मंत्री जरूर दो-दो साल में बदलते रहे उसमें हमारे प्रदेश को क्या मिला, केवल गरीबी मिली । एक वह जमाना था जब पंत जी यहां मुख्य मंत्री रहे, उसके बाद डा0 सम्पूर्णानन्द जी और गुप्ता जी रहे और एक यह जमाना है जब मुख्य मंत्री डिक्टेशन लेने के लिये दिल्ली के लोगों के सामने सर झुकाया करते हैं । यह प्रदेश गरिमामय प्रदेश रहा है यह राम और कृष्ण की धरती रही है जहां पर गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती हैं जिसका अपना एक इतिहास रहा है, जिस प्रदेश को यह गौरव मिला हो कि बड़े-बड़े नेता यहां पैदा हुए हैं, आज वहीं दुख के साथ कहना पड़ता है न तो प्रशासन चुस्त है और न ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज कहीं पर है । आप आंकड़े बड़े-बड़े भले ही दे दें, बड़े-बड़े तथ्य दे दें, लोगों से मेज थपथपा लें लेकिन वास्तविकता बदल नहीं सकती है । कभी जाकर आप सामान्य आदमी से पूछें कि किस तरह से जीवन-यापन कर रहे हैं ।

आज रेलगाड़ी में चलना दूभर हो गया है, बसों में चलना दूभर हो गया है, गाड़ियों और बसों में चलना दूभर हो गया है, लोग घरों में और सड़कों में कहीं सुरक्षित नहीं हैं, यात्रा सुरक्षित नहीं है। कोई यह नहीं जानता कि किस क्षण क्या हो जाय इस बात को आपके आंकड़े बताते हैं। अभी आपके डी०जी०पी० इलाहाबाद में वक्तव्य दे रहे थे कि क्राइम की रिपोर्ट किसी भी तरह से गलत न लिखी जाय, उनको मिनिमाइज न किया जाय और रिपोर्ट जरूर दर्ज की जाय। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आप पार्टी से ऊपर उठकर कृपा करके बतायें क्या यह सही नहीं है कि हर थानों में डकैती की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, जो गरीब पैसा नहीं दे सकता है उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, चोरी की रिपोर्ट, नकबजनी में, डकैती की रिपोर्ट चोरी में या दूसरी धाराओं में लिख दी जाती है तो शासन को यह देखना चाहिये कि उसकी विश्वसनीयता क्या है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि रूटीन प्रशासन को विकास कार्यों से मिलाना पड़ेगा। आज कलेक्टर की स्थिति क्या है? जिले का कलेक्टर केवल हाथ जोड़ कर निवेदन ही कर सकता है।

मान्यवर, आज कलेक्टर की स्थिति बड़ी दयनीय है जिसको श्री गौरीशंकर जी बैठे हैं जानते होंगे। कलेक्टर को पीड़ा है कि वह एक दरोगा से अपने आदेश का पालन नहीं करा सकता है। एक नहीं दर्जनों इस तरह की मिसालें हैं कि कलेक्टर आदेश देते हैं और दरोगा उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देता है। यह व्यवस्था अंग्रेजों और साम्राज्यवादी शक्तियों से विरासत में मिली है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने प्रधान मंत्री होने पर कहा था कि कभी दुकान हमारी आयी तो आई०पी० ए० को पहले खंभे पर लटका दिया जावेगा और जब प्रशासन मिला तो आज पूरा प्रशासन उसी में बंध कर रह गया है। आज मंत्रियों के आदेशों का पालन नहीं हो पा रहा है, वह क्या करें, कहां जांय। अधिकांश मंत्रियों के आदेशों के पालन में अड़चनें आती रहती हैं, यह इसकी व्यवस्था है। क्या इस व्यवस्था में सामान्य व्यक्ति को, जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बताया कि 2,32,610 से ऊपर शिकायतें आयी हैं, यह तो लोग शिकायतें भेज पाये हैं न मालूम कितने करोड़ों ऐसे लोग होंगे जो अपनी शिकायतें भेज ही नहीं पाते हैं और आपके पास पंहुच ही नहीं पाते हैं और वह शिकायतें नक्कारखाने की तूती की आवाज में दबकर रह जाती हैं। उनको न तो कलेक्टर और न पुलिस कप्तान एवं दरोगा ही सुनते हैं।

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि व्यवस्था की जायेगी कि कलेक्टर जिलों में पब्लिक से मिलने जांय लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह रोज पब्लिक से 2 घंटे मिलते हैं लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? गरीब आदमी जो बेदखल कर दिया जावेगा, राजस्व मंत्री जी बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ग्राम सभाओं की जमीन, हरिजन की जमीन पर जो हर गांव के बड़े-बड़े लोग हैं, भू-सम्पत्ति के मालिक हैं, डंडे के बल पर सब जगह कब्जा कर रखा है और हरिजन को जमीन नहीं मिल पा रही है। लेकिन आपकी सरकार चुपचाप देख रही है और अपने को समदर्शी और समाजवादी सरकार कहती है। आप उनको बचाते हैं जिनके डंडे के बूते पर वोट लेते हैं।

मान्यवर, आपने कहा कि माफिया गैंग को बंद कर दिया है। आपके पुलिस अधिकारी, कलेक्टर क्या इस चुनौती को स्वीकार करेंगे कि हर जिले में जांच करवा लें कि आज उनको ही आग्नेय शस्त्र मिले हैं, जैसे बंदूक, रायफल, रिवाल्वर आदि, जिनकी क्रिमिनल हिस्टरी है और आज भी क्रिमिनल काम कर रहे हैं, क्या इसकी जांच करायेंगे और उनके लाइसेंस निलम्बित करेंगे। क्या आप में इतनी हिम्मत है? 20 माफिया लोगों को आपने बंद कर दिया, आप चाहते हैं कि हमारी शाबासी हो और आपकी शाबासी सब करें। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके समय में सामूहिक हत्यायें नहीं हुई हैं, हुई हैं तो यह क्यों हुई। मैं पहले की नहीं आज के पिछले तीन महीने के बारे में कहना चाहता हूं कि 36 सामूहिक हत्यायें हुई और 4 मई, 1985 को काछी गैंग ने आगरे में 10 लोगों को मार डाला। उसके बाद 18 मई को फर्जी मुठभेड़ में सीतापुर में 7 लोगों को मार

डाला गया । उसके बाद 22 जुलाई को सिंहपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की सामूहिक हत्या की गयी । 23 जुलाई को एटा के थाना पटियाली ग्राम नगला हायल में 3 लोगों की हत्या की गयी, भगवानपुर गोरखपुर में 4 आदमियों की हत्या और फर्रुखाबाद के बेहटा में 6 आदमियों की हत्या की गयी । यह आपके पुलिस प्रशासन की स्थिति है और आप उनका मनोबल ऊंचा कर रहे हैं । मनोबल इतना ऊंचा बना दिया है कि वह न तो कलेक्टर की और न एस0 पी0 की सुनते हैं । मेरा निश्चित आरोप है, कि मान्यवर, मुझसे एक बड़े अधिकारी ने बताया, उसका नाम मैं नहीं लूंगा कि आज थाने जरायम के अड्डे बन गये, हैं, नाजायज शराब, नाजायज पिस्तौल बनने और थाने जुआ खिलवाने एवं डकैतों को संरक्षण देने के थाने आज अड्डे हो गये हैं । आज जितने जरायम पेशे हैं वह थाने के जरिये होते हैं । कितने दरोगाओं को आपने सस्पेन्ड किया ? औसान सिंह और रंजीत सिंह जैसे तमाम सदस्यों के खिलाफ पुलिस वालों ने कार्यवाई की और उनको बुरी तरह से मारा पीटा, परन्तु आज तक हम उनको हटा नहीं सके, सस्पेन्ड नहीं कर सके । उनका मनोबल आप इतना ऊंचा न कीजिए कि आपके लिये ही खतरा पैदा हो जाए । मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि यदि यही स्थिति रही तो थानों में गोली चलेगी और चलना शुरू हो गया है । इसको रोकिए और उनके साथ सख्ती से निपटिये । एक थाने में 4–4 डकैतियां हो जाती हैं तो दरोगा क्यों नहीं हटाया जाता है ? आप केवल रिपोर्ट ही मंगाते हैं, आख्या ही मंगाते रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं । आप फाइलों पर ही काम करते रहते हैं, फाइलों पर नहीं मौके पर काम होना चाहिये, वास्तविकता में काम होना चाहिये, जिसका असर हो ।

आपने कहा कि शासन को चुस्त बनाने के लिये हमने विकेन्द्रित योजना बनाई है । डिस्ट्रिक्ट प्लान में जो हम लोग हैं, जो चाहते हैं जो मांग करते हैं वह स्वीकृत तो हो जाता है, लेकिन बाद में उसका क्या होता है । कुछ पता नहीं चलता है, जो स्वीकृत योजनाएं हैं, उनके बारे में जो काम, लेखा-जोखा है क्या वह किसी विधायक को बताया जाता है कि कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ और सही काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ । इसके सम्बन्ध में दोषी अधिकारी की चरित्र पंजिका में क्या कोई विधायक कुछ लिख सकता है । कम से कम डी0 आई0 जी0 को यह अधिकार होना चाहिये । उसमें विधायक मूक दर्शक बन कर रह गया है, उसको कोई अधिकार नहीं है, उसका अधिकारियों पर थोड़ा भी कोई नियंत्रण नहीं है । वह कभी मंत्री के पास, कभी संतरी के पास, कभी तहसीलदार के पास और कभी दरोगा के पास घूमता रहता है और उसकी कोई बात सुनी नहीं जाती है । उसके क्षेत्र के लोग कहते हैं कि विधायक जी आप हमारा काम नहीं करवा पाते हैं । इस तरह से यह शासन मृतप्रायः और लुंज-पुंज होकर रह गया है । इसको वह बदल नहीं सकते हैं, यह अफसरों की प्रणाली पर ही चलते रहेंगे । पुलिस के बारे में धर्मवीर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है । उन्होंने जो संस्तुतियां दीं, क्या उसमें से किसी एक को भी लागू किया गया है । एक को भी कहीं लागू नहीं किया गया है । केवल एक सिंहल कमीशन बना दिया गया कि वह पुलिस फोर्स के बारे में अपने सुझाव दे । जब कि ऐसे दर्जनों सुझाव पहले आये हैं, लेकिन एक को भी लागू नहीं किया गया है । भ्रष्टाचार के आरोप में श्री केशव देव मालवीय, श्री टी0 टी0 कृष्णमाचारी और श्री प्रताप सिंह कैरों ने इस्तीफा दे दिया था और भी न जाने कितने मंत्रियों और राजनीतिज्ञों ने समय-समय पर अपने इस्तीफे दिये हैं, लेकिन क्या किसी आई0 ए0 एस0 और आई0 पी0 एस0 अधिकारी ने इस्तीफा दिया है, उसको हटाया गया है । मंत्री तो हटाये गये, लेकिन आई0 ए0 एस0 और आई0 पी0 एस0 का कोई अधिकारी नहीं हटाया गया, चाहे कितने ज्यादा और गम्भीर आरोप उन पर रहे हों । कई बार यहां पर पूछा गया कि कितने आई0 ए0 एस0 और आई0 पी0 एस0 अधिकारियों के खिलाफ सतर्कता आयोग से टिप्पणी आई हैं, लेकिन उसमें से किसी का भी कभी

जवाब नहीं दिया गया । आपने इसी उद्देश्य से तो इसका (सतर्कता आयोग) गठन किया था, फिर आप इसकी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं ? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके आई0 ए0 एस0 और आई0 पी0 एस0 अधिकारी के खिलाफ सतर्कता आयोग ने लिखा हो और कार्यवाही की गई हो ? सतर्कता विभाग में वह लोग हैं, जो पुलिस के लोग दण्डित करके पनिशमेन्ट पोस्टिंग पर इन विभागों में भेज दिये गये हैं । जो पनिशमेन्ट पोस्टिंग पर जाते हैं, वह वैसा ही बेमन काम करते हैं । क्या आप उनके लिये अलग से कोई कैडर नहीं बना सकते हैं । यह विभाग तो उनके लिये कालापानी की तरह है । आप कहते हैं कि हमने सतर्कता आयोग बना दिया है, लेकिन आपने उसकी कितनी जांच रिपोर्टों पर कार्य किया है ? क्योंकि आपके पास कोई दृढ़ संकल्प नहीं है, प्रबल इच्छा शक्ति नहीं है । आप केवल घिसी-पिटी लाइन पर चलते रहेंगे । मैं चाहता यह हूं और यही आप में और हम में अन्तर है, जो भूखे-प्यासे, दबे-कुचले और पद दलित लोग हैं, जिनके चेहरे पर आज लाली नहीं है, उन में बदलाव आए यह हम चाहते हैं । मान्यवर, हम चाहते हैं कि उनको 2 जून की रोटी मिले, भोजन मिले लेकिन आप चाहते हैं कि शहरों में फौव्वारे लगें और शहरों में गुलाब लगें । हमारे और आपके दृष्टिकोण में सबसे बड़ा फर्क यही है । इसी दृष्टिकोण की वजह से आजादी के 38 सालों के बाद भी जनता को उसका हक नहीं दे पाये हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि वह मण्डलीय मंत्रियों को निर्देश दे रहे हैं कि वह जनता की शिकायतों को सुनें । इससे ऐसा लगता है जैसे विभागीय मंत्री शिकायतों को सुनते नहीं हैं । यह जो मण्डलीय मंत्री जायेंगे तो क्या इनकी बात सिंचाई मंत्री मानेंगे, बिजली मंत्री मानेंगे, एस0 एस0 पी0 मानेंगे । तो यह कैसी दोहरी व्यवस्था है एक तरफ तो डिपार्टमेन्टल मिनिस्टर्स और दूसरी तरफ मण्डलीय मंत्री, दोनो में विरोधाभास है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं 5 मिनट और बोलूंगा । आपने मण्डलीय मंत्री बनाकर विरोधाभास पैदा कर दिया है । अधिकारी किसकी बात मानें, इनकी बात मानें या विभागीय मंत्री की बात मानें । इसी के साथ-साथ मैं पुलिस ऐक्ट के बारे में कहना चाहता हूं । यह पुलिस ऐक्ट 1861 में बना था और अब हम 1985 में आ गये हैं । 21वीं सदी में आने वाले हैं और ऐक्ट 19वीं सदी का लागू है जिसके कारण तमाम दिक्कतें हैं । इसका नतीजा यह है कि जेल प्रशासन में तमाम व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं । अगर कोई हवालात में बन्द किया जाता है तो उसके खाने के लिये 6 आने का प्राविधान किया गया है । आप बतायें कि कौन सा आदमी है जो 6 आने में अपना भोजन कर सकता है ।

श्री राम सरन--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, मुझे बहुत बुरा लगा । जितने अधिकारी लोग बठे हैं गवर्नर गैलरी में बैठे हैं, तो कुछ सदस्य लोग सिफारिश की चिट्ठी यहां से उनके हाथ में थमा रहे हैं । यहां भी बख्शते नहीं हैं तो थानों में क्या बख्शते होंगे । मैं 2 दिन से यह देख रहा हूं । यह असेम्बली है । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें । यह लोग अपने आचरण को ठीक करें ।

श्री अधिष्ठाता--

यथासम्भव माननीय सदस्यों को प्रयास करना चाहिये कि यहां पर सम्बन्ध न स्थापित करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

तो मैं कह रहा था कि बहुत पुराने समय से यह जो पुलिस ऐक्ट लागू है उसमें मुलजिम के खाने के लिये 6 आने की व्यवस्था है तो इतने में कोई आदमी कैसे भोजन कर सकता है । तो सारे भ्रष्टाचार को इनके नियम

और कानून बढ़ावा देते हैं। यह सुनने और समझने के लिये तैयार नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अहमदनगर योजना के बारे में कहा। अनिल कुमार लखानियां कलेक्टर थे तो उन्होंने यह प्रयोग किया था। भले ही वह सीमित दिशा में सफल रहा हो उस प्रयोग को लागू करके सरकार उन बातों को लागू नहीं करा पायेगी। आज जरूरत है आमूलचूल परिवर्तन की और क्रांतिकारी परिवर्तन की। आज की सरकार में क्षमता और दृढ़ संकल्प नहीं है। इसलिये अपराधी लोगों को लूटते रहेंगे और गरीब लुटता रहेगा। महिलाओं, बहनों के साथ बलात्कार होते रहेंगे सरकार मूक दृष्टा की तरह देखती रहेगी और इस सदन में संसदीय कार्य मंत्री अपनी घिसी पिटी भाषा में जवाब देते रहेंगे। इसलिये मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री पूरन सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने संसदीय परम्पराओं के परिगत माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा, जो उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण में यहां पर गृह विभाग, सामान्य प्रशासन का बजट प्रस्तुत किया, पर बोलने का अवसर दिया है, मैं उस बजट का समर्थन करता हूं और इस सदन के योग्य सदस्य माननीय नेता विरोधी दल, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करता हूं। माननीय महोदय, मैं आपके संज्ञान में और इस सदन के संज्ञान में श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का एक स्मरण दिलाना चाहता हूं, जब वे वर्ष 1971–72 में एक विकास गोष्ठी में अल्मोड़ा पधारी थीं, तब उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री ने कहा था कि आजादी के बाद सारे विभागों ने अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव कर लिया है। लेकिन पुलिस व वन विभाग ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी छवि व कार्य प्रणालियां पुरानी वही अंग्रेजों के समय की बरकरार रखी हैं। इस पर तुरन्त इन्दिरा जी ने कहा था कि यदि पुलिस और वन विभाग ने अपनी कार्य प्रणाली नहीं बदली है, तो इसके लिये इन विभागों के अधिकारी व कर्मचारी दोषी नहीं हैं, बल्कि आप और मैं इसके लिये दोषी हैं, जो नीतियों का निर्धारण करते हैं जिन पर ये कार्यवाही करते हैं। हमें एसी नीतियों के तहत इसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने की कोशिश करनी चाहिये। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री को और कांग्रेस शासन को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पुलिस के आचरण व व्यवहार में बदलाव लाने के लिये नई-नई शिक्षा व प्रशिक्षण की संस्थाओं का गठन कर लिया है, जिसमें पुलिस कर्मियों के आचरण व व्यवहार में सुधार लाने का प्रशिक्षण दिया जायगा। उन्होंने यातायात नियमों को और सरल व व्यवहारिक बनाने लिये एक अलग से यातायात निदेशक की नियुक्ति करने की भी घोषणा की है, जो सक्षम होगा इस बात के लिये कि वह समय-समय पर नियमों को तात्कालिक जरूरतों के अनुसार परिवर्तन भी कर सके।

हमारे नेता विरोधी दल जब बजट भाषण के विरोध में बोल रहे थे, तो उन्होंने कोशिश की हरिजनों का मसीहा बनने के लिये, वह कह रहे थे, कि हरिजनों व अनुसूचित जातियों के लोगों को सेवाओं में विशेष प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है, हरिजन निजी सचिव भी बहुत अधिक नहीं हैं। क्या उनको दो बार इस बात के लिये मौका नहीं मिला था, जब वह सहकारिता मंत्री थे। आज जब वे नेता विरोधी दल हैं, तब दोनों बार उनके निजी सचिव उनके जातीय भाई नहीं हैं? उन्होंने क्यों नहीं हरिजन व्यक्ति को अपना निजी सचिव रखा? केवल भाषणों में कहने की बातें अलग होती हैं, व्यवहार में कोई नहीं करता है। आप क्यों नहीं किसी हरिजन को अपना निजी सचिव रख लेते हैं? पुलिस कर्मियों को सुविधा देने के लिये हमारे प्रान्त में भी काफी कोशिशें जारी हैं, परन्तु अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में उन्हें उतनी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, जितनी अन्य प्रदेशों में उन्हें प्राप्त हैं, जैसे हमारे प्रदेश में एक पुलिस कर्मी पर 9,998 रु0 मात्र खर्च किया जा रहा है, यह धनराशि कम है। इसे बढ़ाया जाना चाहिये।

अन्य प्रदेशों की लिस्ट नहीं पढ़ना चाहता हूं कि वहां एक पुलिस कर्मी पर कितना-

कितना रुपया खर्च किया जा रहा है । जब किसी पुलिस कर्मी की सेवा के वक्त दुर्घटना होती है, तो उसे तत्काल एक हजार से 5 हजार तक तथा दीर्घकालीन में 20 हजार से 50 हजार रुपये देने तक का प्राविधान है, जो बहुत कम है, इसे बढ़ाया जाना चाहिये । आज के जमाने में कपड़ा-धुलाई अब तक 10 रु0 महीने है, साइकिल भत्ता भी 10 रु0 महीना है । यह बहुत ही कम है, इसे बढ़ाया जाना चाहिये । अगर पुलिस व्यवस्था में सुधार करना है, तो उनकी सहूलियतें भी बढ़ाई जानी होंगी । उन्हें व्यवहार कुशल बनाने के लिये अधिक से अधिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये । इसके लिये अधिक से अधिक प्रशिक्षण केन्द्र चालू किये जाने चाहिये । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में रेगुलर पुलिस का उतना काम नहीं है, जितना रेवेन्यू पुलिस का है, इस पर भी वहां पर सजायाफ्ता या नई नियुक्ति पर अधिकारी भेजे जाते हैं, जो कि उतना अनुभवी नहीं होते हैं । अतः वहां पर अनुभवपूर्ण व कर्मठ पुलिस अधिकारी व कर्मचारी भेजे जाने चाहिये । मैं अपने कर्मठ, योग्य पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने शालीनता से जो बजट रखा, उसका हृदय से समर्थन करता हूं और माननीय मुलायम सिंह यादव जी द्वारा रखे हुए कटौती के प्रस्ताव की घोर निन्दा करते हुए विरोध करता हूं । जय हिन्द, जय भारत ।

डाक्टर दिनेश जौहरी---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, समय कम है इसलिये मैं अपने जनपद बरेली की तरफ आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं । मान्यवर, आजकल ब्लू फिल्म का धंधा बहुत चल रहा है । आजकल थाने में और कोतवालियों में पुलिस भी ब्लू फिल्म देख रही हैं । मान्यवर, एक केस में आपको बताना चाहूंगा 17 अक्तूबर, 1984 को शफीक खां जो बरेली के पड़वाना गांव के हैं, इनकी पत्नी और मां का मडर हुआ था । मैंने खुद मंत्री जी से कहा था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । मुल्जिम घूम रहे हैं, लेकिन उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है । मान्यवर, इसी तरह से लक्ष्मी मिल, हरदोई का है वहां लोगों का पैसा फिक्स्ड डिपाजिट कराया गया था, उनको अब तक पैसा नहीं मिल रहा है जो लोग रिटायर हो गये हैं वह पैसे की जरूरत महसूस कर रहे हैं लेकिन उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता की थानों में बातें सुनी जाएं, उनकी रिपोर्ट को लिखा जाए । विधायकों के पास वह न जाए, उनकी बात थाने से सुनी जाए और उन पर एक्शन लिया जाए । एक बात आवश्यक कहना चाहूंगा पूरे प्रदेश की पुलिस इस काम में लगी हुई है कि चोरों को पकड़ा जाए, जेब कतरों को पकड़ा जाए । इसके अतिरिक्त यह भी कहना चाहूंगा कि विधायकों की सही रिकमण्डेशन को यह लोग नहीं देखते हैं, पुलिस प्रशासन को सच्चा होना चाहिये, जो सही बात है उसको देख चाहे वह सट्टा हो, चाहे चोरबाजारी हो चाहे और कुछ हो, अगर विधायक मुल्जिमों का रिकमण्डेशन करते हैं तो पुलिस का मनोबल गिरेगा, इसलिये पुलिस को चाहिये कि वह सही बात को खुद ही देखे । वैसे सब नेताओं ने पुलिस की बुराइयां की हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन मैं अपने नेता कल्यान सिंह जी की बात का भी समर्थन करता हूं कि जिस विभाग का काम अच्छा है उसका समर्थन करना चाहिये । जिसका काम जन-विरोधी है उसका विरोध करना चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री विनोद कुमार---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, कल इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई महत्व-पूर्ण घोषणायें कीं । जिसमें उन्होंने सदन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को यह अवगत कराया कि मण्डलीय स्तर पर कैबिनट मीटिंग करने की घोषणा की, जिले म प्रभारी मंत्रियों के द्वारा धन से संतुलन करने की बात कही। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को इसके लिये बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, यही नहीं माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण घोषणायें कीं, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं वह महीने में जिले में जायेंगे और जनता की शिकायतों को खुले रूप में सुन कर, उनका निस्तारण वहीं मौके पर करेंगे। मैं समझता हूं कि उन लोगों को इससे सही न्याय मिल सकेंगे। अहमदनगर प्रणाली और कम्प्यूटर की बात मुख्य मंत्री जी ने कही, इससे देश में प्रगति आएगी और समस्याओं का निस्तारण जल्दी से जल्दी हो सकेगा।

मुख्य मंत्री जी ने शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस का इजाफा करने की बात कही है। इसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी की सराहना करता हूं। इसके अतिरिक्त दस्युग्रस्त क्षेत्रों में 392 करोड़ की लागत से सुधार करने की बात कही गई है। इससे मैं समझता हूं कि जनपदों को बहुत लाभ होगा। आप देखते हैं कि नगरों में यातायात की अव्यवस्था के कारण कई घटनायें देखने को मिलती हैं, तो इसके लिये यातायात निदेशक की नियुक्ति अलग से की जाएगी। मैं समझता हूं इससे यातायात संचालन में सही दिशा देने में काफी गति मिल सकेगी। इसके साथ ही साथ नेता विरोधी दल ने कई चीजें यहां पर कहीं। मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया कि माननीय मुख्य मंत्री जी ईमानदारी से इस प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। इस चीज को स्वीकार किया कि मुख्य मंत्री जी बारह बजे से एक बजे तक रात में बैठ कर काम करते हैं, इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिये, लोगों को न्याय दिलाने के लिये कार्य करते हैं। इस चीज को नेता विरोधी दल ने स्वीकार किया। मैं निश्चित रूप से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि विरोधी दल की यह परम्परा बन गई है कि किसी न किसी रूप में सरकार का विरोध करेंगे। आलोचना करनी है। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि मुख्य मंत्री जी ने अपने मंत्रि मण्डल में ऐसे लोगों को रखा है जो कोई गूंगा है, कोई बहरा है। मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी के तीन बन्दर थे। उनका कहना था कि न बुरा सुनो न बुरा कहो। यह दोनों तो नेता विरोधी दल ने सत्ता पक्ष की तरफ कह दिया। बुरा मत देखो, यह मैं विरोध पक्ष पर लागू करता हूं। यह सही बात को भी नहीं देख सकते हैं, सही बात को भी नकारते हैं। जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने महत्वपूर्ण घोषणायें की हैं, उनको स्वीकार करें।

(व्यवधान)

माननीय नेता विरोधी दल ने आरोप लगाया कि जब से तिवारी जी शासन में आये तब से सामूहिक नर-संहार हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आप 77 से 80 को देखें। सामूहिक नर-संहार के आंकड़े यह सिद्ध करते हैं कि इस समय का शासन ठीक है। माननीय मुख्य मंत्री ने हरिजनों को सस्ता न्याय दिलाने की बात कही है, इसके साथ ही साथ फायर ब्रिगेड बढ़ाने की बात कही है, निश्चित रूप से यह घोषणा, यह कार्यक्रम इस प्रदेश के निर्बल लोगों को न्याय दिला सकते हैं। इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

महत्वपूर्ण चर्चा है बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। मेरी कठिनाई से आप अवगत हो चुके हैं। 35 नाम सत्तारूढ़ दल से 35 नाम लोक दल से आये हैं और सभी दलों के सभी सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। मैं इच्छुक हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में भाग लें। मैंने नेता विरोधी दल से बात की है वह सहमत हैं कि समय कम करके 5 से 3 मिनट कर दिया जाय।

श्री वीरेन्द्र सोन—

यह बजट हरिजनों को सुरक्षा देने के लिये है। इस पर हरिजनों को बोलने का अवसर मिलना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

एक साथ कई व्यवस्थाएं नहीं हो सकती ह । समय 3 मिनट रहेगा ।

श्री वीरेन्द्र सोन--

हरिजनों को समय मिलना चाहिये ।

श्री देव कुमार--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न ह ।

श्री अधिष्ठाता--

हमने एक माननीय सदस्य को व्यवस्था के लिये बुला लिया है तो अव्यवस्था उत्पन्न न करें । माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया संयम बरतें और बोलने से पहले यह देख लें कि वह क्या बोल रहे हैं ।

श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, इस विधान सभा में तो कुछ दल ऐसे ह, जिनकी संख्या बहुत कम ह और मान्यवर, कल से हम लोग लगातार खड़े हो रहे हैं, और जैसे कुछ दल इधर के बड़े हैं, जैसे लोक दल और जनता आदि को समय मिल जाता है, मान्यवर, हम लोग भी किसी दल से सम्बन्धित हैं और हमारे दलों की भी कुछ राजनीति ह, सदन के अन्दर भी और सदन के बाहर भी, तो कम से कम जो लोग अपने दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको तो समय दिया ही जाना चाहिये, यह इस सदन की परम्परा रही ह, लेकिन मैं, फजलुल बारी साहब व अन्य नेता खड़े हो रहे हैं, उनको समय नहीं दिया जा रहा है, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

सभी दलों के नेताओं को अवश्य मौका दिया जायगा और उनके भी विचार आयेंगे, कृपया बैठें ।

श्री फजलुलबारी--

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे एक बुजुर्ग माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मैं कुछ शेर कहूं । माननीय मुख्य मंत्री जी तो इस वक्त हैं, बेनी बाई जी इस वक्त हमारे सामन हैं, इनके लिये एक शेर कह रहा हूं कि "क्या रंग महफिलें हैं, किसे देख कर आप शर्माइएगा" । श्रीमन्, सामान्य प्रशासन बजट के सम्बन्ध में जो बात कही गयी हैं, वे ये हैं कि जनता पार्टी ने गलत नीति अपनाई और अपने तमाम साथियों को एक साथ रखने की कोशिश की, जिसकी वजह से तीन साल भी चल नहीं पायी । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचारी लोगों के पीछे पुलिस का मनोबल गिराने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये । लेकिन मान्यवर, आज पुलिस प्रशासन में एक ट्रेण्ड यह बनता जा रहा है कि पुलिस मुल्जिमों को पकड़ती ह और उनका इनकाउन्टर कर देती है और इस पर जब सामान्य प्रशासन के बजट के समय चर्चा होती है, तब भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती ह । मान्यवर, हमारे यहां गोण्डा के एक आदमी को थानेदार पकड़ कर ले गया और उसको मारते-मारते मार डाला, फिर वह थानेदार पकड़ा गया और जेल भेजा गया जिसका मुकदमा आज भी चल रहा है तो यह स्थितियां हैं इन पुलिस वालों के मनोबल की । दूसरा उदाहरण मैं इनके मनोबल का और देना चाहता हूं वह यह कि बगैर टिकट सफर करना हर नागरिक के लिये जुर्म है लेकिन ये पुलिस वाले रेलों के पहले दर्जे और एयरकन्डीशन्ड डिब्बों में बगैर टिकट सफर करना अपना बर्थ राईट समझते हैं ।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहूंगा पुलिस बलात्कार के सम्बन्ध में । कुछ माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कुछ रीजन्स भी रखे हैं मैं भी इस सम्बन्ध में एक रीजन देना चाहता हूं । वह यह कि पुलिस के रहने और उनको अपनी फेमिली रखने का इंतजाम नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिये । जब वह बगैर फेमिली के कम से कम छः महीने से ज्यादा रहेंगे तो ऐसी वारदातों का होना सम्भव होगा क्योंकि न तो इस प्रकार की नैतिकता की इनको शिक्षा दी जाती है और जब न ही कोई खौफ होगा अपने पैदा करने वाले का तो यह सारी चीजें आये दिन सामने आयेंगी । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस ओर भी ध्यान दिया जावे । मान्यवर, एक लड़का है लखनऊ का ही जुनैद नाम का उसके

खिलाफ गलत रिपोर्ट लिखी गयी और उसके घर की तलाशी वगैरह ली गयी और उसे पकड़ कर बंद कर दिया गया जेल में और उसके यहां जो लाईसेंस शुदा असलहे मिले गैर मुल्की असलहों की शक्ल में इनकी बरामदगी दिखाई गई । मान्यवर, उस लड़के के घर वाले उसे जेल से बाहर इसलिये नहीं ला रहे हैं कि कहीं उसका इनकाउण्टर न कर दिया जाये ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने फसादात के सिलसिले में कहा कि साम्प्रदायिक दंगों को रोकने का अब पूरा इंतजाम किया जायेगा ।

साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिये चंद चीजें हैं जिस पर आपको गौर करना होगा। 21 मार्च, 1984 को इसी कांग्रेस शासन ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें माननीय ब्रह्मदत्त जी वीरसेन जी बेगम साहिबा नियाज साहब सैयद अली अशरफी और कई माननीय सदस्य तथा 3–4 सेक्रेटरी थे । इस कमेटी ने जो सिफारिश की उस पर अमल नहीं हुआ । असल में होता यह है कि इलेक्शन के पहले यह कांग्रेस के लोग कुछ न कुछ ऐसा इन्तजाम कर देते हैं वोट लेने के लिये यह कांग्रेस की नीति रही है जबकि होना यह चाहिये कि इस प्रदेश में असन्तोष न पैदा हो और शान्ति–व्यवस्था कायम रहे और निर्बल वर्ग के लोगों को समाज में दबाने से बचायें । हमने खुद देखा जब इन्दिरा गांधी की हत्या हुई थी और उग्रवादिता हो रही थी उस समय पुलिस के लोगों को लूटते हुये देखा और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजनैतिक लोग उन उग्र लोगों की अगुवाई कर रहे थे । जिससे और उत्तेजना भड़क रही थी और अगर किसी को यह अहसास हो जाय कि अब उसकी जिन्दगी नहीं बचने वाली है तो क्या होगा उत्तेजना भड़केगी । अभी अगर मुझे यह अहसास हो जाय कि हमें इस माइक पर बोलने का हक नहीं है तो हम इस माइक को बाकई रहने नहीं देना चाहेंगे । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि एक ऐसा दंगा विरोधी दल बनायें जिसमें हर सेक्शन से लोगों को शामिल किया जाय । उसमें 25 फीसदी मुसलमान हो, हरिजन हों दूसरे कमजोर तबके के लोग हों । अगर ऐसा होगा तभी यह मफहूज रह सकते हैं । इसको खत्म करने के लिये जरूरी है कि उग्रवादिता को दबायें और इन्सानियत को खत्म न किया जाय ।

आखिर में एक बात और कहना चाहूंगा कि यह माइनारिटी कमीशन जो बना हुआ है इसको कोई हक नहीं है कोई कानून नहीं है । आज कर्नाटक और दूसरी स्टेट्स में इसको कानूनी हक मिल चुका है । इस कमीशन को कम से कम मुख्य मंत्री जी इस माइनारिटी कमीशन को इस लायक बना सकें कि यह कुछ काम कर सके । यह केवल शो पीस न रहे । इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह ख्वाहिश करता हूं कि प्रदेश तरक्की करे ।

श्री सुरेन्द्र कपिल––

मान्यवर, आपने गृह जैसे बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश जैसे विस्तृत क्षेत्र के प्रदेश के लिये जहां पर 2 लाख 94 हजार 413 वर्ग का क्षेत्रफल है और 86 हजार 508 अन्तर्राष्ट्रीय सीमायें हैं और 10 हजार आबादी से ऊपर वाले स्थानों पर पुलिस के सिपाही की संख्या सिर्फ 11.04 है और एक हजार सिपाहियों पर वाहनों की संख्या केवल 12 हो तो वहां पर हम कैसे यह उम्मीद रखें कि हमारे पुलिस के जवान और सिपाही बहुत हिम्मत के साथ काम कर सकेंगे और अगर हम यह सोचते हैं तो यह गलत बात है ।

मान्यवर, इसलिये मेरा विचार है कि माननीय नेता विरोधी दल को कटौती का प्रस्ताव नहीं रखना चाहिये था । बल्कि प्रस्ताव यह रखना चाहिये था कि इस बजट में और प्राविधान किया जाय और संसाधन बढ़ायें जायें । मान्यवर, आप पुलिस के नौजवानों की हिम्मत देखिये । स्मगलर एम्बेसडर कार में दौड़ते हैं और पुलिस वाले साइकिल पर उनके पीछे दौड़ते हैं । उससे पकड़ने की हिम्मत

करते हैं यह उसका मनोबल है । मान्यवर, इस प्रदेश में पुलिस इतनी बड़ी चर्चा का विषय बनी कि उसमें सुधार किया जाय । मान्यवर, सुधार करने की कोशिश की गयी । हमारे प्रदेश के शासन की ओर से निर्देश दिये गये कि जनता के साथ अच्छा व्यवहार किया जाय और कड़े निर्देश इसके बारे में दिये गये कि मुल्जिमों के साथ सदा बदसलूक न किया जाय । मार-पीट न की जाय । लेकिन विरोधी दल के लोग यदि चाहते हैं कि गुण्डों को दूध और दही पिलाने की बात की जाय तो यह सही नहीं है । मान्यवर, रजिस्ट्रेशन के बारे में कहा गया है कि केस रजिस्ट्रेशन में दिक्कत होती है तो प्रशासन की ओर से ऐसे निर्देश गये हैं कि जिससे इसमें गिरावट आयी है । जो झूठे केस रजिस्टर होते थे उनमें गिरावट आई है । मान्यवर, इस मौके पर यह जरूर कहना होगा कि जैसे सहारनपुर में साम्प्रदायिक दंगे हुये । उसमें जो साम्प्रदायिक लोग नहीं थे उसमें लिप्त नहीं थे कुछ आदमी शहर में मौजूद नहीं थे या दंगा होने के 8–10 दिन के बाद उसमें आपस में हल्की गाली-गलौज हो गयी आपस में तो उन्हें भी 302, 332, 307, 147 या बल्वे में बन्द कर दिया गया । मैं शासन से चाहूंगा कि जो लोग सहारनपुर के दंगे में मौजूद नहीं थे उनके बारे में देखा जाय कि ऐसा केस क्यों हुआ ।

मान्यवर, एक बात कहना चाहूंगा कि जो नेता विरोधी दल ने प्रस्ताव किया था मैं उसको सुन रहा था । मुझे उम्मीद थी कि वे सारगर्भित भाषण देंगे लेकिन दो घंटे के भाषण में एक घंटा पन्द्रह मिनट वे जातिवाद पर बोले । मुझे दुख हुआ । लेकिन यह सोचकर दुख भी नहीं हुआ कि जिस पार्टी की नींव ही जातिवाद के आधार पर बनी हो उसके नेता यह नहीं कहेंगे तो कुछ और क्या कहेंगे । इसलिये मान्यवर, मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि उन्होंने जो बात कही है कि शासन के अन्दर अनुसूचित लोगों को आरक्षण नहीं दिया गया है तो उनके जनता पार्टी शासन में 13. कुछ परसेंट दिया गया है और आज यह परसेंट 18.38 है । एक और बात नेता विरोधी दल ने कही कि हमारे मुख्य मंत्री दिल्ली भागते हैं बार-बार । उन्हें यह बात पता होनी चाहिये कि वैसे मुख्य मंत्री जी सक्षम आदमी हैं । उन्होंने मंत्रिमंडल को अक्षम बताते हुये सिफारशी मंत्रियों पर टिप्पणी की फिर आप अपने यहां की व्यवस्था देख लीजिये । यदि आपके यहां पर पदकार आधार योग्यता होना चाहिये था तो आपके यहां पर नेता विरोधी दल राजेन्द्र सिंह जी को होना चाहिये था । श्री मुलायम सिंह जी योग्यता के आधार पर नेता विरोधी दल न होते ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त हुआ । आप बैठें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह––

मान्यवर, देश में शासन और प्रशासन का काम समाज को नियंत्रित करना, संचालित करना और विकसित करना है । लेकिन इस बजट भाषण में जो नेता सदन ने अपनी बात रखी, उसमें अपनी उपलब्धियों का जिक्र किया और नेता विरोधी दल ने समाज में जो अनियंत्रण फैला है, अनुशासनहीनता आयी है, उन सारी चीजों को और जो शासन में कमियां हैं और समाजवाद और जनतंत्र से हटकर जनता टूटकर चरमरा रही है, उनको सामने लाकर रख दिया है ।

समाज को अगर हम उठाना चाहते हैं, तो समाज में जो विद्यमान स्थिति है, उसको हमें देखना होगा । अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार की बात कही गयी, वे व्यक्ति भी इस समाज के निकले हुये लोग है और शासन-प्रशासन में जा रहे हैं । समाज में जो शिक्षा नीति है, आज भी जब पुस्तकों में बच्चों को जाति और धर्म के आधार पर शिक्षा दी जाती है, पाठ्यक्रमों में जब इस प्रकार की शिक्षा है तो कैसे यह समाज ऊंचा उठेगा । बीरबल की कहानियों में लहर गिनकर पैसा कमाने की कहानियां बच्चों को बतायी जाती हैं । जब इस तरह की शिक्षा दी जायेगी तो प्रशासन शासन हमारे सामने हैं, वहीं मिलेगा

पुलिस की बात कहीं गयी, यह पुलिस के लोग हमारे इसी समाज से निकले हुये लोग हैं, आये हुये लोग हैं, आकाश से टपककर नहीं आये हैं। इस समाज में जो शिक्षा मिल रही है, वह आदमी का चरित्र बनता जा रहा है। वास्तव में इसको दूर करना चाहते हैं देश और समाज की व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, तो इसकी गहराई में जानना होगा। मान्यवर, मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि आज भी 2/3 सिपाहियों के पास रहने को मकान नहीं है। पुलिस अधिकारियों को तो बड़े-बड़े बंगले और तमाम सुविधायें उपलब्ध हैं, लेकिन निचले स्तर के जो लोग हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। उनके काम करने के लिये वही अल्प वेतन है।

श्री अधिष्ठाता—

आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, एक मिनट में तो मात्र औपचारिकता पूरी की जा सकती है। कोई सुझाव तो आ नहीं सकते। आप थोड़ा मौका दें।

हमें उसकी मानसिकता को देखना होगा। किस मानसिकता में प्रदेश का प्रशासन चल रहा है। कल माननीय सदस्य प्रतापगढ़ ने कई बातें कहीं। मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी चीज को कहने के पहले बहुत ही ईमानदारी और निष्पक्षता से उसका आंकलन करना चाहिये। हम लोग छात्र जीवन में रहे हैं छात्र नेता रहे हैं।

मान्यवर, डाकू उन्मूलन के नाम पर तमाम डाकू मारे जा रहे हैं। मान्यवर, किस प्रकार का संरक्षण देने की कोशिश इस प्रशासन के जरिये से की गयी थी। किस प्रकार से उनको समर्पण के लिये मनवाने की कोशिश की जा रही थी। जब वे लोग नहीं माने, इनके चंगुल में नहीं फंसे, तब इन्हें मार गिराया गया। मान्यवर, मध्य प्रदेश और तमाम प्रदेशों में किस प्रकार से डाकुओं को समर्पण के लिए संरक्षण और उनको विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। मान्यवर, आज चिन्ता व्यक्त होती है सामूहिक हत्याओं पर। मान्यवर, शोले जैसे फिल्म के द्वारा सामूहिक हत्याओं के दृश्य दिखाये, अभिनेताओं को इस तरह से प्रदर्शित किया गया। मान्यवर, समाज को दुरुस्त करने के लिए शासन, प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए जो सामाजिक शिक्षा मिल रही है, इस सामाजिक शिक्षा का पूरा का पूरा दोष कांग्रेस शासन को जाता है। जिसके पास आजादी के बाद 37–38 सालों तक शासन रहा। जिसने इस प्रकार का समाज बनाया है। समाज में तमाम अनुशासनहीनता फैली है। इस अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के माध्यम से तमाम माफिया गिरोह बने हैं। आज माफिया गिरोहों पर चिन्ता प्रकट की जाती है। इन माफिया गिरोहों का पोषण करने वाला कौन है—कांग्रेस शासन। हमें बहुत ही ईमानदारी और निष्पक्षता से सोचना होगा।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें। मैंने माननीय नरेश चन्द्र को बुला लिया है।

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नरेश जी एक मिनट बैठें। माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल सदन में बैठे हुए हैं। 4 बजे तक इसे समाप्त करना है। सभी माननीय सदस्यों को मौका मिल सके, इसलिए चर्चा का समय 5 मिनट से घटाकर 3 मिनट कर दिया जाय।

(श्री नरेश चन्द्र जी को पुनः पुकारे जाने पर)

श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैं आज भी और नित्य बड़े आराम से विधान सभा की चर्चा सुनता रहता हूं। आज बड़े महत्व का दिन है और इस बजट पर हर माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। वैसे भी 90 दिन में से 40–50 दिन तक ही

विधान सभा का सत्र बुलाया जाता है, बाहर जो हड़तालें होती हैं, आत्मदाह की बातें होती हैं, उन सब जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा कि आप हर सदस्य को बोलने का समय दें चाहे रात के 10 क्यों न बज जायें।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री सुरेन्द्र कपिल और श्री फजलुल बारी द्वारा व्यवस्था के प्रश्न उठाने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग बैठें, आज्ञा नहीं है। सदन का समय बढ़ाया जाय। इस पर नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं का अगर कोई निर्णय हो जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

*श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य प्रशासन और गृह विभाग से सम्बन्धित विभागों पर, जिसे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पेश किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मौका दिया। माननीय नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं। कल से उत्तर प्रदेश की पुलिस पर बड़ा प्रहार चल रहा है। उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रदेश है। 12 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में जितनी संख्या पुलिस की होनी चाहिए थी, वह भी पर्याप्त नहीं है, इसके बावजूद भी पुलिस ने पिछले कई वर्षों से जिस तत्परता से और साहस के साथ काम किया है, वह सराहनीय है। 1984 में, केवल एक वर्ष के अन्दर पुलिस ने डकैती उन्मूलन में 7 प्रमुख गिरोहों का सफाया किया, जिसमे लगभग 24 पुलिस अधिकारियों ने सहर्ष अपने जानों की आहूति दे दी और अपनी ड्यूटी को निभाया। इस प्रकार प्रदेश की पुलिस तत्परता से कार्य कर रही है।

मान्यवर, चाहे ट्रान्सफार्मर की चोरी है, चाहे रेलवे के सामान की चोरी है और चाहे कोई अन्य चोरी है, इन सबके ऊपर पुलिस को नियन्त्रण रखना होता है। एक प्रकार से पुलिस का मल्टीफेरियस एक्टीविटीज होती है। इसलिए किसी एक कारण से पुलिस के ऊपर इस तरह से आरोप लगाना न्याय संगत नहीं होगा।

मान्यवर, मैं प्रशासन और माननीय मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि लखनऊ में जो कई वर्षों से शिया और सुन्नी का झगड़ा चला आ रहा था, पुलिस के माध्यम से आज एक कार्डियल आटमोसफेयर स्थापित हो गया है। आज न तो कोई झगड़े का अंदेशा है। इसमें हमारी जनता ने पुलिस को सहयोग भी दिया है। पुलिस प्रशासन ने लाइसेन्स की भी चेकिंग शुरु कर दी है ताकि एन्टी सोशल एलीमेन्ट्स को पकड़ा जा सके।

मान्यवर, अधिकारियों के बारे में जाति-वाद के नाम पर सदन में बहुत प्रश्न उठे। मैं बता देना चाहता हूं कि अधिकारी मेरिट पर नियुक्त होते हैं न कि जाति वाद पर। आई0 ए0 एस0 अधिकारियों की बात कही गई। आज हमारे प्रदेश के अधिकारी बहुत सक्षम हैं। चाहे भारत सरकार में प्रधान मन्त्री का सचिव हो, चाहे सुरक्षा सचिव भटनागर हो, चाहे उद्योग का सचिव सूरतदास हो। हमारे उत्तर प्रदेश के अधिकारी भी कम सक्षम नहीं हैं। इसी के साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े हो जाने पर)

श्री अधिष्ठाता—

व्यवस्था के नाम पर आप लोग अव्यवस्था न फैलायें। एक आदमी व्यवस्था का प्रश्न उठाए तो मैं उसे सुनूं और व्यवस्था दूं।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मूल चन्द्र—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि हरिजनों की बात कोई नहीं सुनी जाय जबकि हरिजनों के नाम पर नेता सदन, मुख्य मन्त्री जी ने तमाम योजनायें, चलवायी हैं, तमाम योजनाओं के नाम पर पैसा, रिजर्वेशन, फैसिलिटी इनके नाम पर, मगर इनकी बात न सुनी जाय.....

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था नहीं है।

(श्री सुखपाल पाण्डे खड़े हो कर कुछ बोलने लगे)

मान्यवर, मैंने आप को व्यवस्था के लिए कहा था, भाषण के लिए नहीं।

श्री राम सरन—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम लोग 85 हैं कुछ रेशियो तो तय करें, एक हम लोग बोलें तो उधर का भी एक। मैं....

(व्यवधान)

तो ठीक है यहां अखण्ड कीर्तन चले।

श्री अधिष्ठाता—

आपकी संख्या 85 है इसलिए नेता विरोधी दल ने कटौती का प्रस्ताव रखा और सर्वाधिक समय आपके दल को मिला। यह अनुचित होगा कि दूसरे दलों के विचार न आयें। दूसरे दलों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए।

श्री देव कुमार यादव—

मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट पर बोलने का अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, आप से अनुरोध करूंगा कि 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर लें।

श्री राम सरन—

यह तो आप के दल का है....

*श्री देव कुमार यादव—

जो बजट में यह प्राविधान किया है कि जो क्षेत्र डकैत प्रभावित क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए विशेष योजनायें चलाई जायेंगी। मैं बुन्देलखण्ड के उस जनपद से आता हूं, बांदा से, जो डकैत प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। अपराध की संख्या सामाजिक आर्थिक कारणों से बढ़ी हुई है और उस का उपचार केवल पुलिस की गोली से किया जाना, या पुलिस के बल पर किया जाना, कोई कारगर कदम, उसके निराकरण का नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपराध को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति को काम की गारन्टी होनी चाहिए और संविधान में संशोधन कर के काम के हक को मौलिक अधिकारों में जोड़ा जाना चाहिए। अगर बेरोजगारी दूर हो सकती है, गरीबी दूर हो सकती है और जो आदमी काम करना चाहता है उसे इज्जतदार काम मिल सकता है तो अपराध में निश्चित रूप से कमी आयगी। अभी कह रहे थे नेता सदन से कि मन्त्री बनाने से पहले वह उनके अमालनामे देखें। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि मन्त्रियों के अमालनामे देखें या न देखें लेकिन कृपा करके जब किसी पुलिस अधीक्षक को या जिला मजिस्ट्रेट को जिलों में भेजना चाहते हैं, तो कम से कम उनके अमालनामे जरूर देखें जाने चाहिए। मैं बहुत तकलीफ के साथ इस सदन में इस बात को रखना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में ही क्या सारी दुनिया में कोई मिसाल नहीं होगी कि कोई भी पुलिस अधीक्षक अपने हाथ से जनता की सम्पत्ति को नष्ट करे। हमारे जनपद में 20 जून के पहले एस0 पी0 महोदय तशरीफ रखते थे, जो जनता की लगभग 5 करोड़ रु0 की जनसम्पत्ति, डग्गा मार्ग पर गाड़ियां रुकवाने के नाम पर, टायर फाड़ो आन्दोलन से नष्ट कर गए। 16 जून से 25 जून

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक चक्का जाम करके हड़ताल किया और उन्होंने यह बताया था कि वहां के पुलिस अधीक्षक महोदय की मांगें थी कि हर गाड़ी से 2,000 रु0 प्रति महीने चाहते थे। वहां एक से बारह गाड़ियां यूनियन में थीं। दो लाख पच्चीस हजार हर महीने तक रिश्वत देने के लिए जब वे तैयार नहीं हुए तो टायर फाड़ो आन्दोलन शुरू किया। हमारे यहां आई0 जी0 कार्मिक के स्पष्ट आदेशों का उल्लंघन करके कि 7 वर्ष की सेवा पर ही थानाध्यक्ष बनाया जाए, जिसने 25 हजार रुपया देना स्वीकार किया, उनकी थानेदारी मंजूर की गई। पूरे जनपद को अपराधियों के माध्यम से लूटा गया। मैंने रेडियो में प्रसारण सुना था डी0 जी0 महोदय का कि उनके नेतृत्व में ऐसे पुलिस अधिकारी नहीं भेजे जायेंगे, लेकिन मुझे खेद है कि ऐसे लोगों को भेजा गया। जब उनका स्थानान्तरण हुआ तो उनको फिर से जिले से जिले में भेज दिया गया। ऐसे लोगों के आमालनामे को देखना चाहिए और हरकतों को रोका जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नरेन्द्र देव—

मैं सम्मानित मुख्य मन्त्री जी द्वारा रखे गए बजट का समर्थन करता हूं और सम्मानित विरोध पक्ष के नेता द्वारा रखे गए कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं इस सदन का एक नया सदस्य हूं। मुझे कल माननीय विरोधी पक्ष के नेता का भाषण सुनकर आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ। सवाल इस बात का है कि उस कुर्सी की एक गरिमा है, विरोधपक्ष के नेता की एक गरिमा है। यदि सम्मानित विपक्ष के नेता सामान्य प्रशासन पर कुछ नयी नीतियां निर्धारित करने के बारे में अपने सुझाव रखते तो हम उससे लाभान्वित होते। यदि उन्होंने निचले स्तर पर कहीं अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके सम्बन्ध में कोई नीति निर्देशित की होती, कोई नियम की बात की होती तो हम लाभान्वित होते, लेकिन सबसे ज्यादा दुख यह रहा कि इस उच्च सदन में एक ऐसी बात कही गयी, योग्यता की बात नहीं कही गयी, उसके आधार पर किसी अधिकारी के कार्यों का मूल्यांकन नहीं किया गया, लेकिन यहां पर मूल्यांकन किया गया जाति के आधार पर। मैं इसलिये, कहना चाहता हूं कि आज यहां जातिवाद के आधार पर भाषण देकर, साम्प्रदायिक आधार पर भाषण देकर और उसकी बात कर लोग अपनी जिम्मेदारी से इन्कार करते हैं कि हमने कहीं साम्प्रदायिकता का जहर नहीं बोया और जातिवाद का जहर नहीं बोया। मैं कहना चाहता हूं कि अधिकारियों की कुशलता, अधिकारियों की योग्यता को आप परखिये, उस पर अध्ययन कीजिये तब उसके बाद आप अपनी आलोचना को प्रस्तुत कीजिये।

दूसरी बात हम यह कहना चाहते हैं कि भू-लेखों में, सम्पत्ति लेखों में सुधार लाने की आवश्यकता है। आज जब हम सामान्य प्रशासन पर बोलने के लिये खड़े हुए हैं तो दो बातों की ओर मैं स्पष्ट रूप से आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यदि हम भू-लेखों को और सम्पत्ति-लेखों को दुरुस्त कर पायेंगे तो हम पूरे प्रदेश की जनता को पूरी सुविधा दे देंगे जो कि सामान्य जनों तक पहुंचेगी।

आज कम्प्यूटर की सहायता हमारे लिये उपस्थित है। कम्प्यूटर की आलोचना नहीं करनी चाहिये। यह एक नई तकनीक है। जिसके द्वारा अभिलेखों को सुरक्षित और शुद्ध रखा जा सकता है।

पुलिस विभाग में भी कम्प्यूटर को रखना चाहिये कार्य में तेजी लाने के लिये। पुलिस विभाग में कम्प्यूटर अधिकारियों की सम्पत्ति का ब्योरा रखने के लिये लगाना चाहिये। यदि किसी भी विभाग में वहां के अधिकारियों का यदि हम सम्पत्ति का लेखा-जोखा सही रूपये नहीं रखते हैं तो चाहे जिस पार्टी की सरकार होगी, हम भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा पायेंगे। सम्पत्ति अगर गलत ढंग से अर्जित करके बिल्डिंग खड़ी करने की अनुमति देती हैं तो निश्चित जानिये कि प्रदेश में कभी भी विकास नहीं हो पायेगा।

नियमों का कड़ाई से पालन ही सामान्य प्रशासन को सुधार सकता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले को हम दण्डित करें तभी हम इसमें सुधार ला सकते हैं और जो लोग यह कहते हैं कि आपके प्रशासन की स्थिति

कैसी है उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि वह जाकर जनता से पूछें कि 1977–80 तक के पीरियड की स्थिति को वह कैसा मानती है, पहले आप उस स्थिति को देख लें तो आपको अन्तर पता चल जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

(श्री हरीश जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, आपने ही व्यवस्था दी थी कि आप तमाम दलों के लोगों को चाहे उनकी संख्या कम ही हो, उनको बोलने के लिये मौका दिया जायेगा। मेरा आपसे आग्रह है कि मैं स्थानीय दल उत्तराखण्ड क्रान्तिदल का एक ही विधायक हूं और पूरे पर्वतीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं बार–बार खड़ा हो रहा हूं लेकिन आप मुझे बोलने के लिये मौका ही नहीं दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर कब आप मुझे बोलने का मौका देंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

आप अभी बैठिये।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को मैंने सुना। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन में जो "हां" और "ना" लिखा हुआ लगा है इसके बारे में मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसे हटवा कर इसके स्थान पर "सत्ता पक्ष" और "विपक्ष" लिख कर लगवा दिया जाय तो इससे निकलने वाली नकारात्मक भावना बदल जाएगी। यह "हां" और "ना" लिखे होने से विपक्ष के सम्बन्ध में डिस्ट्रक्टिव भावना पैदा होती है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान कहा है कि लोग जोर-जबरदस्ती से काम कराने आते हैं, यह लोकतंत्र के लिये नुकसान देह बात है। ऐसा नहीं होना चाहिये। यह आन्दोलन और हड़ताल भी विकासोन्मुख देश के लिये बहुत हानिकारक है। इतने बड़े देश के एक बड़े प्रदेश को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। जापान में किसी बात का विरोध प्रकट करने का एक और तरीका है कि वहां पर काली पट्टी को बांध लेते हैं और उस काली पट्टी का प्रभाव वहां पर यह होता है जैसेकि भारत में किसी ने आत्मदाह करने की घोषणा कर दी हो। मान्यवर, अगर मात्र प्रस्ताव लिख देने से और बात कह देने से मात्र शासन सुनने लग जायेगी तो हड़ताल, आन्दोलन, प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं रह जायेगी।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र के दो मजबूत हथियार हैं उनकी ओर माननीय मुख्य मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें। एक है विधान सभा और दूसरा है निर्वाचन। अगर विधान सभा में जन भावना को मुखरित होने और मुखरित होने वाली जनभावना के प्रति शासन की तरफ से विचार होगा जोर-जबरदस्ती, हड़ताल, प्रदर्शन आपसे आप नियंत्रित हो जायेंगे, और लोकतंत्र को सही दिशा प्राप्त होगी। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि आप जिन नीतियों और घोषणाओं को पूरा करना चाहते हैं और विपक्ष की ओर से यदि सहयोग के सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो माननीय मुख्य मंत्री जी कहें हम सब जरूर दूर करेंगे। मेरा साफ कहना है कि शासन के उद्देश्यों की पूर्ति में सबसे बड़ा असहयोग प्रशासन की ओर से है। मैं प्रशासन के सम्बन्ध मे इतना ही कहना चाहता हूं कि वह ब्रिटिश सरकार में जो प्रशासन था, वह तो बदल गया लेकिन जो उसकी नीति, नीयत, तरीके और दृष्टिकोण थे, आज भी बहुतांश में विद्यमान है। उनमें भी सुधार करने की जरूरत है। यहां से घोषणा हुई कि गेहूं क्रय केन्द्रों पर बिचौलिये नहीं आयेंगे। मेरे पास शासनादेश है जिसमें लिखा है कि कच्चे और पक्के आढ़तियों लाइसेंसियों को बिचौलिया माना जायगा लेकिन विलेज व्यापारियों को बिचौलिया नहीं माना जायगा क्योंकि यह किसान और क्रय केन्द्र के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। गांव के वह व्यापारी गेहूं खरीद खरीद कर सारे क्रय केन्द्रों पर दिये हैं। जबकि शासन का उद्देश्य था कि बिचौलिये न आयें परन्तु प्रशासन ने बिचौलियों को अवसर देकर शासन की मंशा को विफल करा दिया। मान्यवर, मैं

कहूंगा कि आज शिकायतें हो रहीं हैं। मंत्री लोगों के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बठें।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

मान्यवर, जब मैं खाद्यमंत्री था तो केन्द्र सरकार से धान की खरीद का आदेश आया था, धान की खरीद की शर्तें कठिन और दाम कम थे, मैंने कहा कि धान नहीं खरीदा जायेगा और सारा खाद्य विभाग तुला था कि धान खरीदा जायेगा। उस समय खाद्य सचिव श्री गिरीश चन्द्र चतुर्वेदी थे उन्होंने कहा कि मंत्री में जनहित और नियम कानून दोनों केन्द्रित हैं इसलिए मंत्री की बात को वरीयता देनी चाहिए और हमारी बात मानी गई। मान्यवर, बजट वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसम्बर कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बठें।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, राम और कृष्ण की इस पावन धरती पर आज ऐसी महान विधान सभा में हमने अभी सुना कल से आज तक अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को और नेता विरोधी दल को साथ ही अन्य नेताओं को। हमें गर्व है इस बात पर कि आज हमारे प्रदेश का संचालन उस व्यक्ति के हाथ में है जो यदि मैं यह कहूं कि शायद भारत के किसी भी प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री का चाहे वह संसदीय कार्य हो, चाहे विद्वता हो, योग्यतम व्यक्ति हैं।

(इस समय 2 बज कर 35 मिनट पर अधिष्ठाता, डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल पीठासीन हुए)

और इसी के साथ ही साथ जो घोषणा उन्होंने कल की, डाकू ग्रस्त इलाकों वाले 12 जिलों में 3 अरब 90 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य किये जायेंगे। मान्यवर, केवल यही चीज नहीं, वरन् एक जो भ्रान्ति रही है, कई दशक तक हमारे गांवों को जोड़ने वाली सड़कों के विकास कार्य नहीं हुये है, इस दिशा में भी एक नयी गति माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदान की है और एक नये मंडल के निर्माण की घोषणा मा0 मुख्य मंत्री जी ने की है, चाहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध जेहाद की बात हो या माफिया ग्रुप को हमेशा हमेशा के लिये समाप्त करने के लिये कठोर कदम उठाये हैं, जिस दिशा की ओर मा0 सदस्य बराबर कहते रहे हैं। मैंने मा0 नेता विरोधी दल को कल सुना, मेरी अपेक्षा है कि आज जिस कुर्सी पर वह बैठे हैं, उसको बहुत बड़े-बड़े नेताओं ने और योग्य व्यक्तियों ने सुशोभित किया है, मैं समझता था कि वह प्रदेश के विकास के लिये कुछ नये सुझाव देंगे और कुछ नये विचार रखगे जिससे प्रदेश को एक गति मिलेगी।

मान्यवर, इशारा हो रहा था, कुछ मा0 सदस्य इशारा कर रहे थे, जब नेता विरोधी दल इटावा की बात कर रहे थे, तो बड़े गौर से चाहे वह शतरूद्र प्रकाश जी हों या दूसरे सदस्य हों, मुस्कराहट के साथ उनकी बात सुन रहे थे। यह तो अच्छा हुआ कि शुरुवात ही हुई कि उन्होंने इटावा की बात छोड़ दी। लेकिन उसके साथ ही साथ जिस तरह के विचार उन्होंने रखे, उनसे मन में जरूर क्षोभ हुआ क्योंकि एक तरफ के सदस्य कह रहे थे कि यह बौद्धिकता का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है और यदि बौद्धिकता का वर्गीकरण जाति के आधार पर किया गया तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश के शासन का क्या होगा। दूसरे मान्यवर, आज सोचने की दिशा में परिवर्तन की आवश्यकता है, जाति के आधार पर यदि सोचना शुरू किया तो इसका क्या परिणाम होगा, इसकी कल्पना सहज आप कर सकते हैं। मान्यवर, सामूहिक हत्या और फर्जी मुठभेड़ की बात कही गयी यदि पुलिस का कोई व्यक्ति न मरा होता तो कहा जा सकता था कि फर्जी मुठभड़ हुई है, आपने लाल बत्ती जला दी है, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त हो गया है। आप बैठें।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करता हूं, मान्यवर, आज विकास की ओर

प्रशासन जागरूक है । मान्यवर, गांव से लेकर जिले तक प्रशासन में परिवर्तन की आवश्यकता है । आज एक गांव में न्याय पंचायत स्तर पर 7–8 कर्मचारी होते हैं, लेकिन वह अपन काम का ठीक से अंजाम नहीं दे पाते हैं । एक गांव में एक अधिकारी मल्टी परपज का हो और एक न्याय पंचायत में एक कोआर्डीनेटिंग अधिकारी हो और ब्लाक स्तर पर इन सारे कामों को देखने के लिये एक अधिकारी की आवश्यकता है । तो मान्यवर, इस पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है । इन शब्दों के साथ मैं सामान्य प्रशासन के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं । आपने मुझे समय तो दे ही दिया लेकिन जरा समय का ख्याल रखें । अपना भाषण शुरू करने से पहले मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं कि मुझे यह बता दें कि मैं किस तरह के आदमी का भाषण दूं–सियासी का दूं, संन्यासी आदमी का दूं या प्रमोद कुमार जसे आदमी का दूं ? जैसे आप हुक्म देंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

इन तीनों में से जो उचित समझें, वही दे दीजिये ।

श्री राम सरन—

मान्यवर, पहले तो मैं यह कह दूं कि कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । बाद में मैं भूल जाऊंगा इसलिये इसे पहले ही कहे देता हूं । यह सरकार तो फेल हो चुकी है । पुलिस के बड़े अधिकारी, होम सेक्रेटरी, आई0 जी0, डी0 आई0 जी0 आदि सभी बैठे हैं, मुख्य मंत्री शायद चले गये हैं लेकिन ये सारी सरकार बैठी हुई है । 1255 दिन हो गये कटोरी देवी का मामला यह सरकार हल नहीं कर सकी तो और क्या कर सकेगी ? और यह औरत कहीं मर गई तो सारा समाज कलंकित हो जायेगा ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज आप कम्प्यूटर की बड़ी तारीफ कर रहे हैं । 12 करोड़ जनता ने 425 कम्प्यूटर यहां भेज दिये, क्या यह सब फेल हो गये हैं ? यह अपनी बात नहीं कह सकते ? कम्प्यूटर की क्या आवश्यकता है इस 12 करोड़ जनता के सामने ? तो ये जो कम्प्यूटर यहां आये हैं, ये सब फेल हो गये हैं । मान्यवर, आज इनका शासन और प्रशासन 4 किस्म के तत्वों के गठजोड़ के चंगुल में फंस गया है । कल्याण सिंह जी ने तीन बताये थे मैं उसमें एक और जोड़ देता हूं । ये चार हैं—तस्कर, गुन्डे, डकैत और पुलिस । इन्हीं के अधीन आज सब काम कर रहे हैं । मान्यवर, आपके दल में तस्कर हैं । मथुरा जिले के कोषाध्यक्ष आपके जो हैं वे मूर्ति की चोरी करते हैं, उनका नाम है किशन पुटरा । वे आपके मथुरा शहर के कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं । लाखों-लाख रुपये की मूर्ति चुराकर विदेशों तक इन्होंने भेजी है । सहारनपुर की बात ले लीजिये, देखो कपिल हंस रहा है । मान्यवर, सहारनपुर का धर्मपाल है वह बड़ा भारी तस्कर है और कांग्रेस का ऐक्टिव वर्कर है । जब इनके अपने अखबार में फोटो आती है तो नारायण दत्त तिवारी से पहले उसकी फोटो आती है । तो जब ये तस्कर लोग इनके सिर पर बैठे हुये हैं तो ये क्या कर पायेंगे ? आप कुछ नहीं कर सकते ।

अब गुन्डों की बात ले लीजिये । इस शहर में गुन्डों द्वारा कुछ दिन पहले लल्लू सिंह, एडवोकेट का सुबह-सुबह अपहरण किया गया था । आप कहते हैं कि हम शासन चला रहे हैं । आज यह नहीं कहा जा सकता है कि रिक्शे में बैठ कर आप सुरक्षित कहीं पहुंच जायं, किस वक्त छुरा भौंक दिया जायेगा, इसका कोई अन्दाज ही नहीं है । आपके यहां डकैतों का राज है । जमुना बोस शायद नहीं हैं । अभी कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि लोग गांव खाली करके जा रहे हैं । मानिकपुर के 20 गांवों के लोग अपने-अपने गांव छोड़ कर शहर की तरफ भाग रहे हैं । डकैतों से उनकी कोई सुरक्षा नहीं हो रही है । आज स्थिति यह है कि

हम अपने खेतों में नहीं रह सकते, खलिहान में और ट्रैक्टरों के पास सो नहीं सकते, हमने वहां पर सोना बन्द कर दिया है । इस तरह का गठजोड़ हो गया है : मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले जब कत्ल हुआ करते थे तो कत्ल करने वाला कत्ल करने के बाद रिश्वत देने के लिये.....

श्री अधिष्ठाता—

थोड़ा सूक्ष्म रखें, समय का ध्यान रखें ।

श्री राम सरन—

मैं जानता हूं कि आपने लालबत्ती जला दी है । लेकिन मुझे डिस्टर्ब न करें नहीं तो उतना ही समय और देना पड़ेगा । तो मैं कह रहा था कातिल कत्ल करने के बाद थाने जाता था, अब कत्ल करने से पहले कत्ल करने वाला थाने जाता है यह बताने के लिए कि मैं फलाने का कत्ल कर रहा हूं 5, 10 या 15 हजार कितने लेने हैं । मैं मानता हूं कि डी0 जी0 साहब ईमानदार हैं लेकिन इनका (मस्तक पर हाथ रखते हुए) इस्तेमाल वह भी कम करते हैं क्योंकि वे भी मेरी तरह क्रेज़ हैं । अगर सही बात को कहा जाता है कि फलां दरोगा गलत कर रहा है तो उसका जवाब नहीं आता है । आज तक कोई जवाब उनसे मिला नहीं कि क्या कार्यवाही की । हमारे सहारनपुर में लक्कर थाने में 15 दिन अन्दर 8 कत्ल हुए 15 जुलाई से 30 जुलाई तक, मैं कहूंगा तो वह दरोगा नाराज हो जायेगा । वहां जब कांग्रेस के एम0 एल0 ए0 जाते हैं तो सब बच्चों के गले में माला डालता है ।

तीतरों का थाना जो माननीय यशपाल सिंह जी का गांव है वहां का दरोगा कच्ची शराब निकलवाता है और उससे खूब पैसा कमा रहा है । मैंने एस0 एस0 पी0 से कहा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । वह ईमानदार हैं लेकिन थानेदार की बात मैंने उनसे कही अगर मेरी बात गलत निकले तो मैं इस्तीफा दे सकता हूं । यही हाल कनखल के दरोगा का है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम सरन—

किशनपुर कुण्डी गांव में कनखल के दरोगा पालीवाल साहब हैं, वे एक हरिजन परिवार को मरवाना चाहते हैं, उसका इन-काउन्टर करवाना चाहते हैं । मेरे पास सारे फैक्ट्स हैं, समय नहीं है मैं अलग से दिखा दूंगा । माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक घोषणा की कि उन एरियाज के विकास के लिये 390 करोड़ रुपया देंगे जो डकैती ग्रस्त एरियाज है ताकि वहां शांति व्यवस्था कायम हो । तो क्या हम लोग भी अगर इस तरह से ही पैसा मिलता है तो अपने एरियाज में डकैती करवायें जिससे विकास के काम हों । तो मैं कहना चाहता हूं कि यह अकल को खोये बैठे हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें ।

श्री राम सरन—

मान्यवर, इनसे तो भ्रष्टाचार भी शरमाये हैं । क्योंकि भ्रष्टाचार की भी सीमा होती है तो उसकी सीमा को भी यह लांघ चुके हैं, कुछ तो हयाशर्म करो ।

बस मैं एक बात कह कर समाप्त करता हूं आचरण की बात कहना चाहता हूं खान गुफरान जाहिदी साहब को मैं बहुत मानता हूं, हम लोगों को पहले अपना आचरण ठीक करना चाहिये । हम लोगों का नाम निकलता है अखबारों में कि कितने कूपन इस्तेमाल किये, कितनी दवाओं का मिसयूज किया कितने मकानों पर कब्जा कर रखा है, इस पर शर्म आनी चाहिये ? चाहे उधर के बैठे हों या इधर के बैठे पहले हमें अपने आचरण को ठीक करना चाहिये तब हम प्रदेश को ठीक कर सकते हैं । इनका आचरण ऐसा है नौजवान रूस गये, तो वहां भी लड़की छेड़ दी । इसी के साथ मैं बैठ जाता हूं ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं, और जो कटौती का

प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल ने प्रस्तुत किया है उसका विरोध करता हूं । अभी लायक माननीय सदस्य कल्याण सिंह जी अपने विचार व्यक्त कर रहे थे । उन्होंने कहा था कि वर्तमान शासन भ्रष्टाचार में एक सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ रहा है । मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूं कि 1967 और 1977 में दो अवसर ऐसे आये जब उनके दल की मिली-जुली सरकार थी तो वह सरकारें भ्रष्टाचार में लिपट पर चढ़ रही थी लेकिन फिर भी उनकी बात से सहमति प्रकट करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की जो चुनौती है वह न केवल शासन के सामने है बल्कि पूरे समाज के सामने है और उस चुनौती को स्वीकार करने और उसका सामना करने के लिये हम सब को मिल कर आगे बढ़ना चाहिये । मान्यवर, हमने नेता विरोधी दल का भाषण बड़े ध्यान से सुना, उन्होंने जिस मानसिकता से नौकरियों में जातियता का आधार लेकर वर्णन किया और उसके बाद जब हरिजन भाइयों की पीड़ा को व्यक्त कर रहे थे तो मुझे प्रतीत हुआ कि वह शीघ्र ही अपने पद से त्याग-पत्र देकर श्री त्रिलोक चन्द्र का नाम नेता विरोधी दल के लिये प्रस्तावित करेंगे लेकिन मुझे और तमाम लोगों को निराशा हुई कि जो तमाम बातें कहीं वह व्यर्थ कही थीं । मान्यवर, हम जानते हैं, तुलसीदास जी ने कहा है—

"पर उपदेश कुशल बहुतेरे,
जे आचरहीं ते नर न घनेरे ।"

मान्यवर, मैं अब मुख्य प्रसंग पर कहना चाहता हूं कि पश्चिम के दार्शनिक कार्ल-मार्क्स ने कहा था कि एक समय आयेगा जब स्टेट मुरझा जायेगी और सारा समाज अपने आप संचालित होगा । लेकिन दुनिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ । इसलिये पुलिस सामान्य प्रशासन का जो सामाजिक जीवन में स्थान है उस प्रकरण में उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा और जब मूल्यांकन करते हैं तो हमारे सामने दो माध्यम हैं । एक सफलता और असफलता के आंकड़ों से मूल्यांकन करें और दूसरे शासन में कितनी क्षमता है, कितनी दृढ़ता है और कितना साहस है । इसको देखें तो हम कह सकते हैं कि पिछला वर्ष चुनौतियों का वर्ष रहा है और उसमें हमारे प्रदेश के शासन ने जिन चुनौतियों का सामना किया है वह हमको आज भी ललकार रही है और इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि दृढ़ता के साथ उन चुनौतियों का सामना करते हुये आगे बढ़ें । यह शासन मान्यवर, एक सितार की तरह है । यदि इसके तार बहुत कस दिये जावेंगे तो वह टूट जायेगा, तार ढीले रहेंगे तो स्वर नहीं निकलेगा, इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि वह इस शासन के तार को ऐसा रखें जिससे इससे ऐसे स्वर निकलें जो जन जीवन को प्रभावित कर सकें, इस प्रदेश के निर्माण कार्यों को आगे बढ़ा सकें और उस कमजोर वर्ग को आगे बढ़ायें जो आशा करता है कि उसकी विषमतायें दूर होंगी । इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसी परिस्थितियां पैदा करें जिससे हमारे प्रदेश में जो विषमतायें हैं उनको पाटा जा सके ।

धन्यवाद ।

(श्री विक्रमादित्य पांडेय को पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को बुलाने में क्या नीति चल रही है या आपके विवेकानुसार पुकारा जा रहा है क्योंकि मुझे अभी तक बोलने का मौका नहीं दिया गया है ।

श्री अधिष्ठाता—

एक बार में केवल एक ही माननीय सदस्य बोल सकते हैं अब इस समय पाण्डेय जी बोल रहे हैं, फिर इधर से लोग बोलेंगे और फिर उधर के सदस्य बोलेंगे । हमारा यही प्रयास होगा कि जब तक नेता सदन और नेता विरोधी दल न खड़े हों ऐसे ही चलता रहे ।

(व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी—

बड़े अफसोस की बात है कि इतनी बार खड़े होने के बाद भी आपने हमको मौका नहीं दिया ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, आपके ऊपर गांधी जी का एक लम्बा सा चित्र लगा हुआ है। अभी सत्ता पक्ष के लोगों ने सामान्य प्रशासन पर बोलते हुये बहुत सी बातें कहीं हैं, राम राज्य आ गया है, ऐसा कहा है। गांधी जी इनकी बाते सुनकर आश्चर्य में उस पृष्ठ को देख रहे हैं जहां रामराज्य की बात का उदाहरण आया है। गांधी जी रामराज्य को अपना आदर्श मानते थे। मैं कांग्रेस पक्ष से जानना चाहता हूं कि गांधी जी ने जिस रामराज्य की कल्पना की थी कि रामराज्य में न राग रहेगा, न विद्वेश रहेगा, न कोई भूखा रहेगा और न कोई नंगा रहेगा। क्या आप वह रामराज्य विगत 38 वर्षों के अपने शासन में भारत में ला पाये हैं। यहां जनतांत्रिक लोकतंत्र है, जनतंत्र के आधार पर यहां व्यवस्था होती है। 38 वर्षों के आपके शासन के चलते यह चीज अवश्य हुई है कि जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उनको आपने लुप्त कर दिया है, गायब कर दिया है। क्या 38 वर्षों में ऐडमिनिस्ट्रेशन में डिटरीयेशन नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो यह किसकी देन है यह विपक्ष की देन है या सत्ता पक्ष की देना है। जब कभी बजट आता है, नित्य एक न एक शिगूफा छोड़ दिया जाता है, जैसे आज हम अहमदाबाद (अहमद नगर) प्रोजेक्ट लागू करने जा रहे हैं। जिस तरह इनके अब तक के सारे शिगूफे फेल हो चुके हैं, ठीक उसी प्रकार से यह नया शिगूफा भी फेल होने वाला है। भ्रष्टाचार की बात कही जाती है और उसके लिये लोग पुलिस को दोषी बनाते हैं, लेकिन मैं पुलिस और कलेक्टर को दोषी नहीं बनाऊंगा। मैं उनको दोषी बनाऊंगा जो सत्ता में बैठे हुये हैं। डा0 लोहिया जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री नीचे से नहीं, ऊपर से आ रही है। अगर हमारे मंत्री भ्रष्ट हैं, अपने सचिव और डी0जी0 पी0 से गलत काम करवाते हैं, तो वे मंत्री निश्चित तौर पर सचिव और जी0डी0पी0 की नजरों में गिर जायेंगे और उनका साहस बढ़ जायगा। और जब कभी उनको अवसर मिलेगा वे गलत काम करने से, भ्रष्ट काम करने से नहीं चूकगे। उनको गलत काम करने में अपने मंत्री का कोई डर नहीं होगा। भ्रष्टाचार में हमारे किसी कर्मचारी का दोष नहीं है, दोष उनका है जो प्रदेश में सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुये हैं।

जनतंत्र में रूल आफ ला होता है, कानून की व्यवस्था होती है। यदि स्वार्थ में कानून की व्यवस्था को आप तोड़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से समाज और शासन में विश्रृन्खलता पैदा होगी, भाई-भतीजावाद आयेगा और भेदभाव पनपेगा। आपकी व्यवस्था रहन नहीं पायेगी। आप भाई-भतीजावाद करने की बात छोड़ें। पुलिस प्रशासन जो कुछ भी है, उसको आप पूरा दायित्व दें। यदि आप दायित्व देकर काम कराने की कोशिश करेंगे तो आज का भ्रष्टाचार कम होगा। जनपद प्रशाशन में आपने डी0एम0 की सहायता के लिये कई ए0डी0एम0 बनाये हैं, उसी तरह से आप एस0डी0एम0 के साथ ए0एस0डी0एम0 और तहसीलदार के साथ अतिरिक्त तहसीलदार भी लगावें, क्योंकि आज इन सब अधिकारियों पर काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज भी लेखपाल व थानेदार काफी सशक्त हैं। वे जनतांत्रिक नहीं बन पाये हैं। उनके कार्य एवं उनकी मानसिकता को बदलें, उन्हें आज के परिपेक्ष्य में प्रशिक्षित करें, इससे हमारा प्रशासन ठीक होगा। चूंकि मान्यवर, आपने हमको बोलने का समय दिया, इसलिये मैं आपका आभारी हूं और नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री राम प्रकाश सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के बजट पर जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, पुलिस विभाग के सम्बन्ध में डकती, लूट, हत्या, दंगा, गृह भेदन, पकड़ आदि की घटना में होती हैं, उस सम्बन्ध में आज यहां पर जो चर्चा हो रही है उसको मैंने सुना। मैं जिला जालौन के माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र से विधायक हूं। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस के कार्य-कलापों तथा उपलब्धियों के सम्बन्ध में यह जो पुस्तिका छपी है इसके पृष्ठ 6 पर आप देखें। दिनांक 11 मार्च, 1984 को थाना माधौगढ़ पुलिस एवं एक दस्यु दल के मध्य मुठभेड़ हुई। दिनांक 18 मार्च, 1984 को थाना कुठोन्द पुलिस

एवं कुख्यात दस्यु दल के मध्य मुठभेंड़ हुई 20 मार्च, 1984 को जालौन पुलिस एवं दस्युओं की मुठभेंड़ हुयी इसी तरह से 20 जून, 1984 को थाना कुठौन्द पुलिस एवं पी0ए0सी0 के संयुक्त पुलिस दल की दस्यु दल से मुठभेंड़ हुयी। मेरा कहना है कि माधौगढ़, कुठौन्द, जालौन और रामपुरा यह 4 थाने मेरे क्षेत्र में पड़ते हैं। मैंने माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता सदन की बातों को बड़ी गम्भीरता से लिया है। उत्तर प्रदेश के नक्शे में जिन 12 जिलों को डकैत ग्रस्त उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। इसमें माननीय नेता विरोधी दल का जिला शामिल है और मेरा भी जिला शामिल है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दस्यु समस्या के निराकरण के लिये पुलिस बल को बढ़ाया जाना चाहिये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी जिस तरह से पुलिस थानों का सृजन किया गया है उसी तरह से हमारे जनपद में नये थानों और पुलिस चौकियों का सृजन अतिशीघ्र किया जाना चाहिये। पुलिस चौकियों में वायरलेस सेट की जो पुरानी परम्परा कायम है, उनको बदलना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि जो वाहनों की क्षमता दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में वह पर्याप्त नहीं है। वाहनों में और बढ़ोत्तरी की जानी चाहिये। मान्यवर, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद में एडीशनल एस0 पी0 की नियुक्ति जनवरी, 1985 से आज तक नहीं हुयी है।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने दस्यु प्रभावित 12 जिलों के लिये 390 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं, इसमें से 50 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार अनुदान देगी। मेरी अभिलाषा है कि इस रुपये को हमारे प्रदेश की सरकार यथाशीघ्र उन जनपदों को पंहुचाये जो दस्यु प्रभावित हैं। मान्यवर, यह नदियों और विकराल जंगलों का क्षेत्र है, माननीय नेता विरोधी दल का ध्यान मैं विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि आपकी और हमारी सीमा एक ऐसी सीमा से लगी हुयी है, ऐसी सीमा से जुड़ी हुई है कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जहां डकैतों को प्रश्रय देने की परम्परा बन गयी है। डाकुओं को संरक्षण देने में, इस समाज में कुछ ठेकेदार लोग ऐसे हैं जो पुराने समय से डाकुओं को संरक्षण देते चले आ रहे हैं और भविष्य में भी देते रहेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ हमारे क्षेत्र की सीमा मध्य प्रदेश से लगी हुयी है, और दूसरी तरफ इटावा जनपद से लगी हुई है। यह क्षेत्र दस्यु प्रभावित है यदि प्रदेश सरकार ने इन जनपदों को डकैती ग्रस्त घोषित किया है तो सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है। यहां पर तीन काम होने चाहिये। विकास के लिये जो भारत सरकार ने धन मंजूर किया है उस धन से इस क्षेत्र में सड़कें बनायी जानी चाहिये। वहां पर उद्योगों की स्थापना होनी चाहिये। ग्रामीण उद्योगों का विकास होना चाहिये। विकास की किरण जब तक वहां नहीं पंहुचेगी तब तक मान्यवर, यह डकैतों की समस्या वहां से खत्म नहीं हो सकती। इस आशा और विश्वास के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से माननीय नेता सदन ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री कमलेश कुमार पाठक—

माननीय नेता विरोधी दल ने जो सदन में कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसके समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस पक्ष के और उस पक्ष के तमाम सम्मानित नेताओं के विचार सामान्य प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर इस सदन में आ चुके हैं, लेकिन मान्यवर, मेरा मानना है कि इस समय समूचे प्रदेश में पुलिस नंगा नाच कर रही है। पुलिस से समाज का विश्वास धीरे-धीरे टूटता जा रहा है। आज खाकी वर्दी में मानव को देखकर मानव का दिल घबरा जाता है। पुलिस चाहे इटावा की हो, चाहे इलाहाबाद की हो या प्रदेश के किसी कोने की हो, लेकिन आज भ्रष्टाचार में, रिश्वतखोरी में, इन्काउन्टर में, लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने में पूरी तरह से लिप्त है। हमारे सम्मानित सदस्यों ने चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों, कुछ पुलिस कर्मियों की प्रशंसा भी की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और कुछ पुलिस कर्मियों की निन्दा भी की। यह इतना बड़ा विभाग है, अगर इस विभाग में इतना बड़ा व्यापक भ्रष्टाचार हो और उसम 10.5 पुलिस कर्मी ईमानदार भी हों, तो भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। अगर इस प्रदेश का कांस्टेबिल, सब-इन्सपेक्टर, एस0पी0 ये ईमानदार नहीं हैं तो इनसे ऊपर बैठे हुये बड़े अधिकारी बेईमान नहीं हो सकते हैं। इस समय प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। सारे प्रदेश में ऐसे बहुत से जिले हैं, जिनमें आज भी खुले आज सत्ताधारी दल के लोगों व पुलिस की सांठ-गांठ से जुयें, सट्टे हो रहे हैं तथा सामाजिक क्लबों के नाम पर नंगा नाच हो रहा है।

नेशनल हाई वे नं 0 2 पर इटावा से लेकर इलाहाबाद तक मेरी जानकारी है, इस मुख्य मार्ग पर मुख्य मंत्री, मंत्री, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, डी0 जी0 भी चलते हैं, परन्तु कोयला की अवैध खरीद करने वाले बीसों कांटे लगे हुये हैं। मैंने इस सम्बन्ध में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों, डी0जी0 एवं मुख्य मंत्री, सबको लिखा, परन्तु इनकी रोकथाम के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसी तरह से कानपुर में एक सुरेश गुप्ता है, जिसके यहां कोयले की अवध खरीद करने के सम्बन्ध में छापा पड़ा था, परन्तु नेशनल हाई वे पर अवैध कोयले की खरीद के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैंने दो-तीन बार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को, शासन को इस सम्बन्ध में लिख कर दिया, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। करोड़ों रुपए की अवैध कोयले की खरीद हो रही है। कल माननीय नेता विरोधी दल ने आंकड़ों सहित जो हरिजन, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के साथ उपेक्षा की बात कही थी, उस सम्बन्ध में कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। बड़े ही चतुरतापूर्ण तरीके से उस बात की भर्त्सना और निन्दा करने का प्रयास सत्ताधारी दल के लोगों ने किया। लेकिन मेरा इस सम्बन्ध में कहना है कि इस 35 साल को छोड़े, सदियों से शासन और समाज में इनको न्याय नहीं मिला है। आजादी की लड़ाई में हमारे देश के हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी देते हुए यह सोचा था कि उस दिन समाज के शोषित, पीड़ित, दबे-पिसे लोगों को भी न्याय मिलेगा और बराबरी का दर्जा मिलेगा। हम समाजवाद का केवल ढोल पीट रहे हैं, वरना क्या दिक्कत थी कि जिन लोगों के हाथ में 35 वर्षों से यह व्यवस्था है, उन्होंने 80 प्रतिशत लोगों में से केवल 9 प्रतिशत लोगों को प्रशासनिक सेवाओं में अवसर दिया। इसलिए मैं जो नेता विरोधी दल ने अपने आंकड़ों के साथ अनुसूचित जाति, अल्प संख्यकों और निर्बल वर्ग के लोगों को अधिकार दिलाए जाने के सम्बन्ध में कहा है, मैं इस बात का समर्थन करता हूं और उनके द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(समय 3 बज कर 11 मिनट)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत बजट पर बोलने का समय दिया मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट में पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन को चुस्त और सक्षम बनाने पर विशेष बल दिया गया है, इसलिए मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूं और माननीय नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करता हूं। कल मैं बड़े श्रद्धापूर्वक माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं का भाषण, जो चर्चा चल रही थी, उसको सुनता रहा। उसमें केवल तीन बातें मुख्य थीं एक भ्रष्टाचार दूसरी जातियता, तीसरी अधिकारियों में आपस में वैमनस्य पैदा करना या मतभेद पैदा करना। जहां तक भ्रष्टाचार की बात माननीय नेता विरोधी दल और विशेष रूप से राम सरन दास जी, जिनके प्रति मैं श्रद्धा रखता हूं, वह भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। उसके बारे में कहना चाहूंगा। मान्यवर, एक दिन मैं डाक्टर के पास गया। डाक्टर साहब एक मरीज को देख रहे थे और उससे कह रहे थे कि तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए सिगरेट नुकसान-

दायक है। तुम सिगरेट पीना बन्द कर दो। मरीज हंसने लगा, तो डाक्टर ने पूछा तुम हंस क्यों रहे हो, तो मरीज ने कहा मैं इसलिए हंस रहा था कि आप उस समय तो सिगरेट न पीते जिस समय मुझे नसीहत दे रहे थे।

दूसरी बात नेता विरोधी दल ने अधिकारियों के बारे में कही। जातियता की बात कही गई। कल जिन अधिकारियों के बारे में कहा गया कि अच्छे अधिकारी हैं, उनके साथ जातीयता पर ज्यादती की गई है। मैं नेता विरोधी दल की बात का जवाब देने में अपने को सक्षम नहीं समझता परन्तु उनके समक्ष तथ्यता रखना आवश्यक समझता हूं। मान्यवर, तीन अधिकारियों के नाम लिए गए। एक विशेष रूप से हरिजन अधिकारी के प्रति हमदर्दी प्रदर्शित की गई जो डी0 आई0 जी0, हाउस वेलफेयर श्री राम आसरे के बारे में कहा गया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब यही श्री रास आसरे डी0 आई0 जी0 बुलन्दशहर में एस0 पी0 थे, तो 25.00 रु0 में उन्होंने आर्मरी की रायफल व रिवाल्वर खरीदी थी, जिसकी जांच भी हुई थी। दूसरे अधिकारी प्रेमचन्द्र जी के बारे में कहा गया, मान्यवर, जब हमारा शासन इन अधिकारियों के गुण अवगुण देखता है तो वह इनका (विपक्ष) सहारा लेते हैं। यह एस0 पी0 रोडवेज हैं। जब यह पी0 ए0 सी0 में थे तो यहीं श्री राम आसरे डी0 आई0 जी0, पी0 ए0 सी0 में थे, तो इन्हीं के द्वारा श्री प्रेमचन्द्र उपरोक्त की चरित्र पंजिका में एडवर्स-इंट्री की गई थी।

दूसरा नाम श्री रघुवंश सिंह राना का लिया गया है। जब यह पी0 ए0 सी0 में सहायक सेनानायक, बरेली थे, तो इनकी सत्यनिष्ठा के बारे में कहना चाहूंगा, इन पर दूध बेचने का आरोप लगा था, जब इन पर आरोप लगा तो इनकी चरित्र पंजिका रोक दी गई, इसके लिए जब ऊपर से राजनैतिक दबाव पड़ा तो इनकी इन्ट्री खत्म की गई है। यह मैं जनता शासन काल की बात कह रहा हूं। जिन डी0 जी0 पी0 साहब की तारीफ की गई है तो इन्होंने ही एस0 पी0 रेलवेज श्री राना उपरोक्त को जब डी0 जी0 पी0 उस समय आई0 जी0, रेलवेज थे तो शिकायत पर हटाया था। मान्यवर, माता प्रसाद के बारे में कहना चाहूंगा। श्री माता प्रसाद जब बरेली में डी0 एम0 थे, तो जनता सरकार ने इनको सस्पेन्ड किया था, और जांच के बाद इन्हें निर्दोष पाया गया। यह ऐसे अधिकारी थे जो हरिजन होते हुए आई0 ए0 एस0 जनरल कोटे में आए थे। इनके साथ ज्यादती हुई।

मान्यवर, मैं एक सुझाव पुलिस की गश्त के बारे में देना चाहता हूं। गश्त चाहे देहात में हो या शहर में रवानगी और आमद ज्यादा दिखाई जाती है, गश्त कम होती है। इसकी ओर ध्यान दिया जाय। एक बात चौकीदार के बारे में कहना चाहता हूं इसको 19 रुपए तनख्वाह मिलती है। जबकि जिस तरह से रेवेन्यू में लेखपाल की जिम्मेदारी है, उसी तरह से चौकीदार की जिम्मेदारी पुलिस में है। इसकी तनख्वाह को बढ़ाया जाय और इसको जिलाधिकारी के अन्डर में न रखकर पुलिस अधीक्षक के तहत रखा जाय। अन्त में मैं पुनः बजट का समर्थन करता हूं।

श्री काशी सिंह एरी—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जो अनुदान प्रस्तुत हुआ है उसमें पुलिस प्रशासन को लेकर काफी चर्चा है और मैं तो कहना चाहूंगा कि इस पक्ष के या उस पक्ष के जो बैठे हुए माननीय सदस्य हैं, सबने अर्धसत्य कहा। माननीय कल्यान सिंह ने कहा लेकिन उन्होंने भी अर्धसत्य कहा। जहां यह कहा जाता है कि पुलिस की कमी है, उसके पास साधनों की कमी है, इस तरह से कार्य कुशल नहीं हो पा रही है इस बात से सहमत नहीं हूं। दूसरी तरफ यह देखना पड़ेगा, पुलिस के बारे में हमारे बम्बई हाईकोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश मुल्ला के विचार सब जानते हैं, 73 में पी0 ए0 सी0 काण्ड हुआ उसको सब जानते हैं। मान्यवर, इस सदन में जितन कार्यस्थगन प्रस्ताव नियम 51 या 56 में आते हैं, उसमें 75 प्रतिशत पुलिस के मामले पर चर्चा होती है। मैं कहना चाहता

हूं कि पुलिस काम कहां कर रही है, पुलिस सही काम नहीं कर रही है तो इसका कारण क्या है । इसके कारणों पर विचार करने की आवश्यकता है । मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस जिस तरह से काम कर रही है जो व्यावहारिक बात सामने आ रही है, कोई शासन नहीं है हर जगह आतंक का राज्य है । इसको बदलना होगा । 1861 का पुलिस ऐक्ट इस लिए बना था कि 1857 की लड़ाई के जो रणबांकुरे थे उनके हौसिले को दबाने के लिए, और एकाधिकारतंत्र की स्थापना के लिए इस ऐक्ट को बनाया गया था। हम आज भी पुलिस को उसी रास्ते पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हर जगह जो शक्तिशाली लोग हैं, दूसरे तीसरे मामले में शक्तिशाली हैं और राजनीतिक तबके के लोग हैं सब पुलिस के साथ मिलकर आम जनता पर अत्याचार कर रहे हैं । फुटबाल की तरह पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है । चाहे इधर की गोल में हो या उधर की गोल में फुटबाल है । सब किक मार रहे हैं। पुलिस का इस्तेमाल शान्ति व्यवस्था के लिए नहीं किया जाता है बल्कि अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है । कमिटेड-ब्यूरोक्रेसी किस के प्रति हैं जनता के प्रति, राजनीतिक लोगों के प्रति, सत्ता धारी लोगों के प्रति, किसके प्रति कमिटेड हों इसके बारे में सोचना होगा।

मान्यवर, अब मैं पिथौरागढ़ के सिलसिले में खास तौर से कुछ सुझाव देना चाहता हूं, उसमें एक तो यह कि जब से पिथौरागढ़ में थानों की संख्या बढ़ी है, तभी से अपराधों की संख्या भी बहुत बढ़ी है, चोरियां, डकैतियां और हत्याएं आदि की घटनाएं भी बढ़ी हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे यहां थानों की संख्या कम की जाय । दूसरे मैं इस बात को नहीं मानता कि पुलिस की संख्या जब बढ़ा दी जायगी तो अपराध कम होंगे, या अपराधों पर अधिक कन्ट्रोल हो सकेगा, मैं इस बात को नहीं मानता । दूसरा मान्यवर, सुझाव है कि यदि पिथौरागढ़ व सीमांत जिलों में यू० पी० एस० सी० के सेन्टर्स नहीं खोले जा सकते हैं तो कम से कम प्रादेशिक पी० सी० एस० की सबआर्डिनेट सेवाओं के परीक्षा केन्द्र खोल दिए जायं। तीसरे मान्यवर, पर्वतीय जनपदों में 4 किस्म के अधिकारी ही भेजे जाते हैं, या तो जिनका प्रोमोशन होता है, या पनिशमेन्ट वाले होते हैं या पेंशन वाले या बिल्कुल अक्षम नयी पोस्टिंग वाले । वहां पर कार्य कुशल और सक्षम अधिकारी नहीं भेजे जाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि वहां पर कुशल, सक्षम और ईमानदार अधिकारी व कर्मचारी भेजे जाएं ताकि वहां पर कार्य भी सुचारु रूप से चल सके। अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अमर चन्द्र--

मान्यवर, गृह एवं सामान्य बजट की चर्चा के असर पर जो मुझे बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं और मान्यवर, मैं आपके समक्ष ज्यादा कुछ न कहकर केवल सुझाव रखना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत कम है। मान्यवर, मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में एक बहुत अच्छी व्यवस्था है कि जब वहां का पैरोकार अपने गवाहान को लेकर चलता है तो यहां की तरह किसी टैक्सी या बस को हाथ दिखाकर रुकवाता नहीं है, बल्कि उस वारन्ट को दिखाकर अपने गंतव्य स्थान की बसों द्वारा चला जाता है और चला आता है तो इसी प्रकार की व्यवस्था को मैं चाहूंगा कि आप भी लागू करें। दूसरा सुझाव मान्यवर, मेरा यह है कि जिला स्तर पर एक एम्बुलेन्स की व्यवस्था की जाए ताकि थानों में जो दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें लोग घायल अवस्था में होते हैं, या जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, उनको लाने और ले जाने में सुविधा होगी ।

मान्यवर, हमारा जनपद और खासतौर से मेरा क्षेत्र बाह डाकुओं से बहुत प्रभावित है । मान्यवर, ब्रिटिश पीरिएड में जब इस क्षेत्र के लोगों की अंग्रेजों ने बहादुरी देखी तो आगरा से लेकर बाह तहसील तक रेलवे लाइन बिछा दी । इसलिये मान्यवर, मेरी आपसे मांग है कि उत्तर प्रदेश के इस विधान सभा क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहन देते हुए उनकी भर्ती फोर्स में की जाए । साथ

ही मान्यवर, एक सुझाव यह भी है कि वाह तहसील आगरा से लगभग 100 कि0 मी0 दूर है और इस तहसील का अपना क्षेत्र लगभग 130 कि0 मी0 का है तो जब यहां पर कोई आग लगने सम्बन्धी घटना होती है तो आगरे से दमकल आदि आने में काफी समय लग जाता है, इसलिये एक फायर स्टेशन की व्यवस्था वाह विधान सभा क्षेत्र में कर दी जाय । इन्हीं शब्दों के साथ में मान्यवर माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सामान्य प्रशासन बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री सुखपाल पाण्डेय

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि जो माननीय नेता विरोधी दल ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करने का मुझे आपने अवसर दिया है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका विरोध करने का अवसर दिया है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत जो बजट है प्रशासन और गृह विभाग का, उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कटौती किया है बजट में और जो जो बढ़ोत्तरी किया है उस पर उनका ध्यान ले जाना चाहता हूं । आज सारे प्रदेश में बड़े-बड़े अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है । एक आई0 जी0 के स्थान पर कम से कम मुझ को ठीक से याद नहीं है लेकिन शायद 16 से अधिक आई0 जी0 हो गये हैं और 72 डी0 आई0 जी0 हैं, जोनल हैं उसमें बना दिये गये हैं जिससे आपस में कलह पैदा हो गया है । आई0 जी0 और डी0 आई0 जी0 में हमेशा खींचातानी चलती रहती है जिससे प्रशासन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है । एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सिपाहियों की वृद्धि नहीं की गई, थानों की वृद्धि नहीं की गई । आज गांवों में बहुत असुरक्षा है और गुन्डागर्दी चरम सीमा पर पहुंच गई है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि हमारे जिले में एक समस्या है, माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हुए हैं, सिंचाई मंत्री जी ने एक बार कहा था कि हमारे विभाग में गुन्डे कट्टा और बन्दूकों से ठेका लेते हैं । मैंने शिकायत किया था कि असामाजिक तत्वों द्वारा ठेका लेकर आपके इंजीनियर गलत ढंग से भुगतान करते हैं तो उन्होंने कहा कि बन्दूकों और राइफलों से करते हैं । अपनी असमर्थता उन्होंने प्रकट की थी और उनकी असमर्थता को मैं खुद जानता हूं कारण यह है कि वहां पर दो ग्रुप हैं जिनमें से एक ग्रुप से माननीय सिंचाई मंत्री जी की नहीं बनती है और इसी भय से माननीय सिंचाई मंत्री 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग में बस्ती जिले में नहीं गये और 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग नहीं की जिससे वहां पर तमाम हरिजनों को 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सफलता नहीं मिली । मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि वे माननीय सिंचाई मंत्री को कोई दूसरा जिला बदलकर दे दिया जाय और वहां पर किसी दूसरे मंत्री को भेजा जाय जिससे 20 सूत्री कार्यक्रम सुचारु रूप से चल सके । अब मैं कुछ बातें पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा । हमारे यहां के एस0 पी0 ईमानदार हैं, लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूं लेकिन जितने थानेदार हैं और बेईमान हैं उनको वह संरक्षण देते हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । थानेदारों के कहने पर उन्होंने वहां पर बहुत से सिपाहियों को सजा भी दिया । इसको आई0 जी0 महोदय देखें तो स्थिति स्पष्ट होगी कि सिपाहियों को ज्यादा सजा दिया है और वह भी बेईमान थानेदारों के कहने पर । मैंने उनसे कहा था कि आप ईमानदार हैं, आप बेईमानों की क्यों मदद करते हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसे अफसरों को, ऐसे थानेदारों को सजा मिलनी चाहिये जो बेइमान हैं ।

अब मैं थाना औरैय्या तथा परसरामपुर और छावनी की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वहां के थानेदार गुंडों, बदमाशों और तस्करों को बढ़ावा दे रहे हैं । असामाजिक तत्व और बढ़ते जा रहे हैं, रिश्वत ले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रहे हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाहाल नहीं है । कोई पूछने वाला नहीं है । गलत मुकदमों में फंसाकर पैसा लेने की प्रवृत्ति और जेलों में बन्द करने की भावना आती जा रही है । मान्यवर, विजिलेन्स विभाग ने कितने अधिकारियों के खिलाफ चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग का हो, सिंचाई का हो, आबकारी का हो, कृषि विभाग का हो, चाहे आई0 ए0 एस0 हो या पी0 सी0 एस0 हो, विजिलेन्स जांच होकर आई पांच साल से फाइलें पड़ी हैं आरोप सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन पुलिस विभाग अब तक कुछ नहीं कर सका है । मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि ऐसी फाइलों को निकाल करके, उनके खिलाफ कार्यवाही करें ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें ।

श्री सुखपाल पांडे--

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री कम्प्यूटर की विशेष व्यवस्था कर रहे हैं । तो मैं तो खुद ही कम्प्यूटर की ट्रेनिंग देना चाहता हूं । क्योंकि उससे मंत्रियों की कमी होगी और मुख्य मंत्री जी का ज्यादा योगदान होगा । मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों के लिये..

श्री अधिष्ठाता--

आप विराजें, आपका समय समाप्त हो गया । समय कम है ।

श्री सुखपाल पांडे--

मान्यवर, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में नवगढ़ जिला बनाने की बात आई है कि विचाराधीन है । तो जिला बनाया जाय । इसके अलावा बभनान को भी तहसील बनाया जाय..

(व्यवधान)

श्री राम पाल सिंह एडवोकेट--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे मौका दिया, उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं और बजट का जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा है, उसका समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका विरोध करता हूं । विरोध इसलिये कि कटौती का प्रस्ताव रख कर के विपक्ष ने यह प्रयत्न किया है कि सामान्य प्रशासन यहां का ठीक से न चल सके । सामान्य प्रशासन चलाने के लिये हर आदमी चाहता है, विपक्ष के साथीगण चाहते हैं कि सामान्य प्रशासन ठीक हो । लेकिन ये यहां बैठकर ही नहीं अच्छा प्रशासन चलाने की बात करते हैं, जो लोग ऊपर कमरे में बैठे रहते हैं, बाहर जाकर कहते हैं कि यहां के विपक्ष के लोग जो हैं हर समय गड़बड़ी करने के लिये ही तयार रहते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां जो होता है, उसकी छवि बाहर जाती है और जिलों में भी पहुंचती है । ये जो यहां पर कहते हैं, जिलों में कलेक्टर और एस0 पी0 के यहां भी ये व्यवधान पैदा करने की कोशिश करते हैं । अब मैं दो तीन बातों पर विशेष बल देना चाहता हूं और सुझाव देना चाहता हूं कि सामान्य प्रशासन के लिये धारा 107 सी0 आर0 पी0 का प्राविधान है, उसमें तरमीम की गई थी । इस 107 में सामान्य लोगों पर पाबन्दी लगाने का प्राविधान है, इसकी प्रोसीडिंग "6" महीने के बाद समाप्त हो जाती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 107 की प्रोसीडिंग को सख्ती से लागू करने के लिये तरमीम लावें । इसमें 6 माह वाली बात समाप्त करें । सामान्य प्रशासन के लिये जब कोई पुलिस अधिकारी कहते हैं कि डेंजर आफ लाइफ है और वहां पर घूम-फिर कर फिर केवल मुचलका देकर लौट आते हैं तो डर समाप्त हो जाता है । दूसरी बात जो मैं महसूस कर रहा हूं, फाइनल रिपोर्ट लगती है सी0 आर0 पी0 सी0 में, उस फाइनल रिपोर्ट को जब कोर्टस में लाया जाता है, तो उनको वहां मंजूर नहीं किया जाता है । वहां मुलजिम तलब कर लिया जाता है । जहां फाइनल रिपोर्ट वास्तव में गलत लगती है, वहां के लिये कम्पलेन्ट के द्वार खुले हैं । 392, 394, 395 के केसेज में लोग एफ0 आई0 आर0 लाज कराते हैं, उन पर इन्वेस्टीगेशन होता है, पुलिस जाती है, उस पर

फाइनल रिपोर्ट लग जाती है, उसमें भी तलब कर लिया जाता है, जिससे तमाम केसेज आ जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ध्यान दें। इसमें होता क्या है कि कभी कोई गवाह नहीं मिलेगा, कभी कोई दूसरा साक्ष्य देने वाला नहीं मिलेगा। उसका डायरेक्ट प्रशासन पर प्रभाव पड़ेगा।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन के लिये कोई नियम यहां से निकले हैं, जिसके द्वारा कहा गया है कि 7 साल के नीचे के सब-इन्सपेक्टर्स चार्ज न पायें। मैं निवेदन करूंगा कि अगर अच्छ सब-इन्सपेक्टर्स हैं, वे काम कर रहे हैं, अगर 7 साल के नीच हैं, इसलिये उनको चार्ज न दिया जाय, तो यह भी गलत बात होती है। मान्यवर, अगर ऐसे सब-इन्सपेक्टर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, वहां सख्ती बनाये हुए हैं, उनको अगर हटा दिया जाता है तो वहां मेरिट खत्म हो जाती है। लोगों में यही आयेगा कि अच्छा काम करते थे, इसलिये हटा दिये गये। इसका दोष अधिकारी पर भी जाता है कि अधिकारी ठीक नहीं है, इसलिये उनको हटा दिया गया।

(लाल बत्ती चलने पर)

मान्यवर, अन्त में, मैं निवेदन करूंगा कि हमारा जनपद गोण्डा जो नेपाल के बार्डर पर बसा है, वहां वार्डर पर जो चौकियां बनी हुई हैं, उसमें पुलिस फोर्स बहुत कम है, मुश्किल से 3-4 सिपाही हैं, और जब कि नेपाल की चौकियों पर 40-50 आदमी हैं, उसका असर यह होता है कि जो भी क्राइम होता है, करके चला आता है। कोई पकड़ नहीं हो पाती है। जो वार्डर की चौकियां हैं, उसमें पुलिस की व्यवस्था बढ़ाई जाय वहां और स्टाफ दिया जाय जिससे वहां चेक किया जा सके।

मान्यवर, अन्त में कहना चाहूंगा कि आई0आर0डी0पी0 स्कीम जो चल रही है, वह काफी महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन, मैं कहना चाहूंगा कि वहां उसमें अच्छे अधिकारी लगने चाहिये। चाहे पी0सी0एस0 के हों या आई0ए0एस0 के मान्यवर, होता क्या है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आदमी लगा दिये जाते हैं। आई0आर0डी0पी0 स्कीम का जो हेड हो, वह कोई अच्छा तजुर्बेकार, हर जिले में लगाया जाय। इसके माध्यम से सब कुछ खर्च होता है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री राम पाल सिंह एडवोकेट--

इन्हीं शब्दों के साथ जो बजट प्रस्ताव लाया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, सम्पूर्ण प्रदेश का प्रशासन लुंजपुंज और जन उपयोगी न होकर, जनप्रिय न होकर, जनता के लिये आपदा देय बन गया है। आप किसी गली, मोहल्ले में चल जाय एक ही आवाज लगती है कि जो प्रशासन है वहां बिना रुपया दिये, बगैर वहां कोई पूजा किये, कोई फाईल नहीं चलती है न कोई कागज चलता है। यह प्रदेश के प्रशासन की हालत हो गयी है। सत्ता पक्ष में बैठे विधायक यदि अपने क्षेत्र में जाय तो यही बात देखने और सुनने को मिलेगी कि शासन इतना निकम्मा हो चुका है कि आज जनता के लायक नहीं रहा है। मान्यवर, इससे आगे कहना चाहता हूं कि यह जो क्रिया-कलाप सम्बन्धी पुस्तक मिली है, इसमें संख्या दी हुई है, कि कितनी वीरता से इन्होंने यानि पुलिस ने कितने डकैतों को पकड़ा, कितने डकैतों को मारा, और कितने डकैत ग्रामीण जनता से मुठभेड़ में मारे गये। 4,518 डकैत इन्होंने गिरफ्तार करके जेल में भेजे। जनता के लोगों ने जो गिरफ्तार करके भेजे हैं, इन दोनों की संख्या मिलाकर देखें तो कुल 5,411 डकैत पकड़कर बंद किये गये। ऐसा ज्ञात होता है कि 369इन्होंने मुठभेंडों में मारे और 96 ग्रामीण लोगों के साथ मुठभेंड में मारे गये। कुल मिलाकर 465 मारे गये। इन्होंने जो कार्य-कलाप की पुस्तक दी है, उसमें कहा गया है कि 7 डकैतों के गिरोहों का सफाया हो गया है। यदि इन तीनों को मिला दिया जाय तो मैं महानिदेशक से आपके द्वारा पूछना चाहता

हूं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने डकैतों के दल हैं और उनकी संख्या कितनी है ? जो लोग फर्जी मुठभेड़ में मारे गये हैं, उनकी मां-बहिनों के साथ क्या गुजर रही है, उसका आपको कोई ज्ञान है । अखबारों में बयान देने का महानिदेशक को बड़ा शौक है । कहते हैं कि हर थानों को अस्पताल बनायेंगे, दुर्घटना-ग्रस्त लोगों की मरहम पट्टी करेंगे और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे । माननीय श्री बदन सिंह जी जब जनता की आवाज लेकर थाने पहुंचते हैं तो उनकी काफी पिटाई हुई । इसका एहसास उनके अलावा कौन कर सकता है ? इतना ही नहीं कितने गरीब लोगों को मारा गया है ।

माननीय विधायक श्री रनजीत सिंह जी के बारे में आप जानते ही हैं । महानिदेशक के बारे में मैनेजर सिंह जी ने जो कहा, क्या वह सत्य है यदि हां, तो फिर आप उस पर कोई कार्य कर रहे हैं ? इस पुस्तक में ऐसे कई उद्धरण हैं । जिसमें कहा है कि हमने जबरदस्त प्रगति की है । हमने ज्यादा रिपोर्टें लिखी, जिसकी वजह से अपराध संख्या बढ़ गई है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से महानिदेशक माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देवरिया के एक आदमी श्री रमाशंकर राजभर, ग्राम सकुआ, थाना भाटयारानी को मई के महीने में एक दरोगा ने हाथ बांधकर गांव में नंगा घुमाया और उसके बाद उसे सरे आम वहीं गोली मार दी, लेकिन उसकी रिपोर्ट आपके यहां थाने पर नहीं लिखी गई । आपको शर्म आनी चाहिये । जब उसकी मां ने जिलाधिकारी को दरखास्त दी, तब उसके ऊपर मजिस्ट्रेट की जांच हो रही है । उसी के बाद उसी दरोगा ने उसके छोटे भाई नन्द लाल को पकड़ कर ले गया है, जिसका आजतक कोई पता नहीं चला है । आज इस प्रकार से थानों को अस्पताल बनाया जा रहा है । थाना फिरोजाबाद (उत्तर) के हवालात में मोहन लाल को 7 दिन तक रखा गया और उसकी जान चली गई । पिनहट में कोकसिंह की हत्या हुई आज इस प्रकार की लोमहर्षक घटनाओं को देखकर सत्तापक्ष को शर्म आनी चाहिये । पुलिस के हाथ में इन्सान की जान की सुरक्षा होनी चाहिये ।

डा0 राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जनतंत्र को मजबूत करने के दो पहिये हैं इक्वीटी आफ ला और रूल आफ ला । मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आगरा के समसाबाद थाने का वर्तमान थानाध्यक्ष छविराम के गैंग के दो आदमियों को अपनी सुरक्षा के लिये रखता है । एस0एस0पी0 शुक्ला ने डी0आई0जी0 आगरा के सामने में यह बात कही । 12 फरवरी, 1984 और 24 फरवरी, 1984 को सी0ओ0 फतेहाबाद ने जांच की और जांच की रिपोर्ट एस0एस0 पी0 आगरा को भेजी जो मौजूद है । आपकी पत्रावली में मौजूद होगा । आज उस दरोगा की तारीफ की जाती है यह कह कर कि वह पी0एस0 हाउस का आदमी है, इसीलिये, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह दरोगा माया त्यागी काण्ड में भी शामिल था । कार्य-कलाप की जो पुस्तक दी गई है, उसमें कहा गया है कि 85 पुलिस कर्मियों को जाने गयी उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है । जो लोग पुलिस के इन डकैतों द्वारा एटा में मारे गये, उन्हीं के हथियारों को छीन कर दरोगा के रक्षक सिपाही लाल रामेश्वर लाये और अपने पास रखा है । इस प्रकार की घटना पर सरकार को शर्म आनी चाहिये ।

फर्जी इनकाउण्टर से पहले हाथ तोड़ना, आंख फोड़ना और फिर जान लेना यह पुलिस का काम रह गया है । और आज यह आम लोगों की राय भी हो गई है कि पुलिस यह काम करती है । पुलिस की वर्दी को देखते ही लोग न मालूम क्या-क्या अभद्र शब्द निकालना शुरू कर देते हैं । यह हम सबको मालूम है । इन सारी समस्याओं को देखते हुये पुलिस के महकमें में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

प्रशासन में अमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है । आज की पुलिस ब्रितानिया की पुलिस नहीं है बल्कि हिन्दुस्तान के जनतंत्र की पुलिस बनाने के लिये परिवर्तन करना पड़ेगा हमारे यहां फिरोजाबाद में आये दिन कत्ल, डकैतियां, होती रहती हैं । रोजाना चौराहों पर गोली चलती है । पुलिस अक्षम है वहां की हालत बहुत खराब है । गुलशन सेठी पकड़ा

गया, वह किस का आदमी था, कांग्रेस का आदमी था। हमारे यहां महा निदेशक की रिस्तेदारी है और उनका एक मिनी दफ्तर वहां भी खुल गया है लेकिन कहना चाहता हूं कि यह सहनीय नहीं है शमनाक है। फिरोजाबाद की हालत को देखते हुये उसको जिला बनाया जाय। मैनपुरी, एटा की शहरी आबादी से ज्यादा आबादी है। अन्त में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आप का आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

चौधरी श्याम लाल—

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। आज सामान्य प्रशासन का बजट है, इस का सम्बन्ध जन जीवन से है। अच्छे प्रशासन में मानवीय अनुरक्षण एवं उसके सर्वांगीण विकास से है। अभी विरोधी दल ने हरिजन उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, अनाचार की बात रखी और जातिगत आधारों की बात की। जिन मुद्दों पर हम चुनाव लड़कर आये हैं वह मुद्दे प्रजातांत्रिक, नैतिक, मानवीय मानदण्डों पर आधारित हैं। हमारे लोकप्रिय नेता राजीव गांधी ने लोक सभा के चुनाव में एक नारा दिया था कि हम फल में विश्वास करते हैं, मैं समर्पित हूं उन मानदण्डों, नैतिकता, आदर्शों के लिये जो राष्ट्र में समृद्धि लायेंगे और राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को कायम रखेंगे। इसलिये मेरा दल जाति आधार, साम्प्रदायिकता से दूर है और इन आदर्शों के लिये समर्पित है। इसलिये मैं जाति, सम्प्रदाय के आधार पर बात न कर के गुणात्मक आधार की बात करता हूं। यह है इस दल के आदर्श और मान्यतायें।

वास्तव में राष्ट्रीय चरित्र में ह्रास हुआ है। यदि हम अपने प्रजातंत्रीय व्यवस्था के 38 साल के प्रतिहास के परिपेक्ष्य में जायें तो हम देखते हैं कि विरोधी दलों ने जब अपने को जनता के बीच नाकामयाब देखा तो उन्होंने जाति आधार पर, धर्म, सम्प्रदाय का सस्ता नारा लगाना शुरू किया और यहीं से राष्ट्रीय चरित्र का ह्रास हुआ। आज आर्थिक अपराध ज्यादा बढ़े हैं। एक तरफ तो अधिक पैसा बढ़ गया और एक तरफ आदमी गरीब होता गया और प्रभावशाली व्यक्तियों ने गरीबों का शोषण एवं उत्पीड़न शुरू कर दिया और यहीं से समाज में एक असाम्य पैदा हो गया। यहां पर मैं स्वर्गीय राधा कृष्णन साहब की एक पोयम उद्धृत करूंगा— ए सोसाइटी इज सेड टू बी इस्टेबिल, इफ इट्स डिफरेन्ट् काम्पोनेन्ट्स, सोशल, इकानामिक, पालिटिकल हार्मोनाइज, इट डिसइन्टीग्रेट्स दि सोसाइटी, डिसइन्टीग्रेट्स। स्थाई समाज वह समाज कहलाता है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समरसता हो। जस ही यह समरसता टूटती है, तो अस्थाई समाज हो जाता है।

जनपद में जो क्राइम कण्ट्रोल की मीटिंग्स होती हैं उनमें 90 प्रतिशत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को फंसाया जाता है। प्रशासन को चाहिये कि जिलेवार एक सूची बनायी जाय और देखा जाये कि कितने हरिजनों के ऊपर ऐसे खामखाह कोटे के आधार पर केस चलाये गये हैं। और उनका परिणाम होता है कि मुकदमें में सरमायेदार लोगों का जमानत आदि में सहारा लेना पड़ता है और वह उनके चंगुल में फंस जाते हैं और इन गरीबों से वह बेगार आदि लेते हैं।

दूसरी बात, अभी एक गोष्ठी हुई थी, डी0 आई0 जी0 हरिजन प्रकोष्ठ ने बुलाई थी।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें।

चौधरी श्याम लाल—

1977 में एक नारा दिया गया था हरिजन नेता प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी और इन्द्रा में हरिजनों की आस्था रही और रहेगी।

(श्री लक्ष्मी नारायण का नाम पुकारे जाने से व्यवधान।)

1985 के चुनाव में जनता ने फैसला कर दिया 86 में से 72 विधायक कांग्रेस के हरिजन हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बठ जांय।

श्री लक्ष्मी नारायण--

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने का मौका दिया, आभारी हूं। साथ ही, नेता, विरोधी दल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

हमारे मुख्य मंत्री और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हमारे नेता, विरोधी दल के भाषण पर एक प्रहार किया। उन्होंने जातिवाद को लिया। मैं मा0 सत्ता पक्ष के सदस्यों से और मंत्रिमण्डल के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यदि उनमें इतनी हिम्मत है कि वे जातिवाद के विरोधी हैं तो रिजर्वेशन को खत्म करके आर्थिक वर्गीकरण के आधार पर रिजर्वेशन करिये, हम देखेंगे कि कौन सहमत है ?

अब हम प्रशासन पर आते हैं। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री को नियुक्ति की गयी है, लेकिन हमारे जिले के प्रभारी मंत्री के कहने से 5 महीने में एक भी अधिकारी ने कोई काम नहीं किया है, यह हालत है प्रशासन की। मा0 राम सरन और सत्ता पक्ष के विधायक प्रदीप माथुर ने मूर्ति चोर गिरोह का जिक्र किया।

(व्यवधान)

उनके यहां जिसको एम0पी0 का टिकट दिया गया और उस एम0 पी0 के माध्यम से प्रभारी मन्त्री उस मूर्तिचोर किशन पुटेरा के घर दावत खाने गए।

("शेम' "शेम" की आवाजें)

श्री खान गुफरान जाहिदी--

यह "शेम" शब्द तो अंग्रेजी का था, इसका भी अनुवाद करिए।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय जाहिदी साहब ने एतराज किया है, कृपया इसका हिन्दी तर्जुमा कर दें।

श्री लक्ष्मी नारायण--

बजाय आई0 जी0, डी0 आई0 जी0 और अफसरों की संख्या बढ़ाने के पुलिस फोर्स में वृद्धि की जाय। जितना आप आई0 जी0, डी0 आई0 जी0 की पोस्ट पर खर्च करते हैं, उसमें 100 कांस्टेबिल बढ़ा सकते हैं। इनमें भ्रष्टाचार न बढ़े, इसके लिए जैसा माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि इतना वेतन एक पुलिस कर्मी को दिया जाय जिससे उसका गुजारा हो जाय। इसीलिए मैं मांग करता हूं कि पुलिस कर्मियों की तनख्वाह बढ़ाई जाय। यह बात नहीं कि हमारे सत्ता पक्ष के लोगों में या हमारे प्रशासन में अच्छे लोग न हों, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन आजकल एक नई प्रथा हो गई है कि मिनिस्टिर या मुख्य मन्त्री, जिस अफसर के माध्यम से, या जिस पी0 ए0 या स्टेनो के माध्यम से, जितना धन संग्रह करते हैं, इनाम के रूप में अगले चुनाव में उनको टिकट दे दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि राजनीतिक शुद्धीकरण के लिए ऐसे व्यक्तियों को टिकट न दिया जाय चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विरोधी पक्ष के हों। जिससे कि कोई दूषित वातावरण न बने। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री जी....

श्री अधिष्ठाता--

आप यह बात अपने संगठन में उठाएं तो उचित रहे।

श्री लक्ष्मी नारायण--

सत्ताधारी दल हमारे संगठन की बात को मानता कहां है ? तो मैं कह रहा था कि हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री जी हैं मैं उनकी इज्जत करता हूं क्योंकि वह बड़े साहित्यिक और राजनीतिज्ञ आदमी हैं लेकिन उनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए और सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वह जो कल्पना करते हैं इस प्रदेश की, तो यह प्रदेश गांधी का प्रदेश है, राजा राम का प्रदेश है, गौतम का प्रदेश है सम्राट अशोक का देश है जहां का राजा रात में जाकर लोगों को देखता था कि उन्हें क्या दुख है, क्या दर्द है, किसी महिला के आंख से क्यों आंसू निकले, लेकिन आज हालत यह है कि किसी मिनिस्टर

की किसी मुख्य मन्त्री की या हरदेव जी आपके प्रधान मन्त्री जी की हिम्मत नहीं है कि वह अकेले जा कर अपनी जनता को देख सके। यह हालत बना दी है कांग्रेस के शासन काल ने।

अन्त में मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं और माननीय नेता विरोधी दल के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा--

अधिष्ठाता महोदय, आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं मुख्य मन्त्री जी द्वारा गृह विभाग पर रखे गए बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सम्मानित विपक्षी दल के नेता के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, कल से आज तक मैंने बहुत देर से बहुत सारे सम्मानित सदस्यों के विचार सुने, मेरी समझ से बाहर है कि कई बार एक ही बात को हमारे विपक्षी सदस्यों ने दोहराया। जैसे कि कल सम्मानित विपक्षी नेता ने कहा था कि सरकार में भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त है और शासन के मन्त्री अपने कामों में सक्षम नहीं हैं इस तरह की बात कह कर वह कैसे प्रदेश का भला करना चाहते हैं? मैं इस सदन के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि तीन साल का समय जो कि जनता शासन का समय कहा जाता है सभी सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि आज जो लोग विपक्ष में बैठे हैं, वह इधर सत्ता पक्ष में बैठा करते थे और आज जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं वह उधर विपक्ष म बठा करते थे और माननीय नारायन दत्त तिवारी उस समय नेता विरोधी दल की भूमिका अदा कर रहे थे तो उस समय के तत्कालीन वित्त मन्त्री को वित्त का बजट पेश करना था तो दौड़ कर श्री नारायन दत्त तिवारी के पास पूछने गए थे कि बजट कैसे रखा जाता है। और आज वही लोग यहां बैठ कर आलोचना कर रहे हैं। जिनकी सरकार में से एक भी मन्त्री सक्षम नहीं था।

मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं कि उस समय जनता शासन काल ही था कि जब विद्यार्थी कोई बात कहने के लिए जाता था तो उसको गोलियों और लाठी का शिकार होना पड़ता था। जनता शासन में ही वकीलों पर लाठियां चली थीं और उन लोगों को गालियों की बौछारों का भी शिकार होना पड़ा था। आज आप पुलिस के मनोबल की बात करते हैं? जनता शासन के समय की ही बात सदन को बताना चाहता हूं कि तथाकथित डी0 आई0 जी0, मेरठ जिनका मैं नाम भी बतलाए देता हूं कि श्री प्रकाशसिंह जिनको जनता सरकार में जाति विशेष के थानेदार के तबादले के कारण बेइज्जत करके निकाला था और आप ही पुलिस का मनोबल बढ़ाने की बात करते हैं? इस बेइज्जती के कारण 6 माह तक किसी डी0 आई0 जी0 ने मेरठ जाना पसन्द नहीं किया।

जनता शासन काल में ही श्री जय प्रकाश नारायण ने चुनौती दी थी गुजरात में कि उनको अधिकार है वह सरकार को बदल देंगे। पांच साल के लिए जो सरकार चुनी गई है उनको यह कहते हैं कि हम अधिकार रखते हैं कि बीच में ही बदल देंगे और मन्त्रियों से इस्तीफे की मांग करते थे। उस समय भी मैंने जनता के बीच एक बात कही थी कि करोड़ों रुपए एक बार के चुनावों पर खर्च करना पड़ता है। यदि उनके पास भ्रष्टाचार मिटाने का कोई तरीका है तो उस तरीके को श्रीमती इंदिरा गांधी जी को क्यों नहीं बता दिया। आखिर गद्दी की भूख के कारण जनता की चुनी हुई सरकारें क्यों गिराना चाहते हैं?

मान्यवर, जय प्रकाश जी इस व्यवस्था को बदलना चाहते थे कहते हैं कि बहुत भ्रष्टाचार है आखिर कौन सा ऐसा थर्मामीटर उनके पास था, जिससे वह भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते थे। सदन को बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के कारण जनता शासन में जब केन्द्रीय मन्त्रियों ने आपस में ही इसमें ज्यादा कमाया, उसने ज्यादा कमाया के आरोप लगाए तो जय प्रकाश जी की मृत्यु बड़ी दुर्दशा के साथ हुई। जनता शासन की दूसरी मिसाल देता हूं पन्त जी के आदर्शों पर चलने वाला पन्त नगर विश्वविद्यालय क्या जनता सरकार की कुरीतियों से और पुलिस की लाठियों व गोलियों से बरबाद नहीं हुआ?

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठें।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा--

मान्यवर, 2 मिनट और लेना चाहता हूं। मान्यवर, विपक्षी सदस्यों द्वारा जातिवाद की बहुत दुहाई यहां दी गई।

(व्यवधान)

मान्यवर, जो जाति वाद की बात करके हमारी सरकार पर आरोप लगाना चाहते हैं क्या उन्होंने स्वयं जातिवाद की राजनीति से बाहर निकलने की कोशिश की ? मान्यवर, अब मैं पुलिस की बात कहना चाहता हूं। जिस दिन से मुल्क आजाद हुआ है मुझे याद है और हमारे सम्मानित सदस्यों को भी याद होगा कि उस समय एक सिपाही को 40-50 रुपया तनख्वाह मिला करती थी। उस समय जातिवाद के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर हर आदमी को मौका दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता--

आप अब समाप्त करें।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा--

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पुलिस की योग्यता को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि पुलिस को अच्छी ट्रेनिंग दी जाय व अच्छे वाहन उपलब्ध करायें जिससे उनके काम करने की क्षमता में तेजी आये। उनके बच्चों को अच्छी सुविधा दिलानी होगी, उनकी वर्दी पर जो खर्च होता है उसको भी कराना होगा। एक सिपाही जब 24 घंटे काम करता है तो उसके बाद क्या हम उम्मीद करेंगे कि वह किसी से हंसकर बात करेगा। आपको उसके रहने की व्यवस्था भी करनी होगी ताकि एक सिपाही अपने बच्चों को अपने साथ रख सके। इसके साथ ही मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा रखे गए बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(श्री शफीकुर्रहमान बर्क का नाम पुकारे जाने पर)

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अधिष्ठाता--

सुरेन्द्र जी आप बिराज, आपको भी मौका मिलेगा। मने बर्क साहब को बुलाया है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा रखे गए बजट का विरोध करता हूं और माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव की ताईद करता हूं। मैं एक शर से अपनी तकरीर शुरू करता हूं:--

"अभी क्या है कल एक-एक बूंद को
तरसेगा मैखाना"
जो अहले जर्फ के हाथों में पैमाने
नहीं आए।"

जहां तक भ्रष्टाचार का ताल्लुक है, भ्रष्टाचार की तारीफ में जितना कुछ कहा जाय, वह कम है। इस सिलसिले में रोनाल्ड स्प्रीगल ने एक किताब लिखी है, "क्राइसेस इन इंडिया", जिससे उन्होंने यह कहा है--

"इन इंडिया करेप्शन स्टार्ट ऐट दि टोप ऐंड परकोलेटिंग डाउन वर्ड्स कलर्स दि होल सोसाइटी।"

जिसका तरजुमा है "हिन्दुस्तान में भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है और नीचे बहता हुआ सारे समाज को रंग देता है।" तो हकीकत यह है कि जैसा नेता विरोधी दल ने कहा कि भ्रष्टाचार इस देश के अन्दर इतना ज्यादा फैल चुका है कि जिसकी वजह से आज देश के अन्दर मैं यह कहूंगा नथिंग ग्रोविंग इक्सेप्ट करेप्शन। इस देश के अन्दर गेहूं, गन्ने को तो पाइरिला लग गया है, उससे तमाम खेतों को नुकसान पहुंच रहा है, कुछ पदा होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन करेप्शन फैल रहा है, आज खेतों के अन्दर करेप्शन का बीज पनप रहा है। इसलिये मैं चाहूंगा और मांग करता हूं कि इस देश के अन्दर से करेप्शन की जड़ों को खोखला

किया जाय और जब तक करेप्शन की जड़ों को आप खोखला नहीं करेंगे, उस समय तक न देश पनप सकता है और न प्रदेश ही पनप सकता है । मैं इन शब्दों के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि मा0 मुख्य मन्त्री जी ने फिरके वाराना फसादों का जिक्र तो किया मगर मैं कहना चाहता हूं कि उनको हल करने के लिये उन्होंने कोई बात नहीं कहीं है । चाहे हिन्दू हों या मुसलमान हों, या और कोई हो, जब तक आप उनमें मेल-मिलाप नहीं पैदा करेंगे, तब तक यह समस्या दूर नहीं हो सकती है और हम तरक्की भी नहीं कर सकते हैं । बदकिस्मती यह है कि हजारों बल्वे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरफ कुछ सोचा नहीं गया है । साथ ही साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी बद किस्मती है कि दहेज के कारण बहुत सी बहू बेटियां जान दे देती हैं, यह रिवाज आम हो गया है और उनको नुकसान हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप का समय हो गया है ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मान्यवर, अपने क्षेत्र सम्भल के सिलसिले में और जिला मुरादाबाद के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि सम्भल पृथ्वीराज चौहान के समय में राजधानी था, मुगलों के समय में एक सूबा था और आज यह एक तहसील रह गया है । मान्यवर, मुरादाबाद मण्डल में आप जिला बनाने जा रहे हैं जिसमें मुरादाबाद बिजनौर और रामपुर के जिले हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सम्भल को भी एक जिला बना दिया जाये । लिखकर भी आ गया है और सारी फारमैलिटीज पूरी हैं, वह एक ऐतिहासिक स्थान है, इसलिये आप इसको जिला बना दें दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि सम्भल में एक इंजीनियरिंग कालेज, पालीटेक्निक स्कूल और फैक्टरी खोला जाय, ताकि सम्भल की तरक्की हो सके । मान्यवर, पुलिस के अत्याचार से लोग परेशान हैं, जब तक पुलिस के कैरेक्टर को ठीक नहीं किया जायेगा, तब तक यह समस्या बनी रहेगी, जो आपके पुलिस ट्रेनिंग कालेज है वहां पर पुलिस को आप अच्छी तालीम दें, जिससे जो कैरेक्टर की गिरावट आई है, वह न रहे और पुलिस के व्यवहार को ठीक किया जाये ।

श्री अधिष्ठाता-

वर्क जी आप एक शेर कह कर समाप्त कीजिये--

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

"मुझे मिटायेंगे क्या यह हवादि से दौरा
कि मुस्करा के हर एक गम को पी लिया मैंने ।"

श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, इसमें पुलिस के बारे में और उसके भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, परन्तु यह बात सामाजिक परिस्थितियों को ओझल करके कही गयी है तो मैं कहना चाहता कि पुलिस का भ्रष्टाचार जो है वह सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार ऊंट के मुंह में जीरा है, इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है । श्रीमन्, आप उनकी परिस्थितियों को देखें । हर विभाग में हर कार्य में काम करने के कुछ घंटे निर्धारित होते हैं । चार घंटे, छः घंटे, 10 घंटे ड्यूटी के निर्धारित होते हैं । लेकिन किसी भी पुलिस कर्मी की ड्यूटी का कोई समय नहीं है । हमारी और आपकी सुरक्षा के लिये कदम-कदम पर वह 24 घंटे का नौकर है । कचहरी से सहादत देकर जब वह शाम को आता है, परेशान थका रहता है और यदि उसको तुरन्त सूचना मिलती है तो वह किसी भी साधन से चाहे पैदल हो, साइकिल हो, मोटर साइकिल हो उसे क्षेत्र में जाना पड़ता है । रात में किस समय वह लौटेगा, यह कुछ नहीं कहा जा सकता । लौटेगा भी या नहीं, कहां खाता है कहां सोता है । इस तरह से उसकी ड्यूटी के घंटों का कोई निर्धारण नहीं है । इन परिस्थितियों के बावजूद भी हम उसे दुतकारें, उसका मनोबल कम करें तो यह न्यायसंगत नहीं होगा ।

श्रीमन्, जातिवाद की बात कही गई। इससे हमको विचलित नहीं होना चाहिये।, जिन लोगों का, जिन व्यक्तियों का जिन दलों का आधारभूत सिद्धान्त जातिवाद का नारा रहा है वे यह कहें तो उनके लिये कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि उनका जन्म ही जातिवाद के आधार पर हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से, शासन के अधिकारियों से यह कहना चाहूंगा, उन्हें आगाह करना चाहूंगा कि वे दल इन जातिवाद के नारों पर अधिकारियों का राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। इस राजनीतिकरण के आधार पर जो राजनीतिक संरक्षण और समर्पण देने की कोशिश की गई है और जो प्रशासनिक, राजनीतिक और सभी स्तरों पर उनके मनोबल को कमजोर करना चाहते हैं। उनको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिये। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि प्रदेश के अन्दर कोई भी व्यक्ति जातिवाद के आधार पर काम न करे, नियम और ईमानदारी के आधार पर काम करे, यही आज आवश्यकता है। खुफिया विभाग को विशेष रूप से मजबूत किया जाय। उसकी भर्ती अलग कैडर बना कर की जाय और उसको प्रमोशन की विशेष सुविधा दी जाय। खुफिया विभाग को चुस्त किया जाय।

सामान्य प्रशासन के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे सामान्य प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर इतना अधिक बोझ लाद दिया गया कि कोटा, परमिट और स्थानीय निकायों का शासन भी इनके पास दिया गया है। उन्हें सामान्य प्रशासन में ही समय नहीं मिल पाता है। इसलिये जो कोटा परमिट की प्रणाली है उसे जिला पूर्ति अधिकारियों को सौंप दी जाय और नगरपालिका टाउन एरिया का जो काम है उसको निर्वाचन के आधार पर जन प्रतिनिधियों को सौंप दी जाय या नामांकित व्यक्तियों के हाथ में दे दी जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि की जानकारी की मांग

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय अध्यक्ष जी को मैंने एक पत्र लिखा था उपाध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में। उन्होंने इसके बारे में माननीय सभी नेताओं को बुलाया था। मैं भी उस बठक में था। उसमें सर्व सम्मति से यह निणय हुआ था कि इसके लिये तिथि घोषित की जायेगी। माननीय अध्यक्ष से मुझे सूचना मिली है कि उपाध्यक्ष के चुनाव के लिये 2 तारीख को नामीनेशन हो जायेगा और 3 तारीख को चुनाव हो जायेगा और 24 तारीख से पहले इस सदन में उसकी घोषणा कर दी जायेगी। लेकिन श्रीमन्, आज 24 तारीख को सदन उठने जा रहा है अभी तक घोषणा नहीं हुई। जो आश्वासन माननीय अध्यक्ष ने इस सदन में दिया था उससे वे मुकर रहे हैं। जब घोषणा नहीं होगी तो फिर हमारे 3 लोग जो रासुका में बन्द हैं उन्हें सूचना की बात आयेगी। लगता है परोक्ष रूप से इस चुनाव को टालने की साजिश हो रही है। श्रीमन्, मैंने लिखा था कि अगर यह चुनाव टाला जायेगा तो मैं इस सदन में कोई सक्रिय कदम उठाऊंगा। यदि यह सदन संवैधानिक ढंग से नहीं चलता है तो हमारा यहां बठना ठीक नहीं है। यह संविधान का खुला उल्लंघन है। मैं चाहूंगा कि आप माननीय अध्यक्ष तक हमारी इन भावनाओं को पहुंचायें। आज घोषणा कर दें अन्यथा 2 तारीख को मैं सत्याग्रह करूंगा। इस सदन में बैठने से बेहतर है सदन से बाहर चला जाना।

1985–86 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15–गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 17–गोपन विभाग, अनुदान संख्या 25—नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36—प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 45—लोक सेवा आयोग, अनुदान संख्या 64—सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69—सामान्य प्रशासन विभाग तथा अनुदान संख्या 70—सार्वजनिक उद्यम विभाग।

श्री अधिष्ठाता--

(कुंवर मानवेन्द्र सिंह का नाम पुकारने पर) केवल एक माननीय सदस्य बोल पायेंगे ।

(समय 4 बज कर 17 मिनट)

कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । कल एक माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के कह रहे थे कि पुलिस शांति व्यवस्था स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है और दूसरी तरफ यह भी कह रहे थे कि पुलिस चुनाव में भी बड़ी निष्पक्षता से काम करती रही है । हमको याद है, आपको भी याद होगा गत वर्ष हुए माधोगढ़ के उप-चुनाव में मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर एक मंत्री की उपस्थिति में पुलिस ने क्या काम किया कि नेता विरोधी दल के सीने पर बन्दूक लगा दी थी और उस समय वह मंत्री मौजूद थे । तो पुलिस के सहारे सत्ता दल के लोग यह सब काम करा रहे हैं जिसका मुकाबला हम विरोधी दल के कार्यकर्ता लोग अपने चरित्र, व्यवहार और आत्मविश्वास के बल पर मुकाबला कर रहे हैं।जिसका परिणाम यह हुआ कि तत्कालीन मंत्री जो भ्रष्ट और चरित्रहीन हैं, जो गुण्डों और डकैतों को पनाह देते थे और इन कामों के लिये बदनाम भी थे इस बार इस सदन में चुन कर नहीं आ पाये हैं ।

श्री भागीरथ चौधरी--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । क्या किसी के लिये जो यहां उपस्थित न हो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं । इसलिये कार्यवाही से इनको निकाल दें ।

श्री अधिष्ठाता--

देख लेंगे, यदि कोई असंसदीय शब्द होंगे तो निकाल देंगे ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

मैं दो तीन उदाहरण देना चाहता हूं, जो वर्तमान में यहां पर मंत्रि मण्डल है उसमें जो लोग बठे हैं उनकी तो बात कहनी ही क्या है जो भूत हो गये हैं उनके बारे में बता दूं । उनका क्या रवैय्या रहा है । आपको जानकारी होगी हमारे झांसी के समथर क्षेत्र के किसी समय में राज्य गृह मंत्री हुआ करते थे श्री रणजीत सिंह जूदेव । तो समथर थाने की पुलिस के एक सिपाही ने 12/13 मार्च, 1985 की रात्रि को एक आदमी की थाना ध्यक्ष की लाइसेन्सी बन्दूक से हत्या कर दी थी । वह आदमी स्वयं एक बारात में समथर आया हुआ था, झांसी के सी० एम० ओ० का ड्राइवर था, को सिपाही ने बारात में ही गोली से मार दिया । वह बन्दूक थानाध्यक्ष की निजी लाइसेन्सी बन्दूक मालखान में रखी हुई थी लेकिन उस थानाध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई जबकि थानाध्यक्ष ने इस हत्या की घटना की 304 ए मे रिपोर्ट दर्ज की । मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आज भी समथर थाने में जो पुलिस रहती है उसे सब जानते कि हैं वह उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं कहलाती हैं, वह समथर किला पुलिस कहलाती है । अगर वहां की पुलिस का कर्मचारी या अधिकारी गलत काम करता है तो उसे दण्डित नहीं किया जाता है, दण्डित किया जाना चाहिये ।

एक घटना और बताना चाहता हूं, तत्कालीन मंत्री [***] की सगी चचरी बहन मोहन राजा..

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि जो व्यक्ति इस समय सदन में नहीं हैं उसका नाम लेकर कोई बात न कहें ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

तो उनकी सगी चचेरी बहन का भूमि का मामला था, उनकी सारी भूमि की रजिस्ट्री 28 हजार में समथर किले के अन्दर कर दी, रजिस्ट्रार को किले में बुला कर रजिस्ट्री करा दी । वह खुद अपने पति के साथ कच्चे मकान में रहती है । उसकी सारी रकम अपने पास रख ली और उसे 28 हजार रुपय में से मात्र 5 हजार रुपये दे दिये । जो वहां रजिस्ट्री के समय किले में उपस्थित बदमाश थे उन्होंने जब मोहन राजा अपने पति के साथ वापस जाने लगी तो उसके

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

साथ मारपीट कर, उसके साथ अभद्र व्यवहार कर पैसा ले लिया। उसके समथर थाने में नाम दर्ज रिपोर्ट करने पर भी राजा समथर के इशारे पर कोई कायवाही नहीं हुई। अभी एक महीने पहले मोहन राजा का स्वर्गवास हो गया है।

मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं कि शहर की कानून व्यवस्था के लिये जितनी पुलिस की आवश्यकता हो उतनी ही पुलिस, पुलिस लाइन पर रखी जाय बाकी को बाडर इलाके में रखा जाय, या नदी के किनारे पर जहां दो जिले मिलते हैं वहां पर रखी जाय। पुलिस चौकियों बढ़ाई जानी चाहिये। पुलिस कर्मियों का प्रमोशन समयबद्ध रूप से होना चाहिय जो प्रमोशन के योग्य न हो उनको छुट्टी दे दी जाय। पुलिस प्रशासन में आई0 जी0 के बहुत पद हो गये हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये पद और न बढ़ाये जायं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करे।

कुंवर यानवेन्द्र सिंह—

आज पुलिस थाने बिक रहे हैं अच्छे थानों में जाने के लिये लोग माह वार पैसा देते हैं। ऐसा हर जगह नहीं है लेकिन बहुत से जिलों में थाने बिकते हैं। पुलिस में अनुशासनहीनता का एक कारण यह भी है कि एक थानेदार 5 साल की नौकरी में थानाध्यक्ष हो जाता है और जो उसके नीचे सेकेन्ड आफिसर है उसकी 25 साल की नौकरी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिये कि जूनियर सीनियर का अफसर हो। अतः समय बद्ध प्रोन्नति की व्यवस्था की जाये। इससे अनुशासन बनाये रहने में सहयोग मिलेगा। इसलिए जो सीनियर हैं उसको सुनिश्चित प्रोमोशन दिया जावे। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि देवरिया में हरिजनों के साथ उत्पीड़न हुआ है और पुलिस ने एफ0 आई0 आर0 तक नहीं लिखा है, इस पर शासन ध्यान दे। इसके साथ ही अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री किशन सिंह तड़ागी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे हमारे योग्य माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट के समथन म बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके साथ ही मैं नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

मान्यवर, जैसा कि हमारा यह प्रान्त बड़ा विशाल है और इस प्रान्त में 12 करोड़ की आबादी निवास करती है और इसका क्षेत्र फल 2,94,413 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रदेश में कम से कम पंजीकृत 5,371, फैक्टरियां हैं और 2,154 ट्रेड यूनियन्स हैं 19 विश्वविद्यालय हैं, 348 स्कूल और कालेजेज हैं जिनमें लगभग डेढ़ करोड़ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं और यह भी यूनियन्स हैं। यहां भी इलेक्शन्स होते हैं। इन सब में पुलिस जो व्यवस्था करती है वह शान्ति पूर्वक व्यवस्था करती है। हमारे प्रदेश में अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, उनके त्योहार भी अलग-अलग हैं किन्तु इसके बावजूद भी कभी ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे कि दंगा हो। मान्यवर, वर्ष 1984 हमारे यहां अच्छा रहा है और किसी प्रकार की कोई अशान्ति नहीं हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी पुलिस प्रशासन की आलोचना की जा रही है जो कि प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम करते हैं। जब कोई खतरा या दंगा होता है तो पुलिस को याद किया जाता है, कहीं कत्ल होता है तो पुलिस को याद किया जाता है किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि उनकी बुरी तरह आलोचना यहां होती है और जनता एवं पुलिस के बीच में एक जबरदस्त खाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि इसी प्रकार यह खाई बढ़ती जायेगी तो एक दिन हमारे प्रदेश में अनारकी की स्थिति पैदा हो जायगी और फिर किसी का कोई कन्ट्रोल नहीं रहेगा और एक जंगल जैसा वातावरण हो जायगा। "सरवाइवल आफ दि फिटेस्ट" जो ताकतवर होगा उसी का राज्य होगा। यदि ऐसी बात हो जायगी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो लोगों को रहना और जीना मुश्किल हो जायगा इसलिए निवेदन है कि उस सिपाही को जो दिन भर ड्यूटी देता है, वी0 आई0 पी0 के आने पर 12 बजे तक उसकी ड्यूटी है तो रात के 8बजे तक उसको बैठना पड़ता है। इसलिए पुलिस की जो समस्यायें हैं जैसे एलाउन्स कम हैं, खाने और रहने की उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा रखे गए बजट का हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री अशोक बाजपेयी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान मद संख्या 70 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की स्थापना 1974 में की गई थी तो उसके पीछे मंशा थी कि प्रदेश के तमाम सार्वजनिक निगमों की ब्यूरो देख-रेख करेगा, उनमें होने वाले घाटे की जांच करेगा लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1975 के बाद से आज तक इस ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट कार्य-कलापों की माननीय सदस्यों और माननीय सदन को नहीं मिली है। मान्यवर, जब इस साल का बजट प्रस्तुत किया गया तो मैंने प्रयास किया और ढूंढ़ा कि शायद इसमें ब्यूरो की, कार्यकलापों और, रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई हो किन्तु वह न लाइब्रेरी में और न यहां सदन में उपलब्ध हुई। मान्यवर, इतना महत्वपूर्ण ब्यूरो है, जिस समय इसकी स्थापना हुई तो उसके पीछे भावना थी कि निगमों की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाएगा और सारे कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करेंगे। लगभग 7 अरब रुपए का घाटा निगमों के माध्यम से प्रदेश सरकार को हो चुका है। जहां पर इतनी निगमों में पूंजी लगी है, इन निगमों से प्रदेश और प्रदेश की जनता को 10 प्रतिशत डिवीडेन्ट या लाभांश मिलना चाहिए था। परन्तु उसके बदले में 84-85 में 4 अरब 66 करोड़ रुपए डिवीडेन्ट के बदले 2 अरब 56 करोड़ का घाटा हमारे निगमों को हुआ है। इस ब्यूरो का उद्देश्य यह था--प्रदेश के समस्त निगमों एवं उनके विभागों के प्रशासकीय एवं वित्तीय कार्यकलापों का अनुश्रवण करना, निगमों के व्यय नियन्त्रण करने में सहायता देना और निगमों के कर्मचारियों की कार्मिक शर्तों का अनुपालन करना। लेकिन लगता है कि इन सारी चीजों की घोर उपेक्षा की गई है और केवल इस ब्यूरो का नाम बदल कर रख दिया गया है--"सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो"। इसमें तीन निदेशक के पद हैं। इसमें से एक निदेशक जे0 सुन्दर राजा राव का चयन सिर्फ 28 फरवरी, 1985 तक के लिए हुआ था। उनका कार्यकाल 28 फरवरी को समाप्त हो गया है, लेकिन उनको खजाने से तनख्वाह अब भी मिल रही है। न उनका सेवा काल बढ़ाया गया है और न उनको हटाया गया है। कैसे उनको तनख्वाह दी जा रही है? इस ब्यूरो के सम्बन्ध में मन्त्रि परिषद् ने यह तय किया था कि संयुक्त निदेशक और उप निदेशक के पद पर सी0 ए0, एम0 बी0 ए0, और कास्ट एका-उन्टेट की योग्यता के लोग ही नियुक्त किए जायेंगे, लेकिन जितने भी चुनाव इन पदों के लिए हुए हैं, सबमें उनके निर्णयों की उपेक्षा की गई है। मुख्य मन्त्री जी स्वयं ही इसे देख रहे हैं, इसलिए मैं उनसे चाहूंगा कि वह इसे जरूर देखने का कष्ट करें और वह यह भी देखने की कृपा करें कि सन् 1979 में जो पुनरीक्षित वेतनमान वहां लागू किया गया है, उनका कार्यान्वयन हुआ है या नहीं? बहुत से निगम ऐसे हैं और उनमें कई पद ऐसे हैं जिनमें यह पुनरीक्षित वेतनमान अभी तक लागू नहीं हुआ है। इसलिए मुख्य मन्त्री जी इसके कार्य को देखें और सदन को भी उससे अवगत कराने का काम करें।

सातवें योजना आयोग ने इस बात के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निदेशित किया है कि 2 वर्ष तक नए पदों का सृजन न किया जाए, लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कल अपने बजट भाषण में कई नए पदों की घोषणा की है। क्या यह योजना आयोग के निर्देशों की खुली अवहेलना नहीं है? साथ ही इन पर और सामान्य प्रशासन पर सरकार का खर्च बराबर बढ़ता चला जा रहा है, उस पर इनका कोई नियन्त्रण नहीं है। 1977-78 से 1983-84 के बीच कुल व्यय बढ़ा है 120.43 प्रतिशत और सामान्य प्रशासन पर

खर्च बढ़ा है 234.56 प्रतिशत। आर्थिक सेवाओं पर भी खर्च बढ़ा है जो 73.8 प्रतिशत है। इसके साथ 1977 में प्रदेशीय कर्मचारियों के वेतन पर 330 करोड़ रुपया खर्च होता था, जो 1984–85 में बढ़कर 885 करोड़ रुपया हो गया है। इस प्रकार 180 करोड़ रुपया प्रति वर्ष वेतन पर खर्च बढ़ रहा है और हमारे राजस्व से बढ़ी हुई वार्षिक हमारी आय केवल 200 करोड़ रुपया है। तेजी से बढ़ते प्रशासनिक खर्चों पर नियन्त्रण लगाकर सरकार को इसको कम करना होगा।

इसके साथ में चाहूंगा मुख्य मन्त्री जी से कि जो सामान्य प्रशासन का ढांचा है, उसमें भी थोड़ा परिवर्तन करने की उन्हें आवश्यकता है। आज कानूनों और नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं मनोभावनाओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सारे अधिकारियों को दोषी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जनता के प्रति उनका जो व्यवहार है, उसमें बड़ सुधार की आवश्यकता है। जिस प्रशासनिक फार्मूले का माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उल्लेख किया है, अहमदनगर फार्मूले के नाम से वह प्रशासनिक परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं इस सम्बन्ध में उन्हें बताना चाहता हूं कि अहमदनगर फार्मूला लागू करने से ही केवल सुधार नहीं होगा, जब तक अधिकारियों की मानसिकता न बदले, उनके मन में बदले और वह यह न समझे कि जनता के लोग हमारे लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन हो या न हो, उनकी प्रशासन में लगे लोगों की मानसिकता में परिवर्तन होने की आवश्यकता है। एक बात माननीय मुख्य मन्त्री जी से और कहनी है कि नेशनल डेवलपमेन्ट कौंसिल की जो अगली बैठक हो, उसमें वह गाडगिल फार्मूले में सुधार कराने का प्रयास करें, जिससे प्रदेश के साथ न्याय हो सके।

अन्त में मैं नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इसलिए करता हूं कि सातवें योजना आयोग ने स्वयं कटौती का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, क्योंकि उससे जितने धन की इन्होंने मांग की थी, उसमें उन्होंने पहले ही कटौती कर ली है। सिद्धान्ततः कटौती का प्रस्ताव तो योजना आयोग ने ही पहले से स्वीकार कर लिया है।

*श्री प्रेमपाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सम्माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो घोषणायें कल की हैं उनके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रदेश की उन्नति के लिए, सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए बजट में घोषणायें की हैं। पहली घोषणा उन्होंने यह की है कि मण्डलीय समितियां बनाई जायंगी और प्रभारी मन्त्रियों को नियुक्त किया जायगा। जिससे समय–समय जो शासन और प्रशासन की विकास योजनायें हैं वह सुचारु रूप से चल सकें और जिले की उन्नति हो सके। दूसरी बात उन्होंने कही कि स्थानीय निकायों के चुनाव शीघ्र कराए जायेंगे और उन प्रतिनिधियों तथा शासन और प्रशासन के बीच समन्वय की भावना को उत्पन्न किया जायगा। उन्होंने भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए और पुलिस प्रशासन सुधार लाने के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग पुलिस को देने की बात कही है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि हरिजनों के ऊपर अत्याचार की जो घटनायें होती हैं उनकी जांच थाने स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर की जायगी। ऐसी शिकायतों की जांच हरिजन सेल द्वारा की जायगी। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह भी घोषणा की है कि जिलाधीश महीने में दो दिन कुछ घंटे निकाल कर जनता की सुनवाई करेंगे। चूंकि आपने समय कम दिया है इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मन्त्री राजीव गांधी और माननीय मुख्य मन्त्री जी के नेतृत्व में हम देश और प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। मैं अन्त में आह्वान करना चाहता हूं कि जिस तरह से नेवी सेना का कमान्डर अपने बैज लेकर स्वाभिमान से घूमता है और अपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तिरंगे के सामने झुकता है उसी प्रकार से हमारे शासन को और प्रशासन को और पुलिस अधिकारियों को अपने समाज के गरीबों के प्रति झुकना चाहिए।

मैं इन शब्दों के साथ माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो गृह विभाग और सामान्य प्रशासन का बजट प्रस्तुत किया है इसका समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करता हूं।

*श्री मोहम्मद मसूद खां--

मान्यवर, मैं अपनी तकरीर शुरु करने के पहले 3 शेर रखना चाहता हूं:-

"दुनियां की खुदाई का क्या कोर, निगाही है, महलों में उजाला है कुटिया में सियाही है, महसूस हमें होता है यह दौर-ए-तबाही है, शीशे की अदालत है पत्थर की गवाही है, दुनियां में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है।"

मान्यवर, मुझे इत्तफाक से दो मर्तबा सिंगापुर और मलेशिया जाने का इत्तफाक हुआ। मैंने बहुत गौर से वहां के पुलिस प्रशासन को देखा और वहां के किसी व्यक्ति को पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। मैंने पूछा कि बात क्या है, हमारे यहां तो बड़ी शिकायत होती है तो वहां के एक बड़े जिम्मेदार अफसर ने यह बताया कि यहां की पुलिस इस मुल्क के कानून की पहले खुद पाबन्दी करती है फिर वह यहां के शहरियों से उसकी पाबन्दी कराती है। नतीजे के तौर पर वहां कोई शिकायत नहीं है। शरीफ आदमी को पकड़ती नहीं है और मुल्जिम को बख्शती नहीं है। वहां पर पुलिस विभाग में सी0 आई0 डी0 वगैरह को अलग अलग काम दे दिया है। मेरा सुझाव है कि अगर यहां पर भी ऐसा कर दिया जाय तो मनोबल गिरने की बात नहीं होगी। मैं समझता हूं कि अगर पुलिस पहले खुद जो मुल्क के कानून हैं उन पर पाबन्दी करती है तो जो शहरी हैं और नागरिक हैं उनको खौफ होगा और वह मजबूर होंगे कानून की पाबन्दी करने के लिये।

दूसरे मेरे यहां के एक अफसर से मेरी बात हुई, उसने यह बताया कि हम तो दो ही सबक जानते हैं, तीसरा जानते ही नहीं। अगर सरकार हमारे माफिक होती है, तो हम तमाम लोगों को दबंग की इंस्ट्रक्शन्स दे देते हैं यानी दबंगई से रहो, जो चाहो करो, कोई कुछ करने वाला नहीं है और अगर सरकार बात-पूछ वाली होती है, तो इन्स्ट्रक्शन देते हैं कि दबक यानी दबक के रहो, कुछ न करो। पुलिस में ऐसे लोगों को भर्ती करना चाहिये जो इस लायक हों कि उनका मनोबल ऊंचा उठाया जाय, जनहित में काम करें। आखिरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर में थाना बेहटा में इन्काउण्टर हुआ और इसी तरह से और भी अनेकों इन्काउण्टर हुये, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। उनके वारिश यह शेर पढ़ते हैं कि--वही कातिल, वही मुफ्ती, वही मुल्ला गहरे, अकरबा अपने करें, कत्ल का दावा किस पर। तो यह पोजीशन होती है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, हमारे कटौती के प्रस्ताव पर आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों ने जो अपने महत्वपूर्ण सुझाव और अपने विचार रखे हैं, उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण की जो शुरूआत की थी यह कह कर कि इस विशाल प्रदेश का विकास करना है और उन्होंने यह भी दोहराया था कि हमारा सुदृढ़ संकल्प है इस विशाल प्रदेश के विकास के लिये। तो मान्यवर, इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि इस विशाल प्रदेश के विकास के लिये हम इधर के और उधर के, दोनों पक्षों के लोग चाहते हैं और प्रदेश के विकास में हर सहयोग भी हम लोग देने के लिये तैयार हैं। लेकिन मान्यवर, आज यह विकास हो कैसे ? विकास करने वाले लोग या आपका जो प्रशासन है, उस पर पहले आपको गौर करना पड़ेगा। इतना बड़ा दृढ़ संकल्प जो आपका है, क्या वर्तमान प्रशासन के ढांचा के रहते हुये आप प्रदेश को आगे ले जाने में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सक्षम होंगे ? इसलिये मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़ी भूमिका वर्तमान प्रशासन को होगी, लेकिन उसका ढांचा कैसा है, आज प्रशासन में समन्वय नहीं है और यह बात मैं जानबूझकर इसलिये रखना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हर जगह प्रदेश में डी0 एम0 और एस0 पी0 लड़ रहे हैं । प्रशासन में आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0, आई0 पी0 एस0 और पी0 पी0 एस0 लड़ रहे हैं । मान्यवर, शरीर को संतुलित रखने के लिये, सिर, पैर, हाथ का ठीक रहना आवश्यक है । तभी आपका शरीर ठीक रह सकता है । उसी प्रकार से प्रशासन को ठीक रखने के लिये जितने विभाग हैं, उनका समन्वय भी रखना पड़ेगा, तभी प्रदेश का विकास हो सकता है । तीसरी बात आपने यह भी कही कि हम सेवक हैं । वास्तव में आज उत्तर प्रदेश के बड़े सेवक आप ही हैं । लेकिन जैसे शिव जी के सेवक भस्मासुर थे, उसका रूप आपका मुझे लगता है । जो वरदान जनता देती है, शिव जी के रूप में आपको वरदान दिया है, लेकिन आप भस्मासुर की तरह से अपने शिवाजी को नष्ट करने में लगे हुये हैं । जैसे गरीबी बढ़ी, भ्रष्टाचार, बढ़ा, अन्याय बढ़ा, अत्याचार बढ़ा, जो आज चरम सीमा पर है, तो इस तरह से आप शिव जी रूपी प्रदेश की जनता को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं । प्रदेश के विकास के लिये, हमें अपने प्रदेश का सही तरह से ज्ञान होना चाहिये ।

आज उत्तर प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से पांच हिस्सों में है, बुन्देलखण्ड पहाड़, पश्चिम, पूर्व और मध्य इतने बड़े विशाल प्रदेश का अनुभव होना जरूरी है । मैं स्वयं स्वीकार करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी पहाड़ों के निवासी हैं मुझे पहाड़ों का पूरी तरह से ज्ञान नहीं है मैदान से छः हजार फिट ऊपर खेती होती है । इसलिये मैं कहता हूं आपके आई0 ए0 एस0 अधिकारी बैठे हैं, आई0 पी0 एस0 अधिकारी बैठे हैं उनको भी भौगोलिक दृष्टि का पूरा ज्ञान नहीं है । इसी तरह से मंत्रिमंडल के सदस्य भी अनभिज्ञ हैं । अगर वास्तव में आप प्रदेश का विकास चाहते हैं तो आप के मंत्रियों को, आपके अधिकारियों को प्रदेश का भौगोलिक ज्ञान होना जरूरी है । माननीय सदन के मिनिस्टर रिछारिया साहब जो हैं, इनको गन्ने का बजट आपने दे दिया एक मामूली सा सवाल था उसका मतलब वह नहीं समझते थे, इसमें उनकी गलती नहीं थी, अगर बुन्देलखण्ड की समस्या होती तो उनको ज्ञान होता, तो यह प्रमाणित है कि मंत्रिमण्डल के सदस्यों और अधिकारियों को पूरे प्रदेश का ज्ञान नहीं है । यदि आप वास्तव में उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं तो आपको भौगोलिक ज्ञान रखना जरूरी है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नारे अच्छे होते हैं । विकास करो गरीबी हटाओ का नारा आपका रहा, 20 सूत्री कार्यक्रम का नारा आपका रहा, लेकिन बांझ नारों का कोई मतलब नहीं निकलता है ।

(मेजे थपथपाई गई) ।

इसलिये नारों के पीछे दृढ़ संकल्प, दृढ़ विचार और प्रदेश के विकास की रणनीति होनी चाहिये । मैं सत्ता पक्ष के भाईयों से कहना चाहता हूं कि बांझ नारों से प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है । अब तक जो नारे लाये गये हैं, उससे गरीबी, अत्याचार, अन्याय भ्रष्टाचार बढ़ा है । दूसरी बात आपके सामने यह भी कहना चाहता हूं कि आज आप लोग सेवक न बन कर इस प्रदेश के मालिक बन गये हैं । आज ऐसा व्यवहार होता है कि प्रशासन के बड़े-बड़े अधिकारी और मंत्रिमण्डल के कुछ मंत्री अपने को इस देश का मालिक समझ बैठे हैं । आप मालिक नहीं हैं आप सेवक की तरह काम करें । देश सेवा की भावना से काम करें, तो देश में अत्याचार, गरीबी, अन्याय, भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है वह नहीं बढ़ेगा । हमारे एक साथी ने कहा था, मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार ऊपर से बढ़ता है । देश के प्रधान मंत्री ईमानदार हैं तो किसी भी मुख्य मंत्री की बेईमानी करने की हिम्मत नहीं हो सकती है । अगर कोई मंत्री ईमानदार है तो कोई भी उस विभाग के अधिकारी बेईमान होने की हिम्मत नहीं करा सकता है ।

आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार राजनीति में है । राजनीति से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये क्या उपाय कर रहे हैं । माननीय मुख्य मंत्री जब अपना भाषण करेंगे तो हमको बतायेंगे कि भ्रष्टाचार के लिये क्या किये हैं किनको दण्ड दिया है, कैसे भ्रष्टाचार को रोका

हैं ? प्रदेश में बढ़ते हुये भ्रष्टाचार को कैसे रोका गया है इस बात को जरूर कहेंगे ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण के बारे में कल से बहुत चर्चा हुई है । कुछ माननीय सदस्यों ने हमें जातिवादी भी कह दिया । लेकिन मैं कहना चाहता हूं और इसलिये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बिडम्बना इस बात की है कि आज हरिजन, पिछड़े लोग, अल्प संख्यक और अनुसूचित जाति के लोग जब अपने अधिकार की मांग करते हैं तो माना जाता है जातिवाद और जब एक ही वर्ग के लोगों को सारी सत्ता सौंप दी जाय सारी प्रशासनिक नौकरी दे दी जाय तो माना जाता है राष्ट्रवाद । हरिजन, पिछड़े वर्ग के लोग हक की बात करते हैं तो जातिवाद और जब एक ही वर्ग के लोग दिल्ली से लेकर जिले तक कुन्डली मार कर सारे स्थानों पर बैठ जांय तो राष्ट्रवाद ।

आज आरक्षण की बात हम नहीं करते । आरक्षण का प्राविधान संविधान में किया गया है । सामाजिक और शैक्षिक आधार पर संविधान ने आरक्षण के प्राविधान को माना है । डा0 राजेन्द्र प्रसाद, राष्ट्रीय नेता थे, जातीय नहीं । पंडित जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नेता थे, जातीय नहीं, सरदार पटेल, राष्ट्रीय नेता थे, जातीय नहीं, बाबा साहब अम्बेदकर राष्ट्रीय नेता थे जातीय नहीं, पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त राष्ट्रीय नेता थे, जातीय नेता नहीं थे । जिन्होंने संविधान में आरक्षण का प्राविधान किया है । इसलिये अफसोस है जिन महापुरूषों का नाम लिया उनसे ज्यादा काबिल ये लोग बैठे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जो आरक्षण का विरोध करने वाले लोग हैं वह संविधान विरोधी हैं, समाज विरोधी हैं, और राष्ट्र विरोधी हैं । हमारे एक बहुत बुजुर्ग माननीय सदस्य ने कहा "पर उपदेश कुशल बहुतेरे" और कोई कहता तो मैं समझता । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जनता पार्टी और लोकदल के कार्यकाल की । आजादी के बाद आपने कोआपरेटिव म हरिजनों का आरक्षण नहीं किया । जनता पार्टी लोक दल की सरकार मुलायम सिंह ने कोआपरेटिव में हरिजनों का आरक्षण किया था । आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, इसके लिए मैं क्या करूं ।

दूसरी बात मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज जन प्रतिनिधि ों का अपमान हो रहा है । चाहे इधर के बैठने वाले हों चाहे उधर के बैठने वाले हों सब का अपमान हो रहा है । माननीय बदन सिंह के फ्रैक्चर आए थे, लाठियों से पुलिस ने उनकी हड्डी तोड़ी थी, माननीय औसन सिंह को पुलिस ने मारा । आज आए दिन जन प्रतिनिधियों का अपमान हो रहा है । कभी–कभी क्या उदाहरण देते हैं कि जन प्रतिनिधि इस लायक नहीं रहे, यह अफसरों के मन में भावना पैदा होती जा रही है । इस लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा, माननीय मुख्य मन्त्री जी सारे शिष्टाचार को जानते हैं और अमल करते हैं । मान्यवर, 425 माननीय सदस्य बैठे हैं, उनसे पूछिए कि जब वह जिले में डी0 एम0 और एस0 पी0 से मिलने जाते हैं तो कितन डी0 एम0 और एस0 पी0 खड़े होते हैं । बताइए मेजें तो बहुत थपथपाते हो । ऐसे कितने एम0 एल0 ए0 हैं, जिनका सम्मान हो रहा है इन अधिकारियों द्वारा, इसलिए मान्यवर मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जन प्रतिनिधियों का किस तरह से अपमान हो रहा है, उसका कारण सिर्फ यह है कि प्रशासन ढीला है, अंकुश नहीं है । इसलिए माननीय मुख्य मन्त्री जी मेरा सुझाव है कि जब आप अपना भाषण दें तो इस बात को भी सुनिश्चित करें कि इस प्रकार के जो आर्डर्स हैं, या तो इन आर्डर्स को समाप्त कर दिया जाय या फिर कड़ाई से पालन हो । क्योंकि जब कोई खड़ा नहीं होता है तो मैं उसको अपमान मानता हूं । दूसरे मान्यवर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आज जो आपके तमाम राज्य मन्त्री हैं और जो आपसे सम्बद्ध हैं, उनके आदेशों को उनके विभागाध्यक्ष नहीं मान रहे हैं, अगर आप इसकी पुष्टि चाहते हों तो अपने राज्य मन्त्रियों से कभी अकेले में पूछ लेना स्थिति स्पष्ट हो जायगी । मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि राज्य मन्त्री सीधा जनता का प्रतिनिधि है और वह जनता के प्रति उत्तरदायी भी है, इसलिए विभागाध्यक्ष को उसके आदेशों को मानना होगा, हां यदि आदेश गलत हों तो सचिव, मुख्य सचिव के द्वारा

आपके संज्ञान में ला सकते हैं, लेकिन उसके आदेशों को रद्दी की टोकरी में नहीं डाल देना चाहिए। मान्यवर, यह ऐसा पहला मौका है कि आज इनके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। दूसरी एक बात और आपके सामने सुझाव के रूप में रखना चाहता हूं कि जब आप अपना भाषण दें तो भ्रष्टाचार को उत्तर प्रदेश में उजागर करने और उस पर अंकुश लगाने के लिए, जितने भी आपके विकास कार्य हो रहे हैं, चाहे वह आर0 ई0 एस0, एन0 आर0 ई0 पी0, सिंचाई, पी0 डब्ल्यू0 डी0 व अन्य योजनाओं के तहत हो रहे हैं, सब का फिजिकल वैरीफिकेशन करा दीजिए अगर ऐसा हुआ तो अवश्य ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और यह उजागर भी होगा।

दूसरी एक बात की ओर मैं आपका ध्यान और आकर्षित करूंगा कि पंजाब का जो समझौता हुआ, उसे मैं घुटना-टेक समझौता मानता हूं। उस समझौते के तहत मान्यवर, कानपुर की न्यायिक जांच हुई बाकी अन्य जिलों गाजियाबाद, बनारस, हल्द्वानी, मेरठ आदि की न्यायिक जांच क्यों नहीं हुई। इसलिए मेरी मांग है कि कानपुर की तरह इन स्थानों की भी जांच होनी चाहिए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। उधर के बैठने वाले साथियों का, यदि इस लूट-पाट, हिंसा हत्याएं और अन्य कृत्यों से सम्बन्धित हाथ, पुलिस के साथ था, दोनों ने मिलकर इन कृत्यों को किया है तो जांच से स्थिति स्पष्ट हो जायगी, सारे परिणाम सामने आएंगे और यदि आप निर्दोष होंगे तो भी बात सामने आएगी इसलिए आप जांच उन स्थानों पर भी नियुक्त करें। मेरा एक सुझाव मान्यवर, और है पुलिस विभाग में छः सौ इन्सपेक्टर हैं, यह इन्सपेक्टर 12 सालों से इस पद पर सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनको रेगुलराइज्ड नहीं किया गया, उनमें से जब कुछ की मृत्यु हो गई तब उनका नियमतीकरण किया गया। मान्यवर, ऐसी आपकी व्यवस्था है कि जब आदमी जिन्दा रहे, और उन सुविधाओं को भोगने के लायक रहे तब उसे कोई लाभ न दिया जाय और जब मृत्यु हो जाए तब दिया जाए। साथ ही मान्यवर, मैं इस बात की ओर भी आपका ध्यान अपने भाषण के शुरू में ही आकर्षित करना चाहता था कि आपका प्रशासनिक विभाग पंगु व्यवस्था में लुप्त हो गया है। आपने वर्ण व्यवस्था को जन्म दिया है। जो उच्च वर्ग का है वह आई0 ए0 एस0 व आई0 पी0 एस0 हो गया यानी पी0 सी0 एस0 राजपूत, डाक्टर इंजीनियर हो गए, वैश्य और क्लास 3 और 4 के हो गए हरिजन/आप इसको मिटाने की कोशिश करिए। कहने में आपको यह बात अटपटी लगती होगी लेकिन यह वास्तविकता है इसलिए मान्यवर, इस पर आपको विचार करना चाहिए, गम्भीरता से करना चाहिए अगर वास्तव में आप उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं।

विजिलेन्स के बारे में आपने तारीफ कर दी थी लेकिन माननीय उपाध्याय जी की मैं इज्जत करता हूं इसलिए कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन जिन अधिकारियों की चरित्र पंजिका आपने उनको दी है उसे आप देखें उसमें एक पुलिस के अधिकारी किस तरह से आसाम हवाई जहाज से गए, कैसे-कैसे किराया लिया, सब साफ तरीके से रफा-दफा कर दिया गया। अब भी उसमें कुछ लिखा पढ़ी हो रही है। काफी कुछ तो मुझे भी मालूम है। आपने बचने के लिए और अपनी वकालत के लिए प्रतिष्ठित और सम्मानित उपाध्याय जी जैसे विधायक को यह दे दिया इसलिए मैं उनको कहना नहीं चाहता हूं। इसी तरह से 17 अगस्त को माननीय मुख्य मन्त्री के नाम प्रमाण-पत्र छपा, नाम आ गया इण्टर पास का सन् 1982 में, डबल इण्टर हो गए उसके बाद विजिलेन्स को जांच दे दी गई। अब विजिलेन्स यह जांच नहीं करेगी कि यह कहां से दलालों ने दिया है, कहां से दलालों ने प्रमाण-पत्र छपवाए इसकी विजिलेन्स जांच नहीं करेगी। विजिलेन्स जांच करेगी कि माननीय नारायण दत्त तिवारी के नाम ही प्रमाण-पत्र क्यों लिखे। यह अखबार वालों के दफ्तर में जाकर पुलिस धमकी देती है कि यह ऐसा क्यों लिखा गया। इस तरह से शिक्षा परिषद् में यह सारा घोटाला हो रहा है और विजिलेन्स

के जरिए इसको रफा-दफा कर दिया जाता है। यह है विजिलेन्स की क्षमता।

मान्यवर, दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इस समय माननीय संजय सिंह हैं नहीं, वह मुख्य मन्त्री बनना चाहते हैं और मुख्य मन्त्री के उम्मीदवार भी हैं लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री को ऊंचे आदर्श कायम रखने चाहिए लेकिन एक विभाग के मन्त्री पी0 सी0 डी0 एफ0 में चेयरमैन क्यों हैं। मान्यवर, कुछ मर्यादायें भी हैं और मान्यतायें भी हैं और पशु धन विभाग में पी0 सी0 डी0 एफ0 के चेयरमैन का बनाना लोकाचार में यह आदर्श कायम किया जाता है लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि माननीय मुख्य मन्त्री जो सबसे ज्यादा विद्वान और मान्यताओं को मानने वाले तथा सिद्धान्तवादी हैं वही यहां खड़े होकर डिफेंड करते हैं तो इससे ज्यादा शर्म की बात दूसरी कोई हो नहीं सकती।

दूसरी तरफ रासुका के बारे में कहना चाहता हूं। रासुका का आज खुले आम राजनैतिक दुरुपयोग हो रहा है। और रासुका का दुरुपयोग तब हुआ, जब आपके विभागाध्यक्ष की जानकारी में उसके बारे में बात भी हुई थी। मान्यवर, मैं ऐसा उदाहरण देना चाहता हूं कि जिन पर 71 डकैती, कत्ल और बलात्कार के केस चल रहे हैं, उनसे समाज भयभीत है, उसको रासुका में बन्द करने के लिए आपकी सरकार अनुमति नहीं देती है और जिन पर कोई भी आरोप नहीं है, उसके खिलाफ कोई फर्जी रिपोर्ट कर दे तो रासुका लगाया जाता है। उसका नाम है आनन्द पाठक। उसके लिए सरकार ने अनुमोदन दिया है। इसको सरकार की जानकारी में लाया गया, गृह सचिव से मिल कर उनकी जानकारी में लाया गया, 2-2 विधायक गए और बताया गया कि आनन्द पाठक दूसरा है, उसकी वल्दियत दूसरी है। एक आनन्द पाठक है और इसरा आनन्द चौबे/औरैया थाने का आनन्द चौबे था जो बलात्कार में मुलजिम था और पुलिस ने आनन्द चौबे की जगह आनन्द पाठक को बलात्कार के केस में फंसा दिया। उसके लिए माननीय कमलेश पाठक जी ने पुलिस को बताया, गृह सचिव को बताया, लेकिन उसके बाद भी उसे रासुका में बन्द कर दिया गया और उस पर आनन्द चौबे की जगह बलात्कार का केस लगा दिया। आपने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की? इस प्रकार से रासुका का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरदार भाग सिंह, लखीमपुर के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब में इतने लोगों को छोड़ दिया गया है, सामान्य स्थिति बनाने के लिए, तो उन सरदार जी पर भी रहम कीजिए। इतना मैं कहना चाहता हूं। वीर अभिमन्यु का क्या इतिहास है, मैं नहीं कहना चाहता हूं, जो भी आपके पास रिपोर्ट है, उसके ऊपर रासुका लगा दिया। वह हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने रासुका समाप्त कर दिया। वह जैसे ही घर जाता है दोबारा डी0 एम0 और एस0 पी0 उसे रासुका लगा देते हैं। वह फतेहपुर जिलों में ब्लाक प्रमुख हैं। उस पर एक ही आरोप है कि उसने सत्ता पक्ष के लोगों के अन्याय के खिलाफ बड़े से बड़ा खतरा उठाने की कोशिश की, यह आरोप है। हाईकोर्ट से छूटने के बाद उसने 15-20 दिन के अन्दर उसने ऐसा क्या काम किया था कि उसे दोबारा रासुका में लगा दिया। इस प्रकार इसका खुले आम दुरुपयोग हो रहा है। आज रासुका की तलवार लटक रही है। राजनैतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के ऊपर रा0 सु0 का0 की तलवार लटक रही है। मेरा सुझाव है कि इसका दुरुपयोग मत कीजिए।

मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी नहीं हैं। कहते हैं मान्यवर, सौ-सौमूंसे खाय बिल्ली हज को चली। मैं तो समझता हूं कि वे एक विद्वान सदस्य भी हैं, विद्वान वकील हैं, राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और मान्यवर, उस कुर्सी पर भी बैठते हैं। उनका इतना गैर जिम्मेदाराना है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ कई बार यह कहा गया कि मेरे मंच पर डकैत था। आप दो तारीख को उसके बारे में वक्तव्य दे दीजिये। आपने मेरी जांच कराई है। सरकार दो तारीख को सदन के पटल पर रख दे कि मेरे खिलाफ जांच में क्या आया है, वरना इस तरह से बोलना बन्द कीजिये। और फिर

जब मेरे मंच पर डकैत रहते हैं, मैं संरक्षण देता हूं तो आपकी पुलिस वहां क्यों नहीं बोलती है ? अफसोस है कि मेरी जांच उस समय की गयी जिस समय इन्काउन्टर्स हो रहे थे और निर्दोष लोगों को मारा जा रहा था । निर्मम हत्याएं हो रही थीं, उस वक्त मैंने विरोध नहीं किया था, शासन ने पुलिस के मेरी जांच करायी । बदनाम मंत्रिमण्डल ने मेरी जांच करायी। भ्रष्टाचार करने वाले मंत्रियों की जांच नहीं करायी गयी । मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता था । मेरे घर की ईंट, लकड़ी, छप्पर जानवर सब पर आक्रमण हुआ । मान्यवर, 11 इन्स-पेक्टर, एक एस0 पी0 को भेज कर मेरी जांच करायी गयी । आपने जो जांच करायी, उसकी रिपोट को रखिये । अन्यथा सदन में उनको माफी मांगनी चाहिये । आपने जांच करायी थी, भाषण में अपनी रिपोर्ट का हवाला दीजिये कि रिपोर्ट क्या है ? सारी चीजें सामने आ जायेंगी । मान्यवर, एक बार नहीं दर्जनों बार मेरे बारे में इस तरह की बातें कही गयीं । प्रमोद तिवारी ढाई साल मंत्रि मण्डल में रहे, मैं 1967 में पहली बार एम0 एल0 ए0 हुआ था । आप तब से लेकर आज तक हर क्षेत्र में देख लीजिये ।

मैं कहना चाहता हूं कि आप प्रमोद तिवारी के ढाई साल के मंत्रित्व काल की जांच करा लीजिये । पता चल जायेगा । इसलिये मान्यवर, अन्त में कहना चाहता हूं कि प्रदेश के विकास के लिये आप इस प्रदेश से भ्रष्टाचार को मिटाइये ।

मान्यवर, हमने और हमारे साथियों ने संकल्प लिया है प्रदेश से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार को खत्म करने का ।

(मेजों की थपथपाहट)

(समय 5 बज कर 9 मिनट)

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)—

श्रीमान्, मैं बहुत आभारी हूं कि जो कल मैंने यहां मतदान के लिये जो अनुदान प्रस्तुत किये, उन पर हमें यह सुअवसर मिला । और, नेता विरोधी दल, अन्य नेताओं तथा सम्मानित सदस्यों को बड़े विस्तार से सुनने का अवसर मिला ।

श्रीमन्, एक वाच होता है, एक दुवाच भी है, दो बार नेता विरोधी दल को आशीर्वाद देने का अवसर मिला । श्रीमन्, उम्र का यहां प्रश्न नहीं है । विरोधी दल और शासन का प्रश्न है । इसलिये जो कुछ भी कहा जाय विरोधी पक्ष की तरफ से शासन उसे आशीर्वाद ही मानता है । प्रजातंत्र में यह होना भी चाहिये ।

श्रीमन्, मुझे सर जेनिंग्स की याद आ रही है । मान्यवर, विरोधी दल और शासक दल जो आज प्रत्येक प्रजातंत्र में, जो पार्लियामेन्टरी सिस्टम के अनुसार कार्य करते हैं, उसका उन्होंने विश्लेषण किया है । वे राजनीति शास्त्र के प्रकांड पण्डित थे । और, मैं समझता हूं कि इस सदन के तमाम सदस्य पालिटिकल साइन्स के विद्यार्थी रहे होंगे, उन्होंने इनका अध्ययन किया होगा । उन्होंने कहा था, सरवाइवर जेनिंग्स ने कहा—"दिस सिस्टम हेज दि डिस एडवांटेज देट दि डाउनफाल आफ ए गवर्नमेन्ट में रिप्लेस एन एबिल मिनिस्टर बाई ए लेस एबिल, एण्ड देट दि एबिल मिनिस्टर हेज टू ट्राइ टू कन्वर्ट हिमसेल्फ इन्टू एन अपोजीशन लीडर हूज मेन फंक्शन इज टू स्वेर हारिबिल । इसमें कहा गया है कि पार्लियामेन्टरी सिस्टम की व्यवस्था में कठिनाई तब पैदा हो जाती है जब कोई योग्य मंत्री विरोधी दल में चला जाता है तो तब उसे विरोधी दल का कार्य करना पड़ता है । उस समय उसको ऐसी ऐसी कस्में खानी पड़ती हैं जो एक प्रकार से बौखलायी जैसी होती हैं, जो एक होरेबल जैसा होता है ।

श्री कौशिक रमा शंकर—

आप भी उस अनुभव से गुजर चुके हैं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नारायन दत्त--

श्रीमन्, कल से जो यह कोलाहल हो है और जो ये तमाम बातें कही जा रही हैं ये सब चीजें परिपाटी को निभाने की बातें हैं। अगर कहीं वह इस तरफ बैठे होते, तीन वर्ष वह बैठे भी थे, मेरे पास उन सभी सम्मानित सदस्यों के भाषण हैं कि उन्होंने शासन की ओर से क्या कहा।

मान्यवर, कहा गया है कि मेरे पास तमाम विभाग हैं। और यह भी कहा गया कि कुछ मंत्री अक्षम हैं और अयोग्य हैं। श्रीमान्, प्रजातांत्रिक परिपाटी में ऐसे भी समय आते हैं जब एक मुख्य सेवक को अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिये विभागों को अपने पास रखना पड़ता है। मेरे पास एक सूची है। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं। श्रीमान्, चौधरी चरण सिंह जी ने मुझ से भी ज्यादा विभाग इसी प्रदेश में अपने पास रखे थे, वह कोई बुरी बात तो है नहीं। श्रीमन्, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस समय राज्यपाल एक राजनीतिज्ञ होता है और उसके पास सारे विभाग होते हैं। 3-4 उसके सलाहकार होते हैं। मेरा कहना यह है कि कुछ विभागों का इधर-उधर होना प्रजातंत्र की परिपाटी में समय-समय पर यह होता रहता है। दूसरे देशों में भी यह हुआ और हर जगह ऐसा ही होता है।

श्रीमन्, अक्षमता की बात कही। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मैं कहना चाहता हूं कि वह अकर्मण्यता नहीं थी बल्कि कर्मण्यता थी। अगर कोई राज्य मंत्री दूसरे विभाग के प्रश्नों का, एक-आध को छोड़ कर, संतोषजनक उत्तर दे देता है तो उसकी यह अयोग्यता नहीं योग्यता है। उसकी योग्यता का यह सर्टिफिकेट है। जो काम उसे दिया गया था, उसने सही तरह से उसे निभाया है। और वह एक अच्छा मंत्री है। यह कह देना कि हम योग्य हैं और सारा मंत्रिमण्डल अयोग्य है, गलत है। हम सब योग्य हैं।

मान्यवर, यह कहा जाता है कि अधिकारी लोग आज मंत्रिमण्डल पर हावी हैं। आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है और यह भी कहा गया कि वह आदेश क्या हैं, जिनका पालन न हो? कम से कम माननीय नेता विरोधी दल, जो स्वयं मंत्री रह चुके हैं, को भी इस आलोचना का उत्तर देना पड़ा है। मैं जानता हूं, इनके सम्बन्ध में भी यह कहा गया है कि आदेशों का पालन नहीं होता और आदेश कर देते हैं। यह एक्जीक्यूटिव और कैबिनट के सम्बन्ध म ऐसा नहीं है। हमारी प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली और ब्रिटिश कैबिनेट से जुड़ी हुई है। ब्रिटेन में एक हजार साल का अनुभव है। मैं फिर आपकी आज्ञा से, जो सर आइवर 'द मिनिस्टर इज नाट एन एक्सपर्ट, नार केन ही एवर होप टू कमपीट विद हिज एडवाइजरस आन देयर ओन सब्जेक्ट्स। सर एडवर्ड कारसन पुट द मेटर एडमायरली व्हेन ही वाज एप्वाइन्टेड फर्स्ट लार्ड आफ द एडमाइरल्टी इन 1916 ही एक्सप्लेन्ड टू सीनियर आफिसर्स देट ही वाज नाट एपीयरएन्टेड विकाज ही वाज ए लायर आफ सम इमेन्स बट विकाज 'ही न्यू नथिंग एट आल एबाउट द जोब' एज ही सेड 'माइ ओनली क्वालीफिकेशन फार वीइंग पुट एट द हेड आफ द नेवी एज देट आई एम भेरी मच एट सी' द मिनिस्टर टास्क इज टू ब्रिंग एन इन्डिपेन्डेन्ट माइन्ड टू द कुशचन्स पुट विफोर हिम, टू बी कनविन्स्ड बाई हिज एक्सपर्ट देट दे आर राइट आर टू सेटल इन द लाइट आफ कामन सेन्स द डिस्प्यूट्स विटवीन द एक्सपर्टस' तो मान्यवर, यह जो मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत सा काम के आने और अनेकानेक काम के मामले आते थे, हालांकि मिनिस्टर मजबूर था, विदआउट नालेज, ऐसा यहां जिम्मेदारी मंत्री जी की थी, जो कुछ होता था, लेकिन अधिकतर मामले बिना उनकी जानकारी के भी होते थे, तो श्रीमान् जहां तक योग्यता का प्रश्न है, जो राजनीतिज्ञ यहां चुन कर आते हैं, मंत्री हैं, उनका एक्सपर्ट या पण्डित होना जरूरी नहीं है। यह प्रश्न जब आया था ब्रिटेन में तो 'दि मिनिस्टर इज नाट एन एक्सप' नार कैन ही एवर होप टू कम्पीट विद हिज एडवाइजर्स आन देयर ओन सब्जेक्टस" मिनिस्टर एक्सपर्ट नहीं है। यह ब्रिटेन की बात है। वह कार्य कर सकते हैं अपने उन सलाहकारों से जो उनके विभागा-

ध्यक्ष हैं। यह क्वालीफिकेशन्स आफ ए मिनिस्टर में ह, पेज 107 पर।

मान्यवर, 1916 में सर एडवर्ड कर्जन मंत्री बनाये गये नौ सेना विभाग के। उन्होंने कहा कि मैं नौ सेना के बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन उन्होंने कहा कि यह एक मिनिस्टर का काम है कि वह एक स्वतंत्र दृष्टि लाये जो प्रश्न उनके सामने रखे जाते हैं उन पर। उनके जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनको कनविंस करें, वह ठीक है तो कार्य करें और अगर मतभेद है, तो उसे दूर करें।

पार्लियामन्ट्री गवर्नमेन्ट इन इंग्लैण्ड नामक "एक कमेन्ट्री" जो हेराल्ड जे0 लास्की ने लिखी है, यह हर विश्वविद्यालयों में राजनीति शास्त्र में पढ़ायी जाती है, इसे जरूर कोट करना चाहता हूं। इसके पेज 292 पर लिखा है"

"दि सम इज ट्रू आफ एन इम्पोर्टेन्ट ट्रेड यूनियन आर्गनाइजर। मोस्ट आफ देयर वर्क विफोर दे कम टू पोलिटिकल आफीस इज ए ट्रेनिंग इन दि आर्ट आफ पर्सूएशन, इन दि एबिलिटी सो टू से ह्वाट दे हेब टू से एज टू मेक ए सक्सेसफुल इम्पेक्ट अपोन पब्लिक ओपीनियन।"

जो ट्रेड यूनियन मजदूर नेता मिनिस्टर होंगे, उस पर उन्होंने कहा कि जो मजदूर नेता, मजदूर संगटनों में काम करने वाले, वह अपने लोगों को अपनी तरफ करने की शक्ति से आते हैं, उनको दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति होती है जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया है। इसीलिये वह सदन में चुने गये हैं।

आखिर लाखों लोगों का विश्वास ऐसे ही नहीं मिलता है।"

"वाट आई ससपेक्ट द क्रिटिक्स फोरगोट इन दैट दिस आर्ट इज सेन्ट्रल टू द वर्किंग आफ ए डमोक्रेटिक सिस्टम"।

यह जो कहा है कि यह कला प्रजातांत्रिक पद्धति के लिये केन्द्र है।

"द थ्यू दैट इट इज आलमोस्ट ए डिसक्वालीफिकेशन दैट वी शुड विगन बाई ससपेक्टिंग द मिनिस्टर एबिलिटी बिकाज ही हैज सरवाइव्ड द टेस्टस ए पोलिटीसियन मस्ट फेस इज ए साइनिस्मि विच अल्टीमेटली लीडस टू द रिजेक्शन आफ डेमोक्रेसी इट सेल्फ।

उन्होंने कहा कि यह दृष्टिकोण, यह एक अवगुण है इससे वंचित हो जाते हैं योग्यता नहीं है मिनिस्टर होने की। इससे मंत्री की योग्यता में दोष निकालने लग जाते हैं क्योंकि उसने राजनीतिक कार्यकर्ता का टैस्ट पास कर लिया है, यही अवगुण हो गया। यह ऐसी आलोचना है जो प्रजातांत्रिक ढांचे को ही रिजेक्ट करती है।

"फार इट इम्प्लाइज द बिलीफ दैट द क्वालिटीज विच एनेबिल मैन टू बिकम पोलिटीकल लीडर्स आर ए डिसक्वालीफिकेशन फार सक्सेसफुल गवर्नमेंट। आई नो नो इवीडेन्स टू स्पोर्ट दिस थीसिस।

इसका अर्थ क्या है? इसमें यह विश्वास झलकता है कि इसमें वह गुण जो व्यक्तियों को राजनीतिक नेता बनाने के गुण हैं, सफल सरकार बनाने के लिये अमान्य है। इस बात को मानने के लिये साक्ष्य नहीं है।

मान्यवर, अलग-अलग संघर्ष रहे हैं, अलग-अलग कहानियां हैं। आज कोई मंत्री है, कल नहीं भी हो सकता है, आज इधर बैठा है, कल उधर भी बैठ सकता है। यह तो संघर्ष का इतिहास है। इनके हाथ में अगर शासन की बागडोर आ जाय, मैं समझता हूं कि विरोधी दल के नेता को, कैबीनेट फार्म आफ गवर्नमेन्ट में शैडो गवर्नमेन्ट भी होती है, मैं नहीं जानता हूं कि इन्होंने बनायी है या नहीं।

श्री राम सरन--

बहुत पहले बना दी थी।

श्री नारायन दत्त--

हो सकता है, लेकिन मुझको उसकी जानकारी नहीं है। इसके लिये यह आवश्यक

है कि जो सदस्य उसमें हों वे उसके पारंगत हों, बजाय यह कहने के कि "भ्रष्टाचार है", "भ्रष्टाचार है"।

(मेजों की थपथपाहट)

किसी एक उदाहरण को मैं नहीं कहता कि शासन-तंत्र से गलतियां नहीं होतीं। मैं मानता हूं कि भूल हो सकती है। इस समय हम लोग यहां हैं, हो सकता है कि पुलिस का कोई सिपाही कहीं गलत डंडा चला रहा हो, लेकिन हम उसकी ही बात करते रहें। अगर शैडो गवर्नमेण्ट होती तो हम देखते कि शैडो होम मिनिस्टर कौन है, उसकी बात का जवाब देने में कुछ आनन्द भी आता। अगर प्रजातंत्र इस प्रदेश में चलाना है तो तैयारी करनी होगी। मैं मा० नेता, विरोधी दल से कहूंगा, मैं जानता हूं कि ऐसे लोग हैं जिनमें इस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान है, वे तैयारी करें, मेहनत करें, तब कुछ होगा। मैं कहूं कि फलां अक्षम है, आप कहें कि फलां अक्षम है, तो बाहर के लोग सुनेंगे वे कहेंगे कि सब अक्षम हैं। सवाल यह है कि आम जनता का विश्वास होना चाहिये। हमें देखने वाले पढ़ने वाले यह कहते हैं कि सब एक से ही हैं। अयोग्यता हो, जिस समय की अयोग्यता की बात सामने आयी। सब कम्प्यूटर नहीं हैं, लेकिन कम्प्यूटर को भी भाषा की कठिनाई हो सकती है। क्या किसी देश में कहीं पर भी ऐसा होता है कि बिना नोटिस या सूचना के किसी भी प्रश्न का उत्तर तुरन्त दे दिया गया हो और यह न कहा गया हो कि सूचना की आवश्यकता है? हमें न्याय करना चाहिये और इस आधार पर यह नहीं कहना चाहिये कि सब मंत्री अक्षम हैं।

और श्रीमन, जहां तक आदेशों का प्रश्न है कहा गया कि सब मंत्री नाकाबिल हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

सब मंत्रियों को नहीं कहा गया।

श्री राम सरन--

आपको तो सब काबिल कहो हैं।

श्री नारायन दत्त--

मैं तो राम की शरण हूं और इस सदन की शरण हूं।

(हंसी)

एक बात श्रीमन, यहां कही गयी स्पीकर के पद के लिये कि स्पीकर साहेब को मिनिस्टर होना चाहिये था, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया और स्पीकर बना दिया गया, यह बात नेता विरोधी दल ने कही थी। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनकी अगर यही राय है तो अच्छा है, हम इस बात पर विचार करेंगे।

श्रीमन्, यहां कर्मचारियों का भी जिक्र आया और पुराने मुख्य मंत्रियों का भी जिक्र आया। दो मुख्य मंत्रियों का उल्लेख किया गया और उनके बारे में कुछ शिकायतों का भी उल्लेख किया गया। अच्छा होता अगर इन बातों का यहां उल्लेख न किया जाता, लेकिन अब जब जिक्र हो ही गया है तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां तक हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का प्रश्न है या उनकी सरकार का प्रश्न है, उस समय की सारी बातों का उल्लेख इस सदन में हो चुका है और स्पष्ट रूप से हो चुका है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि अपने ऊपर जिम्मेदारी ले करके श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मुख्य मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, हालांकि जो जिम्मेदारी उनकी नहीं थी लेकिन व्यक्तिगत रूप में इन्होंने इसको ले लिया और अपना मुख्य मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। मेरे पास और भी उद्धरण हैं कि जो ईमानदारी की छवि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की है वह हर सबके लिये अनुकरणीय है और रहेगी आगे भी। जहां तक श्री श्रीपति मिश्र जी का उल्लेख किया गया है, उनके सम्बन्ध में जो बात कही गयी थी उसका उन्होंने स्वयं स्पष्ट उत्तर दे दिया था। जिस प्रकार से अध्यक्ष पद की गरिमा को उन्होंने सुशोभित किया, हम सबकी शिकायतें होती हैं लेकिन हमारे कान मजबूत होने चाहिये। बहुत से लोग अगर किसी के बारे में ऐसा कह दें कि फलां साहेब ऐसे हैं, तो जो भी किसी के बारे में कहा जाय बिना उसकी छानबीन किये उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिये। केवल हमारे राजनीति के विरोध के लिये यह जो कहा जा रहा है इस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिये।

मैं सदन का आशीर्वाद चाहता हूं कि कम से कम ऐसी कमजोरी हमारे सत्ता पक्ष के

लोगों में कभी नहीं होनी चाहिये। यही कारण है कि कभी-कभी मुझे निर्णय लेने में देरी लगती है। शासन में रहते हुये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि यह जो बात हमसे कही जा रही है दूसरे पक्ष की बात हमें अभी मालूम नहीं है, उसकी जानकारी हमें नहीं है, इसलिये मुझे निर्णय लेने में कठिनाई होती है और देरी लगती है।

माननीय नेता विरोधी दल ने हमारे बारे में कहा कि पंजाब में, श्रद्धेय श्रीमती इन्दिरा गांधी के शहीद होने के बाद जो घटनायें हुईं उनकी जांच केन्द्र ने नहीं की है, उनकी मांग पर जांच नहीं करायी गयी। अब जब केन्द्र जांच कर रहा है, यह ऐसा प्रश्न है, मुझे यहां पर एक सन्दर्भ याद आ रहा है, यह पुराना सन्दर्भ है जुडीशियल इन्क्वायरी के बारे में सन् 67-68 की बात है, तब हमारा यह सौभाग्य था कि हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री चौधरी चरण सिंह थे। उस समय जुडीशियल इन्क्वायरी की बात आई थी वाराणसी में फायरिंग हुई तो उन्होंने क्या कहा मैं वैसे ही उसे पढ़ देता हूं--उन्होंने कहा था वाराणसी में फायरिंग हुई और मैं इस बात के हक में नहीं था कि इसकी तहकीकात कराई जाय, लेकिन दोस्तों ने कहा कि जुडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए इसलिए मैं राजी हो गया। इतने में मेरे पास दो दरख्वास्त वाराणसी से आती हैं पोलिटिकल और बड़े-बड़े आदमियों के पास से कि उसकी तहकीकात कराई जाये। जिससे पुराने जख्म हरे हो जायेंगे और आपस में कटुता बढ़ जायगी"। उसके बाद उन्होंने थोड़ा और कहा और फिर यह कहा--"इस लिए हमने जुडीशियल इन्क्वायरी कराने के विचार को छोड़ दिया।"

श्रीमन्, यह ऐसा प्रश्न है, जहां तक केन्द्रीय निर्णय का प्रश्न है, वह एक व्यापक समझौते के अन्तर्गत हुआ। अगर यह बिन्दु उसमें न होता तो सामाजिक एकता का विशेषकर हिन्दू और सिख सामाजिक एकता का एक मर्म था, उसमें कठिनाई पड़ती। जो समझौता शहीद सन्त लोंगोवाल और प्रधान मन्त्री के बीच में हुआ उसमें उन्होंने न केवल कानपुर को शामिल किया बल्कि दिल्ली को भी शामिल किया और बाकी को उन्होंने स्वयं नहीं शामिल किया जबकि शहीद सन्त लोंगोवाल और उनके साथियों को मालूम था कि देश के अन्य भागों में भी यह हुआ था। तो केन्द्र ने उसका पूर्ण समझौता राष्ट्रीय आधार पर किया। अब अगर नेता विरोधी दल यह चाहते हैं कि यह सब जगह इन्क्वायरी हो देश में हर जगह इन्क्वायरी हो तो क्या उससे उस समस्या का जो एक धार्मिक मोड़ लिए हुए जिसमें अब तक कटुता है अब तक आतंकवाद है और जिसने सन्त लोंगोवाल को हमसे छीन लिया।

जहां तक यह कहा जा रहा है कि ललित माकन की हत्या एक रिपोर्ट की वजह से हुई, सम्भावना नहीं है। यह हर दल के लोग मिले हैं। आज भी चोटी के नेता हिट लिस्ट में नामजद हैं वह हर दल के नेता हैं। जो इस सदन में नेता हैं उनके उच्च नेताओं के नाम हिट लिस्ट में हैं। तो आतंकवाद से हमको खतरा नहीं है लेकिन अवसर भी नहीं देना चाहता हूं। मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि जैसा चौधरी साहब ने कहा कि पुराने घावों को फिर हरा करने की जरूरत नहीं है तो निर्णय करने के बाद भी उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि उन्होंने ठीक ही निर्णय लिया। मैं नेता विरोधी दल से आज्ञा चाहता हूं कि वही निर्णय हमें भी यहां लेने दिया जाये। क्योंकि घावों को फिर हरा न किया जाय। जहां तक प्रश्न है कि केन्द्र ने इसको कर दिया और व्यापक राष्ट्रीय आधार पर हुआ। मेरे पास कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट मौजूद है जिसकी धारा 2 में परिभाषाएं हैं उसमें केन्द्र सरकार को यह अधिकार है कि वह कमीशन बैठा सकता है और उसमें किसी भी मामले को जो सूची लिस्ट में हो उसके अन्तर्गत मामले को इन्क्वायरी का विषय बना सकता है। इस ऐक्ट के मुताबिक किसी भी प्रदेश के मुख्य मन्त्री की इन्क्वायरी हो सकती है वह इसी ऐक्ट पर होती है किसी विषय पर इन्क्वायरी हो सकती है। उसके पहले उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि यह कमीशन इन्क्वायरी कर रहा है इसलिए हमने सहमति

प्रदान की। यह कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट विशेष परिस्थितियों में बनाया गया। इसलिए मैं नेता विरोधी दल और उनके माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि जो राष्ट्रीय हित में यह निर्णय लिया गया, वह स्वीकार करें। जनता को अभी जाने कितने आतंकवाद से लड़ना है आतंकवाद कहां-कहां और किस रूप में आ जायगा यह हमारे सामने एक समस्या अभी भी बनी हुई है। तो श्रीमन्, मैं आग्रह करूंगा कि इस जांच पर जोर न दें।

जो विषय हमारे सम्मानित नेता विरोधी दल ने रखा है, उन्होंने जोर दिया कि यह शासन असफल रहा है, जो हरिजन वर्ग के लोगों को शासन में स्थान देने और जहां-जहां उनका आरक्षण था उच्च पदों पर या अन्य पदों पर आरक्षण देने में असफल रहा। उन्होंने 37 साल का उल्लेख किया, और कहा कि कांग्रेसी शासन की यह देन है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया जब अंग्रेजी शासन काल था, उस समय उत्तर प्रदेश का प्रशासन में नाम ऊंचा था और आज उसका नाम नीचे है। मैं एक बात कहना आवश्यक समझता हूं कि शासन का नाम तो नीचे है, परन्तु विरोधी दल का नाम तो ऊंचा है, तो इसमें हमें खुशी होगी। हमें फिर खुशी है, कि आपके नेता चौधरी चरण सिंह इस 37 साल में 46 से लेकर 1967 तक इस शासन में थे, उन्होंने जिस तरह का उल्लेख किया है, जब वह एम0 पी0 थे, 21 नवम्बर, 1977 को जो उन्होंने लोक सभा में कहा, उसको कोट करना चाहता हूं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्ज, इम्पलायमेन्ट अगेन्स्ट कोटा के कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस हुई तो जो उन्होंने विचार रखे उनको मैं कोट करना चाहता हूं। आप उनकी भावना से सहमत होंगे।

आज यह कहा जाय कि यह बुराई 2 साल में मिट जायगी, 5 साल में मिट जायगी, म कहता हूं कि यह हरगिज नहीं होगा। यह पूछा जाता है कि आज तक यह कोटा पूरा क्यों नहीं हुआ। जब यह मुल्क आजाद हुआ देश में शिक्षित बहुत कम थे। 15-16 परसेन्ट शिक्षित होंगे। आज 30 परसेन्ट लोग शिक्षित हैं, लेकिन उस वक्त जबकि यह मुल्क आजाद हुआ, हमारे कितने हरिजन भाई शिक्षित थे, जो हरिजन भाइयों के बच्चे सन् 1950 के आस-पास पैदा हुए, वे धीरे धीरे बढ़कर अब जवान हुए हैं। अब बी0 ए0, एम0ए0, डाक्टर्स और इंजीनियर्स बने हैं। लेकिन मैं यह इतने सालों से सुन रहा हूं कि यह कोटा पूरा क्यों नहीं हुआ। मैं आपको मिसाल दूं। जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था तो यू0 पी0 में कन्सलीडेशन आफिसर्स की एक सेलेक्शन कमेटी मुकर्रर करती थी। मैंने उसे ये आर्डर्स दिए कि सवर्ण जाति के जो लड़के लिए जायें वे तो फर्स्ट क्लास और सेकेन्ड क्लास हों लेकिन अगर कोई लड़का हरिजन घर में पैदा हुआ है और वह थर्ड क्लास भी हो तो उसे आंख मूंद कर मुकर्रर कर लो, और कर लिए गए। लेकिन तब भी कोटा पूरा नहीं हुआ। 1953 में जब सब पटवारियों को निकाल दिया गया। पटवारियों की नयी नियुक्ति की गई। गवर्नमेन्ट की तरफ से हरिजनों के लिए 18 परसेन्ट का कोटा मुकर्रर था मैंने आर्डर दिए कि 36 परसेन्ट पटवारी हरिजनों में से भरती करो, लेकिन नहीं हो सके। 36 परसेन्ट तो क्या 18 परसेन्ट भी एप्लीकेशन्स नहीं आयीं, लिहाजा 5 परसेन्ट ही हरिजनों में से पटवारी हो पाए। जहां पर 1 परसेन्ट या 0.1 परसेन्ट नहीं थे, वहीं यह हुआ लेकिन हमारा इरादा 36 परसेन्ट करने का था। तो श्रीमन्, यह तमाम उनका भाषण है, मैं कोटेशन दे रहा हूं। यह इतना आसान नहीं है, इससे अधिक क्या हो सकता है। जो हमारे कोटे की कमी का प्रश्न है, इसको हम प्राथमिकता देकर हल करेंगे। श्रीमन्, मैं आंकड़े देना चाहता हूं। 1 जनवरी, 1979 को हमारे माननीय नेता विरोधी दल शायद सहकारिता मन्त्री थे। तब उस समय उनकी जो बड़ी प्रगतिशील सरकार थी, जो क्षमतावान सरकार थी.....

श्री शतरुद्र प्रकाश—

राजबली तिवारी का सिर फटा था।

(व्यवधान)

श्री नारायन दत्त—

अगर मुझे इतनी अकल आ जाय तो श्रीमन्,....

(व्यवधान)

(हंसी)

मैं निवेदन कर रहा था कि समूह "क" में उस समय यानी आज से लगभग 6 साल पहले शड्यूल्ड कास्ट का जो प्रतिशत था वह 4.65 था और इस चार-पांच साल के कांग्रेस के प्रयास के बाद यह प्रतिशत बढ़कर 6.17 हो गया। ये कैरी फारवर्ड के आंकड़े हैं। इसी तरह से समूह "ख" में 1979 में 4.38 प्रतिशत था जो बढ़कर 7.84 प्रतिशत हो गया। समूह "ग" में 9.77 से बढ़कर 13.2 प्रतिशत हो गया और समूह "घ" म 15.1 प्रतिशत से बढ़कर 18.44 प्रतिशत हो गया। श्रीमन्, इसको हमें और बढ़ाना है। इसके लिए हम चार बैठकें कर चुके हैं। श्रीमन्, इस सरकार को अभी चार महीने हुए हैं। लोक सभा के चुनाव हुए, विधान सभा के हुए। सिर्फ अभी चार महीने का समय मिला है इन समस्याओं को जूझने का।

(व्यवधान)

अभी यदि इस सदन का आशीर्वाद रहा तो पौने पांच साल काम करना है। यह संख्या जो है 18.44 प्रतिशत की, यह संख्या और बढ़ने वाली है। श्रीमन्, कमिश्नरों के सम्बन्ध में भी कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। जून 1978 में अनुसूचित जाति के 11 जिलाधिकारी थे और आज अगस्त, 1985 में 14 जिलाधिकारी हैं। कमिश्नर जून, 1978 में 2 थे और आज इनकी संख्या कुल 12 में से 5 हैं।

श्रीमन्, जब ये आंकड़े आपको दिए गए उस समय ये पूरे आंकड़े नहीं थे। मैं एक बात और कहूंगा। एक आग्रह नेता विरोधी दल से करूंगा और मैं आग्रह करते समय भी कहूंगा कि जातिवाद इस देश का अभिशाप रहा है। हजारों साल से देश परतंत्र रहा है और उसके पीछे घोर जातिवाद रहा है। इतिहास इसका साक्षी है। हमें बड़ी सावधानी से इसको हल करना है। श्रीमन्, यह समस्या ऐसी नहीं है कि जो केवल भाषण से हो सके। हमें इसको क्रियान्वित करना है और बड़ी सावधानी से करना है। मेरा आग्रह होगा कि जो शासकीय सेवायें हैं इनको उससे दूर रखना है। अगर हम ऐसे पदों पर जो जन जीवन के भाग्य का फैसला करते हैं, अगर हम इस आधार पर निर्णय लेने लगें तो यह ठीक बात नहीं है। श्रीमन्, हमें आज यह दृष्टिकोण रखना चाहिए कि कौन इस सेवा के योग्य है कौन नहीं है, योग्यता आधार होना चाहिए इन पदों के लिए, तभी हम प्रशासन को ठीक कर सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से हमारी अखिल भारतीय सेवायें हैं। श्रीमन्, मुझे बड़ा दुख हुआ कि माननीय नेता विरोधी दल को ऐसा लगा कि हम उस आधार पर चल रहे हैं। हमारा विश्वास है, हमारा विचार है, मेरी 60 साल की उम्र होने जा रही है। अब क्या हमारा दिमाग बदलेगा। तो मैं उनसे कह सकता हूं कि अगर उनको जरा भी यकीन हो तो हमारे दिमाग में किसी जाति या किसी व्यक्ति विशेष का ख्याल आ ही नहीं सकता है, जो भी गांधीवादी विचार का होगा, कांग्रेस का होगा उसके दिमाग में यह ख्याल आ ही नहीं सकता है।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो आई० ए० एस० या पी० सी० एस० के लोग हैं इनकी नियुक्ति हम नहीं करते हैं यह नियुक्ति केन्द्रीय पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अखिल भारतीय कंपटीशन के अन्तर्गत होती है। जो भी आई० ए० एस० या आई० पी० एस० कैडर के लोग होते हैं उनमें से यू० पी० में कौन जायेगा उसको भी केन्द्र सरकार तय करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और केन्द्र सरकार तय करते हैं। हमको यह मालूम होना चाहिये की इस बात को ध्यान में रखना है कि यह इसी राज्य के नहीं होते, दूसरे राज्यों के भी होते हैं। उससे हमें न कोई मतलब है और न कोई अर्थ है और न उनसे कोई रिश्तेदारी है, बल्कि वहां के विचार और दृष्टिकोण दूसरे होते हैं। मैं तो यह भी नहीं जानता कोई रेड्डी है या कांतिमन्ना है उसको क्या लिखा जाय। इसलिये उनको हमें जातिवाद के दृष्टिकोण से नहीं देखना है। वह

जिलाधिकारी हो सकते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो सकते हैं। जिलाधिकारी का पद महत्व का ही है लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद भी उतना ही महत्व का है। जिनको केन्द्र का जरा भी अनुभव है वह जानते होंगे कि ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद कितने महत्व का है। वह सेक्रेटरी को छोड़कर सीधे मिनिस्टर के पास फाइल ले जा सकता है।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

दिल्ली में यह व्यवस्था है, यहां नहीं।

श्री नारायन दत्त--

ज्वाइंट सेक्रेटरी पद यहां भी उतने ही महत्व का है। हम समझने लगे हैं कि धारणा कभी-कभी कितनी गलत हो जाती है। आप देखें कि शारदा सहायक कमांड एरिया के जो डायरेक्टर का पद है उसको लोग समझते हैं कि यह कम महत्व का है लेकिन यह कम महत्व का नहीं है। यह कितने महत्व का है 14 जिलों का सारा उत्पादन निर्भर है उन पर। तो यह कम महत्व का है क्या ?

ऐसे ही बहुत से आई0पी0एस0 वर्ग के पुलिस अधिकारी जो ट्रेनिंग में ट्रांसफर कर दिये इसका मतलब यह नहीं है कि वह कम महत्व के हैं।

एक तरफ हम कहते हैं कि पुलिस व्यवस्था अच्छी होनी चाहिये, आधुनिक होनी चाहिये और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि अयोग्य आदमी पुलिस ट्रेनिंग में भेज दिये जांय। पी0ए0सी0 का इतना महत्व है तो क्या जो पी0ए0सी0 के कमांडेंट या डायरेक्टर जनरल हैं वे अयोग्य व्यक्ति बनाये जांय।

फिर श्रीमन्, नेता विरोधी दल ने एक बात ठीक कही कि जिलाधिकारी और कमिश्नर, वे बनाये जांय जिनको कुछ जानकारी हो जाय। यह ठीक है लेकिन कठिनाई क्या है, उन्होंने 10 वर्ष की अवधि की बात कही लेकिन व्यवस्था और नीति में कितना फर्क आ जाता है वे स्वयं विचार करें जो 10 साल के बाद जिलाधिकारी और 20 साल के बाद कमिश्नर बनाने वाली बात है तो उसमें आई0 ए0एस0 कैडर के कितने ऐसे लोग हैं जो 10 साल के अनुभव के बाद शेष रह जाते हैं जिलाधिकारी बनने के लिये या 20 साल के बाद शेष रह जाते हैं कमिश्नर बनने के लिये। फिर यहां राज्य के पदों को भी उन्हीं से भरना है। तो नीति और व्यवस्था में कितना फर्क हो जाता है। अगर 10 साल वाले सिद्धांत को मान लें तो जिलाधिकारियों की जातिगत नियुक्ति की जो बात नेता विरोधी दल ने रखी है वह असम्भव हो जाती है क्योंकि तब जाति का कोई प्रश्न नहीं रह जाता है क्योंकि तब 10 साल के अनुभव वाले को ही रखना पड़ेगा। कमिश्नर के लिये उन्होंने कहा कि 20 साल वाला हो और कहा कि पी0सी0एस0 के लोगों को अधिक बनाना चाहिये तो वह कैसे हो पायेगा।

फिर उन्होंने कहा कि आई0ए0एस0 कमिश्नर वही होना चाहिये जिसको 20 साल का अनुभव हो। तो कितने पी0सी0 एस0 वाले आई0ए0एस0 बन सकते हैं जिनको 20 साल का अनुभव हो। तो केवल आई0ए0 एस0 वर्ग के लोग यहीं नहीं हैं वह केन्द्र में जाते हैं, और आज केन्द्र में कितने ऐसे आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 के लोग हैं जो यहां से वहां जाते हैं। मान्यवर, आप देखेंगे आज हमारे उद्योग सचिव जो यहां चीफ सेक्रेटरी थे वह केन्द्र में उद्योग सचिव हैं, श्री भटनागर, यहां सचिव थे केन्द्र में डिफेंस सेक्रेटरी हैं, पी0सी0 जैन यहां पर फाइनेंस सेक्रेटरी थे या होम सेक्रेटरी थे, केन्द्र में डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्रेटरी हैं, श्री प्रेम कुमार, होम सेक्रेटरी यहां थे केन्द्र में कामर्स के सेक्रेटरी हैं, तो यह सब अपनी योग्यता से हैं और जब केन्द्र में हमारे अधिकारियों की मांग होती है तो यहां अधिकारियों की जगहें खाली होती हैं। इसलिये कम वरिष्ठता होते हुये भी उन पदों को भरना पड़ता है। इसलिये 6 साल वाले अधिकारियों की बात आयी है, तो कैडर कुल 511 का है, केन्द्र हमसे मांगता है, तो मना नहीं कर सकते हैं, जिससे यहां रिक्तियां होती हैं।

श्रीमन्, नेता विरोधी दल का सुझाव है कि पी0सी0एस0 को अधिक मौका देना चाहिये, 33 1/4 प्रतिशत, तो हमारे मुख्य सचिव ने हमसे स्वीकृति लेकर पहले ही लिख दिया है कि 40 से 45 प्रतिशत तक जो पी0सी0एस0 के लोग हैं उनको आई0ए0एस0

में होना चाहिये, यह केन्द्र सरकार को पहले ही सुझाव भेज चुके हैं और यह भी लिखा गया है कि 15 से 20 प्रतिशत भर्ती रिक्रूटमेंट के जरिये होना चाहिये । मान्यवर, पी0सी0 एस0 का वर्ग हर राज्य में अलग-अलग है, उनकी अलग-अलग परीक्षायें होती हैं । श्रीमन्, 25 प्रतिशत जो आजकल नीति है प्रमोशन के जरिये लिये जांय । इसलिये नेता विरोधी दल को प्रसन्नता होनी चाहिये कि उनके सुझाव को पहले ही हमने भांप लिया था, इसलिये आपके सुझाव को हम मान चुके हैं और कार्यान्वित कर रहे हैं, भारत सरकार अब इस पर विचार करे, आशा है कि वह विचार करेंगे ।

श्रीमन्, यह भी कहा गया—लोक सेवा आयोग के बारे में कि रिपोर्ट बहुत देर में आयी और 1975-76 की रिपोर्ट 1981 में आयी और प्रकाशित होकर अब पंहुची है ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

इसका भी कोई तर्क है ?

श्री नारायन दत्त—

तर्क तो नहीं वितर्क है । (हंसी)

श्री मुलायम सिंह यादव—

यह तो कुतर्क है ।

श्री नारायन दत्त—

श्रीमन्, अभी तो हमने कुछ कहा ही नही है ।

श्री कल्यान सिंह—

आप बहुत सतर्क हैं ।

श्री नारायन दत्त—

सतर्कता में ही तो कल्याण है (हंसी) . .

श्रीमन्, मैं यह स्वीकार करता हूं कि किसी विभाग की रिपोर्ट में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिये, लेकिन यह विभाग नहीं यह पब्लिक सर्विस कमीशन है । लेकिन 1975-76 की रिपोर्ट अब आयी है, उसका मुझे दुख है । लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है । किन्तु जब नेता विरोधी दल का शासन था तीन साल तो उस समय भी यह रिपोर्ट नहीं आयी, मैं नही जानता उनकी सरकार ने पूछा कि नही, लेकिन वह 1981 में आयी और जब आज देखा, पता लगाया तो मालूम हुआ कि 1981 में वह रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन छपी नही है ।

मैं, चेयरमैन, पब्लिक सर्विस कमीशन और मुख्य सचिव की बैठक तीन दिन में बुलाऊंगा—28, 29 व 30 में, और यदि चेयरमैन नहीं हैं, रिटायर हो रहे हैं तो दूसरे को बुलाकर हम बैठक करेंगे । हमारा यह प्रयास होगा कि छापाखाना में क्यों देर होती है और क्या इसका इंतजाम किया जा सकता है और भविष्य के लिये हमारा यह प्रयास होगा कि अगले वर्ष जब यह बजट आये सामान्य प्रशासन का, उस समय तक, जितनी रिपोर्टें कमीशन की इस समय तैयार हैं वे सब छपकर आ जायें । यों हमें पता चला है कुछ कारणों के बारे में कि देर क्यों होती है । जैसे 40 केस हैं और उसमें कोई कोर्ट में चल रहा है, कोई कहीं है, तो जब तक सारे के बारे में सही जानकारी न हो जाये, तब तक रिपोर्ट यहां पर रखी नहीं जा सकती है, क्योंकि रिपोर्ट ही नहीं, उस पर की गई कार्यवाही को भी यहां बताना पड़ता है । यह बात भी बताना पड़ता है कि अगर किसी से असहमत हैं तो क्यों असहमत हैं और वह कारण कैबिनेट में जाता है और तब वहां से होकर आता है । किसी मामले में यदि हमने अन्तिम निर्णय नहीं भी लिया है, तो जैसे हम यहां कहते हैं कि अभी पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है—जितनी उपलब्ध है हम उसे सदन के सामने अन्तरिम उत्तर या रिपोर्ट के रूप में सदन के सामने रख देते हैं, वैसे ही हमारा प्रयास होगा कि उसमें भी हम यहां पर जरूर रख दें । अगर अधूरी भी कार्यवाही हो, तो जितनी भी रिपोर्ट आई है, हम आदरणीय सदन के सामने, सदन की मेज पर रखेंगे ।

इसी तरह हमने यह भी आदेश दिये हैं कि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की रिपोर्ट, जिसकी शिकायत कई माननीय सदस्यों ने की है, भी तयार होकर सदन के सामने आनी

चाहिये। इसमें देर नहीं लगनी चाहिये, यह बात ठीक है, इसको मैं स्वीकार करता हूं।

लोक सेवा आयोग के बारे में एक बात नेता विरोधी दल से मेरी मित्रोचित है या संसदीय शिकायत है। जो मैंने निवेदन किया था और बहुत ही इस बात की कोशिश की कि मैं उनका ध्यान अपनी बात की ओर आकर्षित कर सकूं, लेकिन सफल नहीं हुआ।

एक बात के अलावा, जितनी बातें मैंने कल निवेदन की थीं, उनके बारे में उन्होंने कहने की कोशिश नहीं की। मैं समझता हूं कि वह हमारे अधिकांश भाषण से सहमत थे, क्योंकि आप जानते हैं मौन स्वीकृति लक्षणम्, मौन रहने से स्वीकृति हो जाती है। मैंने कहा था कि लोक सेवा आयोग के बारे में हमें खुद शिकायत है– मुझे इस बात से शिकायत है कि वह किस तरह से काम कर रहा है। इसीलिये हमने एक अन्य "सबार्डिनेट सर्विस कमीशन" की घोषणा की है, जो वहां पर बहुत देरी हो रही है उसको देखते हुये लोक सेवा आयोग के बारे में कहा गया है कि एक समिति बिठाई जाय, नेता विरोधी दल ने यह राय दी है, जो लोक सेवा आयोग की देरी के कारणों की जांच करें। श्रीमन्, मैंने पहले ही इस पर यह कह दिया कि सबार्डिनेट्स सर्विस कमीशन बनेगा और इस कमीशन के बन जाने के बाद लोक सेवा आयोग का कार्य भार घट जायगा और सदस्य बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी हम विचार कर रहे हैं कि उसके सदस्य और बढ़ायें जायं। इसके अलावा इस सम्बन्ध में हमने एक बिल भी अभी पारित किया है। जो सदस्य लोग अलग अलग फाइलें अपने पास रख लेते थे, जिससे बिलम्ब होता था उसके लिये हमने उस बिल में अध्यक्ष को बहुत से अधिकार भी दिये हैं जिससे निर्णय शीघ्र हो सकें।

इसके अलावा भी जो बहुत से सुझाव, उसके बारे में आये हैं, उसके काम के बारे में तथा और भी कैसे जल्दी लाई जायें, इन पर मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन से परामर्श करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि वह जल्दी से जल्दी 6 माह में यह बतायें कि कमीशन के सामने और क्या क्या दिक्कतें हैं, जिससे वह देर से लोगों को छांट रहा है, चयन में बिलम्ब कर रहा है। आवश्यकता पड़ी तो इसके लिये हम एक सदस्यीय कमेटी बनायेंगे, बहुत लम्बी कमेटी में दिक्कत होती है। तो या तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से आग्रह करेंगे या जो पब्लिक सर्विस के भूतपूर्व चेयरमैन हैं उनसे आग्रह करेंगे वह 6 महीने में अपनी रिपोर्ट दे दें कि पब्लिक सर्विस कमीशन के काम में जल्दी लाने के लिये और क्या करना चाहिये। श्रीमन्, यह भी कहा गया, पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गयीं, श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल ने पुलिस प्रमोशन के बारे में, पी0 सी0 एस0 अधिकारियों के बारे में उल्लेख किया। दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस तरह से इतने ज्यादा प्रमोशन कर दिये गये तो हर जिले में एक महानिदेशक हो जायगा। तो श्रीमन्, एक तरफ कह रहे हैं कि प्रमोशन के अवसर मिलने चाहिये और जब हम प्रमोशन कर रहे हैं तो नाराज क्यों हो रहे हैं जो आप सुझाव दे रहे हैं वही हमने किया है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मैंने कहा था कि पी० पी0 एस0 को ज्यादा मौका दें।

श्री नारायन दत्त—

हमने पी0 पी0 एस0 को ज्यादा मौका दिया है। उनकी पदोन्नति की है।

श्रीमन्, यह जो उनको सूचना दी गयी है यह बड़ी भ्रामक है कि गृह सचिव और महानिदेशक में मतभेद है। कहीं छप गया है कि महानिदेशक के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। श्रीमन्, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि महानिदेशक ने जो आदेश दिया है वह ठीक दिया है। परम्परा है कि विभागाध्यक्ष के माध्यम से आदेश होना चाहिये। माननीय नेता विरोधी दल ने जो आलोचना की है तो वह स्वयं देखें कि एक तर्क दूसरे तर्क से फिट बैठे। एक तरफ कहते हैं कि आदेशों का पालन नहीं हो रहा है दूसरी तरफ कहते हैं महानिदेशक को आदेश जारी नहीं करना चाहिये।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मैंने यह कहा है कि विभागाध्यक्ष को अनुमति और बिना जानकारी के आदेश का पालन नहीं होना चाहिये। उनकी अनुमति और बिना जानकारी के किया गया और बाद में परिपत्र निकालना पड़ा।

श्री नारायन दत्त--

श्रीमन्, ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि श्रीमन्, जसे दौरे में गये, कभी-कभी ऐसी बात आती है कि जनता में और जन प्रतिनिधि के कहने पर, ऐसे मौके आते हैं जब किसी मंत्री को आदेश स्थानीय रूप से देने पड़ते हैं। इसलिये विभागाध्यक्ष की जो बात है वह विभागाध्यक्ष द्वारा हो लेकिन कभी-कभी जनहित में ऐसे आदेश करने पड़ते हैं। तो इसमें कोई मतभेद की बात नहीं है और न ही मतभेद के आधार पर शासन चलता है। जहां कहीं भी जिलाधिकारी या एस0 पी0 के बारे में, कभी-कभी यह सुनने को मिलता है कि जिलाधिकारी और एस0 पी0 में मतभेद है या फलां फलां अधिकारी में मतभेद है तो श्रीमन्, यह मतभेद कोई राजनीति नहीं है, यह शासन है। मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश में कहीं भी इस प्रकार के मतभेद की कोई सूचना मिलेगी तो जरूर उसको समाप्त करने की कार्यवाही करेंगे। मतभेद कोई राजनीतिक पार्टी बन्दी नहीं है। तो होम सेक्रेटरी और विभागाध्यक्ष के बीच में कोई मतभेद नहीं है। श्रीमान्, माननीय नेता विरोधी दल ने यह कहा था कि महानिदेशक हमारे ईमानदार हैं। श्रीमन्, मुझे यह जान कर बड़ी खुशी हुई कि उनका यह विचार हमारे पुलिस महानिदेशक के लिये है, डायरेक्टर जनरल के लिये, फिर उन्हीं की बात मान लें कि जब महा निदेशक ही ईमानदार हैं, तो नीचे लोग ईमानदार ही होंगे।

(मेजों की थपथपाहट की आवाज)

श्रीमन्, आज भी उन्होंने कहा, मुख्य मंत्री ईमानदार, नीचे ईमानदार होंगे तो सभी ईमानदार होंगे। श्रीमन्, ऐसा नहीं होता है, ईमानदार भी होते हैं, कभी-कभी कम ईमानदार भी होते हैं।

(व्यवधान)

मैं तर्क दे रहा हूं। तो इसलिये श्रीमन्, मैं आग्रह कर रहा था कि किसी को ईमानदार का सर्टीफिकेट तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, जिनको मिल जाय इस सदन का सर्टिफिकेट, वह बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन मैं एक आग्रह करूंगा, जैसे मुख्य सचिव को कह दिया किसी को कह दिया, आज मुझे उन्हीं से काम लेना है, किसी के बारे में अगर कुछ कहना है, तो लिख कर दे दें, लेकिन सार्वजनिक रूप से जो उच्च अधिकारी हैं, उनके बारे में अगर कह देते हैं, तो जो काम करने की शक्ति है, तो उसे उनके मन में काम करने की शक्ति कम हो जाती है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

लिखकर भी मैंने दिया है।

(व्यवधान)

श्री नारायन दत्त--

मुझे फिर चौधरी चरण सिंह की बात याद आती है।

(व्यवधान)

श्रीमन्, 1967-68 में जब हमारे चौधरी चरण सिंह जो मुख्य मंत्री और गृह मन्त्री थे, पुलिस के बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा था, आचार्य साहब का कहना है कि पुलिस वालों को सब को ईमानदार समझते हैं और पब्लिक में सबको बेईमान समझते हैं। हरगिज नहीं। मैं पुलिस वालों को बेशक बिना जांच के हर एक को ईमानदार मानता हूं।

(मेजें थपथपाई गयीं)

उसका अर्थ यह है कि जब तक कोई आदमी बेईमान साबित न हो जाय, तब तक उसे बेईमान कहना ठीक नहीं है। यह चौधरी साहब का अनुभव है। मुझ से ज्यादा उनका अनुभव है। सन् 36 से वह गवर्नमेन्ट में रहे हैं, बिना जांच के वह सबको ईमानदार मानते हैं, जब जांच हो जाय, बेईमान साबित हो जाय, तब उसे बेईमान कहाजा सकता है, जैसे कि हम सब लोग भी बिना जांच के ईमानदार ही हैं। श्रीमन् यह कह देना कि हम सब बेईमान हैं, मैं समझता हूं कि इससे क्या होगा, कि हमारे बीच में निराशावाद फैलेगा और सब की जांच करेंगे। आज कल एसी स्थिति देखी जा

रही है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रह गया है, जिसकी जांच की मांग न हो, कोई डी0 एम0 कोई सचिव, कोई एस0 पी0 के खिलाफ हो गया, बिना दस्तखत के प्रार्थना-पत्र दे दिया, अखबारों में दे दिया, सब सबकी जांच करें, तो कैसे कोई काम चल सकता है तो इस तरह की जांच से कोई काम कैसे चल सकता है एक बात माननीय नेता विरोधी दल ने कही और हमारी पार्टी की बैठक में भी माननीय सदस्यों ने कहा, मैं उसको करने जा रहा हूं। जो एन0 आर0 ई0 पी0, एल0 आर0 जी0 पी0, आई0 आर0 डी0 की योजनाएं चल रही हैं, इसमें एक टेस्ट के रूप में फिजिकल वेरीफिकेशन करा लिया जाय। मैं इस मांग को स्वीकार करता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

हमने कहा था कि हर जिले में एक-एक।

श्री नारायन दत्त--

इसकी हमारे दल की तरफ से भी मांग की गई है। यह कहा जाता है कि रुपया ठीक से खर्च नहीं हो रहा है। तो फिजिकल वैरीफिकेशन का तरीका निकाला है। पहले इसको एक डिवीजन में करायेंगे, फिर जिलों में जायेंगे। आप देखें, हमने नेता विरोधी दल को शिकायत का मौका नहीं दिया है। श्रीमन्, बहुत सी बातें हमने भी कही हैं, ऐसे ही उनको भी माना चाहिये।

(हंसी)

श्रीमान्, एक मैं यह आग्रह करूंगा कि हम लोग, जो शासन में आने की बात करते हैं क्योंकि नेता विरोधी दल ने कहा "आखिर में जब हम आयग, तो ऐसा हो जायेगा" श्रीमान्, उस दिन का इन्तजार तो करना ही चाहिये जब वह इधर आयेंगे।

(हंसी)

लेकिन जब वह इधर आयेंगे, तो ऐसी चीज तो कोई हो कि वह लग सके। श्रीमन् अगर एक सेना को दूसरे से झगड़ाने लगें, आई0 ए0 एस0 को आई0 पी0 एस0 से, इंजीनियर को डाक्टर से, हम आपस में चाहे लड़ें चाहे कुछ करें, लेकिन सर्विसेज का मोरल न गिरने दें। मैं आग्रह करूंगा कि कहीं पर हम पर दबाव पड़ता है, तो आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात की चेष्टा करें कि एक संतुलन के जरिए, जो विरोधी दल का महान दायित्व है, उसको निभाने की कोशिश करें। मैं दूसरे नेताओं को धन्यवाद देता हूं मैं उस वक्त स्वयं उपस्थित नहीं था, लेकिन नेता, भारतीय जनता पार्टी नेता जनता पार्टी, नेता सम्यवादी दल और नेता कौशिक जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, उन्होंने कुछ बातें ऐसी कहीं जिनको मैं इस समय नहीं कहूंगा। बजट पारित होने का समय है, उसका मैं उल्लंघन करूं ऐसी धृष्टता मैं नहीं करूंगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने बातें कही हैं, घटनाओं का उल्लेख किया है, कमीशन का उल्लेख किया है, तो हमने यह आदेश दिये हैं कि प्रत्येक सुझाव पर, प्रत्येक घटना पर विचार होना चाहिये, उसमें क्या हुआ यह मुझे बताना चाहिये। इसमें समय नहीं लूंगा, क्योंकि प्रत्येक माननीय सदस्य की प्रत्येक बात का उत्तर देना सम्भव नहीं है। लेकिन मैंने आदेश दिये हैं कि कार्यवाही पढ़कर आद्योपान्त जिन सुझावों पर कार्यवाही आवश्यक है, कार्यवाही की जाय। तो मैं यह आग्रह करूंगा नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं से तथा सम्मानित सदस्यों से अभी तो आरम्भ है, पंचवर्षीय योजना का, यह पहला बजट नई चुनी हुई 4 महीने की सरकार का है। न जाने कितने कांटों भरे राह पर चलना होगा, झेलना होगा, एक साथ मिलकर चलना होगा, उठना होगा, बैठना होगा। गरिमा को निभाने के लिये, हम गलती भी करते हैं तो ठीक करते हुये सही रास्ते पर चलना होगा।

भगवान बुद्ध जब इत्तिफाक से नदी के किनारे पर्णकुटी में विश्राम कर रहे थे तो उनके परम शिष्य आनन्द ने पूछा आप सत्य और असत्य के बीच में मध्यम मार्ग पर चलने को कहते हैं। असत्य तो ठीक है, सत्य से दूर रहने की बात कहते हैं तो क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा असत्य की ओर जाना नहीं लेकिन सत्य की प्राप्ति इतनी कठिन है कि सत्य की प्राप्ति का लक्ष्य बनाया जा सकता है जीवन काल में सत्य को प्राप्त कर सकेंगे, म स्वयं बोद्धिसत्व प्राप्त कर सकूंगा या नहीं मैं नहीं जानता। सत्य की ओर लक्ष्य बनाकर प्रदेश की गरीबी

को दूर करने का और प्रदेश को देश में अग्रणीय बनाने का हम सबको काम करना होगा। हम सत्य की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर इस कसौटी पर इस बजट को कसेंगे तो प्रदेश को आगे बढ़ाने का एक कदम है। मैं नहीं कहता कि हमारे बजट में ऐसा चमत्कार है, जादू है कि शासन और पुलिस सब का निदान हो जायगा। लेकिन एक कदम है दृढ़ता पूर्वक उत्तर प्रदेश की समस्याओं के निदान के लिये। यह कदम चलना ही होगा। इन शब्दों के साथ मैं नेता विरोधी दल से आग्रह करूंगा कि वह इस अनुदान को और दूसरी अनुदान को स्वीकार करने में सदन की सहायता करें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मुख्यमंत्री जी मैं भूल गया जो बन टोगिया है गोरखपुर के। उनकी विषम समस्या है। जब आपके प्रधान मंत्री आदिवासियों में जाकर उनकी समस्याओं का हल कर रहे हैं, इन बनटांगियों की झोपड़ियां जलाई गई, मारापीटा गया इनकी समस्या की ओर आप अवश्य ध्यान दें। आपने जो घोषणा की जांच कराने की। उसमें एक निवेदन है कि जांच करायें तो उस विभाग के अधिकारी द्वारा न करायें।

श्री नारायन दत्त--

टोगिया वाला जो प्रश्न है मैंने पहले घोषणा की थी कि सदन के उठते ही वन विभाग के लोगों को और टोंगिया को बुलायेंगे, यह टोगिया वर्मा के नाम से है। इस टोगिया पद्धति को रहना चाहिये नहीं रहना चाहिये इस सम्बन्ध में हम निर्णय लेने जा रहे हैं। उस क्षेत्र के जो सम्मानित सदस्य हैं, सांसद हैं, उनको भी आमंत्रित करेंगे, उनकी उपस्थिति में निर्णय होगा। जांच का जो सवाल है फिजिकल वेरीफिकेशन करेंगे। उस विभाग के नहीं दूसरे विभाग के इंजीनियर होंगे, और जो टेक्निकल आडिट सेल है उससे सहायता लेंगे।

श्री हरिश चन्द्र, हरिश जी--

मैं जानना चाहता हूं कि बजट वर्ष मार्च से अप्रैल है यह व्यावहारिक नहीं है इसको जनवरी टू दिसम्बर करने पर विचार करेंगे।

श्री नारायन दत्त--

श्रीमन्, इस संबंध में केन्द्र ने एक एन0 के0 झा कमीशन बैठाया है क्योंकि इस मसले पर निर्णय एक स्टेट नहीं ले सकता है, यह अखिल भारतीय स्तर का निर्णय है। मैंने अपनी संस्तुति यहां से इस हेतु भेज दी है कि वित्तीय वर्ष एक जनवरी, कलेण्डर इयर से कर दिया जाए। इस संबंध में अखबारों द्वारा मुझे यह जानकारी भी मिली है कि शायद वह ऐसा करने जा रहे हैं, लेकिन इसकी अभी कोई सरकारी घोषणा नहीं हुयी है। कमीशन के निर्णय के बाद इसकी बैठक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में होगी, तब वहां से फायनल होगा।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय नेता विरोधी दल, क्या आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर यह आखिरी सामान्य प्रशासन का बजट है, आपके इतने बजट तो पास हो गये हैं, एक बजट हमारा पास कर दीजिए। (हंसी)।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-8 कार्मिक विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8-कार्मिक विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 15-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,45,64,34,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17-गोपन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17-गोपन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,91,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25-नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25-नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,46,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36-प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36-प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45-लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45—लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 7,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64—सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 19 86 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64—सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,06,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65—सतर्कता विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65—सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,04,40,000 रुपया से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69—सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69—सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70—सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ) ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70—सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,97,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 23—नागरिक उड्डयन विभाग

वन राज्य मन्त्री (श्री जफर अली नकवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23—नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 71,52,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23—नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 71,52,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 28—निर्वाचन विभाग

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28—निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,46,99,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28—निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,46,99,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 29—न्याय विभाग

न्याय राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29—न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,31,12,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29—न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,31,12,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 37—प्राविधिक शिक्षा विभाग

वित्त राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मायन्वर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,12,00,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत

होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,12,00,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 44—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,20,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,20,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 47—वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

वित्त राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47—वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 61,12,59,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47—वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 61,12,59,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 48—वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

वित्त राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49—वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 60,99,46,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49—वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 60,99,46,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 49—वित्त विभाग
(कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

वित्त राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,60,,27,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,60,27,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 50—वित्त विभाग
(राज्य लाटरी)

वित्त राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50—वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,74,87,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50—वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए और आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,74,87,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या—51—वित्त विभाग
(लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

वित्त राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,76,64,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51—वित्त अनुभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,76,64,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 52—वित्त विभाग
(सामूहिक बीमा)

वित्त राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52—वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा

स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,10,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,10,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 68--सांस्कृतिक कार्य विभाग

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68-सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,05,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68-सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,05,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 70-स्पोर्टस विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री गुलाब सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80-स्पोर्टस विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशियों पूर्ति केलिय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,35,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80-स्पोर्टस विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिय आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,35,44,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1985

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

मान्यवर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांग रहे हैं । मान्यवर, धन विधेयक सम्बन्धी और आय-व्ययक सम्बन्धी जो प्रक्रिया है, उसके बारे में आप नियमावली के नियम 187 को देखने का कष्ट करें । उसमें लिखा है "आय-व्ययक प्रस्तुत किये जाने के कम से कम दो दिन बाद अध्यक्ष द्वारा नियत दिनों पर साधारण चर्चा सामान्यतया 5 दिन होगी" । मान्यवर, आप नियम 187 के उपनियम 188 (7) को देखें । इसमें स्पष्ट है कि उप नियम (1) के अन्तर्गत नियत दिनों के अन्तिम दिन उपवेशन की साधारण समाप्ति के लगभग आधा घंटा पूर्व अध्यक्ष, अनुदानों के लिये मांगों के सम्बन्ध में अवशिष्ट विषयों के निस्तारण के निमित्त प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेंगे, और इस प्रक्रिया में कार्यवाही को स्थगित करने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायगा, न किसी प्रकार की बाधा डाली जायेगी और न उसके सम्बन्ध में कोई विलम्बकारी प्रस्ताव ही किया जायगा ।

इसके नियम धारा 187 (7) में बाद का वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है "न उसके सम्बन्ध में कोई विलम्बकारी प्रस्ताव ही किया जायगा" इससे सिद्ध है कि कोई इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया जायगा अन्तिम दिन जिससे विनियोग विधेयक के पारित होने में कोई विलम्ब हो सके। इसमें समय जो सूची दी गई है, अपरान्ह 4 बजे का निश्चित था अपरान्ह के 4 बजे से देंगे। पौने 7 बज चुके हैं ...

एक सदस्य—6.45

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

त्रिपाठी जी ने शुद्ध किया, मैं आपका संशोधन स्वीकार करता हूं। 4 बजे समय निश्चित था और नियमों में लिखा हुआ है कि साधारणतया जो उपवेशन का समय होगा उससे आधा घंटे पूर्व यह विधेयक लिया जायगा। तो 11 बजे से कार्यवाही प्रारम्भ हुई और 5 बजे का समय है, साढ़े चार बजे तक लिया जा सकता था, 6-45 हो गये यह कह सकते हैं कि लोगों ने सहमति दे दी और इसलिये समय बढ़ा दिया गया था, तो मैं इस पर तर्क प्रस्तुत करता हूं कि सहमति से नियमावली को बिना नियम परिवर्तित किये, परिवर्तित नहीं किया जा सकता जब तक नियमों में परिवर्तन न हो जाये। नेता सदन और नेता विरोधी दल और लोगों के सहमत हो जाने से तब तक नियमों में परिवर्तन करते हैं तो उस का कोई मूल्य नहीं है। स आधार पर जो हमारा समय था जिसमें स्तुत हो जाना चाहिय था, निश्चित था, विधयक का प्रस्ताव नहीं आयेगा जब तक किसी प्रकार का परिवर्तन न हो जाय। इसीलिये कोई विलम्बकारी प्रस्ताव नहीं आना चाहिये, जो समय बढ़ाने का प्रस्ताव आया और जिसे स्वीकार कर लिया गया, आज अन्तिम दिन पर सदन की कार्यवाही को बढ़ा दिया गया, मैं मान कर चलता हूं कि जो समय निश्चित हो चुका है, वह पास हो चुका है, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यह क्या हो सकता है ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। नियमों के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, सदन सर्वोपरि है और माननीय सदस्यों की राय पर जब सदन ने समय बढ़ा दिया तो आपकी कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती। इसलिये मैं आपके इस प्रश्न को निरस्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री नारायन दत्त—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रतियां बांट दी जायें।

(विनियोग विधेयक की प्रतियां वितरित की गयीं)।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, मद संख्या-5 के अनुसार एक याचिका मुझे प्रस्तुत करनी थी, मैं समय पर पंहुचा नही था, वह याचिका पढ़ी हुई मान ली जाय।

श्री अधिष्ठाता—

विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद आपको पढ़ने की अनुमति दी जायगी।

श्री नारायन दत्त—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 1985 पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, खण्ड 3, अनुसूची खण्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1985

31 मार्च, 1986 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षक नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1985 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1985-86 के लिये 61,97,92,16,000 रुपये का निकाला जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1985, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1985) की अनुसूची के स्तम्भ-3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] 61,97,92,16,000 रुपये (केवल इकसठ अरब, सत्तानब्बे करोड़, बयानब्बे लाख, सोलह हजार रुपये) होता है अधिक न हो ।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं ।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3	4	5
			रु0	रु0	रु0
1	आबकारी विभाग	राजस्व	3,00,61,000	10,000	3,00 71,000
		पूंजी	1,000	..	1,000
2	आवास एवं नगर भूमि विभाग ..	राजस्व	6,68,70,000	5,96,00,000	12,64,70,000
		पूंजी	29,54,56,000	2,91,85,000	32,46,41,000
3	उद्योग विभाग (खान तथा खनिज) ..	राजस्व	1,19 85,000	5,000	1,19 90,000
		पूंजी	4,95,00,000	..	4,95,00,000
4	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) ..	राजस्व	36,70,11,000	2,95,33,000	39 65,44,000
		पूंजी	7,73,07,000	2,46,41,000	10,19,48,000
5	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	10,33,01,000	1,000	10,3302,000
		पूंजी	28,50,00,000	5,00,000	28,55,00,000
6	उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	13,46,35,000	..	13,46,35,000
		पूंजी	91 07,000	..	91,07,000
7	ऊर्जा विभाग	राजस्व	91,28,000	..	91,28,000
	)	पूंजी	3,45,48,01,000	..	3,45,48 01,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

8	कार्मिक विभाग	राजस्व	53,47,000	..	53,47,000
		पूंजी	..	..	..
9	कृषि विभाग (औद्यनिक विकास) ..	राजस्व	10,48,56,000	5.64,000	10,54 20,000
		पूंजी	2,89,80,000	..	2,89,80,000
10	कृषि विभाग (कृषि) ..	राजस्व	70.75,84.000	2,12,000	70,77,96,000
		पूंजी	46,41,71,000	50,000	46,42,21,000
11	खाद्य तथा रसद विभाग ..	राजस्व	13,98,13,000	2,25,90,000	16,24,03,000
		पूंजी	5,20,52,00,000	39,50,50,000	5,60,02,50,000
12	गन्ना विकास विभाग ..	राजस्व	8,64,00,000	2,20,000	8,66,20,000
		पूंजी	6,00,00,000	4,86,000	6,04,86,000
13	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	15,80,27,000	13,39,33,000	29,19,60,000
		पूंजी	22.50,01,000	..	22,50,01,000
14	गृह विभाग (कारागार) ..	राजस्व	14,14,58,000	2,000	14,14,60,000
		पूंजी	2,000	..	2,000
15	गृह विभाग (पुलिस) ..	राजस्व	2,48,52,42,000	41,19,000	2,48,93,61,000
		पूंजी	33,27,000	24,09,000	57,36,000
16	गृह विभाग (राजनतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	9,34,35,000	..	9,34,35,000
		पूंजी	..	..	..
17	गोपन विभाग	राजस्व	28,99,000	..	28,99,000
		पूंजी	..	..	..
18	ग्राम्य विकास विभाग ..	राजस्व	3,38,77,44,000	10,000	3,38,77,54,000
	पूंजी		2,46,98,000	..	2,46 98,000
19	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) ..	राजस्व	1,33,07,99,000	46,000	1,33,08,45,000
		पूंजी	..	..	..
20	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	61,82 68,000	39,000	61,83,07,000
		पूंजी	5,55,10,000	..	5,55,10,000
21	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	44,54,51,000	5,000	44,54,56,000
		पूंजी	..	..	..

अनंत प्रकाशन विधान सभा

अनुसूची–(क्रमशः)

1	2		3	4	5
			रु0	रु0	रु0
22	नगर विकास विभाग ..	राजस्व	69,99,71,000	10,000	69,99,81,000
		पूंजी	7,87,50,000	..	7,87,50,000
23	नागरिक उड्डयन विभाग ..	राजस्व	1,20,78,000	..	1,20,78,000
		पूंजी	..	..	..
24	नागरिक सुरक्षा विभाग ..	राजस्व	11,04,02,000	..	11,04,02,000
		पूंजी	..	..	..
25	नियुक्ति विभाग ..	राजस्व	4,21,000	..	4,21,000
		पूंजी	..	..	..
26	नियोजन विभाग ..	राजस्व	6,10,79,000	..	6,10,79,000
		पूंजी	40,25,000	..	40,25,000
27	निर्यात प्रोत्साहन विभाग ..	राजस्व	7,42,000	..	7,42,000
		पूंजी	45,00,000	..	45,00,000
28	निर्वाचन विभाग ..	राजस्व	7,66,27,000	..	7,66,27,000
		पूंजी	..	..	..
29	न्याय विभाग	राजस्व	23,43,73,000	3,22,79,000	26,66,52,000
		पूंजी	..	..	..
30	पंचायती राज विभाग ..	राजस्व	44,09,99,000	21,000	44,10,20,000
		पूंजी	3,00,000	..	3,00,000
31	परिवहन विभाग ..	राजस्व	28,93,98,000	12,000	28,94,10,000
		पूंजी	10,00,02,000	..	10,00,02,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

32	पर्यटन विभाग ..	राजस्व	54,62,000	..	54,62,000
		पूंजी	30,00,000	..	30,00,000
33	पर्वतीय विकास विभाग ..	राजस्व	90,52,77,000	9,15,000	90,61,92,000
		पूंजी	55,73,51,000	5,20,000	55,78,71,000
34	पशुधन विभाग	राजस्व	25,38,22,000	4,000	25,38,26,000
		पूंजी	98,50,000	..	98,50,000
35	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) ..	राजस्व	3,11,45,000	4,81,000	3,16,26,000
		पूंजी	2,73,29,000	6,00,000	2,79,29,000
36	प्रशासनिक सुधार विभाग ..	राजस्व	22,76,000	..	22,76,000
		पूंजी	..	..	..
37	प्राविधिक शिक्षा विभाग ..	राजस्व	21,34,22,000	2,000	21,34,24,000
		पूंजी	2,59,50,000	..	2,59,50,000
38	मत्स्य विभाग	राजस्व	3,87,94,000	2,000	3,87,96,000
		पूंजी	..	..	..
39	मुस्लिम वक्फ विभाग ..	राजस्व	25,14,000	2,73,000	27,87,000
		पूंजी	..	..	..
40	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) ..	राजस्व	23,12,81,000	25,000	23,13,06,000
		पूंजी	..	..	..
41	राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व	12,25,62,000	16,44,36,000	28,69,98,000
		पूंजी	1,42,46,000	20,06,000	1,62,52,000
42	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	85,16,44,000	1,39,77,000	86,56,21,000
		पूंजी	73,000	3,17,11,000	3,17,84,000
*43	राज्यपाल सचिवालय ..	राजस्व	..	31,30,000	31,30,000
		पूंजी	..	..	..
44	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग ..	राजस्व	45,13,000	..	45,13,000
		पूंजी	1,50,000	..	1,50,000

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या

उत्तर प्रदेश विधान मंडल

अनुसूची—(क्रमशः)

1	2		3	4	5
			रु0	रु०	रु०
45	लोक सेवा आयोग	राजस्व	..	1,54,36,000	1,54,36,000
		पूंजी	7,38,000	..	7,38,000
46	वन विभाग . ..	राजस्व	42,01,08,000	20,000	42,01,28,000
		पूंजी	18,69,000	..	18,69,000
47	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	1,00,02,02,000	4,50,29,74,000	5,50,31,76,000
		पूंजी	6,20,00,000	7,61,47,65,000	7,67,67,65,000
48	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व	1,04,56,21,000	13,52,000	1,04,69,73,000
		पूंजी	..	..	..
49	वित्त विभाग (कोषागार और लेखा प्रशासन)	राजस्व	4,39 79 000	..	4 39,79,000
		पूंजी	..	..	..
50	वित्त विभाग (राज्य लाटरी) ..	राजस्व	40,71,20,000	..	40,71,20,000
		पूंजी	..	..	..
51	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	7,87,05,000	4,000	7,87,09,000
		पूंजी	6,00,000	..	6,00,000
52	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) ..	राजस्व	1,88,02,000	6,41,31,000	8,29,33,000
		पूंजी	..	..	..
53	विधान परिषद् सचिवालय ..	राजस्व	96,52,000	3,19,000	99,71,000
		पूंजी	..	..	..
54	विधान सभा सचिवालय ..	राजस्व	3,11,04,000	3.69,000	3,14.73,000
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

55	विज्ञान एवं प्रद्योग विभाग ..	राजस्व	4,07,19,000	..	4,07,19,000
		पूंजी	..	..	..
56	शिक्षा विभाग	राजस्व	6,62,28,27,000	11,58,08,000	6,73,86,35,000
		पूंजी	62,00,000	..	62,00,000
57	श्रम विभाग (श्रम कल्याण) ..	राजस्व	13,52,44,000	3,000	13,52,47,000
		पूंजी	..	..	..
58	श्रम विभाग (सेवायोजन) ..	राजस्व	10,42,94,000	20,000	10,43,14,000
		पूंजी	..	..	..
59	संसदीय कार्य विभाग (विधान मंडल) ..	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
60	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) ..	राजस्व	24,85,000	4,000	24,89,000
		पूंजी	1,000	..	1,000
61	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) ..	राजस्व	14,72,01,000	40,000	14,72,41,000
		पूंजी	..	..	..
62	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	79,71,000	..	79,71,000
		पूंजी	..	..	..
63	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पजी-करण)	राजस्व	2,98,24,000	4,000	2,98,28,000
		पूंजी	4,85,000	..	4,85,000
64	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	15,47,11,000	4,000	15,47,15,000
		पूंजी	..	..	..
65	सतर्कता विभाग	राजस्व	1,78,98,000	8,34,000	1,87,32 000
		पूंजी	..	..	..
66	सहकारिता विभाग	राजस्व	7,34,16,000	4,13,85,000	11,48,01,000
		पूंजी	27 01,57,000	4,49,82,000	31,51,39,000
67	सहायता और पुनर्वासन विभाग ..	राजस्व	74,45,000	5,000	74,50,000
		पूंजी	25,13,000	50,000	25,63,000
68	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	1,41,14,000	2,000	1,41,16,000
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची—(क्रमशः)

1	2		3	4	5
			रु0	रु0	रु0
69	सामान्य प्रशासन विभाग ..	राजस्व	7,46,000	1,000	7,47,000
		पूंजी	..	..	..
70	सार्वजनिक उद्यम विभाग ..	राजस्व	13,15,000	..	13,15,000
		पूंजी	..	..	..
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	48,88,72,000	5,000	48,88,77,000
		पूंजी	..	..	..
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	6,06,90,000	17,000	6,07,07,000
		पूंजी	17,09,34,000	1,00,000	17,10,34,000
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	3,53,95,000	17,56,000	3,71,51,000
		पूंजी	6,55,95,000	50,000	6,56,45,000
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	69,16,000	20,000	69,36,000
		पूंजी	30,82,28,000	3,25,000	30,85,53,000
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	1,09,50,88,000	10,000	1,09,50,98,000
		पूंजी	1,38,76,51,000	50,000	1,38,77,01,000
76	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) ..	राजस्व	44,79,00,000	10,000	44,79,10,000
		पूंजी	54,49,57,000	..	54,49,57,000
77	सिंचाई विभाग (निर्माण-कार्य) ..	राजस्व	2,22,80,72,000	3,000	2,22,80,75,000
		पूंजी	3,37,60,00,000	2,000	3,37,60,02,000
78	सूचना विभाग	राजस्व	3,81,80,000	..	3,81,80,000
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची–(समाप्त)

79	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	81,50,000	2,000	81,52,000
		पूंजी	..	..	..
80	स्पोर्ट्स विभाग	राजस्व	1,95,32,000	..	1,95,32,000
		पूंजी	..	..	..
81	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग ..	राजस्व	1,18,48,03,000	3,000	1,18,48,06,000
		पूंजी	..	..	..
82	क्षेत्रीय विकास विभाग	राजस्व	27,39,05,000	..	27,39,05,000
		पूंजी	3,70,00,000	..	3,70,00,000
	योग ..	राजस्व	31,32,21,22,000	5,21,09,97,000	36,53,31,19,000
		पूंजी	17,29,86,15,000	8,14,74,82,000	25,44,60,97,000
	कुल योग ..		48,62,07,37,000	13,35,84,79,000	61,97,92,16,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-3, अनुसूची, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नारायन दत्त--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1985 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1985 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

जनपद बस्ती में सिकन्दर बाजार से मसकगवा बाजार तक मार्ग तथा मनोरमा नदी पर पक्के पुल के निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में याचिका†

श्री अधिष्ठाता--

अगर माननीय सदन की राय हो तो माननीय सुखपाल पांडेय जी की याचिका, जो कि मद संख्या 5 पर है, ले ली जाय।

(सदन द्वारा स्वीकृति दिए जाने पर)

श्री सुखपाल पांडेय--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सिकन्दर बाजार से मसकनवा बाजार तक मार्ग तथा मनोरमा नदी पर पक्के पुल का निर्माण कराए जाने विषयक श्री सूर्य प्रसाद पांडेय आदि, निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के सदस्यों के नाम-निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किए जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि--

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 20 अगस्त, 1985 को पारित प्र[illegible] के अनुसरण में गठित होने वाली विधान मण्डल के दोनों सदनों सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम स[illegible] समिति में विधान सभा के जिन माननीय सदस्यों को निर्वाचित जाना है, उन्हें निर्वाचन के ब[illegible] माननीय अध्यक्ष विधान सभा नाम-निर्दिष्ट किया जाय और इस प्र[illegible] नाम-निर्दिष्ट सदस्य इस सदन विधिवत् निर्वाचित समझे जायं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मान[illegible] संसदीय कार्य राज्य मन्त्री ने पढ़ा है, सम्मति से पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ)

बांदा जनपद में मसौनी पम्प कैनाल योजना के अधूरे निर्माण से सैकड़ों एकड़ भूमि बर्बाद होने के सम्बन्ध में, रायबरेली जिले के एक सम्भ्रान्त परिवार के सदस्यों तथा अन्य निर्दोष नागरिकों को पुलिस द्वारा जेल में बन्द किए जाने के सम्बन्ध में तथा नाका पुलिस, लखनऊ द्वारा फर्जी मुठभेड़ दिखा कर श्री अजीत सिंह उर्फ मुन्ना की हत्या किए जाने के सम्बन्ध में दिए जाने वाले वक्तव्यों को स्थगित किए जाने की सूचना

श्री अधिष्ठाता--

मद संख्या 14, 15 तथा 16 को आगे

अब हम उठते हैं, 2 सितम्बर, 19[illegible] को 11 बजे प्रातः पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन सायं 6 बज[illegible] 54 मिनट पर सोमवार, 2 सितम्बर, 1[illegible] के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थ[illegible] हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल

लखनऊ: सचिव, विधान स[illegible]

24 अगस्त, 1985। उत्तर प्रदेश।

†छापी नहीं गई।